रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003--05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 25—दिसम्बर 31, 2004 (पौष 4, 1926)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 25—DECEMBER 31, 2004 (PAUSA 4, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1043
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1305
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	5
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1767
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1465
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	9001
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	6683
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	[illegible]
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1043

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1305

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . 5

PART 1—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1767

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 1465

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 9801

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 6683

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 629

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . . *

* Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2004

सं. 133-प्रेज/2004--राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री पी. वेणुगोपाल राव,
सर्किल निरीक्षक।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

28.8.2003 को श्री वेणुगोपाल राव सर्किल इंस्पेक्टर को एक विशिष्ट सूचना मिली कि दुर्दान्त जनशक्ति नक्सली ग्रुप के अतिवादी सिरसिल्ला क्षेत्र (करीमनगर पश्चिम) के बाहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं तथा गोलीबारी की एक घटना में मारे गए देगला सुभाष, जिला समिति सचिव, जनशक्ति ग्रुप, मेडक जिला की मौत का बदला लेने के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक नेताओं का सफाया करने की तैयारी कर रहे हैं। तत्काल ही श्री वेणुगोपाल राव, सर्किल निरीक्षक ने यह सूचना अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) को दी तथा जिला गार्ड्स कमांड यूनिट की मांग की। दुर्भाग्यवश उस समय मुख्यालय में कोई हमला यूनिट उपस्थित नहीं थी क्योंकि सभी करीमनगर पूर्वी डिवीजन के घने जंगल में एक बड़े अभियान में लगे हुए थे। तथापि, कमांडों यूनिट की इस कमी से श्री वेणुगोपाल, सर्किल निरीक्षक के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत, इन्होंने जिला गार्ड कमांडों के बगैर ही स्वयं अभियान चलाने का निर्णय लिया। चूंकि समय कम था अत: उपलब्ध सूचना की सटीकता को ध्यान में रखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) ने उन्हें हरी झंडी दिखा दी तथा इन्होंने जिला मुख्यालय में उपलब्ध उप निरीक्षकों, दो हैड कांस्टेबलों तथा कुछ सिविल पी.सी. को साथ लिया तथा उन सबकी एक टीम गठित की तथा सिरसिल्ला की ओर चल पड़े तथा वहां आम के एक बगीचे में धैर्यपूर्वक घात लगाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। प्रात: 2.30 बजे श्री वेणुगोपाल राव, सर्किल निरीक्षक ने अचानक कुछ आवाजें सुनीं। इन्होंने तत्काल अपनी पार्टी को सतर्क कर दिया तथा एक योजना तैयार की और उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जिधर से आवाजें आ रही थीं। श्री वेणुगोपाल, सर्किल इंस्पेक्टर ने देखा कि पांच सदस्य सिरसिल्ला कस्बे की ओर बढ़ रहे हैं। इन्होंने विधिवत अपना परिचय दिया तथा उन्हें अपनी पहचान बताने को कहा। ऐसा करने के बजाए उन्होंने विपरीत दिशा से स्वचालित हथियारों से गोलीबारी प्रारंभ कर दी। तत्काल ही श्री वेणुगोपाल राव, सर्किल निरीक्षक तथा इनकी पार्टी ने आड़ ली तथा जवाब में गोलियां चलाई। श्री वेणुगोपाल राव, सर्किल निरीक्षक ने अपनी पार्टी का नेतृत्व किया तथा धीरे-धीरे उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जहां से गोलियां चल रही थी। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए तथा कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए श्री वेणुगोपाल राव, सर्किल निरीक्षक अकेले ही अतिवादियों की ओर रेंगकर बढ़ते गए तथा गोलियां चलाते रहे। पांच मिनट तक गोलीबारी होती रही। बाद में जब पुलिस ने क्षेत्र की तलाशी ली तो मौके से एक शव बरामद हुआ। बाद में उसकी पहचान जनशक्ति के कुख्यात गुटन्ना के रूप में हुई। श्री वेणुगोपाल राव, सर्किल निरीक्षक ने उत्कृष्ट नेतृत्व, साहस तथा भयानक गोलीबारी के दौरान पार्टी का नेतृत्व करते हुए उच्च रणनीतिक कुशलता का प्रदर्शन किया जिसमें चेपयाला बधैया उर्फ गुटन्ना, जिला समिति सदस्य, सी पी आई एम एल जनशक्ति, करीमनगर जिला मारा गया। गोलीबारी स्थल से एक ए.के. 47 असाल्ट राइफल दो 8 एम एम राइफलें तथा गोली बारुद इत्यादि बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में, श्री पी. वेणुगोपाल राव, सर्किल निरीक्षक ने अदम्य वीरता एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परियच दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 अगस्त, 2003 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 134-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. के. राजारत्नम नायडु, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, खम्माम।
2. एस. लावाराजू, जूनियर कमांडो -1353, ग्रे हाउन्ड्स। (मरणोपरांत)
3. एन. तिरूपति राजू, जूनियर कमांडो -1349, ग्रे हाउन्ड्स। (मरणोपरांत)
4. आर. श्री निवास राव, जूनियर कमांडो -1474, ग्रे हाउन्ड्स। (मरणोपरांत)।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

वर्ष 1998 के दौरान, श्री के. राजारत्नम नायडु, कमांडेन्ट 5वीं बटालियन, ए पी एस पी विजियानगरम की बटालियन के साथ (दिवंगत) श्री एस लावा राजू, जे सी, (दिवंगत) श्री एन तिरूपति राजू, जे सी, तथा (दिवंगत) श्री आर. श्री निवास राव, जे सी ग्रे हाउन्ड्स जे सी के रूप में संबद्ध थे। श्री राजारत्नम नायडु, कमांडेन्ट को सूचना मिली कि कोन्डाबेरिडि, नागावली, जनजारथी एवं उद्दनम दलम (60), जो आधुनिक हथियारों से लैस हैं, पुडेसु ग्राम (विजियानगरम जिला) के समीप घने पहाड़ी जंगल में एकट्ठे हुए हैं तथा वे पुलिस का सफाया करने तथा अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने के लिए पुलिस थानों को लूटने के लिए भयानक कदम उठाने का षडयंत्र रच रहे हैं। इन्होंने तत्काल कार्रवाई की। इन्होंने ग्रे हाउन्ड्स की तीन यूनिटें जिनमें (दिवंगत) श्री एस. लावा राजू जे सी, (दिवंगत) श्री एन. तिरूपति राजू जे सी तथा (दिवंगत) श्री आर. श्री निवासराव जे सी तथा अपेक्षित संख्या में ए पी एस पी कार्मिक एकत्र किए तथा कार्रवाई करने हेतु एक सुस्पष्ट कार्रवाई यो जना बनाई। बल को तीन खंडों में बांटकर श्री के राजा रत्नम नायडु, कमांडेंट ने उनका जंगली क्षेत्र (कोप्पाडांगी क्षेत्र) की ओर नेतृत्व किय तथा विद्रोही तत्वों को घेर लिया। परन्तु उग्रवादी विचलित नहीं हुए तथा उन्होंने आगे बढ़ते हुए पुलिस बल को रोकने के लिए ए.के.-47, 303 राइफलों से गोलियां चलाईं, हथगोले फेंके तथा यहां तक कि क्लेमोर माइनों का भी विस्फोट किया जबकि ग्रे हाउन्ड्स के सर्व श्री एस लावाराजू, जे सी, एन तिरूपति राजू, जे सी तथा आर श्री निवास राव, जे सी वैनगार्ड ले आए। पुलिस ने अराजक तत्वों को आत्मसमर्पण करने के लिए बार-बार चेतावनी दी। प्रत्युत्तर में उन्होंने और अधिक गोलियां चलाईं, विस्फोट किए तथा बम फोड़े। भीषण गोलीबारी का मुकाबला करते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जान की परवाह किए बगैर श्री राजारत्नम नायडु, कमांडेन्ट ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाते हुए गोलियों की बौछार के बीच अपने दल का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। इस बुद्धिमानीपूर्ण और साहसिक कारनामे के कारण उग्रवादियों तथा पुलिस पार्टी के बीच लगभग चार घंटे तक चली गोलीबारी के बाद 13 दुर्दान्त उग्रवादी तथा सर्व श्री एस लावा राजू, जे सी, एन तिरूपति राजू, जे सी एवं आर श्री निवास राव, जे सी मारे गए। मृत 13 उग्रवादियों की पहचान (1) गन्ती रमेश उर्फ राजेस, डिवीजनल समिति सचिव तथा क्षेत्रीय समिति सदस्य (2) अम्बाती येरन्ना उर्फ भूमन्ना, डिवीजनल कमेटी मेम्बर, (3) प्रेमलथा उर्फ पदमक्का कमांडर जनगवथी दलाम (4) नुमपल्ला दुरवासुलु उर्फ जयपाल, कमांडर नागावली दलाम (5) स्वर्णलथ उर्फ गुनक्का, डिप्टी कमांडर, कोन्डाबारिडि (6) तेवितय्या उर्फ शेषन्ना, राज्य समिति सदस्य (7) पोथनपल्ली सुबद्रा उर्फ स्वरर्णका, दलाम

सदस्य (8) अलामुरू सत्यनारायण उर्फ चन्तन्ना (9) हरिकृष्ण पात्रो उर्फ रमन्ना उड़ीसा राज्य, डिप्टी कमांडर (नागावली दलाम) (10) भास्कर-उद्दनम समिति सदस्य (11) बटकाला यदन्ना उर्फ रघु-उग्रवादी (12) अदत्था सिम्हाद्री उर्फ एचन्ना आर सी एस नेता (13) बटकाला आदिनारायण उर्फ चलपति आर सी एस के रूप में हुई। इनके जिन्दा या मुर्दा पकड़े जाने पर भारी ईनाम घोषित था। मुठभेड़ के बाद, स्थल से आधुनिक हथियार, क्लेमोर माइन्स, तथा हथगोलों सहित हथियारों की खेप बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री के. राजारत्नम नायडु, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, खम्माम, दिवंगत एस. लावाराजू, जूनियर कमांडो, दिवंगत एन. तिरूपति राजू, जूनियर कमांडो और दिवंगत आर. श्री निवास राव, जूनियर कमांडो ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 अगस्त, 1998 से दिया जाएगा।

करुण मित्रा
निदेशक

सं0 135-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री प्रभात पेगू
कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

नलबाड़ी पुलिस थानान्तर्गत ग्राम कोटपुहा में उल्फा उग्रवादियों के ग्रुप की मौजूदगी के बारे में सूचना के आधार पर श्री जितमल डोले, अपर पुलिस अधीक्षक नलबाड़ी के नेतत्व में एक पुलिस पार्टी गांव में गई तथा गांव को घेरे में लेने के बाद तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान ए बी सी/487 प्रभात पेगू के पीछे श्री डोले प्रणव सर्मा के घर पहुंचे जहां उग्रवादियों ने मकान के पीछे से गोलियां चलाना शुरु कर दिया। गोलियों की बौछार से विचलित हुए बिना श्री पेगू ने मोर्चा संभाला और अपने सर्विस हथियार से उग्रवादियों पर गोलियां चलाना प्रारंभ किया जिसके परिणामस्वरुप एक उग्रवादी मौके पर ही मारा गया। मारे गए उग्रवादी से चार्जड मैगजीन सहित एक ए.के. 56 राइफल बरामद की गई। पुलिस दल के अन्य जवानों ने उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी करके उन्हें अपने एक घायल साथी को पीछे छोड़ शीघ्रता से भागने पर विवश कर दिया। बाद में यह उग्रवादी भी अस्पताल में मर गया। अनुशंसित कांस्टेबल के वीरतापूर्ण कार्य से न केवल उनके वरिष्ठ अधिकारी की प्राण रक्षा हुई बल्कि इनके साथी पुन: हमला करने के लिए उत्साहित भी हुए जिसके कारण भारी संख्या में उग्रवादी हताहत हुए। बाद में मृत उग्रवादियों की पहचान भूपेन कलीता एवं रामेन सर्मा के रुप में हुई जो प्रतिबंधित संगठन उल्फा के सदस्य थे। वे असम के तत्कालीन वन मंत्री स्व. नगेन सर्मा की हत्या सहित अनेक जघन्य अपराधों के लिए वांछित थे।

इस मुठभेड़ में, श्री प्रभात पेगू, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 मई, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 136-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नितुल गोगोई,
अपर पुलिस अधीक्षक ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

19.2.2004 को श्री नितुल गोगोई, अपर पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय) धुबरी को गोकुलचंद पुलिस थाने के अंतर्गत उत्तरी रायपुर, मोईचाचर, भंगाडोली, कलडोबा आदि के सामान्य क्षेत्रों में उल्फा उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर इन्होंने निरीक्षक एन.यू. चौधरी, सर्किल निरीक्षक गोलोकगंज, उप निरीक्षक के. राजबोंगशी औ/सी गोलोकगंज पुलिस थाना, उप निरीक्षक तरुण सी एच दास तथा 14 (चौदह) सशस्त्र कांस्टेबल सहित एक तलाशी पार्टी का नेतृत्व किया। जब तलाश जारी थी तो सायं लगभग 7.15 बजे, श्री नितुल गोगोई के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने भंगा डोली क्षेत्र में उग्रवादियों के एक दल को संदेहास्पद स्थिति में आते-जाते देखा। उनकी पहचान पूछने पर उग्रवादियों ने अपने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी और श्री नितुल गोगोई तथा पुलिस कार्मिकों को मारने की दृष्टि से उनके दल पर हथगोले से विस्फोट किया। ए के 56 जैसे स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी तथा हथगोले के आक्रमण के बावजूद श्री नितुल गोगोई ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए तथा अनुकरणीय साहस दिखाते हुए बड़ी सूझ-बूझ के साथ शीघ्रता से कार्रवाई की और अपने सर्विस हथियार से गोली चलाई। साथ ही साथ उन्होंने तत्काल प्रतिकारी कार्रवाई करने के लिए अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। अन्य पुलिस कार्मिकों ने अपर पुलिस अधीक्षक श्री नितुल गोगोई के अपने प्रभावी नेतृत्व से प्रोत्साहित होकर कारगरता के साथ जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी तीस मिनट तक जारी रही। उग्रवादियों की गोलीबारी के परिणामस्वरुप कांस्टेबल 747 प्रभात कलीता की बांई बाजू गोली लगने से चोटग्रस्त हो गई। तदोपरांत, तलाशी अभियान के दौरान घटनास्थल के पास एक उल्फा उग्रवादी मरा हुआ पाया गया। मृतक के कब्जे से एक सक्रिय चीनी हथगोला, ए के 56 गोला बारुद के 15 राउंद, उल्फा संबंधी आपत्तिजनक दस्तावेज प्राप्त हुए। जांच के दौरान मृत उग्रवादी की पहचान उकील राय (25) उर्फ मोन कुमार रॉय पुत्र श्री ताजेन रॉय, दाफरपुर पुलिस थाना गोलोकगंज के रुप में हुई। वह एक दुर्दान्त प्रशिक्षित उल्फा उग्रवादी था। वह रॉयल भूटान सेना द्वारा विद्रोह-विरोधी कार्रवाई के दौरान भूटान से आया था तथा वह उग्रवाद संबंधी अनेक मामलों में वांछित था।

इस मुठभेड़ में, श्री नितुल गोगोई, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 फरवरी, 2004 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 137-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम पुलिस/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी बीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. जगतार सिंह, कांस्टेबल, 16वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (मरणोपरांत)
2. महेश्वर बोसुमतारी, यू.बी. कांस्टेबल, असम पुलिस। (मरणोपरांत)
3. अरूण कुमार बोरा, उप निरीक्षक (यू.बी.), असम पुलिस।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

3 मार्च, 2004 को दिन के 2 बजे माणिकपुर पुलिस थाने के ओ/सी को सूचना प्राप्त हुई कि अधुनातन किस्म के हथियारों सहित उल्फा कार्यकर्त्ताओं का एक ग्रुप सोरभोग पुलिस थाने के अन्तर्गत दहालपाड़ा के अमरेन्द्रनाथ के घर में शरण लिए हुए हैं। 4 मार्च, 2004 को दिन के 2.30 बजे माणिकपुर पुलिस थाने के ओ/सी उप निरीक्षक गोलक सी एच डेका, उप निरीक्षक अरुण कुमार बोरा, यू.बी. कांस्टेबल 290 राखाल सूत्रधार, यू.बी. कांस्टेबल 54 मोहेश्वर बासुमतारी, 14वीं असम पुलिस बटालियन की एक सैक्शन तथा 16 के.रि.पु. बल 'ए' कम्पनी की एक प्लाटून ने आर.एन. शर्मा, निरीक्षक के नेतृत्व में इस सूचना पर विचार-विमर्श किया तथा माणिकपुर पुलिस थाने में योजना तैयार की। इस योजना के अनुसार 4 मार्च, 2004 को प्रातः 3 बजे एक संयुक्त अभियान चलाया गया। पुलिस तथा के.रि.पु.बल पार्टी प्रातः 3.30 बजे दाहल पाड़ा गांव में पहुंच गई तथा ज्यों ही सुरक्षा कार्मिकों ने अमरेन्द्र नाथ के मकान पर घेरा डाला उल्फा उग्रवादियों ने मकान के भीतर से गोलीबारी प्रारंभ कर दी। उन्होंने मकान के भीतर से पुलिस पार्टी पर एक चीनी हथगोला भी फेंका जो फट गया, परन्तु सौभाग्यवश घेरे में तैनात कोई भी जवान घायल नहीं हुआ। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। मुठभेड़ 4/5 मिनट तक चली। उप निरीक्षक अरुण कुमार बोरा ने अपनी पिस्तौल से 6 राउंद चलाए। यू बी सी/54 मोहेश्वर बासुमतारी ने अपनी सर्विस ए.के. 47 से 2 राऊंद चलाए तथा कांस्टेबल/जी डी 901000735 जगतार सिंह ने अपने सर्विस हथियार से 2 राऊंद चलाए। गोलीबारी रूकने पर पुलिस ने घेरे को और कसा तथा उप निरीक्षक (यू बी) अरूण कुमार बोरा ने अनेक बार ऊंची आवाज में उनसे आत्म समर्पण करने को कहा। जब उग्रवादियों ने उप निरीक्षक अरुण कुमार बोरा का कोई उत्तर नहीं दिया तो यू बी सी/54-मोहेश्वर बासुमतारी तथा 16 'ए' कंपनी के.रि.पु.बल के कांस्टेबल सं0 901000735 जगतार सिंह ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए उस मकान में प्रवेश किया तथा अन्दर छिपे हुए एक उल्फा उग्रवादी को दबोच लिया, तथा उसे भागने नहीं दिया। इस उग्रवादी ने उनकी पकड़ से छूटने की बड़ी भारी कोशिश की। जब उग्रवादी अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ तो उसने बचाव की अन्य कोई सूरत न देख कर मकान के भीतर एक चीनी हथगोले का विस्फोट कर दिया जिसके परिणामस्वरूप स्वयं उग्रवादी तथा के.रि.पु. बल जवान जगतार सिंह की तत्काल मृत्यु हो गई और उप निरीक्षक अरुण कुमार बोरा तथा यू बी सी 54 मोहेश्वर बासुमतारी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में यू बी सी/54 मोहेश्वर बासुमतारी की घावों के कारण मृत्यु हो गई। मकान मालिक अमरेन्द्र नाथ तथा के.रि.पु. बल निरीक्षक आर एन शर्मा को मामूली सी चोटें आईं। बाद में मारे गए उग्रवादी की पहचान करन दास उर्फ दीसुंग भूटिया पुत्र सदादास, ग्राम कुमगुडी, पुलिस थाना बारपेटा रोड, जिला बारपेटा के रूप में हई। पी.ओ. की पूरी तरह तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक कैप, जो विस्फोटित चीनी हथगोले की

हो सकती है, एक लीवर (मुड़ा हुआ) जिसके भी विस्फोटित चीनी हथगोले का होने का संदेह है, 9 एम एम गोला बारूद के 7 खाली केस, ए.के.47 राइफल की गोली का एक खाली केस, एस एल आर गोली बारूद का एक खाली केस बरामद हुआ । उप निरीक्षक अरूण कुमार बोरा, यू बी सी मोहेश्वर बासुमतारी तथा कांस्टेबल/जी डी जगतार सिंह अपने साथियों के प्राण बचाने में सफल रहे तथा अपने प्राणों की परवाह न करते हुए और अनुकरणीय कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन करके सशस्त्र उग्रवादी को गिरफ्तार करने में सफल हुए । वे उग्रवादी को सुरक्षा कार्मिकों के बीच हथगोला फेंकने से रोकने में सफल रहे । यदि उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से पूर्व उग्रवादी हथगोला फेंकने में सफल हो जाता तो निश्चित रूप से अनेक सुरक्षा कार्मिक मारे जाते। यू बी सी/54 मोहेश्वर बासुमतारी की मृत्यु अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में हो गई तथा एस आई (यू बी) अरूण कुमार बोरा को लोअर असम नर्सिंग होम बोंगई गांव की सलाह पर डाउन टाउन हॉस्पीटल गुवाहाटी में गंभीर अवस्था में स्थानांतरित किया गया । उप निरीक्षक अरुण कुमार बोरा, यू बी सी/54 मोहेश्वर बासुमतारी तथा के.रि.पु. बल 16वीं बटालियन के 'ए' कंपनी के कां0 901000735 जगतार सिंह ने, उच्चकोटि की बहादुरी, साहस, शौर्य का प्रदर्शन किया तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों की प्रतिबद्धता दर्शाई ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री (दिवंगत) जगतार सिंह, कांस्टेबल, 16वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, (दिवंगत) महेश्वर बोसुमतारी, यू.बी. कांस्टेबल, असम पुलिस और अरूण कुमार बोरा, उप निरीक्षक (यू.बी.), असम पुलिस ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 मार्च, 2004 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 138-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राज कुमार,
उप निरीक्षक ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

12.01.2003 को स्पेशल स्टाफ, दक्षिण पश्चिम जिला, नई दिल्ली से संबद्ध उप निरीक्षक राजकुमार, सं. डी-3467 को एक स्रोत से गुप्त सूचना मिली कि जितेन्द्र शर्मा उर्फ हरीश शर्मा, पुत्र श्री जय लाल, निवासी बाग्ले की धर्मशाला, रेलवे स्टेशन के निकट, भिवानी, हरियाणा, जो दुर्दांत और हिंसक अपराधी है और हत्या के एक मामले में आजीवन दोष-सिद्ध अपराधी है तथा हिरासत से भागा हुआ है, के चांद नगर, तिलक नगर के निकट, दिल्ली में आने की संभावना है । उप निरीक्षक राजकुमार ने इस सूचना के बारे में आगे और जानकारियां हासिल की और एक विशिष्ट गुप्त सूचना के आधार पर अन्य अधिकारियों और लोगों के साथ मिलकर चांद नगर के मकान सं0 285 को घर लिया जिसमें उक्त अपराधी रह रहा था । उस आततायी ने उप निरीक्षक राज कुमार को देख कर उन पर गोलियां चलाईं । संभवतः इस अपराधी ने उप-निरीक्षक को पहचान लिया था क्योंकि 2002 में भी इसी उप-निरीक्षक ने उसे गिरफ्तार किया था । उप निरीक्षक राजकुमार ने इस भगोड़े अपराधी को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन जितेन्द्र शर्मा ने उस मकान के अधखुले दरवाजे से अपने रिवाल्वर से गोलियां चलानी शुरू कर दीं और एक गोली उप निरीक्षक राजकुमार के सीने पर लगी तथा बुलैट प्रूफ जैकट पहने होने के कारण उसमें अटक गई । लेकिन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उप निरीक्षक राज कुमार ने पलट कर गोली चलाई और उस आततायी को गोली मार कर गिरा दिया । वहां से उस आततायी को उठा कर दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया जहां उसे "मृत लाया गया" घोषित किया गया । असहाय होने से पहले जीतेन्द्र शर्मा ने पांच राउंड गोलियां चलाई थीं । जीतेन्द्र शर्मा नामक यह दुर्दांत अपराधी न केवल दिल्ली में बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी आतंक का पर्याय बना हुआ था । ये राज्य उसके अपराध क्षेत्र थे और जहां पर उसका अपराधियों का एक नेटवर्क था जो उसके कहने पर कोई भी अपराध करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे । दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए 20,000/- रू0 के पुरस्कार की घोषणा की हुई थी । जितेन्द्र शर्मा ने उन पुलिस अधिकारियों को भी धमकी दी थी जिन्होंने उसे इससे पहले गिरफ्तार किया था ।

इस मुठभेड़ में, श्री राज कुमार, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 जनवरी, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 139-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. राजबीर सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त । (वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
2. मोहन चंद शर्मा, निरीक्षक। (वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
3. गोविंद शर्मा, उप निरीक्षक।
4. संजय दत्त, उप निरीक्षक।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

09.05.2002 को लश्कर-ए-तैयबा के तीन उग्रवादियों नामतः 1 शेख सज्जाद पुत्र गुलाम मोहम्मद शेख निवासी पत्शई बाग, लस्जान, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, 2. मेहराजुद्दीन पीर उर्फ हिलाल पुत्र गुलाम अहमद, निवासी पुतु खाह मुकम, तहसील सोपोर, जिला बारामुला, जम्मू और कश्मीर और 3 फिरोज अहमद शेख पुत्र स्व0 मोहम्मद आमीन शेख निवासी अमर कॉलोनी ए, लेन सं0 4, लाल बाजार, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन क्षेत्र के निकट, को विस्फोटक और हवाला राशि सौंपते समय गिरफ्तार किया गया था । उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, नकदी और सेल फोन बरामद किया गया था। अभियुक्तों से पूछ-ताछ की गई थी । फिरोज अहमद शेख ने बताया कि उसके दो साथी अबू बिलाल, जो लाल किले में हुई गोलीबारी में संलिप्त था और अबू जबीउल्लाह दोनों ही पाकिस्तान के राष्ट्रिक हैं और उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं और वे हुमायूं मकबरे की पार्किंग में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । सहायक पुलिस आयुक्त राजबीर सिंह के नेतृत्व में एक दल उस स्थान पर पहुंचा जहां दो आतंकवादियों को अपनी कार के पास खड़े देखा गया था । जब पुलिस दल उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बढ़ा तो उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलाईं और गोली बारी जारी रखी । इसके जेबाब में पुलिस दल ने भी गालियां चलाईं और इस गोलीबारी में दोनों आतंकवादी मारे गए । मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान अबू बिलाल और अबू जबीउल्लाह के रूप में की गई । इस संबंध में दिनांक 10.05.2002 को पोटा की धारा 3/4/5, आई पी सी की धारा 186/353/307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत पुलिस स्टेशन, विशेष सैल (एस बी), नई दिल्ली में एफ आई आर सं0 9/2002 दर्ज की गई थी ।

श्री राजबीर सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त:- ने पूरी कार्रवाई का निकट से पर्यवेक्षण किया और आगे बढ़ कर पुलिस दल का नेतृत्व किया। पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान इन्होंने आतंकवादियों की कार के निकट तेजी से मोर्चा संभाल लिया । जब पुलिस दल ने आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश की तो दोनों ही खतरनाक आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं । सहायक पुलिस आयुक्त राजवीर सिंह, प्रशिक्षित आतंकवादियों की गोलियों के बहुत ही नजदीक थे । लेकिन इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने बड़ी निर्भीकता से आतंकवादियों का सामना किया और अपनी सर्विस रिवाल्वर से आतंकवादियों पर 7 राउंड गोलियां चलाई । इन्हें भी दुस्साहसी आतंकवादी की गोली लगी लेकिन अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण ये बाल-बाल बच गए ।

श्री मोहन चन्द शर्मा, निरीक्षक:- ने उस पुलिस दल का नेतृत्व किया जिसने तीन आतंकवादियों नामतः 1. शेख सज्जाद, 2. मेहराजुद्दीन पीर उर्फ हिलाल और 3. फिरोज अहमद शेख को पहचाना और उन्हें गिरफ्तार किया । इन्हें विस्फोटक सामग्री और नकदी का अंतरण करने के बाद गिरफ्तार किया गया था । पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ

मुठभेड़ के दौरान मोहन चन्द शर्मा ने डी डी ए पार्क, हुमायूं मकबरे के निकट पार्क की गई कार के निकट अपना मोर्चा संभाला। जब पुलिस दल ने इन दुर्दांत आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश की तो दोनों ही आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई। निरीक्षक मोहन चन्द शर्मा ने प्रशिक्षित आतंकवादियों की गोलियों की बौछार का बहुत निकट से सामना किया। अपने जीवन की परवाह न करते हुए और साहस तथा दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए इन्होंने आतंकवादियों का बहादुरी से सामना किया और अपनी सर्विस रिवाल्वर से 6 राउंड गोलियां चलाई। एक दुस्साहसी आतंकवादी ने इन पर भी गोली चलाई जो इनके सीने में लगी लेकिन अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण ये बाल-बाल बच गए।

श्री गोविंद शर्मा, उप निरीक्षक:- उस पुलिस दल के सदस्य थे जिसने पाकिस्तान के आतंकवादियों की गोलीबारी का सामना किया। पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान इन्होंने हुमायूं मकबरे की पार्किंग से सटे डी डी ए पार्क में तुरंत ही मोर्चा संभाल लिया। जब पुलिस दल ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश की तो दोनों दुर्दांत आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। पुलिस दल के अन्य सदस्यों के सहयोग से उप निरीक्षक गोविंद शर्मा ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अबू जबीउल्लाह नामक पाकिस्तानी आतंकवादी, जो पार्क से भागने की कोशिश कर रहा था, का बहादुरी से मुकाबला किया। उप निरीक्षक गोविंद शर्मा ने असाधारण बहादुरी, साहस का परिचय देते हुए आतंकवादी का मुकाबला किया और अपनी सर्विस पिस्तौल से 6 राउंड गोलियां चलाईं। उस दुर्दांत आतंकवादी ने भी गोलियां चलाईं औरउसकी एक गोली इनके सीने में लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई।

श्री संजय दत्त, उप निरीक्षक:- उस पुलिस दल के सदस्य थे जिसने पाकिस्तान के आतंकवादियों की गोलीबारी का सामना किया। पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान इन्होंने हुमायूं मकबरे की पार्किंग के साथ सटे डी डी ए पार्क में तुरंत ही मोर्चा संभाल लिया। जब पुलिस दल ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश की तो दोनों दुर्दांत आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। पुलिस दल के अन्य सदस्यों के सहयोग से उप निरीक्षक संजय दत्त ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अबू जबीउल्लाह नामक पाकिस्तानी आतंकवादी, जो पार्क से भागने की कोशिश कर रहा था, का बहादुरी के साथ मुकाबला किया। उप निरीक्षक संजय दत्त, प्रशिक्षित आतंकवादियों के निकट ही गोलियों के निशाने पर थे और ये उनकी गोलियों से बाल-बाल बचे। अपने जीवन की परवाह किए बगैर उप निरीक्षक संजय दत्त ने असाधारण साहस और बहादुरी का परिचय दिया तथा अपनी सर्विस पिस्तौल से 4 राउंड गोलियां चलाईं। दुर्दांत आतंकवादी द्वारा चलाई गई एक गोली इनके सीने में लगी लेकिन पहनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण ये बच गए।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री राजवीर सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त, मोहन चंद शर्मा, निरीक्षक, गोविंद शर्मा, उप निरीक्षक और संजय दत्त, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 मई, 2002 से दिया जाएगा।

करुण मित्रा
निदेशक

सं0 140-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अजीत सिंह,
हैड कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

अक्तूबर, 2002 में रघुवीर नगर में जरीना नामक एक किन्नर की हत्या हो गई थी जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन राजोरी गार्डन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/436/108/120-ख के तहत एक मामला एफ आई आर संख्या 808/2002 दायर किया गया था । इस मामले में धर्मपाल, गीता, परवेज और मंजू उर्फ सोलंकी नामक चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और ये चारों अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। 38 वर्षीय नीलम नामक एक किन्नर, जिसका अपने समाज में काफी प्रभाव था, इस मामले में प्रमुख गवाह थी तथा उसने इन अभियुक्तों को जमानत दिए जाने का बड़ी सक्रियता से विरोध किया था । यह मामला तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री वी.पी. वैश की अदालत में लंबित था । चूंकि नीलम, अभियुक्तों को जमानत मंजूर करने का जोर-शोर से विरोध कर रही थी और गवाहों को भी सक्रियरूप से तैयार कर रही थी इसलिए अभियुक्तों को यह लगा कि वह जमानत लेने तथा दोषमुक्त होने में मुख्य रोड़ा है । नीलम को भी इस बात की जानकारी थी और उसे इन व्यक्तियों से जान के खतरे की भी आशंका थी। 28.04.2003 को श्री वी.पी. वैश, ए एस जे की अदालत में कोर्ट संख्या 119 में जमानत की सुनवाई के लिए यह मामला आया । नीलम अपने सहयोगियों (लगभग 20) के साथ पी पी तीस हजारी में आई थी और उनको इस आशय का आवेदन पत्र दिया कि उसे सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि उसे इस बात की आशंका है कि उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नीलम के आवेदन पत्र पर कार्रवाई करते हुए प्रभारी पी पी तीस हजारी ने कांस्टेबल नंद किशोर को उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिया तथा वह नीलम के साथ सुनवाई के लिए उसके साथ गया। सांय लगभग 3.15 बजे अदालत की कार्यवाही बंद होने के बाद जब नीलम, नंद किशोर के साथ अदालत के कमरे से बाहर आ रही थी तो एक आदमी ने बहुत नजदीक से उस पर गोली चलाई । उसने चार गोलियां चलाईं जिसमें से एक गोली नीलम के सिर में और दो उसकी पीठ में लगी, चौथी गोली नीलम की सुरक्षा के लिए तैनात कांस्टेबल की जांघ में लगी जिससे वह घायल हो गया । हैड कांस्टेबल अजीत सिंह, सं0 33/एन, जो श्री जे.पी. सिंह, जिला और सत्र न्यायाधीश के पी एस ओ के रूप में कार्य कर रहा है, हाकरों की सूची प्राप्त करने के बाद उसे पी पी तीस हजारी को प्रस्तुत करने आ रहा था । यह सूची उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ए डी जे की इच्छानुसार प्रस्तुत की जानी थी । जब पहली गोली चली तो वह अदालत सं0 107 के सामने था । लेकिन प्रशिक्षित कार्मिक की स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और अपनी जान की परवाह न करते हुए तत्काल ही उस हमलावर की ओर लपके जो लगातार गोलियां चला रहा था। हैड कांस्टेबल ने बड़ी सूझ-बूझ का परिचय दिया और हमलावर का वह हाथ पकड़ लिया जिसमें उसने पिस्तौल पकड़ा हुआ था। इसी बीच हमलावर ने चौथी गोली भी चला दी । इस चौथी गोली का खाली शैल हैड कांस्टेबल के सीने में लगा जिससे इन्हें काफी चोट लगी। उनके इस हस्तक्षेप के कारण मृतक किन्नर के सुरक्षा कर्मी कांस्टेबल नंद किशोर की जांघ में ही

गोली लगी अन्यथा वह इससे गंभीर रूप से घायल हो सकते थे । फिर हैड कांस्टेबल अजीत सिंह ने मैगजीन के कैच को दबाया जिससे मैगजीन ढीला हो गया जिसके कारण पिस्तौल से और गोलीबारी नहीं हो सकी। इसके बाद इन्होंने हमलावर से हथियार छीन लिया तथा उसे अपने काबू में कर लिया । ये उसे तुरंत ही पुलिस चौकी में ले आये ताकि घटनास्थल पर स्थिति बिगड़ने न पाये । यह उनके कर्तव्य से परे का कृत्य था और इस साहसपूर्ण कृत्य से पुलिस बल की प्रशंसा हुई । बाद में इस हत्यारे की पहचान मणि गोपाल उर्फ श्री गोपाल (28 वर्ष) के रूप में हुई जो नजफगढ़ क्षेत्र का बेरोजगार युवक था जिसे अपराधियों ने नीलम की हत्या करने के लिए भाड़े पर लिया था ताकि वह अदालत में उनके विरूद्ध गवाही न दे सके तथा दूसरा पक्ष भी कमजोर पड़ जाए क्योंकि वह जमानत के मामले में उन्हे परेशान कर रही थी । हमलावर के पास चीन में निर्मित आधुनिक पिस्तौल थी जिससे चार गोलियां चलाने के बाद उसमें चार राउंड गोलियां बची थीं ।

इस मुठभेड़ में, श्री अजीत सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 अप्रैल, 2003 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 141-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री आर.वी. असारी,
पुलिस उप अधीक्षक।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री आर.वी. असारी, एस डी पी ओ दाहूद, दाहूद ग्रामीण पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397 के तहत दर्ज आई सी आर सं0 140/02 मामले की जांच-पड़ताल करने के बाद तीन पुलिस कांस्टेबलों के साथ एक निजी कार में भरुच से राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 8 से लगभग 1900 बजे लौट रहे थे। कर्जन से गुजरते समय उन्होंने अचानक देखा कि वहां पर यातायात अवरूद्ध हो गया है और कुछ कुख्यात हिंसक बदमाश लाठियों और खतरनाक हथियारों से लैस हैं और वे लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं । श्री असारी सौंपे गए कार्य के अतिरिक्त उन असहाय लोगों की सहायता के लिए भी आगे आए। यद्यपि, उनके पास सीमित पुलिस बल था तो भी लोगों का जीवन खतरे में पड़ा देख कर इन्होंने अपनी सर्विस पिस्तौल से दो राउंड गोलियां चलाई जिससे एक बदमाश घायल हो गया और गोलीबारी की आवाज़ सुन कर बाकी बदमाश निकट के खेतों की ओर भाग खड़े हुए। घायल व्यक्तियों से पूछ-ताछ करने पर पता चला कि वह घायल बदमाश और कोई नहीं बल्कि राजमार्ग पर लूट-पाट करने वाले गैंग का मुखिया अल्लारखा उर्फ सुलेमान काटियो है । सुलेमान काटियो की गिरफ्तारी से राजमार्ग पर हुई लूट-पाट की 12 घटनाओं और एक हत्या के मामले का पता चला । इस प्रकार श्री असारी के अदम्य साहस और निर्भीकता के कारण वांछित दुर्दांत अपराधी गिरफ्तार किया जा सका । पुलिस उप अधीक्षक श्री आर.वी. असारी की अनुकरणीय निर्भीकता और साहसपूर्ण प्रयासों से राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 8 पर असहाय लोग घायल होने और लुटने से बच गए । यह कार्य उक्त अधिकारी ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर सीमित पुलिस बल के साथ अकेले कर दिखाया।

इस मुठभेड़ में, श्री आर.वी. असारी, पुलिस उप अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 सितम्बर, 2002 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 142-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राम कुमार,
सहायक उप निरीक्षक।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

23.5.2003 को एक विचारणाधीन कैदी अनूप सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, जाति-जाट, निवासी-मित्रो और विनोद कुमार को जिला न्यायालय रोहतक में पेश करने के लिए एक पुलिस दल को बोस्टल और जिला जेल सोनीपत में तैनात किया गया था । उन्होंने पुलिस वाहन जुडिशियल कांप्लेक्स के सामने खड़ा किया जहां पर जींद जिले का एक सरकारी वाहन पहले से खड़ा था । सुबह लगभग 11.45 बजे जब अभियुक्त अनूप सिंह ने शौचालय जाने की इच्छा जाहिर की तो सहायक उप निरीक्षक राम कुमार, प्रभारी एस्कार्ट गार्ड अपने साथियों ई एच सी राज सिंह, सं0 6/आर टी के, जिसने अभियुक्त का हाथ पकड़ा हुआ था, कांस्टेबल अशोक कुमार सं0 706/आर टी के, सतेन्द्र सं0 809/आर टी के, सुचा सिंह, सं0 842/आर टी के और कांस्टेबल रघु नाथ सं0 867/आर टी के उक्त अभियुक्त को भू-तल पर ले आए लेकिन भू-तल का शौचालय ताला बंद पाया गया । जब पहली मंजिल में जाने के लिए वे आधी सीढ़ियां ही चढ़ पाए थे कि अचानक पहली मंजिल से अभियुक्त अनूप सिंह और पुलिस दल पर गोलीबारी होने लगी। इन गोलियों से ई एच सी राज सिंह सं0 6/आर टी के और अभियुक्त अनूप सिंह घायल हो गए। अभियुक्त अनूप सिंह तथा पुलिस कार्मिकों को बचाने के उद्देश्य से सहायक उप निरीक्षक राम कुमार सं0 97/आर आर ने तत्काल हमलावरों पर पलट कर गोलियां चलाईं । कुछ हमलावर लोगों पर गोलियां चलाते हुए बच निकले । इस बारे में उन कार्मिकों के विरूद्ध पृथक रूप से विभागीय कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती और कायरता दिखाई । सहायक उप निरीक्षक राम कुमार ने एक हमलावर को पकड़ लिया जिसकी पहचान बाद में मुकेश पुत्र श्री हंस राज, जाति-जाट, निवासी-घेवरा, थाना-कंझावला, नई दिल्ली के रूप में की गई । सहायक उप निरीक्षक राम कुमार ने इस घटना के बारे में एस्कार्ट वाहन से तुरंत ही पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया । समय पर सूचित किए जाने से भाग रहे दो हमलावर पकड़ लिए गये, जिनकी पहचान बाद में कप्तान सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह उर्फ रण सिंह, जाति-रोड़, निवासी-रंगरूटी खेड़ा, थाना आसंध, जिला करनाल के रूप में की गई जिसे गोलीबारी के दौरान सहायक उप निरीक्षक राम कुमार सं0 97/आर आर ने गोली मार कर घायल कर दिया था । पकड़े गए इसके दूसरे साथी का नाम जोगिन्द्र सिंह, उर्फ गोला, पुत्र श्री नफे सिंह, जाति-जाट, निवासी-लाडपुर, थाना-कंझावला (दिल्ली) था । न्यायालय के अहाते में गोलीबारी के बारे में 23.5.2003 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 333, 353, 148, 186 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत सिविल लाइन्स थाने में एफ आई आर सं0 264 के तहत एक मामला दर्ज किया गया । इस घटना के दौरान सहायक उप निरीक्षक राम कुमार सं0 97/आर आर ने असाधारण साहस का परिचय देते हुए अपने सहयोगी कार्मिकों और अभियुक्त मुकेश को तुरंत ही पी जी आई एम एस, रोहतक भेज दिया । इस प्रकार एस्कार्ट के प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक राम कुमार सं0 97/आर आर ने असाधारण साहस, तत्परता और विश्वसनीयता का परिचय देते हुए पुलिस

अधिकारियों, अनूप गिरोह के अन्य अभियुक्तों की जान बचाई, भाग रहे अभियुक्त मुकेश को पकड़ा, पुलिस नियंत्रण कक्ष को समय पर सूचित किया तथा घायल पुलिस अधिकारियों और अभियुक्त मुकेश को पी जी आई एम एस, रोहतक भेज दिया ।

इस मुठभेड़ में, श्री राम कुमार, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 मई, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 143-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. शकील अहमद, कांस्टेबल। (मरणोपरांत)
2. जतिन्दर सिंह चिब, पुलिस उप निरीक्षक।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

2 सितम्बर, 2003 को दारा सांगला, जिला पुंछ में आतंकवादी कमांडरों की बैठक के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई और उसके पश्चात उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई और घर-घर की तलाशी ली गई। इस कार्रवाई के दौरान, पुलिस पार्टी जब उस निर्दिष्ट घर की ओर बढ़ रही थी तब अचानक चार आतंकवादी उस घर से बाहर निकले और अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिसके परिणामस्वरुप कांस्टेबल शकील अहमद सं. 928/पी सहित चार पुलिस कार्मिक गोलियाँ लगने से जख्मी हो गए। घायल होने के बावजूद, जवानों ने जवाबी गोलीबारी की। आतंकवादी जवानों पर गोलीबारी करते हुए पास ही के जंगल की ओर भागने का प्रयास कर रहे थे। पी एस आई जतिन्दर सिंह चिब सं. 7251/एन जी ओ ने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया और अपने साथियों को एकजुट बनाए रखा। इन्होंने आतंकवादियों के बचकर बाहर निकलने के दोनों रास्तों को बंद करने के लिए 20 लोगों के अपने छोटे से दल को दो भागों में बांट दिया। यह देखने पर कि दो आतंकवादी दाहिनी तरफ से बाहर निकलने के रास्ते से भागने का प्रयास कर रहे हैं, पी एस आई ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनका पीछा किया। गोलियों और ग्रेनेडों का बहादुरी से सामना करते हुए पी एस आई चिब ने उन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। इसके अलावा, यह देख कर कि पी एस ओ इमरान खान सं. 254/एस पी ओ, जिन्होंने गोलीबारी करके दो आतंकवादियों को उलझा रखा था, के शरीर से बुरी तरह से खून बह रहा है, और ए.के. राइफल पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है, तो इस अधिकारी ने उसे घसीट कर पास के पेड़ के पास पहुंचाया और बाद में उसे अस्पताल ले जाने हेतु उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इस मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मार गिराए गए तथा कांस्टेबल शकील अहमद सं. 928/पी ने अपने जीवन का बलिदान दिया। मारे गए आतंकवादियों से निम्नलिखित चीजें बरामद की गईं :-

1.	ए.के. 47 राइफल	-	5 नग (क्षतिग्रस्त)
2.	ए.के. मैगजीन	-	9 नग (क्षतिग्रस्त)
3.	रेडियो सेट	-	1 नग (क्षतिग्रस्त)
4.	हैंड ग्रेनेड	-	6 नग (घटना स्थल पर नष्ट कर दिए गए)

इस मुठभेड़ में, दिवंगत शकील अहमद, कांस्टेबल और श्री जतिन्दर सिंह चिब, पी एस आई ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 सितम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 144-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राजेश कुमार, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

11.7.2003 को गांव बनोटा, तहसील मेन्धर, पुंछ में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। घेराबंदी/तलाशी अभियान के दौरान, झाड़ियों और मक्का की फसल में छिपे आतंकवादियों ने आपरेशन पार्टी को देख कर, उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिसके परिणामस्वरुप कांस्टेबल राजेश कुमार सं. 367/पी सहित आपरेशन पार्टी के कुछेक सदस्य जख्मी हो गए। उक्त कांस्टेबल, गोली लगने और शरीर से बुरी तरह रक्त बहने के बावजूद रेंगते हुए आगे बढ़े और अपने जख्मी साथियों में से एक नामत: कांस्टेबल सैफ अहमद सं. 933/पी, जो भारी गोलीबारी के बीच फंसे हुए थे, को घसीट कर सुरक्षित जगह पर ले आए तथा आंतकवादियों पर निरंतर गोलीबारी करते रहे। जब गोलीबारी चल रही थी उसी समय उन्होंने पास ही से एक आतंकवादी को भागते हुए देखा। यद्यपि, अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण उनके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वे किसी तरह से उसे गोली मारने में सफल हो गए और उसे घायल कर दिया। बाद में वे कोमा में चले गए और जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। निम्नलिखित चीजें बरामद की गईं :-

1.	ए के-47 राइफल	-	1 नग
2.	ए के मैगजीन	-	2 नग
3.	हैंड ग्रेनेड	-	2 नग
4.	ए.के. राउंद	-	30 नग
5.	मैगजीन पाऊच	-	1 नग

इस मुठभेड़ में, दिवंगत राजेश कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया और सेवा की उच्चतम परंपरा को बनाए रखते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 जुलाई, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 145-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नीरज चरक, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

2.7.2003 को, गांव कादिपोड़ा, पाखेरपोड़ा, बडगाम में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, एक संयुक्त तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया गया। सोना भट, निवासी कादिपोड़ा के घर में छिपे हुए आतंकवादी को आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और तलाशी पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिसके जवाब में जवानों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और एक भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में, कांस्टेबल नीरज चरक सं. 345/आई आर पी, चौथी बटालियन, अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों के छिपने के स्थल की ओर बढ़े और एच एम गुट के कुख्यात आतंकवादी नामत: शब्बीर अहमद डार को मार गिराया और इस कार्रवाई में वे गोलियां लगने से गंभीर रुप से जख्मी हो गए और बाद में उन्होंने जख्मों के कारण घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। निम्नलिखित चीजें बरामद की गई :-

1.	ए के- 47 राइफल	-	1 नग
2.	ए के मैगजीन	-	3 नग
3.	ए के गोलाबारुद	-	20 राऊंद

इस मुठभेड़ में, दिवंगत नीरज चरक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 जुलाई, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 146-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री करण सिंह, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

14.6.2003 को, पुलिस अधीक्षक पुंछ को, पुलिस स्टेशन सूरनकोट के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले हरी मरहोते में जे ई एम, अल-बदर और एच एम के उग्रवादी कमांडरों की मौजूदगी के संबंध में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई, जो अल्पसंख्यकों, सेना प्रतिष्ठानों इत्यादि पर हमला करने की रणनीति पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक पुंछ तत्काल पुलिस पार्टी के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए। आतंकवादियों के छिपने के अड्डे पर पहुँचने पर, ये आतंकवादियों, जो लाभकारी पोजीशनों पर कब्जा जमाए हुए थे, द्वारा की गई भारी गोलीबारी के बीच में आ गए। अधुनातन हथियारों से लैस आतंकवादी तीन विभिन्न घरों से गोलीबारी कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक पुंछ ने, स्थिति का आकलन करते हुए, पुलिस पार्टी को 3 टुकड़ियों में बांट दिया, जिसमें से एक का नेतृत्व स्वयं पुलिस अधीक्षक कर रहे थे और अन्य दो का नेतृत्व उपाधीक्षक पुलिस कर रहे थे। उस टुकड़ी, जिसका नेतृत्व श्री अशोक शर्मा, उपाधीक्षक पुलिस कर रहे थे, का कार्य काफी कठिन था। उन्होंने अपने ग्रुप को दो उप-दलों में बांट कर घरों की तलाशी शुरु कर दी। वह दल जिसमें उपाधीक्षक पुलिस अशोक शर्मा, कांस्टेबल करण सिंह सं. 298/पी और कांस्टेबल जसप्रीत सिंह सं. 775/पी थे, जब मोहम्मद सादिक सुपुत्र अब्दुल करीम, निवासी मरहोते के घर की तलाशी ले रहे थे, तभी वे छिपे हुए आतंकवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी की जद में आ गए और कांस्टेबल करण सिंह सं. 298/पी सीने में गोलियां लगने से जख्मी हो गए और उनके शरीर से तेजी से रक्त बहने लगा। उन्हें उपचार हेतु ले जाया गया लेकिन उन्होंने जख्मों के कारण रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तत्पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा लक्षित घर को चारों दिशाओं से कवर कर लिया गया और छिपे हुए उग्रवादी अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए उस घर से बाहर निकल आए और भागने का प्रयास करने लगे लेकिन वे सतर्क पुलिस कर्मियों द्वारा मार गिराए गए। इस संपूर्ण ऑपरेशन में पुलिस पार्टी द्वारा कुल 10 उग्रवादी मार गिराए गए।

बरामद किया गया शस्त्र/गोलाबारुद निम्न प्रकार है :

(i)	ए के-47 राइफल	-	7 नग
(ii)	ए के मैगजीन	-	21 नग
(iii)	पिका गन	-	1 नग
(iv)	लिंक पिका	-	1 नग
(v)	पिका गोलाबारुद	-	200 राउंद
(vi)	मैगजीन 200 के साथ पिस्तौल	-	1 नग
(vii)	यू बी जी एल थ्रोअर	-	1 नग
(viii)	यू बी जी एल ग्रेनेड	-	4 नग
(ix)	रॉकेट	-	1 नग

इस मुठभेड़ में, दिवंगत करण सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 जून, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मिश्रा

(वरूण मिश्रा)
निदेशक

सं0 147-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एस एम सहाय, भा.पु.से. उपमहानिरीक्षक ।
2. अब्दुल अजीज, कांस्टेबल सं. 519/पी ।
3. शरबत हुसैन शाह, कांस्टेबल सं. 719/पी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पुंछ जिले के सूरनकोट में मोहरा बछाई क्षेत्र में कट्टर आतंकवादियों की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर 31 अक्तूबर, 2003 को श्री एस एम सहाय, उप महानिरीक्षक पुंछ, राजौरी रेंज ने पुलिस स्टेशन सूरनकोट के एस एच ओ और अपने अन्य जवानों के साथ एक अभियान की योजना बनाई। जब यह अधिकारी और इनके साथी लक्षित घर की ओर बढ़ रहे थे (खड़ी चढ़ाई और उबड़-खाबड़ भू-भाग की अलाभकारी स्थिति होने के बावजूद), तब पुलिस पार्टी को छिपे हुए आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी का सामना करना पड़ा। पुलिस पार्टी, भारी गोलीबारी के बीच, लक्षित घर तक पहुँचने में कामयाब हो गई। वह पुलिस पार्टी, जिसका नेतृत्व उप महानिरीक्षक कर रहे थे, को इस कार्रवाई के दौरान जान और माल को बचाने के लिए अत्यधिक संयम बरतना पड़ा। श्री सहाय ने पुलिस पार्टी को दो ग्रुपों में बांट दिया, एक का नेतृत्व एस एच ओ कर रहे थे और दूसरे ग्रुप की कमान स्वयं अपने हाथ में ले ली जो सामने की ओर से घर की तरफ बढ़ा। इसे ध्यान में रखते हुए कि आतंकवादी बच कर न भाग पाए, गोलीबारी आधे घंटे तक जारी रही। मुठभेड़ के दौरान, श्री सहाय और उनके साथ गए कांस्टेबल अब्दुल अजीज 519/पी ने दो उग्रवादियों को पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए बच कर भागने का प्रयास करते देखा। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए इन्होंने जवाबी गोलीबारी की और दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। तब तक घटनास्थल पर सेना भी पहुँच गई और उन्होंने अंदर छिपे हुए अन्य चार उग्रवादियों को ठिकाने रखा। गोलीबारी के दौरान, दो और उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए घेराबंदी से निकल कर भागने का प्रयास किया। इस पर कांस्टेबल शरबत हुसैन शाह सं. 719/पी और उनके साथ शामिल सेना की टुकड़ी ने जवाबी गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में, सेना के एक जे सी ओ नामतः सूबेदार अजय सिंह जे सी ओ-488513, अपने प्राण न्यौछावर करने से पहले आतंकवादियों को मारने में कामयाब हो गए। मुठभेड़ पूरी रात भर चलती रही और अगली सुबह अन्य दो उग्रवादी भी मारे गए। कांस्टेबल शरबत हुसैन शाह, ने अंतिम दो आतंकवादियों का आमने-सामने मुकाबला करने में असाधारण साहस का परिचय दिया और उन्हें मार गिराने में सफल हुए। इस अभियान में, 6 उग्रवादी मारे गए। निम्नलिखित शस्त्र/गोलाबारुद बरामद किया गया :

(1) ए के -56 राइफल	6 नग	(8) पिका गोलाबारुद	385 नग
(2) ए के 56 मैगजीन	8 नग	(9) आर डी एक्स	10 किलो(नष्ट)
(3)ए के-47 गोलाबारुद	81 नग	(10) आर पी जी बस्टर चार्जर	10 किलो(नष्ट)
(4) हैंड ग्रेनेड	14 नग(नष्ट)	(11) आर एस एंटीना	6 नग
(5) यू बी जी एल ग्रेनेड	35 नग(नष्ट)	(12) आर पी जी राउंद	3 नग(नष्ट)
(6)आर एस एलिन्को	2 नग(नष्ट)	(13) स्निपर साइट केस	1 नग
(7) पिका गन	2 नग		

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एस एम सहाय, उप महानिरीक्षक, अब्दुल अजीज, कांस्टेबल और शरबत हुसैन शाह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 148-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

(1)	फारुख अहमद, भा.पु.से., उप महानिरीक्षक।	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
(2)	बाल कृष्ण कौल, एस जी कांस्टेबल।	(मरणोपरांत)
(3)	अशोक कुमार,एस जी कांस्टेबल।	
(4)	कुंज लाल, कांस्टेबल।	

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

30 नवम्बर, 2003 को सूचना प्राप्त हुई कि दो आतंकवादी पौनी चाक के समीप देखे गए और जब उन्हें रुकने का संकेत दिया गया तब उन्होंने पुलिस चौकी के संतरी पर गोली चला दी। पूरे जम्मू शहर में सावधान रहने की चेतावनी दी गई और स्कूटर पर सवार इन आतंकवादियों की तलाश शुरु कर दी गई। सिटी पुलिस की घेराबंदी और नाका से निकलने का प्रयास करने के दौरान, आतंकवादियों ने उठाए गए स्कूटर को गोले गुजराल के निकट पटक दिया और बंदूक की नोक पर एक छोटे से माल वाहक वाहन पर चढ़ गए और चालक को सिधरा की ओर चलने के लिए विवश किया जहाँ उन्होंने एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री के बी पिल्लै को ले जा रही एक अम्बेस्डर कार पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी के परिणामस्वरुप, उनका पी एस ओ और चालक घायल हो गए। अब तक पुलिस ने संपूर्ण क्षेत्र की घेराबंदी कर ली थी जिसके परिणामस्वरुप आतंकवादियों ने महा माया जंगल में आश्रय ले लिया। फारुक अहमद, उप महानिरीक्षक जम्मू रेंज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जम्मू के नेतृत्व में विभिन्न पुलिस पार्टियों ने आतंकवादियों को खोजने का प्रयास किया लेकिन घने झाड़-पत्तों के कारण उन्हें ढूँढ़ने में कामयाब नहीं हो सके। उसी समय पुलिस नियंत्रण कक्ष जम्मू से श्वान दस्ते की मांग की गई। एस जी कांस्टेबल बाल कृष्ण कौल सं. 25/सी आर और कांस्टेबल अशोक कुमार सं. 203/सी आर को खोजी श्वान "हीरो" के साथ उस घेराबंदी स्थल पर तैनात किया गया जहाँ आतंकवादी छिपे हुए थे। खोजी श्वान और उसे संभालने वाले दो व्यक्ति बेझिझक उप महानिरीक्षक जम्मू रेंज के नेतृत्व वाली तलाशी पार्टी में शामिल हो गए। यहाँ इस बात का उल्लेख करना सार्थक होगा कि श्वान को संभालने वाले ये दोनों व्यक्ति आते ही तत्काल काम में जुट गए और अपनी जान की परवाह न करते हुए वास्तव में ये ही तलाशी पार्टी को दुर्गम उबड़-खाबड़ जंगल में ले गए। जैसे ही श्वान ने छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाया वैसे ही उप महानिरीक्षक जम्मू और पार्टी घने जंगल के भीतरी भाग की ओर तेजी से आगे बढ़ी। श्वान "हीरो" के साथ पुलिस पार्टी को आगे बढ़ते देख आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंके और उसके पश्चात ए के-47 से तेजी से गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरुप श्वान "हीरो" और उसे संभालने वालों में से एक, एस जी कांस्टेबल बाल कृष्ण कौल सं. 25/सी आर घटनास्थल पर ही मारे गए जबकि कांस्टेबल अशोक कुमार सं. 203/सी आर और कांस्टेबल कुंज लाल सं. 2417/जे गोलियां लगने से घायल हो गए। उप महानिरीक्षक जम्मू रेंज को भी किरचें लगने से 5 घाव हो गए। पार्टी कर्मियों के हताहत होने के बावजूद, घायल लोगों सहित कोई भी कर्मी भयभीत नहीं हुआ और वे युद्ध भूमि पर डटे रह कर जवाबी गोलीबारी करते हुए आतंकवादियों का मुकाबला करते रहे। जवाबी गोलीबारी के कारण आतंकवादियों को वहाँ से भागने पर विवश कर दिया जिसके परिणामस्वरुप घायलों को मुठभेड़ स्थल से हटा लिया गया। अतिरिक्त कुमुक मंगाई गई और अंत में दो आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया। निम्नलिखित शस्त्र/गोलाबारुद, बरामद किया गया :-

(i)	ए के-47 राइफल	-	2 नग
(ii)	ए के-47 मैगजीन	-	6 नग
(iii)	ए के-47 राऊंद	-	9 नग
(iv)	7.62 एम एम चीनी पिस्तौल	-	2 नग (2 पिस्तौल मैगजीन और पिस्तौल के 22 राऊंद सहित)
(v)	चीनी हैंड ग्रेनेड	-	3 नग
(vi)	होलिस्टर पिस्तौल	-	1 नग

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री फारुख अहमद, उप महानिरीक्षक, दिवंगत बाल कृष्ण कौल, एस जी कांस्टेबल, अशोक कुमार,एस जी कांस्टेबल और कुंज लाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 नवम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 149-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. समीर पंडिता, कांस्टेबल।
2. आशिक हुसैन, एस.जी. कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

बोनीयर, मलिक मोहल्ला, कालाक्स (कुपवाड़ा) में आतंकवादी गतिविधियां समन्वित करने/अति विशिष्ट व्यक्तियों/सुरक्षा बलों की आवा-जाही के दौरान तोड़-फोड़ करने और जिले में आतंक फैलाने के लिए, भाड़े के विदेशी सैनिकों के एक दल के एकठ्ठा होने के संबंध में विशेष सूचना प्राप्त होने पर 12/13.09.2003 को गांव में एक संयुक्त तलाशी ऑपरेशन चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान गांव में छिपे हुए आतंकवादियों ने जवानों की गतिविधियां देखने के बाद तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी और लगातार हथगोले फैंके। जवानों के हताहत होने की आशंका के कारण, जब वहां कोई और विकल्प नहीं रहा तो उप पुलिस अधीक्षक बी.के. भट्ट ने एस.जी. कांस्टेबल आशिक हुसैन सं. 1027/पी और कांस्टेबल समीर पंडिता सं. 556/आई आर पी, 6ठी बटालियन के साथ रेंगकर मक्के के खेत की तरफ आगे बढ़े, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। इसी बीच, दो "फिदायिन" आतंकवादी मक्के के खेत से बाहर आए और समीप आ गए तलाशी दल की तरफ लगातार अंधाधुंध गोलीबारी और हथगोले फेंकते हुए आगे बढ़े। इन आतंकवादियों को देखते ही तलाशी दल ने उच्च कोटि के कौशल के साथ जवाबी कार्रवाई की और उन्हें उसी स्थान पर मार गिराया। एक आतंकवादी जो मक्के के खेत में छिपा हुआ था, वह बच कर नजदीक के निर्मित क्षेत्रों की तरफ भागा परन्तु पुलिस दल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसका पीछा किया और उसे भी वहीं ढेर कर दिया। मृत आतंकवादियों से निम्नलिखित मदें/वस्तुएं प्राप्त हुईं:-

(क)	ए के राइफल	03
(ख)	ए के राउंड	145
(ग)	ए.के. मैगजीन	09
(घ)	हैंड ग्रेनेड	05 (मौके पर ही नष्ट कर दिए गए)
(ड.)	यू बी जी एल ग्रेनेड	04 (मौके पर ही नष्ट कर दिए गए)
(च)	यू बी जी एल	01
(छ)	रेडियो सेट	01 (क्षतिग्रस्त)

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री समीर पंडिता, कांस्टेबल और आशिक हुसैन, एस.जी. कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 सितम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 150-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रवि सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उद्यमपुर जिले के सलबाला, गूल क्षेत्र में कट्टर आंतकवादियों की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, 19.09.2003 को उप पुलिस अधीक्षक (ओप्स) के पर्यवेक्षण में एस टी एफ़ गूल द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरु किया गया। तलाशी अभियान के दौरान, आंतकवादियों ने तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी, जिसके प्रत्युत्तर में कारगर कार्रवाई की गई और मुठभेड़ शुरु हो गई। पुलिस उप निरीक्षक रवि सिंह सं. 7796/एन जी ओ ने एक छोटी सी क्रैक टीम का नेतृत्व किया जो लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भारी गोलीबारी के बीच आ गई। इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अदम्य साहस और बड़ी चुतराई से आतंकवादियों की गोलियों से बचते बचाते और सूझ-बूझ का परिचय देते हुए उन्हें नजदीकी गोलीबारी में उलझाए रखा और इस कार्रवाई के दौरान तीन आतंकवादियों, जिनमें एक लश्करे-ए-तैय्यबा का गूल क्षेत्र का क्षेत्र कमांडर भी था, को उसी स्थान पर मार गिराया। मृत आतंकवादियों के कब्जे से निम्नलिखित शस्त्र/गोला बारुद बरामद किया गया:-

1.	ए.के. 47 राइफल	01 नग
2.	ए.के. 56 राइफल	01 नग
3.	ए.के. मैगजीन	03 नग
4.	ए.के. गोला बारुद	135 राउंद
5.	हैंड ग्रेनेड	02 नग
6.	राकेट	02 लांचर के साथ
7.	पाकेट डायरी	04 नग

इस मुठभेड़ में, श्री रवि सिंह, पुलिस उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 19 सितम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 151-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बाबू नोरोंहा,
निरीक्षक ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

12.10.2003 को सुबह लगभग 3 बजे श्री बाबू नोरोंहा, पुलिस निरीक्षक, जो रात्रि राउन्ड पर थे, को राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन के निरीक्षक से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि कोलार गोल्ड फील्ड्स का दुर्दान्त अन्तरराज्यीय अपराधी साग्याम, राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अन्नैया रेड्डी में निर्माणाधीन इमारत में छिपा हुआ है और आग्नेयास्त्रों से लैस है। पुलिस निरीक्षक श्री बाबू नोरोंहा, राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक की सहायता करने के लिए तुरंत उस स्थान की ओर रवाना हुए। उस समय, भारी वर्षा के कारण मौसम बहुत खराब था और हवा बहुत तेजी से चल रही थी। राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक और पुलिस दल के साथ श्री बाबू नोरोंहा ने उस इमारत की पहचान कर ली जिसमें वह दुर्दान्त अपराधी छिपा हुआ था। वह इमारत बिल्कुल अंधेरे में थी तथा इसके चारों और अनेक खाली भूखण्ड थे, जिनमें जंगली पेड़-पौधे उगे हुए थे जिसकी वजह से वह अपराधी के छिपने के लिए उपयुक्त ठिकाना बन गया था। मौसम भारी वर्षा के कारण लगातार खराब होता जा रहा था। अपनी जान की परवाह न करते हुए पुलिस निरीक्षक श्री बाबू नोरोंहा ने उस निर्माणाधीन इमारत की ओर पुलिस दल का नेतृत्व किया जिसमें दुर्दान्त अपराधी साग्यामा छिपा हुआ था। पुलिस दल को उसी इमारत में साग्याम के छिपे हुए अन्य साथियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोलार गोल्ड फील्ड्स कोलार, तमिलनाडु और बंगलौर की पुलिस इस दुर्दान्त अपराधी साग्याम के पीछे जोर शोर से पड़ी हुई थी जो हमला करने, हत्या के प्रयास करने, लूटमार, डकैती और हत्या के 37 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त था। यह दुर्दान्त अपराधी साग्याम 1993 में कोलार गोल्ड फील्ड्स की पुलिस द्वारा टाडा के अंतर्गत भी पकड़ा गया था। वह पुलिस से छिपता फिर रहा था और पहले भी कई बार पुलिस शिकंजे से बच निकला था। इसलिए, पुलिस निरीक्षक श्री बाबू नोरोंहा बिना समय गंवाए, विपरीत परिस्थितियों में जब वहाँ इमारत के अंदर और बाहर चारों ओर कोई प्रकाश नहीं था ओर तेज आंधी के साथ भारी वर्षा हो रही थी, तब एक हाथ में टार्च और दूसरे में सर्विस पिस्तौल लेकर इमारत की ओर आगे बढ़े। मकान के नजदीक पहुंचने पर, श्री बाबू नोरोंहा को कुछ आवाजें सुनाई दीं और इन्होंने चौकीदार को आने के लिए कहा। इसका वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक, श्री बाबू नोरोंहा ने अपनी टार्च के प्रकाश में एक आदमी को अपनी तरफ बढ़ते देखा और उस आदमी ने काफी नजदीक से श्री बाबू नोरोंहा को मारने के इरादे से इन पर गोली चलाई। तथापि, श्री बाबू नोरोंहा ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की जिससे गोली इनके बांये हाथ में टार्च में लगी और इनकी उंगली को छूते हुए निकल गई। यह बाबू नोरोंहा की तुरंत प्रतिक्रिया का ही परिणाम था कि वे बदमाश साग्याम की गोली का शिकार होने से बच गए। श्री बाबू नोरोंहा तुरंत जमीन पर लेट गए और इन्होंने अपना मानसिक संतुलन और साहस खोए बिना अपने दल को भी लेटने के लिए कहा और बदमाश को भी समर्पण करने के लिए कहा। तथापि, इसका उस बदमाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने अंधेरे की आड़ में उस खाली मैदान की तरफ दौड़ना शुरु किया जो पूरी तरह झाड़ियों से भरा हुआ था। श्री बाबू नोरोंहा ने बिना समय गंवाए और अपनी जान की परवाह न करते हुए अत्यधिक पेशेवर तरीके से एक सच्चे सिपाही की तरह पूरी सतर्कता से उस बदमाश का पीछा किया। बदमाश साग्याम ने दोबारा श्री बाबू नोरोंहा पर एक और गोली चलाई और जब अधिकारी के पास अपनी और अपने दल की जान बचाने के लिए उस अपराधी पर गोली चलाने

के अलावा और कोई विकल्प नहीं था जिसमें वह पुन: कानून के शिकंजे से भागने न पाए, श्री बाबू नोरोंहा ने 4 राउंद और पुलिस दल ने 8 राउंद गोलियां चलाई तथा सभी गोलियां उस बदमाश साग्याम को लगी जिससे वह घायल होकर घटनास्थल पर ही मारा गया।

इस मुठभेड़ में, श्री बाबू नोरोंहा, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 152-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, मेघालय पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री एस. नोंगलंगर,
पुलिस उप अधीक्षक ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री एस. एस. नोंगलंगर, एम पी एस, पुलिस उप अधीक्षक (मुख्यालय), जोकि नोंगस्तोइ की में तैनात थे, ने एन एस सी एन(आई एम) और ए एन वी सी कार्यकर्ताओं और खोंजोए गांव के लोगों के बीच बैठक के बारे में सूचना एकत्रित की, जो कार्यक्रमानुसार 23.8.2003 को नोंगस्तोइफी से 180 कि.मी. दूर उक्त गांव में होनी तय हुई थी। 21.08.2003 अपराह्न को सूचना मिलने पर यह अधिकारी अपने पास उपलब्ध छोटे से बल के साथ 22.08.2003 को रवाना हो गए। उक्त गांव से 20 कि.मी. दूर बोरसोरा ओ पी पर पहुंच कर इन्होंने गांव की ओर जाने वाले कुछ मुख्य रास्तों को बंद करने की योजना बनाई। उपरिल्लिखित गांव को जाने से पहले प्रत्येक पुलिस कार्मिक को भली भांति ब्रीफ किया गया। किसी भी वाहन की आवाजाही से गांव वालों और अतिवादियों का ध्यान आकर्षित हो सकता था, इसलिए अधिकारी ने गांव तक पैदल ही जाने का निर्णय लिया। एक लम्बे और कठिन रास्ते से, तुफानी मौसम और दुर्गम भू-भाग से होते हुए विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी अधिकारी अंततः अगले दिन 0200 बजे अपने साथियों के साथ घात स्थल पर पहुंचने में सफल हो गए। यद्यपि पुलिस दल ने घात लगाई और अगले दिन सुबह लगभग 8.15 बजे तक उस जगह प्रतीक्षा की लेकिन उग्रवादियों की कोई भी हल-चल नहीं देखी गई। अधिकारी स्वयं भी अपने तीन पी.एस.ओ. के साथ एक स्थान पर घात लगाए बैठे थे। इनके दो पी एस ओ ने नित्य-वृत्ति की अनुमति मांगी। उनके वापिस आने से पहले, अचानक तीन उग्रवादी घात लगाने के रास्ते में दिखाई दिए। उनके ग्रुप का नेता ए.के. श्रृंखला की राइफल से लैस था तथा दूसरे छोटे हथियारों से लैस लग रहे थे। कम संख्या में होने के बावजूद भी अधिकारी ने उग्रवादियों को रुकने और समर्पण करने के लिए कहा। ए के राइफल से लैस उस ग्रुप के नेता ने इस अधिकारी और इनके पी एस ओ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। अधिकारी ने एक उग्रवादी को बांयी तरफ तथा अन्य दो को विपरीत दिशा में भागते हुए देखा। इन्होंने अपने पी एस ओ को अकेले उग्रवादी का पीछा करने के लिए भेजा और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए स्वयं उन दो उग्रवादियों का पीछा किया जिनमें से एक के पास ए के राइफल थी। उग्रवादियों का पीछा करते हुए इस अधिकारी के पास भी ए के राइफल थी। अधिकारी ने, ए के राइफल से लैस उग्रवादी पर गोली चलाई और उसे मार गिराया। अन्य उग्रवादी घने जंगल की आड़ में बच कर भाग निकले। इस प्रकार अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दो उग्रवादियों, जिनमें से एक के पास ए के राइफल थी, का पीछा किया और अदम्य साहस का परिचय दिया तथा उनके नेता को मार गिराया। इन्होंने अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया और उग्रवादियों से निपटने में दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। इस आपरेशन के परिणामस्वरुप एन एस सी एन(एम) के स्वंभू सेकण्ड लेफ्टिनेंट टोपीका-सेमा मारा गया। मृत उग्रवादी, जोकि बोरसोरा और शालांग कोल बैल्ट क्षेत्रों का ऑपरेशनल कमांडर था, से एक ए के श्रेणी की राइफल, तीन ए के मैगजीन, गोलाबरुद और एक हस्तचालित वायरलैस सेट बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री एस. नोंगलंगर, पुलिस उप अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 अगस्त, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 153-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. के. सन्तोष सिंह, उप-निरीक्षक।
2. जिरिंगाम्बा सिंह, हैड कांस्टेबल।
3. एन. जेम्स, कांस्टेबल।
4. ए. प्रेमजीत, कांस्टेबल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

2.2.2004 को यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर कि कुछ भूमिगत सशस्त्र तत्व उचित अवसर पाकर सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के उद्देश्य से थांगमैइबंद क्षेत्र में घूम रहे हैं, इम्फाल वेस्ट कमांडो की दो टीमें, जिनमें से एक उपनिरीक्षक के. सन्तोष के नेतृत्व में और दूसरी हैड कांस्टेबल वाई जिरिंगाम्बा के नेतृत्व में, दो वाहनों में थागमैइबंद यमनम लैकई क्षेत्र की तरफ रवाना हुईं। लगभग 3.40 बजे, जब कमांडों अपने वाहनों में थागमैइबंद चेइरो चिंग (यमनम लैकई) की तलहटी की तरफ बढ़ रहे थे, तो पहाड़ी के नजदीक सड़क से 100 मीटर की दूरी पर चार युवक संदेहास्पद अवस्था में खड़े दिखाई दिए। जब उपनिरीक्षक सन्तोष सिंह ने उनसे अपना सत्यापन करवाने के लिए कहा तो युवकों ने छोटे हथियार निकाल लिए और कमांडो की तरफ गोलीबारी शुरू कर दी और अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे। कमांडों ने तुरंत उनके वाहनों को रोक लिया और भागते हुए युवकों का पीछा किया। युवकों ने, कमांडो के दृढ़ निश्चय को देखते हुए, लगातार गोलीबारी करते हुए पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की तब कमांडो ने भी जवाबी कार्रवाई की। उप निरीक्षक संतोष सिंह, कांस्टेबल सं0 9401030 एन. जेम्स पूर्वी तरफ से भारी गोलीबारी के बीच आगे बढ़े और एक युवक की गोलीबारी के प्रत्युत्तर में जवाबी कार्रवाई की। दूसरी तरफ, हैड कांस्टैबल वाई. जिरिंगाम्बा के ठीक पीछे कांसटेबल सं0 0101045 ए. प्रेमजीत और कांस्टेबल सं0 911011 के एच इनोइबी दूसरे सशस्त्र युवक, जो कि पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, का तेजी से पीछा कर रहे थे। युवक पहाड़ी की तरफ की पुश्ता-दीवार के पीछे आड़ लेकर कमांडों पर गोलीबारी कर रहे थे। तथापि, कमांडो आगे कार्रवाई करने से नहीं घबरा रह थे और वस्तुतः ये अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और युवकों पर हमला बोल दिया। इस प्रकार, वहां लगभग 10 मिनट तक मुठभेड़ चली। इस मौके पर, उप निरीक्षक सन्तोष सिंह ने अपने दल को युवकों का पीछा करने का आदेश दिया ताकि सशस्त्र युवक बच ना सके। उप निरीक्षक सन्तोष के साथ एन. जेम्स ने एक दिशा से तथा हैड कांस्टेबल जिरिंगाम्बा और कांस्टेबल प्रेमजीत दूसरी तरफ से चतुराई के साथ आगे बढ़े। इस मुठभेड़ में, कमांडो की गोलियों से दो सशस्त्र उग्रवादी मारे गए तथा दूसरे दो युवक पहाड़ी की तरफ बांस के झुरमट और पेड़ों की आड़ लेकर बच कर भाग निकले। शवों की पहचान बाद में (i) नोंगथोम्बम इबोम्चा उर्फ सोभा उर्फ रोशन, पुत्र (स्वर्गीय) एन. चन्द्रमणि सिंह (आयु लगभग 20 वर्ष), लम्बोई खोंगनांगखोंग पुलिस थाना लामफेल, इम्फाल पश्चिमी जिले के निवासी और (ii) हैसनाम गुना सिंह, पुत्र एच. रतन सिंह (आयु 20 वर्ष), पीशुम ओईनम, इम्फाल के निवासी के रूप में की गई। नोंगथोम्बम इबोम्चा प्रतिबंधित

संगठन, कंगलैइपाक के पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी का स्वंभू लास कॉरपोरल था और हैसनम गुणा उर्फ नीपो सिंह प्रीपाक (पी आर ई पी ए के) का निजी स्वंभू था । उस स्थान से निम्नलिखित हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया :-

(1) एक 9 एम एम की पिस्तौल सं0 जी.बी. 213 बी., 9 एम एम पारा 200059, उस पर नोरींको, मेड इन चाईना चिन्हित था और इसमें 9 एम एम गोला बारूद के तीन सक्रिय राउन्द भरे हुए थे ।

(2) एक 9 एम एम पिस्तौल जिस पर मॉडल 2139X19 एम एम, मेड इन चाईना बाई नोरींको बट सं. 411729 चिन्हित था और दो सक्रिय राउन्द से भरी हुई एक मैगजीन ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री के. सन्तोष सिंह, उप-निरीक्षक, जिरिंगाम्बा सिंह, हैड कांस्टेबल, एन. जेम्स, कांस्टेबल और ए. प्रेमजीत, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 फरवरी, 2004 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 154-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एच.एस. सिधू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. जसविन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल।
3. पुष्प बाली, हैड कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री एच.एस. सिधू, भा.पु.से., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर अन्य अधिकारियों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 392/365/342/454/511/506 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत पुलिस स्टेशन डिविजन सं0 2 में दर्ज एफ आई आर सं. 123 के मामले की कार्यवाही के सिलसिले में मकान सं. 105, आदर्श नगर, जालंधर में उपस्थित थे। आशना नामक एक 7 वर्षीया बच्ची को भारी मात्रा में हथियारों से लैस दुर्दांत अपराधी ने बंधक बना कर रखा हुआ था। उस बच्ची की सुरक्षित रिहाई के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा 11 घंटों से अधिक समय तक पूरे प्रयास किए गए लेकिन वे इन प्रयासों में सफल नहीं हो सके। श्री हरप्रीत सिंह सिधू, भा.पु.से. ने स्थिति का जायजा लिया और बच्ची को छुड़ाने के लिए स्वयं एक आपरेशनल योजना तैयार की जिसके लिए इन्होंने श्री सज्जन सिंह चीमा, पी पी एस और श्री राजेन्द्र सिंह, पी पी एस, जो दोनों इस कार्य हेतु स्वेच्छा से आगे आए थे, के नेतृत्व में पुलिस कार्मिकों के दो दल बनाए। हरप्रीत ने योजना के बारे में दोनों दलों को बताया और इस कार्य के लिए दोनों को तैनात कर दिया। इन्होंने स्वयं अपने पास ए के-47 राइफल रखी और एक रोशनदान के निकट मोर्चा संभाला। इस रोशनदान से आपरेशन क्षेत्र का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। उनका यह अभियान अति संवेदनशील था जिसमें अपराधी को निष्क्रिय करना और बच्ची को इस तरह से छुड़ाना था कि उसे कोई हानि न पहुंचे। यह कार्य रात के लगभग घुप्प अंधेरे में रोशनी के बगैर किया जाना था। इस अवस्था में, अपराधी ने यह चेतावनी दी कि यदि दो मिनट के अंदर उसकी मांगे नहीं मानी गई तो वह बच्ची की हत्या कर देगा। इस पर हरप्रीत ने हमला करने का अंतिम फैसला लिया। अपने मोर्चे से हरप्रीत ने अपराधी को ललकारा। इस पर अपराधी ने हरप्रीत को मारने के ध्येय से उन पर दो गोलियां चलाईं। लेकिन इस पर भी अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति बनाए रखी और पलट कर अपराधी पर गोलियां चलाईं। इन गोलियों से अपराधी गंभीर रुप से घायल हो गया। इस पर, पलक झपकते ही श्री सज्जन सिंह चीमा और श्री राजेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल, पुष्प बाली, हैड कांस्टेबल जसविंदर सिंह और अन्य लोगों के साथ बल पूर्वक उस कमरे में घुसे गए जिस कमरे में वह सशस्त्र अपराधी था। अपराधी ने इन पर गोलियां चलाई लेकिन अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर इन्होंने अत्यधिक जोखिम उठाया और सशस्त्र अपराधी के बिल्कुल निकट होते हुए भी उच्च कोटि के अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपराधी पर गोलियां चलाई ताकि अपराधी को निष्क्रिय कर बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जब श्री राजेन्द्र सिंह पर बहुत नजदीक से गोलियां चलाई जा रही थी तब इन्होंने बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए अपनी 9 मि.मी. पिस्तौल से गोलियां चलाना जारी रखा। इस स्थिति में, श्री हरप्रीत ने अपराधी पर फिर गोलियां चलाई ताकि पुलिस दल को कोई खतरा न रहे। हैड कांस्टेबल पुष्प बाली और हैड कांस्टेबल जसविंदर सिंह ने निर्भीकता से सशस्त्र अपराधी को काबू कर लिया, उससे शस्त्र छीन लिए और उसे निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद द्रुत गति से कार्रवाई करते हुए हरप्रीत, राजेन्द्र सिंह, पुष्प बाली, जसविंदर सिंह ने बालिका को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित छुड़ा लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए।

मारे गए सशस्त्र अपराधी से 2 राउंद के साथ एक .38 कैलिबर रिवाल्वर, चलाए हुए तीन कारतूस, एक राउंद के साथ एक .315 कैलिबर पिस्तौल और चलाया गया एक कारतूस बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एच.एस. सिधू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जसविन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल, पुष्प बाली, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक के प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 155-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर,
परि. पुलिस उप अधीक्षक (अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर)।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

29.9.1992 को पटियाला जिले से लगे हुए हरियाणा के इलाके में भारी मात्रा में हथियारों से लैस आतंकवादियों के विरुद्ध हरियाणा पुलिस और पटियाला जिले की पंजाब पुलिस के पुलिस दलों ने एक संयुक्त अभियान चलाया। आतंकवादियों ने इन पुलिस दलों पर गोलीबारी की और उसके बाद वहां से भागने की फिराक में "सेंसर" के घने जंगल में घुस गए। गुरप्रीत सिंह भुल्लर, परि. पुलिस उप अधीक्षक/पटियाला की अगुवाई में पुलिस दल उस जंगल की तरफ से उसमें घुस गया और उसने आतंकवादियों को ललकारा । जबकि दूसरी तरफ से हरियाणा पुलिस ने छुपे हुए आतंकवादियों पर दबाव बनाए रखा। आतंकवादी पुलिस दलों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे फिर भी श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर उन पर पलट कर गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ते रहे और अपनी कमान में शामिल लोगों को निर्भय हो कर उनका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। छिपे हुए आतंकवादियों ने इन्हें लक्ष्य बनाते हुए भारी गोलीबारी की तिस पर भी यह युवा और निर्भीक अधिकारी बाल-बाल बच गए। यह अधिकारी बहादुरी और साहसपूर्वक आगे बढ़ता गया और आतंकवादियों को उस वन से भागने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने भाग कर गुलडेहरा गांव के गन्ने के खेतों में शरण ली। श्री हरप्रीत सिंह भुल्लर ने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर में गन्ने के खेत में घुस गए। इसके परिणामस्वरूप, दबाव में आकर आतंकवादी गन्ने का खेत छोड़ कर अमृसरिया डेरा के धान के खेतों में घुस गए। इस दौरान, वे निरंतर गोलीबारी करते रहे। श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने असाधारण बहादुरी, साहस, समर्पण और संकल्प का परिचय देते हुए आंतकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच दल-दल वाले धान के खेतों से हो कर अपना रास्ता बनाया। इस गोलीबारी के दौरान एस पी ओ बलजीत सिंह, श्री गुरप्रीत भुल्लर के पीछे-पीछे चल रहे थे। इस दौरान, आतंकवादियों की गोली से वे घायल हो गए। आतंकवादियों पर दबाव बनाते हुए इस पुलिस अधिकारी ने उच्च कर्तव्यपरायणता, साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए कवर फायरिंग की जिसके परिणामस्वरुप घायल एस पी ओ को वहां से हटाया जा सका। कुछ समय तक भयंकर गोलीबारी होती रही। गोलीबारी रुकने पर उस क्षेत्र की तलाशी ली गई और आतंकवादियों के दो शव बरामद हुए। ये आमने-सामने की मुठभेड़ में श्री हरप्रीत सिंह भुल्लर के हाथों मारे गए थे। बाद में इनकी पहचान नाथा सिंह, निवासी जुलमत (हरियाणा), जो परमजीत सिंह पंजवार के नेतृत्व वाले के सी एफ गुट का था तथा रणजीत सिंह, निवासी बुर्ज, जिला अमृतसर, के एल एफ गुट से था, के रुप में की गई। चलाए गए/जीवित कारतूसों के साथ एक ए के-47 और एक ए के-74 राइफल भी बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में, श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर, एस एस पी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 सितम्बर, 1992 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 156-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. हेमंत देबबर्मा,उप निरीक्षक (यू बी)।
2. धनंजय प्रसाद सिंह, राइफलमैन/8वीं बटालियन, टी एस आर।
3. देबाशीष मजूमदार, राइफलमैन/8वीं बटालियन, टी एस आर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

3.2.2004 को लगभग 1730 बजे उप निरीक्षक (यू बी) हेमंत देबबर्मा, ओ.सी. नेपाल टीला पुलिस स्टेशन को इस आशय की गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुकीचेरा पुलिस स्टेशन, नेपाल टीला के अंतर्गत कमलजॉय रियांग की अगुवाई में एन एल एफ टी(एन बी) उग्रवादियों का एक दल छिपा हुआ है और नेपाल टीला थानांतर्गत कुकीचेरा पी जी पी कालोनी की ओर बढ़ रहा है। इस सूचना के आधार पर उप निरीक्षक हेमंत देबबर्मा, ओ.सी. ने श्री अतुल देबबर्मा, सहायक कमांडेंट, 8वीं बटालियन, टी एस आर एक्स-नेपाल टीला के समग्र मार्गदर्शन में और राइफलमैन धनंजय प्रसाद सिंह और राइफलमैन देबाशीष मजूमदार को स्काउट 1 और स्काउट 2 के रुप में नियुक्त कर एक विशेष और गुप्त संयुक्त अभियान चलाने की योजना बनाई। तदनुसार उप निरीक्षक हेमंत देबबर्मा, ओ.सी., अतुल देबबर्मा, सहायक कमांडेंट 8वीं बटालियन टी एस आर, जी एस रॉय, सहायक कमांडेंट, 8वीं बटालियन, टी एस आर, सूबे. बीरचन्द्र सिंह और एक्स-नेपाल टीला के अन्य 71 पुलिस/टी एस आर कार्मिकों के साथ नेपाल टीला थानांतर्गत कुकीचेरा पी जी पी कालोनी में संयुक्त अभियान के लिए चल पड़े। जब यह अभियान दल कुकीचेरा पी जी पी कालोनी पहुंचा तो उग्रवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी की। इस पर राइफ़लमैन धनंजय प्रसाद सिंह (स्काउट 1) और राइफलमैन देबाशीष मजूमदार (स्काउट 2) ने अत्यंत साहस का परिचय दिया और उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां से गोलीबारी हो रही थी। कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा कि उग्रवादियों का एक ग्रुप अभियान दल की ओर आ रहा है तो तुरंत ही अभियान दल ने भी गोलीबारी शुरु कर दी। कुछ समय तक गोलीबारी करने के बाद अभियान दल ने पी.ओ. में और इसके आस-पास पूरी तलाशी ली और तीन मैग्जीन तथा 20 सक्रिय राउंद के साथ 2 चीनी एसौल्ट राइफल, 9 मि.मी. की 181 सक्रिय गोलियां और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज आदि बरामद किए। चूंकि यह रात के अंधेरे में चलाया गया अभियान था इसलिए अभियान दल ने पी.ओ. और इसके आस-पास के क्षेत्र की आगे और तलाशी लेने के लिए सुबह तक इंतजार किया। जब 4.2.2004 को लगभग 0730 बजे अभियान दल पहाड़ी वाले जंगल के आस-पास के क्षेत्र की तलाशी ले रहा था तो अचानक ही उन पर फिर भारी गोलीबारी हुई। अभियान दल ने भी पलट कर गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरुप एन एल एफ टी (एन बी) ग्रुप के दो अज्ञात अतिवादियों की मृत्यु हो गई और बाकी भाग खड़े हुए। तलाशी लेने पर अभियान दल ने पोलीथीन, एक जोड़ी शिकारी जूते, ओ जी रंग का पिट्ठू, चमड़े की थैली (पाउच) और कुछ कपड़े आदि बरामद किए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री हेमंत देबबर्मा, उप निरीक्षक(यू.बी.), धनंजय प्रसाद सिंह, राइफलमैन/8वीं बटालियन, टी एस आर और देबाशीष मजूमदार, राइफलमैन/8वीं बटालियन, टी एस आर ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 फरवरी, 2004 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 157-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नारायण सीएच. साहा,
उप निरीक्षक ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

विशालगढ़ थानांतर्गत बसिताली जी.एस. के तहत जंगालिया में एन एल एफ टी (एन बी) उग्रवादियों का ग्रुप, जो अभिदान एकत्र करने और अपहरण कर जबरन वसूली की गतिविधियों में संलिप्त था, की उपस्थिति के बारे में एक गुप्त सूचना के आधार पर श्री साहा, प्रभारी बी आर जी ओ पी ने अभियान चलाने की एक योजना बनाई। इस अभियान योजना के अनुसार उप निरीक्षक एन सी साहा ने अन्य अधिकारियों और लोगों के साथ 16.11.2003 को लगभग 0200 बजे बसिताली की ओर प्रस्थान किया ताकि वे घात लगा सकें और तलाशी अभियान चला सकें। यह अभियान दल तीन भागों में विभाजित हो गया और इसने डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर तीन अलग-अलग स्थानों पर घात लगाई। ये सभी अभियान दल 0800 बजे तक घात लगाए बैठे रहे। बाद में श्री साहा ने अपने दल को निदेश दिया कि वे बीर कुमार देबबर्मा की दुकान के सामने जंगालिया पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। तदनुसार घात लगाए सभी दलों ने अलग-अलग पग-डण्डियों से ध्यान केन्द्रित किया। सबसे पहले श्री साहा उक्त दुकान के सामने पहुंचे। इनके पीछे आ रहे अभियान दल के कार्मिक इनसे लगभग 20 गज की दूरी पर थे और इन्होंने एक युवा को ललकारा। ललकारे जाने पर उस युवक ने अभियान दल को मारने की दृष्टि से अपने पाकेट से एक ग्रेनेड निकाला। उसी समय उप निरीक्षक साहा ने उस पर छलांग लगाई और उसके दोनों हाथों को इस ढंग से अलग-अलग पकड़ लिया कि वह हैंड ग्रेनेड के सेफ्टी पिन को न निकाल सके। उप निरीक्षक साहा के पास इतना समय नहीं था कि वे अपनी ए के राइफल निकाल कर उस पर गोली चला सकें। इसी बीच, इससे पहले कि वह उग्रवादी हैंड ग्रेनेड की कैप अर्थात् पिन खोलता, उप निरीक्षक एन.सी. साहा और वह उग्रवादी उक्त दुकान के पीछे के दरवाजे से बाहर आ गए। दुकान के अंदर कम जगह होने के कारण दूसरे कर्मचारी उप निरीक्षक साहा की सहायता नहीं कर सके। इस हाथापाई में उप निरीक्षक की बायें हाथ की मध्यमा बुरी तरह से जख्मी हो गई और नाखून बाहर आ गया। इसके परिणामस्वरुप वह उग्रवादी बाहर आने में सफल हो गया और उसी क्षण उसने ग्रेनेड के सेफ्टी पिन को खोलने की फिर कोशिश की ताकि वह उसे पुलिस दल पर फेंक सके। कांस्टेबल सुधीर दास और अन्य जवानों ने एक साथ उस पर गोलियां चलाईं। दल ने 2/3 अन्य उग्रवादियों की हलचलें भी नोट की। इसी बीच, एक अन्य सड़क से, घात लगाने वाला दूसरा दल भी वहां पहुंच गया और उन्हें प्रदीप देबबर्मा उर्फ पाती नामक एक और उग्रवादी दिखाई दिया जो अभियान दल पर एक हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहा था। इस पर अभियान दल ने बिजली की गति से आत्मरक्षा में उस पर गोलियां चलाईं और वह घटनास्थल पर ही मारा गया। इस प्रकार, श्री साहा की सूझ-बूझ, सतर्कता और बहादुरी की इस कार्रवाई के कारण इनकी और इनके साथ आए सुरक्षा कार्मिकों की जान बच गई। मारे गए उग्रवादियों की तलाशी लेने पर दो हैंड ग्रेनेड, एक बटुआ जिसमें 944/-रुपए थे, अभिदान वसूली के कुछ दस्तावेज, एक माइक्रो कैसेट रिकार्डर, दवाईयां आदि बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, श्री नारायण सीएच. साहा, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 नवम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 158-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. विजय कपिल, निरीक्षक,एस टी एफ/लखनऊ।
2. कृष्ण पाल सिंह सिरोही,उप निरीक्षक, आसूचना।
3. पी.के.मिश्रा, उप निरीक्षक/एस टी एफ।
4. दीप चरण, कांस्टेबल, 47 बटालियन, पी ए सी ।

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान इलैक्ट्रानिक निगरानी से यह पता चला कि पाकिस्तान समर्थित उग्रवादियों का बड़ी मात्रा में हथियार, गोली-बारुद और विस्फोटक सामग्री प्राप्त करके दिल्ली सहित उत्तरी भारत के कई शहरों में विघटनकारी गतिविधियां चलाने का इरादा है। 18 अप्रैल, 2001 को प्रात: 3.30 बजे सलीम, सज्जाद और साजिद उर्फ रशीद नामक जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादियों और एस.टी.एफ. दलों के बीच खूनी मुठभेड़ हुई। इस बारे में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में विभूति खंड के निकट फैजाबाद रोड में वे उग्रवादी एकत्र हो रहे हैं और उनकी देर रात तक फैजाबाद पहुंचने की योजना है। उल्लिखित स्थान पर श्री विजय कपिल, निरीक्षक और उनके दल ने इन तीन उग्रवादियों को पहचाना तथा उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आत्मसमर्पण करने के बजाय उन उग्रवादियों ने इन्हें मारने की दृष्टि से गोलीबारी क दी। लेकिन अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर निरीक्षक श्री विजय कपिल, उप निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार मिश्रा,उप नि क्षक श्री कृष्ण पाल सिंह सिरोही और कांस्टेबल कमांडो दीप चरण ने उनका पीछा किया। वे भाग्यशाली रहे कि उग्र दियों की अंधाधुंध गोलिंयों से बच गए। पुलिस दल, जिसमें निरीक्षक श्री विजय कपिल, उप निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक श्री कृष्ण पाल सिंह सिरोही और कांस्टेबल कमांडो दीप चरण शामिल थे, ने जवाब में गोलियां चलाईं और एक उग्रवादी को ढेर करने में कामयाब हो गए। अन्य दो उग्रवादियों ने गोलीबारी जारी रखी और साथ ही विभूति खंड की ओर भागने लगे। वहां पर दूसरे दल ने उन्हें रोका और ढेर कर दिया। निरीक्षक श्री विजय कपिल, उप निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक श्री कृष्ण पाल सिंह सिरोही और कांस्टेबल कमांडो दीप चरण को लेकर बने पुलिस दल ने इस मुठभेड़ में निर्भीकता और अनुकरणीय साहस का परिचय दिया। इन्होंने ठीक समय पर उग्रवादियों के प्रयासों को निष्फल कर दिया जिसके परिणामस्वरुप ही अयोध्या,फैजाबाद में बड़ा आतंकवादी हमला टल गया। अभियान के बाद निम्नलिखित माल बरामद हुआ :-

1. एक ए के 56 राइफल, 2. 3 मैग्जीन और 219 कारतूसों के साथ एक ए के 47 राइफल, 3. मैग्जीन और 36 कारतूसों के साथ एक 9 मि.मी. कार्बाइन, 4. 10 ग्रेनेडों के साथ एक ग्रेनेड लांचर, 5. एक मैग्जीन और कारतूसों के साथ एक 9 मि.मी. पिस्तौल, 6. 10 हैंड ग्रेनेड 7. विस्फोटक सामग्री के साथ रिमोट सहित 2 आई डी डिवाइस और 4 इलैक्ट्रोनिक डिटोनेटर, 8. एक वाकी-टॉकी सेट और 9. सिम कार्ड सहित 2 मोबाइल फोन।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री विजय कपिल,निरीक्षक,एस टी एफ/लखनऊ, कृष्ण पाल सिंह सिरोही,उप निरीक्षक, आसूचना, पी.के. मिश्रा, उप निरीक्षक/एस टी एफ और दीप चरण, कांस्टेबल 47 बटालियन, पी ए सी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 अप्रैल, 2001 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

निदेशक

सं0 159-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहन सिंह,
हवलदार/जनरल ड्यूटी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

13/14 दिसम्बर, 2003 की रात को कर्नल वी एस शेखावत, एस एम, कमांडेंट की एक टुकड़ी ने राधाकृष्णवाड़ी क्यू टी 9960 सामान्य क्षेत्र में घात लगाई। यह समझते हुए कि निर्दिष्ट स्थल पर एक जगह घात लगाना पर्याप्त नहीं होगा कर्नल वी एस शेखावत, एस एम ने अपने दल को दो भागों में बांटा। एक दल उनके नेतृत्व में और दूसरा दल मोहन सिंह, सं. 6573 आई एफ, हवलदार/जी डी के नेतृत्व में था। हवलदार/जी डी मोहन सिंह का दल सी ओ दल के बहुत निकट था इसलिए इस दल ने कुछ संदिग्ध लोगों को रास्ते पर आगे चलते हुए देखा। उन्हें ललकारे जाने पर उनमें से दो लोग उत्तर की तरफ खुले खेतों की ओर भाग खड़े हुए। उन्होंने हवलदार मोहन सिंह की चेतावनी/ललकार पर कोई ध्यान नहीं दिया। चेतावनी के रुप में इन्होंने हवाई फायर भी किया लेकिन इसके बावजूद उनमें से कोई भी नहीं रुका। उग्रवादियों ने घात लगाने वाले दल पर एक हैंड ग्रेनेड फेंका जो उनके दल के निकट फटा। हवलदार/जी डी मोहन सिंह ने अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए भाग रहे दो उग्रवादियों पर गोली चलाई जिससे दो उग्रवादी घटनास्थल पर ही ढेर हो गए। उनकी पहचान सार्जेंट अमित जमातिया, एरिया कमांडर और स्वयं-भू प्राइवेट विद्युत देबबर्मा के रुप में की गई। दोनों ही एन एल एफ टी (बी एम) के दुर्दांत उग्रवादी थे। मृत उग्रवादियों से बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज, जबरन वसूली के नोट/रसीद बुक बरामद हुईं।

इस मुठभेड़ में, श्री मोहन सिंह, हवलदार/जनरल ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 दिसम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 160-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री चन्द्रहास,
राइफलमैन/जनरल ड्यूटी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

30 जून, 2003 को लगभग 0240 बजे राइफलमैन/जनरल ड्यूटी सं. 123840एफ चन्द्रहास अपने सहयोगी के साथ सामान्य क्षेत्र नोंग्रेन आर एम 5594 में कैप्टेन आर के शर्मा के नेतृत्व में "पता लगाओ और नष्ट करो" अभियान में फोक्सट्रोट कपंनी की एक टुकड़ी के स्काउटों का नेतृत्व कर रहे थे। जब यह टुकड़ी आर एम 5494 के बागान में प्रवेश कर रही थी तो उसी समय आस-पास की ऊंचाई वाली जमीन से भूमिगत उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर गोलियां चलाईं। इस गोलीबारी में स्वयंभू सार्जेंट टी एच जितेन सिंह मारा गया। वह प्रतिबंधित युनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू एन एल एफ) से संबंधित था। राइफलमैन/जनरल ड्यूटी सं0 123840 एफ चन्द्रहास और राइफलमैन/जनरल ड्यूटी सं. 123764 ए विनोद चन्द्र ने सतर्कता और पहल का परिचय देते हुए पलट कर गोलियां चलाईं। इसी बीच, कैप्टेन आर के शर्मा ने टुकड़ी को निदेश दिया कि वे भूमिगत उग्रवादियों का घेराव कर लें। इसी दौरान, राइफलमैन/जनरल ड्यूटी सं0 123840 एफ चन्द्रहास ने देखा कि एक भूमिगत उग्रवादी अंधेरे और भारी बारिश का लाभ उठा कर घनी झाड़ियों में छिपकर भागने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने अपने साथी राइफलमैन/जनरल ड्यूटी सं. 123764ए विनोद चन्द्र से कहा कि वह कवरिंग गोलीबारी करें तथा उन्होंने स्वयं भूमिगत उग्रवादी का पीछा किया और उसे मार गिराया । राइफलमैन/जनरल ड्यूटी सं0 123764ए विनोद चन्द्र ने यह देखकर कि एक और भूमिगत उग्रवादी भी खिसकने की कोशिश कर रहा है उसे गोली मार दी, लेकिन वह पूर्व की ओर भागने में सफल हो गया। गोली लगने से उसके खून के निशान पूर्व की ओर जाने का संकेत दे रहे थे। इस अभियान के परिणामस्वरुप प्रतिबंधित युनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू एन एल एफ), इंफाल (पूर्व) के जिला सचिव 32 वर्षीय डब्ल्यू सुनील उर्फ कंगजा उर्फ बोलई का सफाया हो गया। इनसे निम्नलिखित बरामदगी हुई :-

(कक)	राइफल ए के-56 बायोनट के साथ	एक (01)
(कख)	मैग्जीन ए के-56	एक (01)
(कग)	ए के-56 के जीवित राउंद	उन्नीस (19)
(कघ)	राइफल प्वाइंट 30 यू एस कार्बाइन	एक (01)
(कङ)	मैग्जीन प्वाइंट 30 कार्बाइन	एक (01)
(कच)	प्वांइट 30 कार्बाइन के जीवित राउंद	चौबीस (24)
(कछ)	प्वाइंट 38 रिवाल्वर के जीवित राउंद	ग्यारह (11)

इस मुठभेड़ में, श्री चन्द्रहास, राइफलमैन/जनरल ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 जून, 2003 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 161-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अवतार सिंह बिष्ट,
हवलदार/जनरल ड्यूटी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

7 जुलाई, 2003 को लगभग 1330 बजे चोकदोक और लोंगलुंग गांव में उपस्थित एन एस सी एन (आईएम) के 5-6 सशस्त्र उग्रवादियों के एक ग्रुप द्वारा निर्दोष युवाओं की जबरन भर्ती किए जाने के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर मेजर अरुण देशपांडे, ओ सी चांगलांग कंपनी ने हवलदार अवतार सिंह बिष्ट को भूमिगत उग्रवादियों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाने हेतु एक टुकड़ी का गठन करने का कार्य सौंपा। हवलदार अवतार सिंह बिष्ट ने आश्चर्यजनक ढंग से अल्प समय में ही एक टुकड़ी का गठन कर लिया तथा तत्काल ही अभियान शुरु कर दिया। इस टुकड़ी ने लगभग 1500 बजे सुनियोजित ढंग से सामान्य क्षेत्र लुंगलोंग में घात लगाई। लगभग 1730 बजे यह देखा गया कि भूमिगत उग्रवादी सिविलियनों को मानव कवच के रुप में इस्तेमाल कर जोड़ों में जा रहे हैं। जब पूरा ग्रुप घात लगाने वाले स्थान में पहुंच गया तो कंपनी कमांडर ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। तब कंपनी कमांडर ने हवलदार अवतार सिंह बिष्ट को आदेश दिया कि वे उन भूमिगत उग्रवादियों की जामा तलाशी लें और उन्हें शस्त्रहीन करें। जब उन्हें शस्त्रहीन किया जा रहा था तो एक भूमिगत उग्रवादी ने एक ग्रेनेड उठा लिया। अपनी टुकड़ी पर खतरे की आशंका को भांपते हुए हवलदार अवतार सिंह बिष्ट उस भूमिगत उग्रवादी पर झपटे। अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए उस भूमिगत उग्रवादी ने ग्रेनेड फेंकने की बेतहाशा कोशिश की लेकिन वह भूमिगत उग्रवादी हवलदार अवतार सिंह बिष्ट के लौह शिकंजे से मुक्त नहीं हो सका। इसके बाद इन्होंने उससे वह ग्रेनेड भी छीन लिया। हवलदार अवतार सिंह बिष्ट ने अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बगैर भूमिगत उग्रवादी को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। बाद में उस ग्रुप की पहचान एन एस सी एन (के) के रुप में की गई और उसने टुकड़ी के सामने बिना किसी संघर्ष के आत्मसमर्पण कर दिया। इस अभियान में निम्नलिखित पकड़े गए :

(कक) सं. 11001 एस एस सार्जेंट फलाई बांग्जन, निवासी म्यांमार
(कख) सं. 33773 एस एस एल/कार्पो. औंगसांग, निवासी म्यांमार
(कग) सं. 12964 एस एस एल/कार्पो. केखू पांग्टोक, निवासी म्यांमार
(कघ) सं. 12452 एस एस एल/कार्पो. कियान कोट्टन, निवासी म्यांमार
(कङ) सं. 14190 एस एस प्रा. अखुम मोंग्सांग, निवासी म्यांमार
(कच) सं. 14174 एस एस प्रा. खामचक हचांग, निवासी म्यांमार

निम्नलिखित हथियार/गोला-बारुद भी बरामद हुआ:

(कक)	राइफल ए के-56	04
(कख)	राइफल एम-21	01
(कग)	7.62 मि.मी. एस एल आर	01
(कघ)	एसोर्टेड गोलीबारुद	620 राउंद
(कङ)	चीनी ग्रेनेड	06
(कच)	एसोर्टेड मैग्जीन	10
(कछ)	रेडियो सेट (केनवुड)	01

इस मुठभेड़ में, श्री अवतार सिंह बिष्ट, हवलदार/जनरल ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 जुलाई, 2003 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 162-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नारायण सिंह,
नायब सूबेदार/जनरल ड्यूटी।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

23 अक्तूबर, 2003 को बरकथल क्षेत्र में एन एल एफ टी (एन) के उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली विशेष सूचना के आधार पर गांकी पोस्ट के एक अधिकारी, एक जे सी ओ और 20 अन्य रैंक का एक दल बना कर बड़ी सावधानीपूर्वक एक घेरा और तलाशी अभियान की योजना बनाई गई। बरकथल के सामान्य क्षेत्र में पहुंचने पर अलग-अलग दिशाओं से गांव को घेर लिया गया। जब तलाशी दल, पता लगाए गए उस मकान के निकट पहुंच रहा था जिसमें उग्रवादी आश्रय लिए हुए थे तो उस पर मकान से गोलीबारी हुई। निर्मित क्षेत्र होने के कारण टुकड़ी ने जवाबी गोलियां नहीं चलाई लेकिन निर्भीक हो कर आगे बढ़ते रहे और संदिग्ध मकान की तलाशी शुरु कर दी। जब वे तलाशी ले रहे थे तो दो व्यक्तियों ने जंगल की तरफ भागते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाईं। राइफलमैन/जी डी खामराव सैंग और नायब सूबेदार नारायण सिंह ने तुरंत ही भागते हुए उन उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं और उनका पीछा किया। यद्यपि इस दल पर भारी गोलीबारी हो रही थी फिर भी इन्होंने और अधिक साहस का परिचय दिया तथा एक उग्रवादी को ढेर करने में सफल हुए और उनसे 9 एम एम का एक रिवाल्वर, 2 जीवित गोलियां और फायर किया हुआ एक केस बरामद किया।

इस मुठभेड़ में, श्री नारायण सिंह, नायब सूबेदार/जनरल ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 163-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री माधो सिंह,
सहायक कमांडेंट ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

इस आशय की विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए कि जैश-ए-मोहम्मद संगठन का एक दुर्दांत उग्रवादी जे वी सी अस्पताल, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) से गुजरेगा, श्री माधो सिंह, सहायक कमांडेंट की कमान में 193वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने त्वरित कार्रवाई टीम (क्यू आर टी) के साथ जे वी सी अस्पताल के निकट बाई-पास में 14 दिसम्बर, 2003 को रुकावटों की एक कड़ी बनाई ताकि उस उग्रवादी को पकड़ा जा सके। लगभग 1000 बजे मोटर साइकिल पर सवार संदिग्ध व्यक्ति ने पहली रुकावट को पार किया। उसे रुकने का संकेत दिया गया लेकिन उसने उस संकेत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। श्री माधो सिंह, सहायक कमांडेंट और उनकी टीम को, जो जे वी सी अस्पताल के निकट तैनात थी, तुरंत सूचित कर दिया गया। श्री माधो सिंह तुरंत ही सक्रिय हो गए और इन्होंने उस मार्ग को बंद कर दिया। जब उस संदिग्ध व्यक्ति को यह पता चला कि जवानों ने उसका मार्ग बंद कर दिया है तो उसने अपनी मोटर साइकिल वहीं छोड़ दी और भागने तथा बस स्टैंड में खड़े लोगों के साथ मिल जाने की कोशिश की। इसके बाद श्री माधो सिंह ने कांस्टेबल राघवेन्द्र सिंह के साथ उग्रवादी का पीछा किया। इस पर उस उग्रवादी ने तुरंत ही अपनी पिस्तौल निकाली और श्री माधो सिंह पर गोलियां चलाईं जिससे ये बाल-बाल बचे। कांस्टेबल राघवेन्द्र सिंह ने इसके जवाब में गोलियां चलाईं जिसके कारण भाग रहा उग्रवादी घायल हो गया और गिर पड़ा। लेकिन उसने एक ग्रेनेड निकाला और धमकी दी कि यदि दल ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह उस ग्रेनेड को उन पर फेंक देगा। इस अवस्था में, माधो सिंह, सहायक कमांडेंट ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर अनुकरणीय साहस का परिचय दिया, उस पर छलांग लगाई और उसे अपने काबू में कर लिया। श्री माधो सिंह की इस साहसिक कार्रवाई से वह उग्रवादी असहाय हो गया जिससे भीड़-भाड़ वाले बस स्टैंड पर कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। उस उग्रवादी से 9 एम एम की एक पिस्तौल, चार हथगोले और गोली-बारुद भी बरामद हुआ। उस उग्रवादी की पहचान जावेद मलिक, पुत्र ओब्दुल जाभा मलिक, निवासी कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर) के रुप में हुई। जब्त किए गए हथियारों और गोली-बारुद के साथ उसे पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन बाद में घायलावस्था में उस उग्रवादी की मृत्यु हो गई।

इस मुठभेड़ में, श्री माधो सिंह, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 दिसम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 164-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बीरेन्द्र सिंह,
कांस्टेबल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

ग्राम-यारीपोड़ा, कुलगांव जिला अनंतनाग (जम्मू और कश्मीर) में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर 18 अप्रैल, 2003 को 52वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाने की एक योजना बनाई और कार्यरुप दिया। योजना के अनुसार गुलाम मोहम्मद मलिक पुत्र मोहम्मद शबन मलिक के जिस मकान में उग्रवादियों ने शरण ली हुई थी उस मकान का घेराव किया गया और प्रत्येक मकान की तलाशी शुरु की गई। जब यह दल लक्षित मकान की ओर जा रहा था तो मकान में छिपे उग्रवादियों ने उन पर भारी गोली-बारी कर दी। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अपने बचाव में जवाबी गोली-बारी की और एक उग्रवादी को मार गिराया। इस पर दो अन्य उग्रवादियों ने तुरंत ही बगल वाले कमरे में अपना मोर्चा संभाल लिया। उग्रवादियों और जवानों के बीच भारी गोली-बारी हुई जिसके कारण मकान का एक हिस्सा ढह गया लेकिन उग्रवादी, सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर गोलीबारी करते रहे। इस स्थिति में अभियान कमांडर ने मकान में घुसने का निर्णय लिया ताकि इस इमारत के अंदर छिपे उग्रवादियों को पकड़ा जा सके। कांस्टेबल बीरेन्द्र सिंह सं. 94008003 उस ढहे मकान मे प्रवेश करने के लिए स्वयं आगे आए। जब ये मकान की ओर बढ़ रहे थे तो उग्रवादियों ने इन पर भारी गोली-बारी कर दी। लेकिन इस गोली बारी की परवाह किए बगैर कांस्टेबल बीरेन्द्र सिंह उस इमारत की तरफ दौड़े और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर टूटे हुए मकान के मलबे के ढेर में दो हैंड ग्रेनेड फेंके जहां से वे उग्रवादी गोली-बारी कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने अपनी एसौल्ट राइफल से उग्रवादियों पर भारी गोली-बारी की जिससे दोनों ही उग्रवादी घटनास्थल पर ही ढेर हो गए। उस मलबे की तलाशी लेने पर तीन उग्रवादियों के शव मिले। वहां से ए के श्रृंखला की तीन राइफलें, मैग्जीन/गोली-बारुद और उग्रवादियों के कोड चिह्न/चाबियां तथा उस क्षेत्र में उग्रवदियों की विभिन्न वारदातों से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए। मारे गए उग्रवादियों की पहचान अबू रफी, अबू वसीम साहिन और अबू बिलाल के रुप में हुई। ये सभी पाकिस्तानी नागरिक थे।

इस मुठभेड़ में, श्री बीरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 अप्रैल, 2003 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं. 165-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. शिव कुमार पी. कांस्टेबल।
2. सर्वण कुमार, कांस्टेबल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

वर्ली मोहम्मद निवासी ग्राम-महू, जिला राजौरी, जम्मू और कश्मीर के मकान में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर 10 जुलाई, 2003 को 142वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक अभियान योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। चूंकि दिन का समय था और वह मकान काफी ऊंचाई पर स्थित था इसलिए वहां से सामने वाली सड़क स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसी आधार पर यह निर्णय लिया गया कि सादे कपड़ों में एक कोर एक्शन टीम अभियान चलायेगी। तदनुसार, एक दल ने सादे कपड़ों में सिविल वाहनों में उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। स्थिति का जायजा लेने के बाद लगभग 1700 बजे सादे कपड़ों में पहली घेराबंदी की गई और पूर्ण रूप से अप्रत्याशित और चतुराई के साथ दूसरा घेराव लगभग 1745 बजे किया गया। जैसे ही घेरा कसा गया वैसे ही उग्रवादियों ने वर्दीधारी लोगों को देख लिया और उन्होंने गोली-बारी और ग्रेनेड फेंक कर उस मकान से भागने की कोशिश की। उग्रवादियों की इस गोली-बारी का माकूल जवाब दिया गया और इसके परिणामस्वरूप एक उग्रवादी घायल हो गया और वह मकान के पीछे खाली जगह में फंस गया। लेकिन वह जवानों पर गोली-बारी करता रहा। इस मौके पर, कांस्टेबल शिव कुमार और कांस्टेबल सर्वण कुमार गोलियों की बौछार के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर रेंगते हुए उस खाली जगह के निकट पहुंचे और उस उग्रवादी पर ग्रेनेड फेंका जिससे वह उग्रवादी वहीं ढेर हो गया। इसी बीच, दूसरा उग्रवादी उस मकान से भागने में सफल हो गया लेकिन वह पहले और दूसरे घेरे के बीच फंस गया। इस उग्रवादी ने अपने मोर्चे से गोली-बारी करना और ग्रेनेड फेंकना जारी रखा जिससे जवान घायल हो गया। लेकिन कांस्टेबल सर्वण कुमार और कांस्टेबल शिव कुमार पी. ने एक बार फिर अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और रेंगते हुए उग्रवादी के मोर्चे के नजदीक पहुंच गए और बहुत नजदीक से उसे मार गिराया। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर वहां पर दो उग्रवादियों के शव मिले। इसके साथ ही वहां से ए.के. शृंखला की दो राइफलें, दो आस्ट्रियाई ग्रेनेड, एक रेडियो सेट और गोली-बारूद भी बरामद हुआ। मारे गए उग्रवादियों की पहचान अल अनवर, कूट नाम शेरिया निवासी लाहौर (पाकिस्तान) और मोहम्मद शफीक उर्फ सयम अली निवासी कोटली (पाकिस्तान) के रूप में की गई। ये दोनों ही अल-बदर संगठन के उग्रवादी थे।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री शिव कुमार पी, कांस्टेबल और सर्वण कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहें हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 जुलाई, 2003 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 166-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अनिल कुमार राय,
सहायक कमांडेंट ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

खांडे मोहल्ला, गांव इछागोज, जिला पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) में एक घर में दो उग्रवादियों के छिपे होने के संबंध में एक विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक विशेष अभियान की योजना बनाई गई और उसे 5 सितम्बर, 2003 को सीमा सुरक्षा बल की 8वीं और 9वीं बटालियन के जवानों द्वारा संयुक्त रुप से चलाया गया। योजना के अनुसार, श्री ए के राय, सहायक कमांडेंट की कमान में सीमा सुरक्षा बल की 9वीं बटालियन का क्यू आर टी (त्वरित कार्रवाई बल) तेजी से आगे बढ़ा और उन्होंने लक्षित घर का घेरा डाल दिया और उसके पश्चात 8वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के त्वरित कार्रवाई बल ने गांव को चारों ओर से घेर लिया। फिर, लगभग 1200 बजे लक्षित घर की तलाशी शुरु की गई। जब उस पार्टी, जिसका नेतृत्व श्री राय कर रहे थे, ने लक्षित घर में घुसने का प्रयास किया तभी घर के अंदर छिपे उग्रवादियों ने तलाशी-पार्टी पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी और उसके बाद ग्रेनेड फेंकने शुरु कर दिए। इससे भयभीत न होते हुए, श्री राय ने घेरे को पुन: व्यवस्थित किया और लक्षित घर के सामने एक लाभप्रद स्थल पर कब्जा कर लिया। उग्रवादियों और जवानों के बीच बगैर किसी ठोस परिणाम के लगभग दो घंटों तक भारी गोलीबारी होती रही। बखूबी मोर्चाबंदी किए हुए उग्रवादियों को बाहर निकालने के उद्देश्य से, श्री राय ने स्वचालित ग्रेनेड लांचर से फायर करके लक्षित घर के अंदर ग्रेनेड फेंकने का निदेश दिया। उग्रवादियों में से एक उग्रवादी बचने के प्रयास में, आंतरिक घेराबंदी पार्टी पर भारी गोलीबारी करते हुए घर से बाहर कूद गया, जिसके परिणामस्वरुप लांस नायक विजय राम गोलियां लगने से जख्मी हो गए। खतरे को भांपते हुए, श्री राय ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए बहुत ही निकट से उग्रवादी का सामना किया और उसे मार गिराया। श्री राय ने पुन: दलों को लक्षित घर में स्वचालित ग्रेनेड लांचर से ग्रेनेड दागने का निदेश दिया। उसके पश्चात निरंतर चल रही गोलीबारी रुक गई। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर, एक ए के श्रेणी की राइफल, एक चीनी पिस्तौल, एक हैंड ग्रेनेड, एक वायरलैस सेट और काफी मात्रा में गोलाबारुद के साथ-साथ दो उग्रवादियों के शव बरामद किए गए। मृत उग्रवादियों की पहचान निम्नलिखित के रुप में की गई :-

(क) अब्दुल रहमान दीदेड पुत्र शातारुद्दीन निवासी लस्सीदामन, जिला पुलवामा (जम्मू और कश्मीर)

(ख) खुर्शीद अहमद पारे "हरीश पुत्र मकबूल पारे निवासी चवान, जिला पुलवामा (जम्मू और कश्मीर)

इस मुठभेड़ में, श्री अनिल कुमार राय, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 सितम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

अरुण मित्रा
निदेशक

सं0 167-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री दिनेश चंद्र रॉय,
कांस्टेबल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

1 मई, 2003 को सीमा सुरक्षा बल की 120वीं बटालियन के कांस्टेबल दिनेश चन्द्र रॉय, टैक मुख्यालय 120वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल, त्राल (जम्मू और कश्मीर) के मुख्य प्रवेश द्वार पर लाइट मशीन गन थामे संतरी ड्यूटी पर थे। लगभग 1845 बजे इन्होंने पुलिस की वर्दी में दो व्यक्तियों को ए के 47 राइफलें लिए हुए मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते देखा। जैसे-जैसे वे प्रवेश द्वार की ओर आ रहे थे कांस्टेबल दिनेश चंद्र रॉय ने उनकी संदेहास्पद चाल-ढाल तथा वर्दी में कमियां नोटिस की तथा तत्काल गार्ड कमांडर तथा गार्ड पार्टी के अन्य सदस्यों को सचेत किया। गार्ड कमांडर ने दोनों व्यक्तियों को रुकने के लिए कहा परन्तु वे आगे बढ़ते रहे। ऐसी स्थिति में कांस्टेबल दिनेश चंद्र रॉय, जो उन पर निगाह रखे हुए थे, तत्काल बैठ गए और उन लोगों की ओर अपनी लाइट मशीनगन तान दी। गार्ड कमांडर ने उन्हें पुन: रुकने के लिए ललकारा परन्तु इसका उत्तर उन्होंने गार्ड पार्टी पर भारी मात्रा में गोली बारी करके दिया तथा साथ ही साथ उन्होंने एक ग्रेनेड भी इन पर फेंका। खतरे को भांपते हुए कांस्टेबल दिनेश चंद्र रॉय ने अपनी तीक्ष्ण सूझ-बूझ के साथ तथा सामने मौजूद खतरे को देखते हुए बहुत निकट से उग्रवादियों पर गोलीबारी की तथा उस उग्रवादी को मार गिराया जो एक हथगोला फेंकने ही वाला था। अन्य उग्रवादी, जो हालांकि दिनेश चन्द्र रॉय की गोलीबारी से घायल हो गया था, धूल और धुंए की ओट में फरार होने में सफल हो गया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर मारे गए उग्रवादी के शव के साथ एक ए के श्रेणी की राइफल, चार हथगोले तथा गोली बारुद बरामद हुआ। मारे गए उग्रवादी की पहचान जे ई एम संगठन के महमूद गैर निवासी पाकिस्तान के रुप में हुई।

इस मुठभेड़ में, श्री दिनेश चंद्र रॉय, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1मई, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 168-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. तेजपाल डाबर, सहायक कमांडेंट।
2. कल्याण सिंह, हैड कांस्टेबल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उग्रवादियों के एरिया हिल, गुज्जर गली, जिला ऊधमपुर (जम्मू और कश्मीर) में मौजूदगी की विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए 22 दिसम्बर, 2002 को 172वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक विशेष आपरेशन की योजना बनाई तथा उसे कार्य रुप दिया। योजना के अनुसार श्री तेजपाल डाबर, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में लम्बी दूरी की गश्त लगाने वाले दल (एल आर पी) और हैड कांस्टेबल कल्याण सिंह के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई टीम (क्यू आर टी) ने अपने लक्ष्य क्षेत्र की ओर कूच किया। यह क्षेत्र सीधी ढलान, बड़ी-बड़ी चट्टानों और घने झाड़-झंखाड़ के कारण काफी दुर्गम था। लेकिन इन जवानों ने विस्मय की स्थिति बनाए रखने के लिए खेतों का रास्ता चुना और उस क्षेत्र का घेराव कर दिया। इसके बाद श्री तेजपाल डाबर, सहायक कमांडेंट और हैड कांस्टेबल कल्याण सिंह उस स्थान की ओर बढ़े जहां पर उग्रवादियों के छिपने की आशंका थी। जो उगग्रादी झाड़ियों/चट्टानों के पीछे छिपे हुए थे उन्होंने जवानों की चाल को भांप लिया और उन्होंने तुरंत ही बहुत नजदीक से श्री तेजपाल डाबर और कल्याण सिंह पर गोलियां चलाईं और उसके बाद उन पर ग्रेनेड फेंके। उग्रवादियों की इस गोलीबारी का जवाब देते हुए दोनों ही पेड़ों और चट्टानों की आड़ लेते हुए उनकी तरफ बढ़ते रहे। उग्रवादियों द्वारा फेंका गया एक ग्रेनेड श्री डाबर के बिल्कुल नजदीक फटा लेकिन वे बाल-बाल बच गए। अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए श्री डाबर ने उग्रवादियों पर गोलीबारी जारी रखी। इसी बीच एक उग्रवादी चट्टानों की आड़ में जवानों पर गोलीबारी करते हुए जंगल की तरफ भाग गया। बाकी दो उग्रवादियों ने विपरीत दिशा में छलांग लगाई जहां पर श्री डाबर और हैड कांस्टेबल कल्याण सिंह ने मोर्चा लिया हुआ था। हैड कांस्टेबल कल्याण सिंह अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना अपने मोर्चे से बाहर निकले और अचूक निशाना लगा कर एक उग्रवादी को घटना स्थल पर ही मार गिराया। दूसरी ओर श्री डाबर ने गोली चला कर दूसरे उग्रवादी को घायल कर दिया, लेकिन घायल उग्रवादी ने पेड़ की आड़ ले ली और श्री डाबर पर गोलियां चलानी शुरु कर दी। इस बात को महसूस करते हुए कि छिपे हुए उग्रवादी को उस स्थान से नहीं हटाया जा सकता है श्री डाबर ने हैड कांस्टेबल कल्याण सिंह को निदेश दिया कि वे खाई में मोर्चा लिए हुए उग्रवादी को उलझाए रखें। फिर इन्होंने साहसिक चाल चली और रेंगते हुए उग्रवादी के मोर्चे की ओर बढ़ने लगे। जब इन्होंने उस उगग्रादी को देख लिया तो स्वयं मोर्चा संभाल कर अपनी ए के राइफल से दूर से उस पर गोलियां चला दी जिससे वह घटना स्थल पर ही मारा गया। यद्यपि, तीसरा उग्रवादी घायल हो गया था लेकिन यह घने झाड़-झंखाड़ और घुमावदार रास्ते की आड़ लेकर भागने में सफल हो गया। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर वहां से ए के श्रृंखला की एक राइफल, .303 की एक राइफल, दो हथगोले और गोली-बारुद के साथ उग्रवादियों के दो शव बरामद हुए। मारे गए उग्रवादी की पहचान फारुख अहमद मीर पुत्र अब्दुल्ला रहमान मीर, निवासी सुरीकुंडी, गुल (जम्मू और कश्मीर) और मोहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल गनी लोहार निवासी देधा गुल (जम्मू और कश्मीर) के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री तेजपाल डाबर, सहायक कमांडेंट और कल्याण सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 दिसम्बर, 2002 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 169-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. कुंबारकर लाला, कांस्टेबल।
2. जोगेश्वर पाल, कांस्टेबल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

जंगल की एक झोपड़ी (धोक) में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशिष्ट सूचना के आधार पर 18.06.2002 की सायं 102 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दर्शा गली, गुल, जिला ऊधमपुर,जम्मू और कश्मीर के सामान्य क्षेत्र में एक आपरेशन चलाने की योजना बनाई और उसे कार्यरुप दिया। जब ये जवान लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचे तो बारिश हो रही थी और अंधेरा होने लगा था। लक्षित क्षेत्र में पहुंचने पर आपरेशन कमांडर ने ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र का तुरंत ही जायजा लिया और उन स्थानों पर रुकावटें खड़ी कर दी जहां से उग्रवादियों के भागने की संभावना थी तथा योजना के अनुसार कवर करने और हमला करने वाले जवानों को भी तैनात कर दिया। विधिवत तैयारी करने के बाद हमला करने वाला दल लक्षित क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगा। जब उग्रवादियों को जवानों की चाल का पता चला तो उन्होंने जवानों पर भारी गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए दल लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहा। इस मुठभेड़ में यह दल एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मारने में सफल हो गया। जब दूसरे उग्रवादियों ने देखा कि उनका एक साथी मारा गया है तो वे घबरा गए और जवानों पर भारी गोलीबारी करते हुए भाग खड़े हुए। उग्रवादियों के साथ हुई इस निरंतर गोलीबारी में जब कांस्टेबल कुंबारकर लाला ने देखा कि एक उग्रवादी बच कर भाग रहा है तो इन्होंने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना उस उग्रवादी का पीछा किया और भागते हुए लड़ी जा रही इस लड़ाई में इन्होंने बच कर भागते हुए उस उग्रवादी को मार गिराया। इस अवस्था में, पार्टी कमांडर श्री अरुण कुमार वर्मा, सहायक कमांडेंट ने देखा कि नाले में पड़े बड़े-बड़े पत्थरों की आड़ ले कर एक और उग्रवादी बच कर भागने की कोशिश कर रहा है। दल ने उस पर ग्रेनेड फेंका लेकिन वह उग्रवादी चट्टानों की आड़ में सुरक्षित रुप से बच कर भागने में सफल हो गया। इस बीच उसने जवानों को चकमा देना और इन पर गोलीबारी करना जारी रखा। कांस्टेबल जोगेश्वर, जिसने नाले की दूसरी तरफ मोर्चा संभाला हुआ था, ने भी उस उग्रवादी को देख लिया और असाधारण साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए चट्टानों की आड़ ले ली और बहुत नजदीक से गोली चला कर उस उग्रवादी को मार गिराया। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर ए के श्रृंखला की दो राइफलें, एक ग्रेनेडलांचर, तीन हथगोले और गोली-बारुद के साथ तीन उग्रवादियों के शव बरामद हुए। इन उग्रवादियों की पहचान निम्नानुसार की गई:-

(क) मोहम्मद युसुफ पुत्र हाजी इमामदीन चोहन निवासी बसा थुरु, जिला ऊधमपुर, जम्मू और कश्मीर।

(ख) महंदिया पुत्र नूर हुसैन, निवासी लांचा, गुल, जिला ऊधमपुर, जम्मू और कश्मीर ।

(ग) मुंशी पुत्र कादिरा हुसैन निवासी लांचा, गुल,जिला ऊधमपुर, जम्मू और कश्मीर ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री कुंबारकर लाला, कांस्टेबल और जोगेश्वर पाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 जून, 2002 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 170-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. शज्जी फिलिप, हैड कांस्टेबल।
2. जे पी लाकरा, हैड कांस्टेबल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

कादी मोहल्ला, त्राल (जम्मू और कश्मीर) में दो सशस्त्र उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर 120वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल, 138वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल और एस ओ जी जम्मू और कश्मीर के जवानों ने 11 फरवरी, 2003 को एक संयुक्त आपरेशन चलाया। लक्षित मकान की घेराबंदी की गई और 1845 बजे तलाशी आपरेशन शुरु किया गया। जब तलाशी ली जा रही थी तब मकान में छिपे उग्रवादियों ने तलाशी दल पर भारी गोली-बारी की। जब दोनों ओर से गोलीबारी की जा रही थी तो तलाशी दल के हैड कांस्टेबल ने देखा कि एक उग्रवादी चुपके से खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा है। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए हैड कांस्टेबल शज्जी फिलिप उस खिड़की के निकट बढ़ने लगे ताकि उसे नजदीक से उलझा कर रखा जा सके।उस उग्रवादी ने खतरा भांप लिया और तत्काल वह अपने छिपने के स्थान से कूद कर बाहर आ गया तथा हैड कांस्टेबल पर गोलियां चलाने लगा। हैड कांस्टेबल शज्जी फिलिप ने फुरती और असाधारण साहस दिखाया और तेजी से झुक गए तथा साथ ही उग्रवादी पर गोलियां भी चलाईं जिससे वह घटनास्थनल पर ही मारा गया। जब दूसरे उग्रवादी ने देखा कि उसका साथी मारा गया है तो वह बाहर की तरफ दौड़ा और घेराबंदी करने वाले दल पर भारी गोलीबारी करते हुए भाग कर बचने की चेष्टा की। घेराव दल ने पलट कर इस गोलीबारी का माकूल जवाब दिया जिसके परिणामस्वरूप वह उग्रवादी अंदर के घेरे से भागने की कोशिश करने लगा। उसकी इस चाल को देखते हुए हैड कांस्टेबल जे पी लाकरा ने अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह किए बिना उग्रवादी के भागने के रास्ते को रोक दिया और पेशेवर अंदाज में बहुत ही नजदीकी लड़ाई में उस उग्रवादी को मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर ए के श्रृंखला की दो राइफलें, एक हथगोला और बड़ी मात्रा में गोली-बारूद सहित उग्रवादियों के दो शव बरामद हुए। बाद में मारे गए उग्रवादियों की पहचान मंजूर अहमद वनी उर्फ तंवीर और गुलाम कादिर खान उर्फ गाजी इलयास, निवासी ग्राम पन्नेर त्राल (जम्मू और कश्मीर) के रुप में हुई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री शज्जी फिलिप, हैड कांस्टेबल और जे पी लाकरा, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 फरवरी, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 171-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री लक्ष्मण सिंह,
कांस्टेबल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

ग्राम टी सुंद, कुलगाम, जिला अनंतनाग (जम्मू और कश्मीर) के एक मोहम्मद अब्दुल भट्ट के घर में उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशिष्ट सूचना के आधार पर, 5 मई, 2003 को 52वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा एक तलाशी और घेराबंदी आपरेशन की योजना बनाई गई और उसे कार्य रूप दिया गया। योजना के अनुसार, लक्षित घर की 6 बजे घेराबंदी कर ली गई। आगे बढ़ रहे जवानों को देख कर घर में छिपे उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इसके उत्तर में जवानों ने भी जवाबी गोलीबारी की। तथापि, उग्रवादी आड़ का लाभ उठाते हुए, निरंतर भारी गोलीबारी करते रहे, जिसके कारण जवान आगे नहीं बढ़ सके। इस पर, कांस्टेबल विष्णु सिंह शेखावत और कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह लक्षित घर में प्रवेश करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए और उग्रवादियों से भिड़ने का निर्णय लिया। कांस्टेबल विष्णु सिंह साहस, दृढ़निश्चय और चालाकी के साथ रेंगते हुए लक्षित घर के निकट आ गए जबकि कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह उन्हें कवरिंग फायर प्रदान करते रहे। जब कांस्टेबल विष्णु सिंह लक्षित घर पर पहुँचे तो उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए दरवाजे पर ठोकर मार कर उसे खोल दिया और उग्रवादियों को उलझा दिया। तथापि, इस प्रक्रिया में वे गोलियां लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अपने जख्मों पर ध्यान न देते हुए, उन्होंने फुर्ती से उग्रवादियों पर धावा बोल दिया और बेहोश होकर जमीन पर गिरने से पहले इन्होंने बहुत ही सटीक गोलीबारी करके उग्रवादियों में से एक को उसी स्थान पर मार गिराया। अपने साथी की जान को खतरे में पड़ता देखकर, कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, अपनी जान की परवाह न करते हुए, उस जगह पर तेजी से गए और घायल कांस्टेबल को अपने कंधे पर उठा कर उग्रवादियों की ओर से की जा रही भारी गोलीबारी के बीच से एक सुरक्षित जगह पर ले आए। तथापि, कांस्टेबल विष्णु सिंह ने बाद में जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह उग्रवादियों की ओर से की जा रही गोलियों की बौछार का बहादुरी से मुकाबला करते हुए पुनः रेंगते हुए लक्षित घर के निकट पहुँच गए। कांस्टेबल को इतना समीप देखकर, दूसरे उग्रवादी ने हताशा में बचने का प्रयास किया और भारी गोलीबारी करते हुए खिड़की से बाहर कूद पड़ा। लेकिन कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह ने, असाधारण साहस का परिचय देते हुए उग्रवादी का पीछा किया और उसे मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर, दो ए.के.-56 राइफलें, एक हैंड ग्रेनेड और गोलाबारूद के साथ-साथ मारे गए दो उग्रवादियों के शव बरामद किए गए। मारे गए उग्रवादियों की पहचान शौकत अहमद गनी, पुत्र वली मोहम्मद गनी निवासी सुच, कुलगाम (जम्मू और कश्मीर) और शहनवाज अहमद पारे पुत्र अब्दुल अहमद पारे निवासी वेगाम, कुलगाम (जम्मू और कश्मीर) के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणत का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 मई, 2003 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 172-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री संदीप मिश्रा,
सहायक कमांडेंट।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री संदीप मिश्रा, जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती के द्वारा सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के रूप में 11.1.1999 को हुई थी, को असम के तिनसुकिया जिले में तैनात भारतीय सेना की 6 जाट रेजिमेंट के साथ आर्मी एटेचमेंट ट्रेनिंग के एक भाग के रूप में संबद्ध किया गया था। 6 जाट रेजिमेंट, जिसके साथ अधिकारी को संबद्ध किया गया था, की ओ पी रहिनो (आर एच आई एन ओ)-II पर तैनाती की गई थी। इस सेना बटालियन को 13 दिसंबर, 2000 को एस डी पी ओ, सदिया के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि तुपसिंगा (टी यू पी एस आई एन जी ए), जिला तिनसुकिया में विद्रोहियों के एक ग्रुप के मौ जूद होने की संभावना है। सेना के बटालियन कमांडर द्वारा श्री संदीप मिश्रा को इस ग्रुप को बीच में रोकने हेतु आर्मी पेट्रोल का नेतृत्व करने के लिए तैनात किया गया। श्री संदीप तत्काल संयुक्त आपरेशन के लिए पुलिस के साथ-साथ सेना के जवानों का नेतृत्व करने हेतु गंश्त पर रवाना हो गए। आपरेशन/तलाश का क्षेत्र एक घने जंगल वाला बहुत ही दुर्गम उबड़-खाबड़ भूभाग था जहाँ वे बहुत सारे नालों और जल मार्गों को पार करके पहुँचे। पार्टी ने गांव की घेराबंदी और तलाशी की लेकिन वे उग्रवादियों को नहीं पकड़ सके क्योंकि वे जवानों के वहां पहुँचने से पहले ही गांव छोड़कर चले गए थे। तलाशी आपरेशन पूरा होने तक 1700 बज चुके थे और अंधेरा होने लगा था तथा वे वहाँ से जाने ही वाले थे। जैसे ही वाहनों का काफिला नदी के पार एक तंग पुलिया पर पहुँचा वैसे ही उन पर सड़क के दोनों तरफ से स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की गई जिसके परिणामस्वरूप दो पुलिस कर्मियों की तत्काल मौत हो गई और तीन अन्य कर्मी जख्मी हो गए। श्री संदीप शर्मा वाहन से बाहर कूद पड़े और अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए इन्होंने जवाबी गोलीबारी की और अपने जवानों को जवाबी हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने अधिकारी की साहसिक कार्रवाई और एकजुट होकर लड़ने के लिए किए गए आह्वान से प्रेरित होकर जवानों ने जोशपूर्ण ढंग से जवाबी कार्रवाई की और उग्रवादियों को उलझा लिया जिससे विद्रोहियों को प्रारंभिक लाभ नहीं मिल सका। इससे उग्रवादी पहल नहीं कर पाए और वे अधिक लोगों को हताहत करने और हथियार छीनने से वंचित रह गए जिससे एक बड़े आघात को टाला जा सका। इसी लंबी गोलीबारी के दौरान अधिकारी अपने व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा नेतृत्व प्रदान करते रहे और उन्हें कम-से-कम नौ गोलियां लगीं इसके बावजूद भी ये पलट कर हमला करने और उग्रवादियों की घात को तोड़ने के लिए लगातार अपने जवानों को प्रेरित करते रहे। इस अधिकारी को घटनास्थल से गंभीर हालत में वहां से हटा लिया गया और बहुत दिनों तक उपचार करने के बावजूद इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई और वे पूरी तरह से अशक्त हो गए। इस युवा अधिकारी ने अपनी सेवा के शुरूआती दौर में ही इस अभियान के दौरान चमत्कारिक साहस, अद्वितीय पराक्रम और आत्म-बलिदान हेतु उच्च कोटि की तत्परता का परिचय दिया और ऐसा करते हुए अपनी दोनों आखों की दृष्टि बलिदान कर दी।

इस मुठभेड़ में, श्री संदीप मिश्रा, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 दिसंबर, 2000 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 173-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

(1) राजेश कुमार, कांस्टेबल

(2) नेम सिंह, कांस्टेबल (मरणोपरांत) ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

सामान्य क्षेत्र फागला, जिला राजौरी, जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में एक विशिष्ट सूचना के आधार पर, 7 दिसंबर, 2002 को सीमा सुरक्षा बल की 200वीं बटालियन और 4 राजराइफल के जवानों द्वारा एक संयुक्त अभियान की योजना तैयार की गई और उसे कार्यरूप दिया गया। गांव की घेराबंदी करने के पश्चात, 8 दिसंबर, 2002 को सुबह-सवेरे काम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। तथापि, उग्रवादी गांव में जवानों की आवाजाही को देख कर घेराबंदी किए गए क्षेत्र के भीतर जंगल में घुस गए। लगभग 1345 बजे उग्रवादियों के साथ संपर्क स्थापित हुआ और उसके पश्चात मुठभेड़ शुरू हो गई। आपसी गोलीबारी के दौरान, कांस्टेबल नेम सिंह जांघ में गोली लगने से घायल हो गए, लेकिन घायल होने के बावजूद तथा अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए उन्होंने उग्रवादियों को निरंतर उलझाए रखा और उनमें से एक को घायल कर दिया । तथापि, आपसी भारी गोलीबारी के दौरान, कांस्टेबल नेम सिंह को सीने में कई गोलियां लगीं जिसके पश्चात वे जमीन पर गिर पड़े। उनकी बिगड़ती हालत को देखकर, भारी गोलीबारी के बीच कांस्टेबल राजेश कुमार अपने जख्मी साथी को सुरक्षित जगह पर ले गए लेकिन ऐसा करने के दौरान, वे भी गोलियां लगने से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद, कांस्टेबल राजेश कुमार साहस और बहादुरी का असाधारण प्रदर्शन करते हुए जख्मी उग्रवादी के निकट पहुँच गए और उसे वहीं ढेर कर दिया । जबकि कांस्टेबल राजेश कुमार को अस्पताल पहुंचा दिया गया लेकिन कांस्टेबल नेम सिंह ने वहीं पर जख्मों के कारण दम तोड़ दिया । उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर, एक ए.के. श्रेणी की राइफल, दो हैंड ग्रेनेड और गोलाबारूद सहित मारे गए उग्रवादी का शव बरामद हुआ । मारे गए उग्रवादी की पहचान एल ई टी गुट के जावेद अख्तर उर्फ अबू उस्मान के रूप में की गई ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री राजेश कुमार, कांस्टेबल और दिवंगत नेम सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 दिसंबर, 2002 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 174-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	के.श्रीनिवासन, अपर उप महानिरीक्षक।	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2.	सी.पी. त्रिवेदी, द्वितीय कमान अधिकारी।	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
3.	एम.आर. बीनुचन्द्रन, सहायक कमांडेंट ।	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
4.	राजेश सिंह बदोरिया, कांस्टेबल।	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
5.	हिमांशु गौड़, सहायक कमांडेंट ।	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
6.	हेमचन्द्र जोशी, हैड कांस्टेबल।	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
7.	कुलदीप सिंह, हैड कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
8.	माणिक चन्द्र नाथ, हैड कांस्टेबल।	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
9.	नील कमल दास, कांस्टेबल।	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
10.	ओमवीर सिंह, कांस्टेबल।	(वीरता के लिए पुलिस पदक) ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गहन और निरन्तर आसूचना प्रयासों, निगरानी, रणनीतिक अभियानों और पकड़े गए उग्रवादियों से पूछताछ के परिणामस्वरुप 29 अगस्त, 2003 की शाम को राणा ताहिर नदीम उर्फ शाबाज खान उर्फ गाजी बाबा, जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य ऑपरेशनल कमांडर, एक दुर्दान्त उग्रवादी नेता, जिसने 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद पर घृणित हमले की योजना बनाई थी, के नूरबाग, श्रीनगर के निर्मित क्षेत्र के एक घर में छिपने के ठिकाने में मौजूद होने के बारे में सूचना मिली। चूंकि गाजी बाबा अपने ठिकाने बदलने और पकड़े जाने से बचने की रहस्यपूर्ण चालों के लिए प्रसिद्ध था इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि उसके ठिकाने में उसी रात अर्थात 29/30 अगस्त, 2003 के बीच की रात को ही घुसा जाए और तलाशी ली जाए। सीमा सुरक्षा बल की 193वीं बटालियन के कमांडेंट और सीमा सुरक्षा बल की 61वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी/स्थानापन्न कमांडेंट श्री एन एन डी दुबे द्वारा ठिकाने में घुसने और उसकी तलाशी लेने की योजना तुरंत बनाई गई। यह आपरेशन सीमा सुरक्षा बल की 61वीं/193वीं बटालियनों के अधिकारियों और जवानों का एक संयुक्त आपरेशन था। 30 अगस्त, 2003 को तड़के सुबह लक्षित घर पर लुक-छिपकर पहुंच कर उसकी बाहरी घेराबंदी कर ली गई। परिसर की दीवार पर ताला लगा देख कर श्री बीनु चन्द्रन, सहायक कमांडेंट (टी) और कांस्टेबल हुकुम चन्द ने चार दीवारी को फांदकर गेट को खोल दिया। घर के आँगन में पहुँच जाने पर, सीमा सुरक्षा बल की 61वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री हिमांशु गौड़ के नेतृत्व में आंतरिक घेराबंदी की गई जिन्होंने स्वयं घर के अंदर प्रवेश के रास्ते को कवर करते हुए पोजीशन ले ली। श्री एन एन डी दुबे, द्वितीय कमान अधिकारी/स्थान्नापन्न कमांडेंट, श्री सी.पी. त्रिवेदी, द्वितीय कमान अधिकारी, श्री एम.आर. बीनु चन्द्रन, सहायक कमांडेंट(टी), कांस्टेबल राजेश सिंह बदोरिया, कांस्टेबल बलबीर सिंह, कांस्टेबल नील कमल दास, कांस्टेबल ओमवीर सिंह और हैड कांस्टेबल/आर.ओ. माणिक नाथ स्वेच्छा से इमारत के अंदर घुसने के लिए आगे आए जबकि यह काम अत्यधिक दुर्घटना संभावित और खतरनाक था। श्री एन एन डी दुबे और उपर्युक्त दल ने उस घर के सामने वाले दरवाजे को द्रुत गति से तोड़कर घर में प्रवेश किया। घर के लोगों ने तुरंत बिजली की आपूर्ति बंद कर दी। पहले तल की तलाशी ली गई और उसे क्लियर कर लिया गया जिसमें परिवार का एक पुरुष और चार औरतें मिलीं। सिविलियनों से मौके पर की गई पूछताछ से कोई सूचना नहीं मिली। इस दल ने आगे कार्रवाई करते हुए इस घर के द्वितीय तल को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। द्वितीय तल के एक कमरे में रखी

अलमारी की स्थिति और डिजायन संदेह पैदा कर रहा था। जवानों को आड़ लेने का आदेश देकर श्री बीनु चन्द्रन, सहायक कमांडेंट ने उस अलमारी के दर्पण पैनल को लात मार कर खोल दिया जिससे अंदर छिपने के ठिकाने का पता चला और उस ठिकाने के अंदर से श्री एन एन डी दुबे, श्री सी पी त्रिवेदी, श्री बीनु चन्द्रन, कांस्टेबल बलबीर सिंह और सामने खड़े अन्य पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी हुई और ग्रेनेड फैंके गए। उन ग्रेनेडों में से एक ग्रेनेड अधिकारियों के बिल्कुल निकट आकर गिरा और इसके फटने से पहले ही श्री बीनु चन्द्रन, सहायक कमांडेंट ने अपनी जान को अत्यधिक जोखिम में डालते हुए उस ग्रेनेड को उठा लिया और वापस फैंका जो अंदर उग्रवादियों के ठिकाने पर जाकर फटा जिससे अंदर मौजूद उग्रवादी घायल हो गए। उग्रवादियों ने हताशा में बचने का प्रयास करते हुए सीमा सुरक्षा बल के दल पर भारी गोलीबारी की और ग्रेनेड फैंके। श्री एन एन डी दुबे, श्री सी पी त्रिवेदी, हैड कांस्टेबल (आर ओ) माणिक नाथ, कांस्टेबल राजेश सिंह बदोरिया, कांस्टेबल बलबीर सिंह, कांस्टेबल ओमवीर सिंह और कांस्टेबल नील कमल दास शुरुआती गोलीबारी में ही किरचें लगने/गोलियों से जख्मी हो गए। एक उग्रवादी भारी गोलीबारी करते हुए छिपने के ठिकानों से अचानक बाहर कूदा। कांस्टेबल बलबीर सिंह, श्री एन एन डी दुबे को उसके सामने देखकर, अधिकारी के सामने कूद पड़े तथा उग्रवादी और अधिकारी के बीच में आ गए। इसी दौरान, ए के 47 की गोलियों की पूरी बौछार कांस्टेबल बलबीर सिंह के पेट में लगी और जख्मी हालत में ही इन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया लेकिन वे अंतिम सांस तक गोलीबारी करते रहे। श्री एन एन डी दुबे गोलियों के अनेक जख्मों के बावजूद भी उग्रवादी से भिड़ गए और उसकी ए के 47 राइफल को पकड़ लिया जिससे उसका निशाना चूक गया और इस प्रकार इन्होंने अपने दूसरे साथियों की जान बचा ली। उग्रवादी ने हताशा में अपने पाउच से पिस्तौल निकाली और श्री एन एन डी दुबे के दांये हाथ पर गोली चलाई जिससे इनके दांये हाथ का अग्र भाग बुरी तरह जख्मी हो गया। उग्रवादी अपने को छुड़ाने में कामयाब हो गया और उसने भागने का प्रयास किया। श्री एन एन डी दुबे गंभीर रुप से जख्मी होने और अत्यधिक खून बह जाने के बावजूद भी इन्होंने भागते हुए उग्रवादी पर गोलीबारी करते हुए बड़े साहस के साथ उसका पीछा किया। कांस्टेबल ओमवीर सिंह किरचों से लगे गंभीर घावों के बावजूद श्री एन एन डी दुबे के साथ दौड़े और भागते हुए उग्रवादी को उलझाए रखा। कांस्टेबल ओमवीर सिंह किरचें लगने से पुन: घायल हो गए और सीढ़ियों से लुढ़क गए। श्री एन एन डी दुबे ने लड़ते हुए गोली मार कर उस उग्रवादी को मार गिराया जिसकी पहचान बाद में राणा ताहिर नदीम उर्फ शाबाज खान उर्फ गाजी बाबा के रूप में की गई । गोलियों के अनेक घावों और खून की कमी के कारण श्री एन एन डी धर दुबे फर्श पर गिर पड़े । इसी बीच सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों और अभी भी अपने ठिकाने में छिपे हुए उग्रवादियों के बीच लड़ाई जारी थी । भारी गोलीबारी के बावजूद कांस्टेबल नील कमल दास ने श्री एन एन डी दुबे को बेहोश होकर गिरते हुए देख लिया और अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए और अनुकरणीय बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए, वे घायल अधिकारी को घसीट कर सीढ़ियों की तरफ ले आए । इस कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल नील कमल दास भी गोलियों से बुरी तरह घायल हो गए और श्री दुबे के साथ सीढ़ियों से गिर पड़े । अभी भी ठिकाने के अन्दर छिपे उग्रवादियों के साथ चल रही गोलीबारी में श्री सी पी त्रिवेदी, श्री बीनु चन्द्रन और कांस्टेबल राजेश सिंह बदोरिया भी किरचें लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गए । इसी समय, उग्रवादियों में से एक उग्रवादी उस ठिकाने के अन्दर से बाहर दौड़ा और भारी गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश करने लगा । कांस्टेबल राजेश सिंह बदोरिया, जो उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने से गेट के नजदीक थे, ने घायल होने के बावजूद भी उस उग्रवादी के सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया और विवश होकर उसे फिर ठिकाने के अन्दर जाना पड़ा । तब उग्रवादी ने ग्रेनेड फैंके जिसके कारण हैड कांस्टेबल (आर ओ) माणिक नाथ, जो श्री सी.पी. त्रिवेदी को कवरिंग फायर दे रहे थे, किरचें लगने से घायल हो गए । अपने गम्भीर जख्मों की परवाह न करते हुए बड़ी निर्भीकता के साथ हैड कांस्टेबल माणिक नाथ ने उग्रवादियों को लगातार उलझाए रखा। उन्हें बुरी तरह से जख्मी हालत में देख कर उन्हें उस कमरे से हट जाने को कहा गया लेकिन हैड कांस्टेबल माणिक नाथ ने ऐसा करने से मना कर दिया और श्री सी.पी. त्रिवेदी द्वारा उन्हें धकेल कर उस कमरे से बाहर निकालना पड़ा । उग्रवादी अभी भी छिपने के ठिकाने के अन्दर थे और निरन्तर गोलीबारी कर रहे थे और ग्रेनेड फैंक रहे थे । उग्रवादी अंधेरे का लाभ उठाकर और ग्रेनेडों से विस्फोट करते हुए, दौड़ कर दूसरी मंजिल पर चढ़ने में सफल हो गए। इसी समय, श्री हिमांशु गौड़, सहायक कमांडेंट, हैड कांस्टेबल कुलदीप सिंह, कांस्टेबल हुकुम सिंह, कांस्टेबल सुरेश करनूल और हैड कांस्टेबल (आर ओ) हेम चन्द्र जोशी, जो आंतरिक घेराबंदी किए हुए थे, दौड़ कर पहले तल पर पहुँचे और गोलीबारी के बीच जल्दी से उस कमरे, जिसमें कार्मिक घायल पड़े हुए थे, और सीढ़ियों को नियंत्रण में ले लिया । श्री हिमांशु गौड़ ने घायल कार्मिकों को वहां से निकाला और बचाव पार्टी को कवरिंग फायर प्रदान की तथा ऊपर वाले तल से उग्रवादियों के हाथों जवानों को और अधिक संख्या में हताहत होने से बचाने के लिए ये स्वयं सीढ़ियों

को कवर करते हुए गोलीबारी करते रहे। इन्होंने घर के सिविलियन लोगों को भी वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया । घायलों को घर से बाहर लाने के बाद श्री हिमाशु गौड़ को यह आभास हुआ कि श्री सी पी त्रिवेदी और श्री बीनु चन्द्रन और कांस्टेबल बलबीर सिंह अभी भी दूसरे तल पर फंसे हुए हैं । बिना किसी घबराहट के श्री हिमांशु गौड़, हैड कांस्टेबल कुलदीप सिंह और हैड कांस्टेबल हेम चन्द्र जोशी दोबारा वापस गए और उग्रवादियों की गोलीबारी की परवाह न करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए । हैड कांस्टेबल हेमचन्द्र जोशी जब ऊपर जा रहे थे तभी वे ग्रेनेड की किरचों के कारण गम्भीर रूप से घायल हो गए । श्री हिमांशु गौड़ के साथ हैड कांस्टेबल कुलदीप सिंह ने उग्रवादियों की भारी गोलीबारी के बावजूद हैड कांस्टेबल जोशी को बचा कर निकाल लिया । श्री सी पी त्रिवेदी और श्री बीनु चन्द्रन, उग्रवादियों का पता लगाने का लगातार प्रयास करते रहे और सबसे ऊपरी तल पर पहुंच गए । इसी बीच उग्रवादी चुपके से वापस पहले तल पर पहुँच गए और जवानों को घर के अन्दर प्रवेश करने से रोकने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के रास्ते पर गोलियां चलाते रहे । श्री सी.पी. त्रिवेदी और श्री बीनु चन्द्रन घायलावस्था, खून से लथपथ होकर सबसे ऊपरी तल पर फंस गए और उनका गोलाबारूद भी अब खत्म ही होने वाला था । श्री सी पी त्रिवेदी और बीनु चन्द्रन ने स्वयं को बड़ी मुसीबत में फंसा देख अत्यधिक सूझ-बूझ का परिचय दिया और छत को तोड़ने में सफल हो गए । चूंकि मुठभेड़ चल रही थी, श्री के श्रीनिवासन, अपर उप महानिरीक्षक (जी), जो कि घाटी में स्थापित सीमा सुरक्षा बल आसूचना तंत्र के प्रमुख थे, जिन्हें गाजी बाबा का पता लगाने और फंसाने का श्रेय दिया जाता है, मुठभेड़ स्थल पर पहुँच गए और ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ले ली क्योंकि सी पी त्रिवेदी, द्वितीय कमान अधिकारी और श्री बीनु चन्द्रन, सहायक कमांडेंट के लक्षित घर की छत पर फंसे होने के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया था और उग्रवादी अभी भी सक्रिय थे और घर के अन्दर से गोलीबारी कर रहे थे । श्री श्रीनिवासन ने उग्रवादियों द्वारा लक्षित घर के अन्दर से की जा रही गोलीबारी की परवाह न करते हुए जवानों और हथियारों को बड़ी चतुराई से दोबारा तैनात किया । इन्होंने लक्षित घर की सभी खिड़कियों और अन्य खुली जगहों पर समयबद्ध और सटीक गोलीबारी सुनिश्चित की और श्री सी पी त्रिवेदी और श्री बीनु चन्द्रन को दृढ़ता के साथ ये निदेश दिए गए कि थोड़ी देर के लिए गोलीबारी रुकने पर वे पूर्व-निर्दिष्ट संकेत पर इमारत से जमीन पर रखे गद्दों पर कूद जाएं । योजना के अनुसार कूदने वाली जगह के पास घायल अधिकारियों को ले जाने के लिए एक बंकर वाहन भी खड़ा किया गया था । श्री सी.पी. त्रिवेदी और श्री बीनु चन्द्रन ने अपने हथियार नीचे फेंक दिए और इसके बावजूद कि ये अधिकारी गोलियां और किरचें लगने से पहले ही घायल थे और उनके शरीर से बहुत खून बह रहा था, ये 40 फुट की ऊंचाई से घर की छत से कूद गए । जैसे ही श्री सी.पी. त्रिवेदी और बीनु चन्द्रन जमीन पर कूदे, वैसे ही बंकर वाहन के पिछले दरवाजे खोल दिए गए तथा श्री हिमांशु गौड़, सहायक कमांडेंट और हैड कांस्टेबल, बलबीर सिंह अपनी सुरक्षा की जरा सी भी परवाह न करते हुए बाहर कूदे और उग्रवादियों की तरफ से हो रही गोलीबारी के बीच इन अधिकारियों को जमीन से उठा लिया और इस प्रकार से इन्हें वहां से हटा कर इनकी जान बचाई । श्री बीनु चन्द्रन, सहायक कमांडेंट के ऊपर से कूदने के कारण इनकी हड्डियां कई जगह से टूट गईं। श्री सी पी त्रिवेदी और श्री बीनु चन्द्रन को वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, केवल कांस्टेबल बलबीर सिंह ही गिनने में नहीं आए । पकड़े गए सन्देशों के आधार पर और इस बात को ध्यान में रखते हुए, उग्रवादियों ने बचने के अन्तिम उपाय के रूप में इस इमारत को उड़ाने के लिए तारों का जाल बिछाया हुआ है, श्रीनिवासन ने तुरंत लक्षित घर में प्रवेश करने की योजना बनाई और उसमें घुस गए और इसी दौरान इन्होंने कांस्टेबल बलबीर सिंह के शव को ढूँढ़ निकाला और उसे उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के बीच वहां से हटा लिया । इसके बाद हुए अनेक विस्फोटों के कारण इमारत मलबे के ढेर में तबदील हो गई । मलबे की तलाशी लेने पर राणा ताहिर नदीम उर्फ शाबाज खान उर्फ जेहादी उर्फ डॉक्टर उर्फ गाजी बाबा, पाकिस्तान निवासी, घाटी में जे.ई.एम. संगठन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर और रशीद भाई पाकिस्तान निवासी, जे.ई.एम. का डिप्टी कमांडर के शव बरामद किए गए । राणा ताहिर नदीम उर्फ गाजी बाबा के मारे जाने के साथ ही घाटी में उग्रवाद की कमर टूट गई और सीमा सुरक्षा बल द्वारा की गई इस जबरदस्त कार्रवाई से पृथकतावादी तत्वों को उबरने में अब काफी समय लगेगा । अनेक इलैक्ट्रोनिक मदों के अलावा निम्नलिखित शस्त्र/गोलाबारूद/उपकरण/विस्फोटक इत्यादि बरामद किए गए:-

1.	असॉल्ट राइफल का कालीन के	-	01 नग
2.	टैंकरोधी राइफल ग्रेनेड एम-16 पी एल	-	04 नग
3.	इलैक्ट्रोनिक डेटोनेटर	-	16 नग
4.	वायरलैस सेट	-	02 नग
5.	डिजिटल डायरी	-	01 नग

6.	आई ई डी कवर	-	01 नग
7.	रूसी पिस्तौल	-	01 नग
8.	रूसी पिस्तौल की मैगजीन	-	02 नग
9.	यू बी जी एल	-	01 नग
10.	आई ई डी सर्किट	-	02 नग
11.	आई ई डी रिमोट कन्ट्रोल	-	01 नग
12.	ग्रेनेड पाउच	-	01 नग
13.	आई ई डी	-	01 नग
14.	व्हाईट आर डी एक्स	-	52 किग्रा.
15.	रसायन	-	02 किग्रा.
16.	राइफल ग्रेनेड	-	20 नग
17.	हैंड ग्रेनेड्स	-	11 नग
18.	स्टन ग्रेनेड	-	02 नग
19.	ए के गोलाबारूद	-	97 राउंद
20.	चीनी पिस्तौल का गोलाबारूद	-	129 राउंद
21.	रुसी पिस्तौल का गोलाबारूद	-	92 राउंद
22.	स्कॉरपीअन पिस्तौल	-	01 नग
23.	स्कॉरपीअन पिस्तौल की छोटी मैगजीन	-	01 नग
24.	स्कॉरपीअन पिस्तौल की बड़ी मैगजीन	-	01 नग
25.	एंटीना के साथ केनवुड का वायरलैस सेट	-	01 नग
26.	एंटीना के साथ येइसु का वायरलैस सेट	-	01 नग
27.	छोटी दूरबीन	-	01 नग
28.	रिमोट कंट्रोल डिवाइस (आर सी डी)	-	04 नग
29.	7.62 एम एम गोलाबारूद	-	162 राउंद
30.	9 एम एम गोलाबारूद	-	14 राउंद
31.	ए.के.-47 का गोलाबारूद	-	55 राउंद
32.	ब्लैक आर डी एक्स	-	1.5 कि.ग्रा.
33.	पिस्तौल पाउच	-	01 नग
34.	ग्रेनेड पाउच	-	01 नग
35.	पिस्तौल मैगजीन	-	01 नग
36.	ए के-47 गोलाबारूद	-	20 राउंद

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री के.श्रीनिवासन, अपर उप महानिरीक्षक, सी.पी. त्रिवेदी, द्वितीय कमान अधिकारी, एम. आर बीनु चन्द्रन, सहायक कमांडेंट, राजेश सिंह बदोरिया, कॉंस्टेबल, हिमांशु गौड़, सहायक कमांडेंट, हेमचन्द्र जोशी, हैड कांस्टेबल, कुलदीप सिंह, हैड कांस्टेबल, माणिक चन्द्र नाथ, हैड कांस्टेबल, नील कमल दास, कांस्टेबल, ओमवीर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 अगस्त, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 175-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

	अधिकारियों के नाम और रैंक सर्व/श्री	
1.	देस राज, अपर उप महानिरीक्षक।	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2.	मोहम्मद फिरदौश खान।	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
3.	एम एस राठौड़, कमांडेंट ।	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	प्रमोद कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी।	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	मोहम्मद सिकंदर खान, कांस्टेबल।	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
6.	अमृत हजांग, कांस्टेबल।	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27 अगस्त, 2003 को लगभग 1905 बजे उग्रवादियों ने ग्रीनवे होटल, श्रीनगर, जो सेंट्रल टेलिग्राफ कार्यालय और मुख्यमंत्री के निवास के बहुत करीब है, के नजदीक ग्रेनेड फेंके। सीमा सुरक्षा बल की 43वीं बटालियन के जवान, जिनकी पूरे शहर में ड्यूटी लगी हुई थी, तत्काल उस जगह पर गए और उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। जवानों द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई को देखकर उग्रवादियों ने ग्रेनेड फेंके और नजदीक के ग्रीनवे होटल में घुसने में सफल हो गए। इस घटना के संबंध में सूचना मिलने पर, श्री एम एस राठौड़, कमांडेंट 43वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल तत्काल उस जगह की ओर रवाना हुए। स्थिति का जायजा लेने के पश्चात, इन्होंने बच कर भाग निकलने के रास्तों को कवर करने हेतु जवानों की पुनः तैनाती की। इसी बीच श्री प्रमोद कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी, 43वीं बटालियन भी त्वरित कार्रवाई बल के साथ वहां पर पहुँच गए और घेरे को और मजबूत कर दिया। साथ-साथ श्री देस राज, उप महानिरीक्षक, एस एच क्यू सी आई(ओप्स)-II भी वहां पहुँच गए और स्थिति का आकलन करने के पश्चात पास ही में स्थित सीमा सुरक्षा बल की बटालियनों से कुमुक मंगाने का आदेश दिया। जब श्री देस राज, उप महानिरीक्षक, टुकड़ियों की पोजीशन को पुनः व्यवस्थित और ब्रीफ कर रहे थे, उस समय वे उग्रवादियों द्वारा देखे जा सकते थे। उसी समय इन्होंने दो सिविलियन लड़कों को भारी गोलीबारी के बीच फंसे हुए देखा। इन्होंने तत्काल अपने जवानों को गोलीबारी रोकने का आदेश दिया और अपनी वैयक्तिक सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के सामने आकर उन लड़कों को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। श्री देस राज द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना की गई इस वीरतापूर्ण कार्रवाई से उन लड़कों की जान बच सकी लेकिन ऐसा करते हुए ये दायें कंधे में गोली लगने से गंभीर रुप से घायल हो गए। अपने उप महानिरीक्षक को गोलियां लगते हुए देखकर, श्री प्रमोद कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना तथा अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए और उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी और ग्रेनेडों के विस्फोटों के बीच रेंगते हुए अपने घायल उप महानिरीक्षक के नजदीक पहुँच गए और श्री देस राज, उप महानिरीक्षक, जिनके शरीर से तेजी से रक्त बह रहा था, को उठाया और आगे अस्पताल पहुँचाने हेतु सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस प्रकार इन्होंने अपने अधिकारी की जान बचाई। इसी बीच, महानिरीक्षक(पी) और सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुँच गए। उन्होंने गहराई से स्थिति पर विचार-विमर्श किया क्योंकि श्री देस राज, उप महानिरीक्षक के घायल होने से गतिरोध उत्पन्न हो गया था और होटल में फंसे हुए बहुत से सिविलियन उग्रवादियों द्वारा बंधक बना लिए गए थे। इसी दौरान, फंसे हुए कुछेक सिविलियनों ने मोबाइल टेलीफोन पर सीमा सुरक्षा बल के दल के साथ संपर्क बना लिया

और यह पता लगा लिया गया कि इस तीन मंजिला होटल में लगभग 20 सिविलियन फंसे हुए हैं। चूंकि उग्रवादियों ने महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर रखा था और वे रुक-रुक कर गोलीबारी और ग्रेनेडों से विस्फोट करके सीमा सुरक्षा बल/पुलिस कर्मियों को जख्मी कर रहे थे, तब बंधकों की स्थिति को सुलझाने और फंसे हुए सिविलियनों को बचाने के लिए एक योजना बनाई गई। योजना के अनुसार, ध्यानभंग करने की युक्तियां अपना कर उग्रवादियों का ध्यानभंग करना था। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री प्रमोद कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी अपनी जान की जरा सी भी परवाह न करते हुए उग्रवादियों की भारी गोलीबारी और फैंके जा रहे ग्रेनेडों के बीच से होटल में घुस गए। अपनी जान को खतरे में डालकर अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की गई बहादुरी और साहस के कारण ही होटल में फंसे हुए सिविलियनों की जानें बचाई जा सकीं। पूरी रात भर आपस में गोलीबारी चलती रही। 28 अगस्त, 2003 की प्रात: इमारत पर धावा बोलने का निर्णय लिया गया। हैड कांस्टेबल मोहम्मद फिरदौस खान और कांस्टेबल मोहम्मद सिकंदर खान के साथ श्री एम एस राठौड़, कमांडेंट उस होटल में घुस गए और इन्होंने विद्युत गति से भूतल और पहली मंजिल को खाली करवाया। इस दौरान, इन्होंने एक कमरे में पांच और सिविलियनों और तीन व्यक्तियों, जिन्हें उग्रवादियों ने पिछली रात को मार दिया था, के शव देखे। श्री राठौड़ ने हैड कांस्टेबल मोहम्मद फिरदौस खान और कांस्टेबल मोहम्मद सिकन्दर खान के साथ मिलकर सभी पांचों सिविलियनों को बचा लिया और तत्पश्चात शव उठा लिए गए। सिविलियनों को बचाने के पश्चात, श्री राठौड़, हैड कांस्टेबल फिरदौस खान और कांस्टेबल सिकंदर खान गोली चलाओ और आगे बढ़ो की रणनीति अपना कर उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बीच दूसरी मंजिल की ओर बढ़े। जब आपस में गोलीबारी चल रही थी तभी हैड कांस्टेबल मोहम्मद फिरदौस खान ने एक उग्रवादी जिसने श्री राठौड़, को देख लिया था, श्री राठौड़ को निशाना बना कर गोली चलाने ही वाला था। अपने कमांडेंट की जान को खतरा भांप कर, हैड कांस्टेबल मोहम्मद फिरदौस खान अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए अद्वितीय साहसिक कार्रवाई करते हुए कमांडेंट के सामने कूद पड़े और अपनी सीने पर गोलियों की बौछार झेल लीं और इस प्रकार अपने कमांडेंट की जान बचाने में सर्वोच्च बलिदान दिया।श्री राठौड़ ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की जिससे उग्रवादियों में से एक घायल होकर नीचे गिर पड़ा लेकिन वह गोलियां चलाता रहा। दूसरे उग्रवादी ने ग्रेनेड फेंके। श्री राठौड़ और कांस्टेबल मोहम्मद सिकन्दर खान ने उग्रवादियों को लगातार उलझाए रखा और उनमें से एक को मार गिराया, जबकि दूसरा उग्रवादी तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। स्थिति का आकलन करने के पश्चात, श्री राठौड़ ने श्री प्रमोद कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी को तीसरी मंजिल को क्लिअर करने का निदेश दिया। श्री प्रमोद कुमार और कांस्टेबल अमृत हजांग अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए उग्रवादी द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बीच, तीसरी मंजिल की ओर बढ़े और उच्चकोटि की वीरता का प्रदर्शन करते हुए उग्रवादी को मार गिराया। इमारत की तलाशी लेने पर दो ए के श्रेणी की राइफलें, एक 9 एम एम सी एम और गोलाबारुद के साथ-साथ दो उग्रवादियों के शव बरामद किए गए। मारे गए उग्रवादियों में से एक की पहचान इश्तियाक अहमद निवासी छताबल, श्रीनगर के रुप में की गई जबकि दूसरे उग्रवादी की पहचान नहीं की जा सकी ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री देस राज, अपर उप महानिरीक्षक, दिवंगत मोहम्मद फिरदौश खान, एम एस राठौड़, कमांडेंट प्रमोद कुमार,द्वितीय कमान अधिकारी, मोहम्मद सिकंदर खान, कांस्टेबल और अमृत हजांग, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 अगस्त, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 176-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. वी.टी. मैथ्यू, द्वितीय कमान अधिकारी । (मरणोपरांत)
2. राघवेन्द्र एस., कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

28.10.2003 को छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल ने नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर का दौरा करना था। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के अनुरोध पर यूनिट के द्वितीय कमान अधिकारी श्री वी टी मैथ्यू को माननीय राज्यपाल के साथ उस क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा करने हेतु डिटेचमेंट हैडक्वॉटर्स से नारायणपुर तैनात किया गया। माननीय राज्यपाल के नारायणपुर से प्रस्थान के पश्चात, श्री वी.टी. मैथ्यू, द्वितीय कमान अधिकारी एक बुलेट प्रूफ जिप्सी सहित 3 वाहनों की एक कान्वॉई में लगभग 1200 बजे दस कर्मियों की एक संरक्षी पार्टी के साथ डिटेचमेंट हैडक्वॉटर्स के लिए चल पड़े। जब पार्टी गांव भेंदा के नजदीक पहुँची, तभी इन पर लगभग 1230 बजे करीब 150 नक्सलियों के एक ग्रुप, जो अधुनातन हथियारों से लैस था, द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। हमले की शुरुआत में नक्सलवादियों ने कान्वॉई में सबसे आगे चल रही एक बुलैट प्रूफ जिप्सी को एक बहुत शक्तिशाली आई ई डी से उड़ा दिया। जिप्सी में बैठे सभी तीनों लोग घटनास्थल पर ही मारे गए। इसके साथ ही, नक्सलवादियों ने अच्छी तरह से कवर किए गए अपने मोर्चों के पीछे से स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी शुरु कर दी। उन्होंने रणनाद करते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पार्टी को समर्पण करने के लिए कहा। काफी संख्या में अच्छी तरह से मोर्चाबंद नक्सलवादियों के कारण श्री वी टी मैथ्यू, द्वितीय कमान अधिकारी ने पूरी पार्टी को अपने वाहनों से नीचे उतरने, आड़ लेने और प्रभावी रुप से जवाबी गोलीबारी करने के आदेश दिए। उन्होंने भी पोजीशन लेते हुए नक्सलवादियों की ओर गोलीबारी शुरु कर दी। उन्होंने बहुत जल्दी से पूरी स्थिति का विश्लेषण किया। कार्मिकों और उग्रवादियों में 1:15 का अनुपात था जो पूरी तरह से नक्सलवादियों के पक्ष में था। वे चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि यदि सी आर पी एफ कार्मिक समर्पण कर देगें तो वे उनकी जान बक्श देगें। श्री वी टी मैथ्यू, द्वितीय कमान अधिकारी ने अपने कर्मियों को साहसपूर्ण ढंग से सत्यनिष्ठा के साथ घात लगाकर धावा बोलने तथा उग्रवादियों द्वारा लगाई गई घात को नाकाम करने के लिए कहा। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना तथा अपनी जान को खतरे में डालकर उन्होंने अपने कुछ बहादुर कर्मियों के साथ नक्सलियों द्वारा लगाई गई घात को नाकाम बनाने के उद्देश्य से तथा अपनी पार्टी के कर्मियों की जान और हथियारों की सुरक्षा हेतु नक्सलियों की ओर भीषण धावा बोल दिया। इस कार्रवाई के दौरान उन्हें नक्सलियों द्वारा की गई गौलियों की बौछार कमर के नीचे आकर लगी जिससे वे जख्मी हो गए जिसके परिणामस्वरुप उनकी पेल्विस् की हड्डी कई जगह से टूट गईं, मूत्राशय और आंतों की रक्तवाहनियां फट गईं। श्री वी टी मैथ्यू, द्वितीय कमान अधिकारी दो गोलियों से जख्मी होने के बावजूद गोलीबारी करते रहे और अपने दल को नक्सलियों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद अधिकारी द्वारा प्रदर्शित बीरतापूर्ण कार्रवाई ने उनके दल, जिसकी वह कमान कर रहे थे, के सामने श्रेष्ठ नेतृत्व का एक उदाहरण प्रस्तुत किया और अतिवादियों से सफलतापूर्वक मुठभेड़ की। सं. 001400698 कांस्टेबल/जी डी राघवेन्द्र एस. ने शुरु में श्री वी टी मैथ्यू, द्वितीय कमान अधिकारी और उनकी पार्टी को गोलीबारी करते हुए आड़ प्रदान की जिसके कारण वे नक्सलियों की तरफ बढ़ने और उन पर धावा बोलने में समर्थ हो सके। तथापि, जब श्री वी टी मैथ्यू, द्वितीय कमान अधिकारी गोलियों की बौछार

लगने से गिर गए तब कांस्टेबल/जी डी राघवेन्द्र एस. ने अपनी तरफ से पहल की और पार्टी का नेतृत्व संभाल लिया और अभियान के लिए निदेश देना शुरु कर दिया।इन्होंने अपने कार्मिकों को नक्सलियों पर धावा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ अपने हथियार से गोलीबारी जारी रखी। इसके नेतृत्व से प्रोत्साहित होकर पार्टी के शेष कर्मियों ने नक्सलियों पर धावा बोलना जारी रखा। नक्सलियों की संख्या अधिक होने और अपनी जान को खतरा होने के बावजूद, कांस्टेबल/जी डी राघवेन्द्र एस. ने गोलीबारी जारी रखी और उत्कृष्ट कोटि के नेतृत्व, अत्यधिक साहस और सूझ-बूझ का प्रदर्शन किया। हालांकि इन्होंने काफी दूरी तक, भाग रहे नक्सलियों का पीछा किया और भारी गोलीबारी जारी रखी जिसके परिणामस्वरुप, नक्सलियों को पुनः इकठ्ठा होने का मौका नहीं मिल पाया और वे भाग खड़े हुए। कांस्टेबल/जी डी राघवेन्द्र एस. द्वारा प्रदर्शित किए गए अनुकरणीय साहस, वीरतापूर्ण और चतुरता से की गई कार्रवाई के कारण न केवल इनके साथियों की मूल्यवान जानें बचीं बल्कि उनके हथियार भी बचा लिए गए। बी.आर. अम्बेडकर अस्पताल, रायपुर और दिल्ली में आर.आर. अस्पताल (सेना) में उनकी जान बचाने के लिए किए गए अथक प्रयासों के बावजूद, श्री वी.टी. मैथ्यू, द्वितीय कमान अधिकारी की मूल्यवान जान नहीं बचाई जा सकी और उन्होंने 31.10.2003 को घावों के कारण प्राण त्याग दिए। नक्सलियों द्वारा सी आर पी एफ कर्मियों के सामने रखी समर्पण की मांग स्वीकार कर लेने पर उनकी जान बक्श देने के प्रस्ताव के बावजूद, दिवंगत वी टी मैथ्यू ने अपनी जान को आसन्न खतरे के बावजूद अनुकरणीय साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया और राष्ट्र के सशस्त्र बल की उच्चतम परंपराओं को बनाए रखते हुए सर्वोच्च बलिदान देना ही उचित समझा।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री दिवंगत वी टी मैथ्यू, द्वितीय कमान अधिकारी और राघवेन्द्र एस., कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 177-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री धीरेन्द्र सिंह, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गांव गुन्जम-डोडा में उग्रवादियों के एक ग्रुप के ठहरने के संबंध में एक स्त्रोत से सूचना प्राप्त होने पर, 42 कार्मिकों के साथ सिविल पुलिस और ओ/सी सी/125 को 4 पार्टियों में बांट दिया गया और वे 8.3.2002 को उस स्थान पर पहुँच गए। कांस्टेबल/जी डी धीरेन्द्र सिंह को पार्टी सं. 4 में तैनात किया गया था और उन्हें उग्रवादियों को बच कर भाग निकलने से रोकने की जिम्मेवारी दी गई थी। उग्रवादियों को किसी तरह इस अभियान की भनक मिल गई और उन्होंने नाले की आड़ लेकर गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। तलाशी दल ने जवाबी कार्रवाई की और एक उग्रवादी को मार गिराया। सभी तलाशी पार्टियों ने क्षेत्र की इस प्रकार से घेराबंदी कर ली कि बच कर भाग निकलने के सभी संभावित रास्ते बंद हो गए। उग्रवादियों के बच कर भाग निकलने की संभावना वाले उन सभी रास्तों की पहचान कर ली गई क्योंकि वहां एक पहाड़ी नाला था जहां उग्रवादी छिप/भाग सकते थे। एस आई/जी डी ललिता प्रसाद की कमान के अंतर्गत एक पार्टी को 22 जवानों के साथ इस नाले पर तैनात कर दिया गया।कांस्टेबल धीरेन्द्र इस पार्टी में थे। बचने का प्रयास करते हुए उग्रवादियों को नाले में देखा गया।कांस्टेबल धीरेन्द्र सिंह ने तत्काल उग्रवादियों पर गोलीबारी शुरु कर दी। उग्रवादियों ने भी पार्टी सं. 4 पर अंधाधुंध जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें एस पी ओ कमल सिंह ने अपनी जान गंवा दी। कांस्टेबल धीरेन्द्र सिंह उग्रवादियों पर गोलीबारी करते रहे और एक उग्रवादी को मार गिराया तथा दूसरे को घायल कर दिया। उग्रवादियों को अपने बचने की आशा क्षीण लग रही थी। इसी दौरान, उग्रवादियों के अन्य साथी भी वहाँ पहुँच गए। स्थिति का जायजा लेकर इन उग्रवादियों ने लंबी रेंज के अधुनातन हथियारों से पार्टी सं. 4 पर गोलीबारी करना उचित समझा। भारी गोलीबारी के बावजूद कांस्टेबल धीरेन्द्र सिंह वहां डटे रहे। जब पूर्वोक्त कांस्टेबल उग्रवादियों के साथ बहादुरी से लड़ रहे थे तभी वे एक ग्रेनेड से गंभीर रुप से जख्मी होकर नीचे चट्टानों पर गिर पड़े और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत धीरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 मार्च, 2002 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 178-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. रमेश कुमार, कांस्टेबल/बिगुलर। (मरणोपरांत)
2. डी जी आदे, कांस्टेबल/बिगुलर। (मरणोपरांत)
3. डी.एस. इन्दुरकर, कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

स्थानीय पुलिस के साथ हैड कांस्टेबल/जी डी एस आर पल्लाकी और बिजेन्द्र सिंह की कमान में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एफ/45वीं बटालियन की दो टुकड़ियां 8.10.2002 को मतदान बूथ सं.4, टाउन हॉल, जिला, डोडा (जम्मू और कश्मीर) पर ड्यूटी के लिए तैनात की गई थी। मतदान बूथ की सुरक्षा के लिए सिविलियनों की चैकिंग/आम: तलाशी की ड्यूटी कांस्टेबल (बिगुलर) रमेश कुमार, कांस्टेबल/जी .डी. डी जी आदे और डी.एस. इन्दुरकर को सौंपी गई। लगभग 0715 बजे, पुलिस वर्दी में दो उग्रवादियों ने मतदान केन्द्र में घुसने का प्रयास किया। कांस्टेबल (बिगुलर) रमेश कुमार और कांस्टेबल (जी डी) डी.जी. आदे ने उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए कहा। इस पर, एक उग्रवादी ने दूसरे उग्रवादियों, जो टाउन हाल गेट के सामने स्थित एक घर में पहले ही मोर्चा संभाले हुए थे, को इशारा किया। उन्होंने तत्काल ग्रेनेड फेंके और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। 45वीं बटालियन के उपर्युक्त तीनों कांस्टेबलों ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की और एक फियादीन उग्रवादी को मार गिराया तथा अन्य उग्रवादी जो जख्मी हो गए थे, अपने मिशन में कामयाब हुए बिना बच कर भाग निकले। कांस्टेबल/बिगुलर रमेश कुमार और कांस्टेबल/जी डी डी.जी. आदे ने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। कांस्टेबल/जी डी डी.एस. इन्दुरकर भी गोलियां लगने से जख्मी हो गए। इस मुठभेड़ में, ए के-47-01, 125 ए के राउंद, मैगजीन-06, चीनी ग्रेनेड-04, 400/-रु0 भारतीय मुद्रा और लश्करे तैय्यबा का एक लैटर पैड बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री दिवंगत रमेश कुमार, कांस्टेबल/बिगुलर, दिवंगत डी.जी. आदे, कांस्टेबल/बिगुलर और डी एस इन्दुरकर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 अक्तूबर, 2002 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 179-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. नेमी चंद, निरीक्षक/जनरल ड्यूटी।
2. टी.सी. संतोष, कांस्टेबल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

28वीं बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की ए/कंपनी 4.6.2003 से चूरचांदपुर, मणिपुर में सी आई ऑपरेशन्स ड्यूटी कर रही थी। 9.12.2003 को लगभग 1245 बजे, जब निरीक्षक नेमी चंद की कमान में ए/28 की दो प्लाटूनें गांव खोलमुन जिला चूरचांदपुर में क्षेत्र प्रभुत्व स्थापित करने की ड्यूटी कर रही थी तभी लगभग 35-40 संदिग्ध यू एन एल एफ उग्रवादियों ने नजदीक के घरों और महत्वपूर्ण जगहों से पाटीपर घात लगाकर अधुनातन स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। निरीक्षक नेमी चंद, जो एक दल का नेतृत्व कर रहे थे, ने एक कांस्टेबल टी.सी. संतोष के साथ तत्काल उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इस गोलीबारी का जवाब दिया। इस मुठभेड़ में, निरीक्षक नेमी चंद हाथ और टांग में गोलियां लगने से घायल हो गए और कांस्टेबल/जी डी टी.सी. संतोष को भी पेट के निचले भाग में गोलियां लगीं और वे जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायल होने और शरीर से काफी मात्रा में रक्त बह जाने के बावजूद, निरीक्षक/जी डी नेमी चंद और कांस्टेबल/जी डी टी.सी. संतोष ने जवाबी गोलीबारी जारी रखी जिसकी वजह से उग्रवादियों को अपनी पोजीशनों से हटने के लिए विवश होना पड़ा जिसकी वजह से दल के अन्य कार्मियों को भी पोजीशन लेने और घात लगाकर किए गए हमले से कारगरता के साथ निपटने का अवसर मिल गया। इसी के साथ उन्होंने अपने बटालियन मुख्यालय को घात लगाकर हुए हमले की घटना के संबंध में सूचित कर दिया। निरीक्षक नेमी चंद की कमान में और घायल कांस्टेबल/जी डी टी.सी. संतोष के नेतृत्व में दल ने उग्रवादियों का पीछा करना जारी रखा और वे हमारे दलों की गोलीबारी के आगे टिक नहीं सके और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। उग्रवादियों में से एक उग्रवादी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और खड़ी ढाल वाले पर्वतीय उबड़-खाबड़ भूभाग पर चढ़ने में असमर्थ था, ने हमारे दलों पर गोलीबारी जारी रखी और अपने साथियों को उस जगह से बच कर भाग निकलने में सहायता पहुंचाने के लिए कवरिंग फायरिंग की। हमारे दलों, विशेष रूप से निरीक्षक नेमी चंद और कांस्टेबल टी.सी. संतोष द्वारा की गई भारी गोलीबारी के परिणामस्वरूप यह उग्रवादी गांव खोलमुन से लगभग 1.5 कि0मी0 गांव मोरजंग में मारा गया लेकिन शेष उग्रवादी घनी झाड़ियों की आड़ लेकर बच कर भागने में सफल हो गए। घटनास्थल से एक जी पी एम जी (ए के-81), एक ड्रम मैगजीन के साथ 10 जिंदा राउंद, कुछ अभिशंसी दस्तावेज और एक फोटो एलबम बरामद हुआ। बाद में ग्रामीणों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान कम-से-कम 3 अन्य उग्रवादी भी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें उनके साथी वहाँ से बचा कर ले गए थे। घात लगाकर किए गए उपर्युक्त हमले की घटना में, निरीक्षक/जी डी नेमी चंद और कांस्टेबल/जी डी टी.सी. संतोष ने घात लगाकर किए गए हमले से निपटने में अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया और उग्रवादियों की गोलीबारी का कारगर रूप से जबाव दिया और इस प्रकार अपनी टुकड़ी

के शेष कर्मियों की जान बचाई तथा उन्हें पोजीशन लेने और घात लगाकर किए गए हमले से कारगरता के साथ निपटने का अवसर दिया ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री नेमी चंद, निरीक्षक/जनरल ड्यूटी और टी.सी. संतोष, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 दिसंबर, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 180-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नितिन सुरेशराव पुत्तेवार, (मरणोपरांत)
रंगरूट/जनरल ड्यूटी कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

18.10.2001 को, रंगरूट नितिन सुरेश राव और अन्य दो रंगरूटों को 2200 बजे से 2359 तक जी सी की चारदिवारी के निकट स्थित बैरेक सं0 2 के समीप संतरी ड्यूटी पर तैनात किया गया था। लगभग 2300 बजे, अधुनातन हथियार से लैस एक हमलावर उस चारदिवारी को फांदकर कैम्पस में घुस गया जहाँ रंगरूट नितिन सुरेश राव पुत्तेवार ड्यूटी पर था । रंगरूट नितिन सुरेशराव पुत्तेवार ने तत्काल घुसपैठिए को देख लिया और उसे ललकारा । ललकारने पर, घुसपैठिए ने उन पर गोली चलाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया । रंगरूट नितिन सुरेशराव पुत्तेवार द्वारा घुसपैठिए के समय पर ललकारे जाने और तत्पश्चात की गई गोलीबारी के कारण अन्य गार्ड कर्मी सतर्क हो गए और तत्काल उस स्थल की ओर भागे । इसी बीच, 13वीं बटालियन सी आर पी एफ से सम्बद्ध किए गए कांस्टेबल एल.एच. फर्नांडिज भी उस जगह की ओर भागे और इन्होंने एक हमलावर को पम्प हाउस की ओर दौड़ते देखा । कांस्टेबल एल एच फर्नांडिज ने उसे ललकारा । हमलावर ने कांस्टेबल एल एच फर्नांडिज पर गोलीबारी कर दी जिससे वे बाल-बाल बच गए । लाइन्स आदि से काफी संख्या में और कर्मियों को आते देख हमालावर घबरा गया और परिधि दीवार से कूदकर बच कर भाग निकला । गार्ड कमांडर और अन्य संतरियों ने उस हमलावर का पीछा करने के लिए सभी प्रयास किए लेकिन वह अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया । रंगरूट नितिन पुत्तेवार को तत्काल बी एच -I, सी आर पी एफ, नई दिल्ली ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत लाया घोषित किया गया । उन्हें ए के-47 राइफल की 3 गोलियां लगी थीं । घटनास्थल से 39 एम एम के छह खाली कारतूस बरामद किए गए । स्थानीय पुलिस तत्काल शिविर में आई और घटनास्थल तथा दिवंगत रंगरूट/कांस्टेबल नितिन पुत्तेवार के शव की जांच की । 20.10.2001 को उस क्षेत्र की गहन तलाशी ली गई और उस तलाशी के पश्चात सी.आर.पी.एफ. परिसर के जरा सामने कृष्णा कॉलोनी, नजफगढ़ के नजदीक से एक विदेश निर्मित ए के-56 राइफल, 57 राउंद से भरी 2 मैगजीनें, फोल्डिंग बेल्ट बरामद की गई । 27.10.2001 को पुनः कृष्णा कॉलोनी क्षेत्र से जमीन के अंदर दबा कर रखे गए पाउच के साथ-साथ कुछ विदेश निर्मित मैगजीन और ग्रेनेड भी बरामद किए गए । मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक आतंकवादी ग्रुप नामतः लश्कर-ए-तैय्यबा (एल ई टी) ने इस हमले की जिम्मेवारी ली । रंगरूट नितिन सुरेशराव पुत्तेवार ने आतंकवादी को समय रहते देख लिया और अपने प्राणों की तनिक भी परवाह न करते हुए उसे ललकारा तथा अत्यधिक साहस तथा उच्च कोटि की सूझ-बूझ का परिचय देते हुए कट्टर उग्रवादियों के नापाक इरादों को विफल कर दिया ।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत नितिन सुरेशराव पुत्तेवार, रंगरूट/जनरल ड्यूटी कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 अक्तूबर, 2001 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 181-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. वी गोविन्द भाई, हैड कांस्टेबल। (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2. हरबंस सिंह, निरीक्षक। (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

10.8.2003 को टी ए सी एच क्यू-54 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल चेसरीमाई, बिशालगढ़ (पश्चिमी त्रिपुरा) में यह गुप्त सूचना प्राप्त होने पर कि एन एल एफ टी ग्रुप के कुछ कट्टर उग्रवादी मोहर्रम बाजार क्षेत्र में मौजूद हैं, एक विशेष अभियान तैयार किया गया और हैड कांस्टेबल वी. गोविन्द भाई के साथ निरीक्षक/जी डी हरबंस सिंह के कमान में बी/कंपनी 54 से चुनिंदा कर्मियों को लेकर एक अभियान दल बनाया गया। अभियान दल अपने शिविर से 10.8.2003 की प्रातः सादे कपड़ों में और अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने कपड़ों के अन्दर हथियार छिपाकर सिविल जीप से मोहर्रम बाजार की ओर रवाना हुए। मोहर्रम बाजार पहुँचने पर निरीक्षक हरबंस सिंह ने अपने दल के साथ, चाय की एक दुकान में कुछ संदिग्ध विद्रोहियों को देखा। विद्रोहियों ने खतरा भांपकर नजदीक ही गांव के साथ लगे पर्वतीय और घने जंगल से बच कर भाग निकलने हेतु दुकान से बाहर भागना शुरू किया। निरीक्षक हरबंस सिंह ने हैड कांस्टेबल वी. गोविन्द भाई सहित अपने दल के चुनिंदा साथियों के साथइन विद्रोहियों का पीछा किया। हैड कांस्टेबल वी. गाविन्द भाई ने नौजवान होने और कमांडो कौशल में जानकारी रखने के कारण भाग रहे विद्रोहियों का पीछा किया और उनमें से एक के बहुत निकट पहुँच गए। विद्रोहियों ने जिंदा पकड़ लिए जाने के खतरे को भांपकर सी आर पी एफ दल को पीछा करने से रोकने के लिए हैड कांस्टेबल गोविन्द भाई पर एक चीनी हैंड ग्रेनेड फेंका। हैड कांस्टेबल, जो विद्रोहियों को पकड़ने ही वाले थे, ने उच्च श्रेणी कौशल और सूझ-बूझ दिखाते हुए फुर्ती से कार्रवाई की और उस ग्रेनेड को पकड़ लिया जो अभी फटा नहीं था तथा उसे परे फेंक कर तुरंत इस विद्रोही को दबोच लिया।कुछ ही सेकेंड में ग्रनेड फट गया और हैड कांस्टेबल वी गोविन्द भाई उसकी किरचों से घायल हो गए यद्यपि ये उस समय भी उस विद्रोही को काबू में करने के लिए संघर्ष कर रहे थे जिसकी पहचान बाद में इस ग्रुप के नेता संजीत रिआंग के रूप में की गई। उस विद्रोही ने जो काफी हट्टा-कट्टा और जवान था, हैड कांस्टेबल वी. गोविन्द भाई के चंगुल से बचने का प्रयास किया लेकिन हैड कांस्टेबल गोविन्द भाई, जिनके जख्मों से काफी मात्रा में रक्त बह रहा था, ने विद्रोही पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। निरीक्षक (जी डी) हरबंस सिंह, जिन्होंने अपनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद युवा जैसी फुर्ती और चतुराई का प्रदर्शन किया, भी उस विद्रोही के निकट पहुँच गए, जो घायल हैड कांस्टेबल वी. गोविन्द भाई के चंगुल से निकलने ही वाला था। इस स्थिति को समझते हुए निरीक्षक हरबंस सिंह, इससे पहले की विद्रोही बच निकलता, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आत्मविश्वास और विद्युत गति से उसके काफी नजदीक पहुँच गए और बच कर भाग रहे विद्रोही पर अपनी ए के एम राइफल से निशाना साध कर लगातार तीन गोलियां चलाईं और उसे वहीं मार गिराया। हैड कांस्टेबल वी. गोविन्द भाई, जो विद्रोही और निरीक्षक हरबंस सिंह के बीच में थे, को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अपनी सूझ-बूझ, कारगर निशानेबाजी, साहस और आत्मविश्वास के कारण ही हरबंस सिंह उस विद्रोही को मार पाए जो सी आर पी एफ दल को काफी क्षति पहुँचा सकता था। इसी बीच, अन्य विद्रोही घने जंगलों का लाभ उठाकर बच कर भाग निकले। धावा पार्टी ने उस क्षेत्र की गहन तलाशी ली लेकिन वहां किसी अन्य विद्रोही

का पता नहीं चला । तत्पश्चात हैड कांस्टेबल वी. गोविन्द भाई और निरीक्षक हरबंस सिंह के दृढ़ निश्चय, सूझबूझ के कारण एक विद्रोही के मारे जाने के बाद यह अभियान बंद कर दिया गया । विद्रोही की पहचान बाद में नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एन एल एफ टी (बी एम), जो एक प्रमुख राष्ट्रस्तरीय विद्रोही गुट है, के दुर्दान्त एरिया कमांडर संजीत रियांग पुत्र रब्बामणी रियांग, जिसके खिलाफ बहुत से गंभीर किस्म के आपराधिक मामले लंबित थे, के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री हरबंस सिंह, निरीक्षक और वी गोविन्द भाई, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 अगस्त, 2003 से दिया जाएगा।

बकुल मित्रा
निदेशक

सं0 182-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. विकास चौधरी, सहायक कमांडेंट ।
2. सतीश कुमार, कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी।
3. बशीर अहमद, कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी।
4. मोहम्मद शफी तांत्रे, कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी।
5. पी. राजेन्द्र कुमार, कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

14.5.03(पूर्वाह्न) को अपने सूत्र से गुप्त सूचना मिलने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 85वीं बटालियन के कमांडेंट श्री एस.जे. सपीके ने अम्बासा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत मचुराई पारा गांव (जेओलचेरा) में एक विशिष्ट घर पर विशेष छापा और तलाशी आपरेशन चलाने की योजना बनाई। श्री विकास चौधरी, सहायक कमांडेंट, ओ सी ए/85 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नेतृत्व में 4 हैड कांस्टेबलों और 19 कांस्टेबलों की एक पार्टी को इस आपरेशन का दायित्व सौंपा गया। 15.5.03 को 0300 बजे यह पार्टी असमंजस की स्थिति बनाए रखने के लिए हैडलाईट जलाए बिना, रणनीतिक रुप से आगे बढ़ी। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बी/85 बटालियन के जेओलचेरा चौकी पर वाहनों से उतरने के बाद, वे गाँव की आम सड़क को छोड़कर जंगलों में उन पगडण्डियों से होकर गये जिन पर कभी-कभार ही लोग चलते थे और विद्रोहियों के संतरी की पोजीशन के बारे में जान लेने के बाद लक्षित घर की घेराबंदी की गई और बचाव के रास्तों में रुकावटें खड़ी कर दी गई। सूर्य की पहली किरण निकलते ही श्री विकास चौधरी, सहायक कमांडेंट, कांस्टेबल मोहम्मद शफी तांत्रे के साथ रेंगते हुए मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े और दीवार के साथ पोजीशन ले ली। कांस्टेबल तांत्रे ने चुप-चाप से पता लगा लिया कि दरवाजा बंद नहीं है। शेष 3 कांस्टेबल भी उनके साथ मिल गए और पूर्व निर्णय के अनुसार, श्री विकास चौधरी, सहायक कमांडेंट और तांत्रे चुपचाप उस घर के अंदर घुस गए और उनके पीछे-पीछे कांस्टेबल बशीर, कांस्टेबल राजेन्द्र और कांस्टेबल सतीश कुमार भी घर में घुस गए। इस घर का भूतल मजबूत फाल्स सीलिंग के साथ दो भागों में बांटा हुआ था जिसे स्थानीय भाषा में "तोंगघर" कहते हैं। भूतल के कमरों में कुछ भी संदेहास्पद नहीं था। वहां एक कमरे में स्त्रियां और बच्चे सो रहे थे और दूसरे में पांच बुजुर्ग व्यक्ति सो रहे थे। यह पार्टी बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी विकास चौधरी को आसपास पंखे के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा का पीछा करते हुए इन्होंने फाल्स सीलिंग और बगल की दीवार के बीच एक खुलने वाली जगह देखी जहां ऊपर चढ़ने के लिए पेड़ के तने को सीढ़ी का रुप दिया गया था लेकिन उसे बाँस की चटाई से ढका हुआ था ताकि उसका आसानी से पता न चल सके। संदेह होने पर सबसे पहले श्री विकास चौधरी, सहायक कमांडेंट और इनके बाद कांस्टेबल तांत्रे, कांस्टेबल बशीर, कांस्टेबल राजेन्द्र और कांस्टेबल सतीश कुमार तत्काल ऊपर चढ़े। वहाँ दो युवक और दो स्त्रियां सो रहीं थीं और वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अचानक आ जाने से आवाक रह गए। युवक जल्दी ही संयत हो गए और वे बगल में रखे अपने हथियारों की ओर लपके। खतरे को भांपते हुए, श्री विकास चौधरी, सहायक कमांडेंट उनमें से एक पर झपटे, जो अपनी कार्बाइन चलाने ही वाला था और इससे पहले कि वह अपनी कार्बाइन चलाए उसे अपनी ए के 47 के बट से मारा, वह फर्श पर गिर पड़ा परन्तु उग्रवादी श्री चौधरी से लिपट गया और इनकी ए के-47 छीनने की कोशिश की। श्री

चौधरी उग्रवादी से गुत्थम-गुत्था हो गए और उसे फर्श पर गिरा दिया। तब तक, कांस्टेबल तांत्रे ने उग्रवादी की कार्बाइन को उठा लिया और उग्रवादी पर काबू पाने में श्री चौधरी की सहायता की। उसी समय, तोंगघर के दूसरी तरफ, कांस्टेबल बशीर और कांस्टेबल राजेन्द्र, जो कि श्री विकास चौधरी के बिल्कुल पीछे आ रहे थे, ने दूसरे उग्रवादी को पकड़ लिया जो मैगजीन को अपनी ए के-56 राइफल में जोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसे तुरंत निरस्त्र करने में सफल रहे। इसी समय, तीन अन्य व्यक्तियों ने तोंगघर के एक भाग की खिड़की से भागने का प्रयास किया जिसकी तरफ कांस्टेबल सतीश कुमार का ध्यान गया जो तुरंत उनके पीछे दौड़े और उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। वायरलैस सेट पर तलाशी दल को बुलाया गया। पुरुषों और महिलाओं को तुरंत अलग-अलग किया गया और घर की गहन तलाशी ली गई जिसमें भरी हुई दो और मैगजीनें मिलीं जिनमें एक मैगजीन ए के-56 और दूसरी एस ए एफ कार्बाइन की थी, दो हथगोले (चीन निर्मित), गोलाबारुद के पाऊच, 9 एम एम के 40 राउंद और 7.62 एम एम ए के गोलाबारुद के 76 राउंद, 11,152 रुपए नकद, एक एलबम और फोटो नेगेटीव के कुछ रोल बरामद किए गए। मौके पर दो उग्रवादियों से पूछताछ की गई जिसके कारण देश में निर्मित तीन छोटी पाइप गन बरामद की गईं। दो उग्रवादियों के साथ घर के 8 अन्य पुरुष सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें अम्बासा पुलिस स्टेशन में राज्य पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में और पूछताछ करने पर, आठ संदिग्ध व्यक्तियों में से एक की पहचान एन एल एफ टी (बी एम) ग्रुप के स्वंभू लांस कॉर्पोरल सरेन्द्रा जमातिया उर्फ मिनी जमातिया के रुप में हुई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री विकास चौधरी, सहायक कमांडेंट, सतीश कुमार, कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी, बशीर अहमद, कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी, मो. शफी तांत्रे, कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी और पी. राजेन्द्र कुमार, कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 मई, 2003 से दिया जाएगा ।

करुण मित्रा
निदेशक

सं0 183-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री आर.एस.एच.एस. सहोता,
कमांडेंट ।

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

08.05.03 को उल्फा (यू एल एफ ए) उग्रवादियों के बिजनी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत बोरपाबर गांव में धन और राशन एकट्ठा करने के लिए आने की सूचना मिली। श्री सहोता, कमांडेंट 118 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने पुलिस अधीक्षक बी जी जी एन के साथ आपरेशन चलाने की योजना बनाई और अपनी पार्टी के साथ मोटर साइकिलों पर सवार होकर इस गाँव की ओर रवाना हुए। वहाँ आपरेशन चलाया गया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 1400 बजे के लगभग जब बल वापिस लौट रहा था, तो अंधेर नदी के पास अंधेरगांव में 6/7 उल्फा उग्रवादियों द्वारा ए के-47 राइफलों से भारी गोलीबारी की गई। श्री सहोता, जो पहली मोटर साइकिल पर दल का नेतृत्व कर रहे थे, बाल-बाल बचे क्योंकि उन पर उग्रवादियों द्वारा चीन निर्मित हथगोले फेंके गए। इन्होंने तुरंत अपनी पार्टी को पोजीशन लेने और जवाबी गोलीबारी करने का आदेश दिया। श्री सहोता स्वयं की परवाह न करते हुए और हथगोलों की उपेक्षा करते हुए, उग्रवादियों की तरफ आगे बढ़े, जो नदी के दूसरी तरफ अच्छी मोर्चाबंदी किए हुए थे और अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। श्री सहोता ने अपनी जान जोखिम में डालकर गोलीबारी के बीच नदी को पार किया और उग्रवादियों पर निरंतर गोलीबारी करते रहे, हालांकि कुछ गोलियाँ उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। वे बहादुरी से आगे बढ़े और अपनी राइफल से गोलीबारी करके एक उग्रवादी को मार गिराया। दृढ़ निश्चय के साथ बल को आगे बढ़ता देख उग्रवादियों ने पार्टी पर रुक-रुक कर गोलीबारी करते हुए पीछे हटना शुरु कर दिया। मुठभेड़ लगभग 30 मिनट तक चली। उस क्षेत्र की पूरी तरह तलाशी ली गई। जब गोलीबारी रुकी तो गोलियों से छलनी एक उग्रवादी का शव पाया गया। बाद में शव की पहचान गांव तामेसरी, पुलिस स्टेशन मुकालमुआ, जिला नलबाडी के एक स्वंभू लेफ्टिनेंट सुबल महंता उर्फ बीमल डेका उर्फ अजय दत्ता उर्फ बिनोद बैश्य उर्फ जोसफ उल्फा के एक खतरनाक कट्टर उग्रवादी, पुत्र श्री गोया महंता के रुप में की गई। श्री सहोता ने इस मुठभेड़ में, असाधारण साहस और उच्चकोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन किया। सं. 941113039 कांस्टेबल/ड्राइवर संजीव कुमार भी घात लगाकर किए गए हमले में गोली लगने से घायल हो गए। मारा गया विद्रोही असम गण परिषद के भूतपूर्व केबिनेट मंत्री श्री नगीन शर्मा की हत्या में संलिप्त था। उसने डा. भूमिधर बर्मन, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की जान लेने की तीन बार कोशिश की थी और तीन सुरक्षा कर्मियों और पांच अन्य को घायल करके आरक्षी दल के हथियार छीन लिए थे। वह नलबाडी और बेगोराबाड़ी में हुए नरसंहार के लिए भी जिम्मेबार था जिसमें 9 सिविलियन मौके पर ही मारे गए थे। वह विस्फोट विशेषज्ञ था और जबरन धन वसूली के लिए प्रख्यात था। मृत उग्रवादी से एक 9 एम एम की पिस्तौल, 9 एम एम के 20 राउंद, दो मैगजीन, एक चीनी ग्रेनेड, 7000 रुपए नकद, ए के 47 राइफल के चले हुए 11 कारतूस, अभिशंसी दस्तावेज, और एक महत्वपूर्ण टेलिफोन डायरी बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री आर.एस.एच.एस. सहोता, कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 मई, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 184-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रुप सिंह,

हैड कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

4 नवम्बर, 2003 को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की 16वीं बटालियन के कमांडेंट को विश्वसनीय सूत्र से अमर सिंह पुरा क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली। इस सूचना पर शीघ्रता से एक अभियान की योजना बनाई गई और एस टी एफ के 2 कर्मियों सहित एक दल तैयार किया गया। जब यह दल 1250 बजे के आसपास सामान्य क्षेत्र में पहुँचा तो कमांडेंट ने उसे तीन छोटे-छोटे दलों में बांटने का निर्णय लिया और उग्रवादियों के सभी बचाव रास्तों को कवर करते हुए उन्हें अति संभव शीघ्र समय में तैनात कर दिया। जब कमांडेंट परमिन्दर सिंह के नेतृत्व में उप-दल, जिसमें सं. 820070075 हैड कांस्टेबल/जी डी रुप सिंह भी सदस्य थे, संदेहास्पद क्षेत्र में पहुँचा, तो तुरंत घेराबंदी कर दी गई और इन्होंने उग्रवादियों की तलाश शुरु कर दी। जब दल संदेहास्पद क्षेत्र से लगभग 100 गज की दूरी पर था, तभी इन्होंने घने पेड़ों और झाड़ियों में उग्रवादियों की थोड़ी सी हलचल देखी। सभी दलों को सतर्क कर दिया गया। सहायक कमांडेंट परमिन्दर सिंह और कांस्टेबल/जी डी रुप सिंह, उग्रवादी को पकड़ने के लिए घने पेड़ों और झाड़ियों की आड़ लेते हुए चुपके-चुपके आगे बढ़े। जब वे लक्ष्य से लगभग 30 मीटर की थोड़ी सी दूरी पर थे, तभी उग्रवादी ने इन्हें देख लिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी, जिससे हैड कांस्टेबल/जी डी रुप सिंह और सहायक कमांडेंट परमिन्दर बाल-बाल बचे। बड़ी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए इन्होंने जल्दी आड़ ले ली और जवाब में गोलीबारी की। उग्रवादी ने भी चट्टान के पीछे आड़ ले ली और गोलीबारी शुरु कर दी। उनके बीच कुछ समय तक गोलीबारी होती रही, गोलीबारी के बीच हैड कांस्टेबल/जी डी रुप सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए असाधारण सूझबूझ, अदम्य साहस और उल्लेखनीय वीरता का परिचय देते हुए उग्रवादी पर धावा बोल दिया और उसे नजदीक से गोली मार कर ढेर कर दिया। मृत उग्रवादी की पहचान बाद में एच एम तंजीम संगठन के इश्तियाक अहमद पुत्र निजामुद्दीन, काको निवासी के रुप में की गई। मृत उग्रवादी के पास से निम्नलिखित बरामदगी हुई :

1.	ए के-56	:	01	2.	मैगजीन	:	02
3.	जीवित गोलाबारुद (मौके पर ही नष्ट कर दिए गए)	:	15 राउंद	4.	ग्रेनेड	:	02
5.	पहचान पत्र	:	01				

इस मुठभेड़ में, श्री रुप सिंह, हैड कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 नवम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

अरुण मिश्रा
निदेशक

सं0 185-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री कमल कुमार,
कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

3 नवम्बर, 2003 को एस क्यू-7306, मैप शीट सं0 43ओ/16 में गुगारा के घने जंगली क्षेत्र में कुछ उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में, विश्वसनीय सूत्र से विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, 16वीं बटालियन के कमांडेंट ने श्री आर.एस. चौधरी, उप कमांडेंट के नेतृत्व में सेना और एस टी एफ को लेकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाने की योजना बनाई । तदनुसार घेराबन्दी और तलाशी अभियान की योजना तैयार की गई । उगग्रादियों के बचने के सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई । भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की पार्टी ने उत्तरी क्षेत्र की, सेना ने पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र की और एस टी एफ ने पश्चिमी क्षेत्र की घेराबंदी की । तलाशी दलों ने अपने कमांडरों के निदेशानुसार अभियान शुरू किया । जब भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी एक गवारीज़ के पास पहुंच ही रही थी कि तभी उग्रवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी । सं0 990060254 कांस्टेबल/जी डी कमल कुमार, जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की घेराबंदी और तलाशी पार्टी के सदस्य थे, गोलीबारी की दिशा का पता लगाने के बाद, अपनी व्यक्गित सुरक्षा और उग्रवादियों द्वारा की जा रही अत्यधिक गोलीबारी की परवाह न करते हुए, सही-सही स्थिति का पता लगाने के लिए रेंगते हुए आगे बढ़े । गोलियों की बौछार का सामना करते हुए, बहादुर और वीर कांस्टेबल, गवारी पर पहुँचने से पहले 60 मीटर तक रेंगते हुए गए । जब कांस्टेबल/जी डी कमल कुमार गवारी की खिड़की के पास पहुँचे तभी छिपा हुआ उग्रवादी अचानक खिड़की से बाहर कूदा और इन पर झपटा और कांस्टेबल कमल कुमार की राइफल छीनने की कोशिश की । कांस्टेबल/जी डी कमल कुमार और उग्रवादी के बीच लगभग 15 सैकण्ड तक हाथापाई चली परन्तु उक्त कांस्टेबल ने अदम्य साहस और उत्कृष्ट बहादुरी का परिचय दिया तथा दुर्दान्त उग्रवादी को बहुत निकट से एक ही गोली से मारने में सफल हुए । कांस्टेबल/जी डी कमल कुमार द्वारा सही समय पर दिखाए गए अदम्य साहस, सूझ-बूझ, हिम्मत और बुद्धिमानी के कारण दुर्दान्त उग्रवादी मारा गया जिसकी पहचान बाद में एच एम गुट के सादिक अहमद भट्ट उर्फ जाफर, निवासी बटारा के रूप में की गई । मृत उग्रवादी से निम्नलिखित बरामदगी हुई:-

1. ए के.-47	:	01
2. मैगजीन	:	03
3. जीवित गोलाबारूद	:	28 राउंद
4. ग्रेनेड	:	04 (मौके पर ही नष्ट कर दिए गए)
5. डायरी	:	01

इस मुठभेड़ में, श्री कमल कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 03.11.2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 186-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री करण सिंह,
कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

14 जुलाई, 2003 को विशिष्ट आसूचना जानकारी के आधार पर द्वितीय कमान अधिकारी श्री एस.पी. सिंह की समग्र कमान के अधीन, 26 आर.आर. के साथ थलोरान गांव में एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया । सं0 8800174872 कांस्टेबल/जी डी करण सिंह को समाई नाले से लगभग 100 गज की दूरी पर घेराबंदी दल में तैनात किया गया जो संभवतः उग्रवादियों के भागने का मुख्य रास्ता था । लगभग 1300 बजे 5 उग्रवादियों का एक ग्रुप सिविलियनों के वेश में समाई नाले के पास घूमते हुए देखा गया । ललकारने पर एक संदिग्ध व्यक्ति पेड़ की आड़ में छिप गया और उसने घेराबंदी पार्टी की ओर हथगोला फेंका । घेराबंदी पार्टी का एक सदस्य, जो 26 आर.आर. से संबंधित था, किरचें लगने से घायल हो गया । उग्रवादियों ने कांस्टेबल/जी डी करण सिंह, जो कि घायल कांस्टेबल के समीप थे, की ओर गोलियों की बौछार की और उनसे उनकी ए.के.-47 राइफल छीनने की कोशिश की । कांस्टेबल/जी डी करण सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, सूझ-बूझ का परिचय देते हुए, प्रत्युत्तर में गोलियां चलाई और उग्रवादियों को ललकारा । इस साहसिक कार्य के कारण उग्रवादियों को नाले की तरफ भागने के लिए विवश होना पड़ा, जहाँ उन्हे अच्छी आड़ मिल गई । कांस्टेबल/जी डी करण सिंह ने उच्चकोटि के पेशेवर अंदाज, बहादुरी और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया और उग्रवादियों का पीछा किया जो अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे । यद्यपि उनके पास आड़ लेने के लिए कोई पर्याप्त स्थान नहीं था और वह दुश्मन की गोलीबारी की सीधी रेंज में थे फिर भी अन्ततः इन्होंने एक उग्रवादी को मार गिराया । कांस्टेबल/जी डी करण सिंह ने विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन को खतरे में डालते हुए उच्च कोटि की समर्पण भावना, दृढ़ निश्चय और अत्यधिक साहस का परिचय दिया । इनके द्वारा सही समय पर प्रदर्शित अदम्य साहस, सूझ-बूझ और वीरता के कारण दुर्दान्त उग्रवादी मारा गया जिसकी पहचान बाद में जाकिर हुसैन मलिक उर्फ जुबेर, निवासी तलोगाडा, जिला डोडा, एच एम गुट के डिप्टी डिविजनल कमांडर के रूप में की गई। मृत उग्रवादियों के पास से निम्नलिखित बरामदगी हुई :-

1. रेडियो सेट	:	01
2. ग्रेनेड	:	02 (मौके पर ही नष्ट कर दिए गए)
3. अभिशंसी दस्तावेज	:	

इस मुठभेड़ में, श्री करण सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 जुलाई, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं0 187-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जितेन्द्र कुमार,
हैड कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

28 जून, 2003 को विशिष्ट आसूचना जानकारी के आधार पर श्री हरिन्दर पाल सिंह, उप कमांडेंट के नेतृत्व में आर आर जवानों के साथ, सामान्य क्षेत्र भोले में एक संयुक्त ऑपरेशन चलाने की योजना बनाई गई। योजनानुसार, दो टुकड़ियों, एक भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की और दूसरी आर आर जवानों की, को हौजु की ओर कूच करना था और वहां एकट्ठे होना था । भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की पार्टी को तीन रोक (स्टॉप) पार्टियों में बांट दिया गया और हैड कांस्टेबल जितेन्द्र कुमार एक रोक (स्टॉप) पार्टी के स्वतंत्र कमांडर थे और उनके साथ चार अन्य व्यक्ति थे । इन्होंने स्वयं और इन चार व्यक्तियों के साथ भोले गांव के दक्षिणी-पूर्वी जंगली क्षेत्र में पोजीशन संभाल ली । हैड कांस्टेबल/जी डी जितेन्द्र कुमार ने उग्रवादियों की हलचल देखी और उन्हें गवारी में प्रवेश करते हुए देखा । इन्होंने स्थिति का विश्लेषण किया और अपनी पार्टी के कमांडर और अपने साथियों को उस गवारी पर नजर रखने के लिए सतर्क किया, जहां उग्रवादियों ने शरण ले रखी थी । आर आर जवानों को अपनी ओर आते देखकर, उग्रवादियों ने गवारी में से ही आर आर जवानों की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी शुरुकर दी । आर आर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों उग्रवादियों को गवारी में ही उलझाए रखा। आर आर जवानों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में एक उग्रवादी मारा गया । दूसरे उग्रवादी ने गवारी की पिछली खिड़की से भागकर बचने की कोशिश की लेकिन स्टॉप के रूप में तैनात हैड कांस्टेबल/जी डी जितेन्द्र कुमार ने उग्रवादी की हरकत को देख लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसके कारण वह घायल हो गया। इन्होंने भाग रहे उग्रवादी का पीछा किया जिसने घनी झाड़ियों में एक बड़ी चट्टान की आड़ ले ली और गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें हैड कांस्टेबल जितेन्द्र कुमार दैविक कृपा से बच गए । उग्रवादी की अंधाधुंध गोलीबारी से भयभीत हुए बिना ये एक एल एम जी से लैस आदमी के साथ पेड़-पौधों की आड़ में रेंगते हुए आगे बढ़े । जैसे ही वे लगभग 30 मीटर की दूरी पर पहुँचे, तभी उग्रवादी ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी और एक हथगोला फेंका, परंतु हैड कांस्टेबल जितेन्द्र कुमार ने कुछ क्षणों के लिए पेड़ की आड़ ले ली और साथ ही परस्पर भारी गोलीबारी के बीच उग्रवादी पर धावा बोल दिया और इन्होंने अत्यधिक सूझ बूझ, अदम्य साहस और उच्चकोटि के पेशेवर अंदाज का परिचय देते हुए एच एम गुट के दुर्दान्त उग्रवादी को मार गिराया । इस आपरेशन में एच एम गुट के दो कट्टर उग्रवादी मारे गए जिनकी पहचान बाद में शाहदीन पुत्र अब्दुल वाहिद, निवासी टरींक्ल (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के हैड कांस्टेबल जितेन्द्र कुमार द्वारा मारा गया) और अब्दुल रशीद उर्फ तुफैल पुत्र मोहम्मद शरीफ, निवासी बुधी (आर आर जवानों द्वारा मारा गया) के रूप में की गई। मृत उग्रवादियों से निम्नलिखित बरामदगी हुई:

2. मैगजीन	:	02
3. ए के श्रेणी का सक्रिय गोलाबारूद	:	40 राउंद
4. हथगोले	:	02 (मौके पर ही नष्ट कर दिए गए)
5. बहुपयोगी पाउच	:	02
6. अभिशंसी दस्तावेज		

इस मुठभेड़ में, श्री जितेन्द्र कुमार, हैड कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 जून, 2003 से दिया जाएगा।

करण मित्रा
निदेशक

सं0 188-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री शरद प्रताप सिंह,
द्वितीय कमान अधिकारी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

28 अप्रैल, 2003 को एक विश्वसनीय सूत्र से लागोर में उग्रवादियों के छिपने के संदिग्ध ठिकाने के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। इसके आधार पर श्री एस.पी. सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी के नेतृत्व में एक दल लागोर के सामान्य क्षेत्र की ओर रवाना हुआ, जहां उनके छिपने का संदिग्ध ठिकाना था । जब आपरेशन पार्टी छिपने के संदिग्ध ठिकाने से 500 मीटर की दूरी पर थी तब श्री एस.पी. सिंह, पार्टी कमांडर मुख्य पार्टी को पीछे छोड़, योजनानुसार तीन अन्य रैंकों और उस सूत्र के साथ, ठिकाने में उग्रवादियों की मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए आगे गए । 100 मीटर चलने के बाद, श्री एस.पी. सिंह और तीन अन्य सदस्यों ने नाले के पार उस ठिकाने का पता ल गाया और उग्रवादियों की गतिविधियों का जायजा लिया । दस मिनट तक जायजा लेने के बाद, एक उग्रवादी ठिकाने से बाहर आया । उग्रवादी की आवा-जाही को देख कर श्री एस.पी. सिंह ने तत्काल पार्टी के अन्य सदस्यों को बुला लिया और जवानों को बच कर भाग निकलने के सभी रास्तों को कवर करते हुए तैनात कर दिया । इन्होंने एल एम जी ग्रुप को लिया और उसे ठिकाने से लगभग 100 गज की दूरी पर अनुकूल स्थान पर तैनात कर दिया जहां से गोली चलाने का मैदान साफ था और ये लक्ष्य को सही ढंग से देख सकते थे । इसी बीच एक और उग्रवादी ठिकाने से बाहर आया। दोनो उग्रवादियों ने भोजन पकाने के लिए आग जलाई । पार्टी धैर्यपूर्वक उनकी निगरानी करती रही और स्वयं भी सामरिक रूप से ऐसी जगह पर पोजीशन ले ली जहां से उपयुक्त समय पर आगे बढ़ा जा सकता था। जब घेराबन्दी पार्टी अपने घेरे को कस रही थी, तब एक उग्रवादी ने जवानों की गतिविधियों को देख लिया और पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी । गोलीबारी का कारगरता के साथ जवाब दिया गया और आगे की लड़ाई में दो उग्रवादी मारे गए । इसी बीच, एक और उग्रवादी घटनास्थल पर दिखाई दिया और श्री एस.पी. सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें ये उग्रवादी की गोलियों की बौछार से दैविक कृपा से बच गए क्योंकि गोलियां इनसे 2-3 इंच की दूरी पर जमीन से टकराई । तथापि, ये उग्रवादी की गोलीबारी से भयभीत हुए बिना अन्य दो सदस्यों को, उन्हें कवरिंग फायर देने का निदेश दिया और उस उग्रवादी की तरफ दौड़ पड़े जो आड़ लिए हुए था। गोलियों का कोई असर होते न देख, उग्रवादी ने हथागेला फेंका, जिससे श्री एस.पी. सिंह दोबारा बाल-बाल बच गए। उग्रवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी, परंतु श्री एस.पी. सिंह भारी गोलीबारी के बीच उग्रवादी की तरफ तेजी से आगे बढ़े और इन्होंने अपने जीवन की तनिक भी परवाह न करते हुए अदम्य साहस और उल्लेखनीय वीरता का परिचय देते हुए उग्रवादी को मार गिराया। बाद में तीन उग्रवादियों की पहचान इस प्रकार हुई:-

(i) जाकिर हुसैन पुत्र अली सैन उर्फ बब्बर, डोडा निवासी (जम्मू और कश्मीर)
(ii) मुदस्सर पुत्र नजीर अहमद उर्फ इरफान, डोडा निवासी (जम्मू और कश्मीर)
(iii) मो0 अयूब पुत्र कासिम दीन उर्फ सैफुल्लाह, डोडा निवासी (जम्मू और कश्मीर)

मृत उग्रवादियों से निम्नलिखित बरामदगी हुई :-

(क) ए.के.-56 राइफल	:	दो
(ख) मैगजीन	:	03 नग
(ग) ए.के. श्रेणी का गोलाबारूद	:	50 राउंद
(घ) हथगोले	:	पांच (जमीन पर नष्ट कर दिए गए)
(ङ) बहुउद्देशीय पाऊच	:	03 नग
(च) नोट बुक्स, फोटो और डायरी समेत अभिशंसी दस्तावेज		

इस मुठभेड़ में, श्री शरद प्रताप सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 अप्रैल, 2003 से दिया जाएगा।

अरुण मित्रा
निदेशक

सं0 189-प्रेज/2004-राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री करतार चंद,
निरीक्षक/जनरल ड्यूटी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

बिशकु नाला सामान्य क्षेत्र में कुछ विदेशी आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर, 19 दिसम्बर, 2003 को एस टी एफ और 26 आर आर के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। निरीक्षक/जी डी करतार चंद, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की उस टुकड़ी के पार्टी कमांडर थे जिसने "बिशकु नाला" ऑपरेशन में भाग लिया था । भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की ऑपरेशन पार्टी 2000 बजे गली भटोली पहुँची और क्षेत्र में तलाशी आपरेशन शुरू कर दिया । जैसे ही पार्टियां पूरे क्षेत्र की तलाशी के बाद बिशकु नाले के आखिरी छोर पर पहुँची तो निरीक्षक/जी डी करतार चंद ने अचानक दो उग्रवादियों को देखा । उसी समय उग्रवादियों ने भी निरीक्षक/जी डी करतार चंद को देख लिया और गोलीबारी शुरू कर दी । बिना समय गंवाए जवाबी गोलीबारी की गई । गोलीबारी के चलते एक उग्रवादी तब घायल हो गया जब वह ढलान के बांयी तरफ से बचने की कोशिश कर रहा था। दूसरा उग्रवादी लगातार गोलीबारी करता रहा । निरीक्षक/जी डी करतार चंद उग्रवादी की गोलीबारी से भयभीत नहीं हुए और इन्होंने उस घायल उग्रवादी का पीछा किया और उसे एक वृक्ष के पीछे छिपते हुए देख लिया। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए, निरीक्षक/जी डी करतार चंद अंधेरे में वृक्ष के पीछे छिपे उग्रवादी की तरफ बढ़े। जब ये उससे 15 गज की दूरी पर थे तो उग्रवादी ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाई और इन पर हथगोला फेंका, जो सही निशाने पर नहीं लगा । निरीक्षक/जी डी करतार चंद ने अत्यधिक साहस और उच्चकोटि के पेशेवर अंदाज का परिचय दिया तथा उग्रवादी पर नजदीक से हमला करके उसे मार गिराया। निरीक्षक/जी डी करतार चंद ने अत्यधिक साहस, सूझ-बूझ, कुशल नेतृत्व और उत्कृष्ट बहादुरी का परिचय देते हुए ऑपरेशन की सफलता में मदद की जिसमें एक कट्टर उग्रवादी मारा गया, जिसकी पहचान बाद में एच एम गुट के विदेशी आतंकवादी मुदसर उर्फ अबु सालेम के रूप में की गई । मारे गए उग्रवादी से निम्नलिखित बरामदगी हुई:-

1. चाईनीज पिस्तौल	:	01
2. मैगजीन ए.के.-47	:	02
3. ए.के.-47 का जीवित गोलाबारूद	:	43 राउंद
4. रेडियो सेट	:	01
5. पाऊच	:	01
6. भारतीय मुद्रा	:	172 रूपए

इस मुठभेड़ में, श्री करतार चंद, निरीक्षक/जनरल ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं0 190-प्रेस/2004-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक साहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री डी मलिक,
कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दासूचेरा, लालदंगा और तुईचांद पाड़ा के क्षेत्र में अतिवादी गतिविधियों के संबंध में गुप्त सूचना मिलने पर, 66वीं बटालियन के कांस्टेबल डी. मलिक सहित 46 कर्मियों की एक पार्टी 15.6.2003 को लगभग 0400 बजे समन्वित तलाशी अभियान चलाने के लिए तुईचांद पाड़ा क्षेत्र जिला धलई (त्रिपुरा) के लिए रवाना हुए और पर्वतीय उबड़-खाबड़ भूभाग से लगभग 22 कि.मी. पैदल चलने के पश्चात गंतव्य स्थल पर पहुँचे और गांव की घेराबंदी कर दी तथा गहन तलाशी शुरु कर दी। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पार्टी को देखकर एक युवक और एक नवयुवती एक घर के भीतर तेजी से घुस गए और उसी समय सबसे आगे की टुकड़ी के सेक्शन कमांडर ने आग्नेयास्त्र के साथ एक सिविलियन को भी देखा और उस व्यक्ति को चेतावनी दी। उसी समय 7 से 8 अतिवादियों, जिनमें से कुछेक ने मोर्चेबंदी की हुई थी, ने विभिन्न दिशाओं से गोलियां चला दीं, जिस पर सी आर पी एफ द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। कांस्टेबल डी. मलिक, जो टुकड़ी में सबसे आगे थे, ने अतिवादियों में से एक को अपने कर्मी को लक्ष्य करके गोली चलाते हुए देख लिया और इन्होंने फुर्ती से अपनी राइफल से उस पर गोली चला दी। वह विद्रोही घटनास्थल पर ही ढेर हो गया। उस विद्रोही की पहचान बाद में एन एल एफ टी(बी एम) ग्रुप के एरिया कमांडर चिरंजय रिआंग (30) के रुप में की गई। आगे, गोलीबारी के दौरान,विद्रोहियों ने हैंड ग्रेनेड भी फेंके जिससे हैड कांस्टेबल/जी डी मोहम्मद इकबाल, कांस्टेबल/जी डी पी के बिसवाल और कांस्टेबल/जी डी एस. सेनापति, गंभीर रुप से जख्मी हो गए। कांस्टेबल डी. मलिक लगातार और शान्तिपूर्ण ढंग से आपसी गोलीबारी में उलझे रहे और यह अभियान लगभग 90 मिनट तक जारी रहा। अंत में, जब अतिवादी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सके तो वे उबड़-खाबड़ भूभाग/घनी वनस्पति/झाड़ियों का लाभ उठाकर भाग खड़े हुए। मुठभेड़ स्थल से बरामद शस्त्र/गोलाबारुद के साथ-साथ एक शव और एक महिला उग्रवादी राज्य पुलिस अधिकारियों को सौंप दिए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री डी. मलिक, कांस्टेबल/जेनरल ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 जून, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर, 2004

सं0 191– प्रेज/2004–भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1 में दिनांक 6 दिसम्बर, 2003 को प्रकाशित वीरता के लिए पुलिस पदक के संबंध में इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 162–प्रेज/2003, दिनांक 17 नवम्बर, 2003 के प्रथम अनुच्छेद में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:–

राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:–

अधिकारी का नाम और रैंक

डा0 कमल सैनी, भा.पु.से.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

के स्थान पर

राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं:–

अधिकारी का नाम और रैंक

डा0 कमल सैनी, भा.पु.से.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

पढा जाए।

बरुण मित्रा
निदेशक

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 नवम्बर 2004

एम-13011/1/96-प्रशा.IV. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के शासी परिषद के गठन के संबंध में भारत सरकार के संकल्प सं. डी एस/एस टी एस/4-69 दिनांक 5 मार्च, 1970 तथा सं. एम-13011/2/80-एन एस एस.II दिनांक 26.3.84 के तहत बाद के परिशिष्ट के अनुसरण में दिनांक 30.11.2004 से निम्नलिखित संरचना सहित शासी परिषद का गठन किया जाता है:-

क. गैर-सरकारी

(क) अध्यक्ष (5 वर्ष के लिए या अगले आदेश तक)

प्रो. सुरेश डी.तेंदुलकर
प्रो.(सेवानिवृत्त), दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स,
ए डी-86 सी, शालीमार बाग,
दिल्ली-110052.

(ख) सदस्यगण (दो वर्ष के लिए)

1. प्रो.बिमल राय
अनुप्रयुक्त सांख्यिकी एकक
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान,
203, बी.टी.रोड
कोलकाता-700108.

2. प्रो.दीपांकर कूंडू
वित्त अनुसंधान एकक
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान
203, बी.टी.रोड
कोलकाता-700108.

3. श्री के.एस.आर.मूर्ति
पूर्व सचिव
भारत सरकार & पूर्व सांसद (लोकसभा)
सदस्य, दामोदरम संजीविया स्मारक ट्रस्ट
1003, रेलवे अधिकारी कॉलोनी, साउथ कालागुड़ा
सिकन्दराबाद-17
आंध्र प्रदेश

4. प्रो. एन.एस.रामास्वामी
निदेशक-सीएआरटीएमएएन
अध्यक्ष इंडियन हैरिटेज अकादमी
870, 17 ई मेन कोरामंगला, (आई एच ए)
ब्लाक-6, बंगलौर-560095.

5. प्रो.पुलिन बी नायक
प्राध्यापक, अर्थशास्त्र,
अर्थशास्त्र विभाग
दिल्ली स्कूल आफ इकोनोमिक्स
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007.

II. **अधिकारी**

1. महानिदेशक
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
सां.और कार्य.कार्या.मंत्रालय
सरदार पटेल भवन,
नई दिल्ली-110001.

2. उप महानिदेशक
संगणक केन्द्र
सां.और कार्य.कार्या.मंत्रालय
ईस्ट ब्लाक 10, आर.के.पुरम
नई दिल्ली-110066.

3. निदेशक
अनुप्रयुक्त अर्थ एवं सांख्यिकी ब्यूरो
पश्चिमी बंगाल सरकार
1 ए-277/1
साल्ट लेक
कोलकाता-700017 (2 वर्ष की कार्यावधि)

4. निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
राजस्थान सरकार
योजना भवन, तिलक मार्ग
सी-स्कीम, जयपुर-302005 (2 वर्ष की कार्यावधि)

5. निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
आंध्र प्रदेश सरकार, खैरताबाद
पोस्ट बाक्स सं.5
हैदराबाद-500004 (2 वर्ष की कार्यावधि)

6. सलाहकार
पर्स्पेक्टिव प्लानिंग डिविजन
योजना भवन
नई दिल्ली-110001 (2 वर्ष की कार्यावधि)

7. भारत के महापंजीयक
2 ए, मानसिंह रोड
नई दिल्ली-110011 (2 वर्ष की कार्यावधि)

8. अपर महानिदेशक
क्षेत्र संकार्य प्रभाग
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
लैवल 6-7, ईस्ट ब्लाक-6
आर.के.पुरम
नई दिल्ली-110066.

9. उप महानिदेशक
सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग
रा.प्र.सर्वे.संगठन
महालनोबिस भवन
164, जी.एल.टी.रोड
कोलकाता-700108.

10. उप महानिदेशक
समंक विधायन प्रभाग
रा.प्र.सर्वे.संगठन
महालनोबिस भवन
164 जी एल टी रोड
कोलकाता-700108.

11. उप महानिदेशक
समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग
रा.प्र.सर्वे.संगठन
सरदार पटेल भवन
नई दिल्ली-110001.

(ग) **सदस्य-सचिव**

महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
सरदार पटेल भवन
नई दिल्ली-110001.

कोयला और खान मंत्रालय
(खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 2004

संकल्प

सं. ई - 16011/1/2003-हिंदी भारत सरकार, कोयला और खान मंत्रालय के खान विभाग ने अपने कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत करने के लिए **"खान तथा खनन संबंधी विषयों पर मौलिक हिन्दी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना"** नामक योजना को संशोधित रूप में लागू करने का निर्णय लिया है । इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

1. योजना का नाम

इस योजना का नाम "खान तथा खनन संबंधी विषयों पर मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना" होगा ।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य खान तथा खनन संबंधी विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देना तथा इस क्षेत्र लेखकों को प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत करना है ।

3. योजना के अधीन विचारार्थ विषय

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में लिखी /प्रकाशित पुस्तकों/टंकित पाण्डुलिपियों पर विचार किया जाएगा : -

1. भारतीय खनन उद्योग और इसकी संभावनाएं ।
2. खनिजों का पूर्वेक्षण, गवेषण और विदोहन ।
3. पारिस्थितिकी और खनन उद्योग ।
4. अपतटीय क्षेत्रों में खनिज संभावनाएं ।

5. खान समापन और भूमि पुनरूद्धार कार्य ।
6. खनन और सामुदायिक विकास ।
7. वैश्वीकरण और भारतीय खनन उद्योग ।
8. खनन और सतत् विकास ।
9. उदारीकरण और खनन ।
10. खनन और निजी कम्पनियां ।
11. खनन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी ।
12. खनिजों का संरक्षण ।
13. खनन संबंधी अन्य विषय ।

4. योजना - अवधि

इस योजना की ब्लॉक अवधि योजना लागू किए जाने वाले वर्ष से पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्ष होगी ।

5. पुरस्कार

योजना के अधीन निम्नलिखित पुरस्कार और नकद राशि प्रदान की जाएगी :-

1. प्रथम पुरस्कार (एक)	25,000/-रू.
2. द्वितीय पुरस्कार (एक)	15,000/-रू.
3. तृतीय पुरस्कार (एक)	10,000/-रू.

इनके अलावा, पांच-पांच हजार रूपए के तीन सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे । पुरस्कार विजेता को नकद पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न भी भेंट किया जाएगा ।

6. पुरस्कारदाता

खान विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

7. पात्रता

(i). इस योजना में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं ।

(ii). इस योजना के अंतर्गत खान और खनन संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में लिखी/प्रकाशित पुस्तकों/ टंकित पाण्डुलिपियों पर ही विचार किया जाएगा ।

(iii). केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्था या संगठन के साथ हुई संविदा के अनुसरण में या किसी अन्य स्कीम के अधीन लिखी गई या प्रकाशित पुस्तकों पर इस योजना के अधीन विचार नहीं किया जाएगा ।

(iv) 100 से कम पृष्ठों वाली पुस्तक/ पाण्डुलिपि पर योजना में विचार नहीं किया जाएगा ।

8. पुरस्कार निर्णायक समिति

योजना के अधीन पात्र प्रविष्टियों का चयन करने के लिए खान विभाग के संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
निदेशक (तकनीकी), खान विभाग	सदस्य
निदेशक (प्रशासन), खान विभाग	सदस्य
निदेशक/उप सचिव (हिंदी प्रभारी), खान विभाग	सदस्य
उप निदेशक (राजभाषा), खान विभाग	सदस्य संचिव

9. पुरस्कार निर्णायक समिति के कार्य

पुरस्कार निर्णायक समिति के विचारार्थ-विषय निम्नलिखित होंगे :-

(i). समिति पात्र प्रविष्टियों का चयन करेगी और उनके लिए विशेषज्ञों को नामित करेगी । प्रत्येक चयनित प्रविष्टि पर 3 विशेषज्ञों की राय प्राप्त की जाएगी ।

(ii). प्रविष्टि का मूल्यांकन करते समय विशेषज्ञ उसकी उपादेयता, प्रासंगिकता, तकनीकी प्रकृति तथा भाषा शैली को ध्यान में रखेंगे ।

(iii). प्रत्येक प्रविष्टि के मूल्यांकन के लिए अधिकतम कुल अंक 100 होंगे । अधिकतम 100 अंकों में से 25 अंक उपादेयता, 25 अंक प्रासंगिकता, 30 अंक तकनीकी पहलू और 20 अंक भाषा-शैली के लिए होंगे ।

(iv). विशेषज्ञ एक माह के भीतर अपनी मूल्यांकन रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे । इसके पश्चात् यह समिति उनकी रिपोर्ट के आधार पर पुरस्कारों हेतु प्रविष्टियों पर पर विचार करेगी और उनका निर्धारण करेगी ।

(v). विशेषज्ञों को पुरस्कार निर्णायक समिति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा ।

(vi). यदि पुरस्कार निर्णायक समिति का कोई सदस्य किसी ब्लॉक अवधि के अंतर्गत अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत करता है तो वह उस अवधि में समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

(vii). पुरस्कारों के संबंध में खान विभाग का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा ।

(viii). पुरस्कार विजेताओं को लिखित रूप से सूचित किया जाएगा ।

(ix). ये पुरस्कार एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे ।

10. योजना का प्रचार-प्रसार

योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए देश के हिंदी और अंग्रेजी के अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा । केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा नियंत्रणाधीन उपक्रमों इत्यादि में इसको परिचालित किया जाएगा । इसके अलावा, योजना को राज्यों के भूविज्ञान एवं खनन मंत्रालयों/विभागों तथा खनन उद्योग से जुड़ी हुई संस्थाओं संगठनों को भी परिचालित किया जाएगा ।

11 . प्रविष्टि भेजने का पता

योजना में भाग लेने वाले इच्छुक लेखकों को अपनी प्रविष्टि संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध - I और अनुबंध - II) में उप निदेशक (राजभाषा), खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय, कमरा सं. 310, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 को भेजनी होगी ।

12. प्रविष्टि भेजने की अंतिम तारीख

प्रविष्टियां प्राप्त होने की अन्तिम तारीख योजना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प इस की प्रति सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों और भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों को भेजी जाएं ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

प्रशान्त मेहता
संयुक्त सचिव

अनुबंध - I

खान तथा खनन संबंधी विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना ।

घोषणा - पत्र

मैं * .....
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी .....
निवासी .....
.....

एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि,

(i) यह पुस्तक/पांडुलिपि मूल रूप से मेरे द्वारा हिंदी में लिखी गई है और इस पर मेरा कापीराइट है ।

(ii) मैंने इस पुस्तक को प्रकाशित कराने के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी संस्थान से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है ।

(iii) यह पुस्तक किसी अन्य भाषा में प्रकाशित पुस्तक का अनुवाद मात्र नहीं है ।

(iv) मैं सत्य और निष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास में सही और सत्य है ।

स्थान .....

तारीख .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....
पता .....
.....
.....

* पुस्तक के सह-लेखकों द्वारा व्यक्तिगत घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

अनुबंध - II

जीवन-वृत्त

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

2. पत्र-व्यवहार का पता .....
.....

3. स्थायी पता .....
.....

4. जन्म तिथि .....

5. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता .....
.....
.....
.....

6. प्रकाशन (यहां पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों यदि कोई हों, का ब्यौरा दें,) ।
7. क्या इस पुस्तक को अन्य किसी योजना के अधीन पुरस्कृत किया गया है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें ।

शीर्षक	भाषा	प्रकाशन वर्ष
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

स्थान .....

तारीख .....

हस्ताक्षर .....

लेखक का नाम और पता .....
.....
.....

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2004

फा.सं.8-62/2003-पी.पी.I-भारत सरकार,कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग की दिनांक 26.11.1993 की अधिसूचना सं० 8-97/91-पी.पी.I के आंशिक संशोधन में सामान्य सूचना हेतु एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंधन केन्द्र, इंदौर के प्रभारी अधिकारी को अन्य देशों जहां पादप-स्वच्छता प्रमाणपत्रों की आवश्यकता है, को पौधों और पौध उत्पादों के अभीष्ट निर्यात के संबंध में भी निरीक्षण, धूमित अथवा विसंक्रमण करने के लिए तथा पादप-स्वच्छता प्रमाणपत्र स्वीकृत करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है । तदनुसार उक्त अधिसूचना में केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत मद सं.(xviii) के बाद अधिकारियों की सूची में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:-

(xix) प्रभारी अधिकारी
केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंधन केन्द्र,
16, प्रोफेसर कॉलोनी
भँवर कुँआ, मेन रोड, इंदौर-452001

आशीष बहुगुणा
संयुक्त सचिव

दिनांक 10 दिसम्बर 2004

मि०सं० 8-86/2001-पी०पी०-I भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग की दिनांक 26.11.1993 की अधिसूचना सं० 8-97/91-पी०पी०-I में संशोधन करते हुए, सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतत् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को अन्य देशों को निर्यात के लिए अभीष्ठ ऐसे पौधों तथा पौध उत्पादों के संबंध में जांच करने, धूमित करने अथवा विसंक्रमण करने और पादप स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जिनके लिए ऐसे प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है । तदनुसार, कथित अधिसूचना में, उत्तरांचल के अधीन II राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अधिकारियों की सूची में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

i) संयुक्त निदेशक,
गुणवत्ता नियंत्रण,
कृषि निदेशालय,
पौडी, उत्तरांचल ।

ii) निदेशक,
खाद्य एवं प्रसंस्करण निदेशालय,
चोबतिया (रानी खेत), अल्मोड़ा,
उत्तरांचल ।

iii) अध्यक्ष,
पादप रोग विज्ञान,
गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं उद्योग विश्वविद्यालय,
पंत नगर, उत्तरांचल ।

आशीष बहुगुणा
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2004

संकल्प

सं0 एफ. 6-8/2001-यू.3

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के नियमों और विनियमों के नियम 3 और 9 के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्र सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला की सोसायटी के सदस्यों के रूप में सोसायटी के शेष कार्यकाल अर्थात् 10 अप्रैल, 2005 तक तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है:-

3(ख) नामित सदस्य

(I) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय विश्वविद्यालयों के 6 कुलपति

(1) प्रो0 मुशीरूल हसन
कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

(2) प्रो0 गणेशन,
कुलपति, सी आई ई एफ एल, हैदराबाद

(3) श्री वाचस्पति उपाध्याय,
कुलपति, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

(4) श्री सी एस बहल,
कुलपति, इंदौर विश्वविद्यालय

(5) प्रो0 मृणाल मीरी,
कुलपति, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग

(6) प्रो0 अरूण कुमार दवे,
कुलपति, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

(II) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 18-24 शिक्षाविद्

(1) प्रो0 जे.एस. ग्रेवाल, - सोसायटी अध्यक्ष
प्रतिष्ठित इतिहासकार

(2) सुश्री आरमेटी देसाई,
भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(3) प्रो0 टैनसुला आओ,
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग

(4) प्रो0 टी.के. उमेन,
भूतपूर्व समाजशास्त्र प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

(5) श्री जयंत नारलिकर,
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, मुम्बई

(6) श्री कुंवर सुरेश सिंह,
प्रतिष्ठित इतिहासकार और मानवशास्त्री

(7) प्रो0 इरफान हबीब,
प्रतिष्ठित इतिहासकार

(8) प्रो0 सव्यसाची भट्टाचार्य,
प्रतिष्ठित इतिहासकार

(9) प्रो0 किरीट पारीख,
अर्थशास्त्री, मुम्बई

(10) प्रो0 अभिजीत सेन,
अर्थशास्त्री और सदस्य, योजना आयोग

(11) प्रो0 बालचन्द्र मुंगेकर,
अर्थशास्त्री और सदस्य, योजना आयोग

(12) प्रो0 सी पी चन्द्रशेखर,
अर्थशास्त्री, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

(13) प्रो0 अंजलि मोंटेरियो,
टी आई एस एस, मुम्बई

(14) प्रो0 अयप्पा पाणिकर,
अंग्रेजी प्रोफेसर और प्रतिष्ठित कवि

(15) प्रो0 यू आर अनंतमूर्ति,
अंग्रेजी प्रोफेसर और प्रतिष्ठित लेखक

(16) प्रो. मिहिर भट्टाचार्य,
भूतपूर्व अध्यक्ष, सिनेमा अध्ययन, जादवपुर विश्वविद्यालय

(17) सुश्री गीता कपूर,
प्रतिष्ठित कला आलोचक

(18) प्रो0 नीरा चन्धोक,
राजनीतिक वैज्ञानिक, दिल्ली विश्वविद्यालय

(19) प्रो0 श्रीनिवास रथ,
प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान

(20) प्रो0 अरुण कमल,
प्रतिष्ठित कवि और अंग्रेजी प्रोफेसर, पटना

(21) प्रो0 मधुर स्वामीनाथन,
अर्थशास्त्री, आई एस आई, कोलकाता

(22) प्रो0 मूलचंद शर्मा,
निदेशक, विधि संस्थान, भोपाल

(23) श्री सदानन्द मेनन,
प्रतिष्ठित कला आलोचक, चेन्नई

(24) प्रो0 रवि कपूर,
प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक, एन आई ए एस, बंगलौर

भारत सरकार प्रो0 जे.एस. ढेवाल को सोसायटी तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के शासी निकाय का अध्यक्ष भी नियुक्त करती है।

डी.के. पालीवाल
उप शिक्षा सलाहकार

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डी.के. पालीवाल
उप शिक्षा सलाहकार

संकल्प

सं0 एफ. 6-8/2001-यू.3

भारत सरकार भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के संगम ज्ञापन के नियम 8 (घ) तथा नियमों, उपनियमों और उपविधियों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सोसायटी के उन निम्नलिखित सदस्यों की सदस्यता समाप्त करती है जिन्हें संगम ज्ञापन के नियम 3 (ख) और 3 (ग) (II) तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के नियमों, उपनियमों और उपविधियों के अधीन दिनांक 11 अप्रैल, 2002 के समसंख्यक संकल्प द्वारा नियुक्त किया गया था:-

(I) भारतीय विश्वविद्यालयों के 6 कुलपति

(1) डा0 बलवंत जानी,
कुलपति,
उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय,
पो.बो. नं0 21, विश्वविद्यालय रोड,
पाटन- 384 265

(2) प्रो0 के.एन. पाठक,
कुलपति,
पंजाब विश्वविद्यालय,
चंडीगढ़-160014

(3) श्री एस.वी. गिरि,
कुलपति,
श्री सत्य साई उच्चतर अध्ययन संस्थान,
प्रेसन्ती निलायम-515134
अनंतपुर जिला (आंध्र प्रदेश)

(4) डा0 के.के. द्विवेदी,
कुलपति,
अरूणाचल विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, इटानगर-791112

(5) डा0 आर.डी. चौधरी,
कुलपति,
राष्ट्रीय संग्रहालय कला इतिहास संस्थान,
संरक्षण और संगहालय विज्ञान, जनपथ, नई दिल्ली-110011

(6) डा0 एन. सामतेन,
कुलपति,
केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान,
सारनाथ, वाराणसी-221007

(II) 18-24 शिक्षाविद्

(1) प्रो0 जी.सी. पांडेय,
सेवानिवृत्त कुलपति,
राजस्थान/इलाहाबाद विश्वविद्यालय
11, बलरामपुर हाउस
इलाहाबाद-211002

(2) डा0 लखनलाल महरोत्रा,
पूर्व विदेश सचिव,
सी-1/16, शीलाद्रि,
सेक्टर-31, नोएडा-201301 (उ0प्र0)

(3) प्रो0 डी0पी0 चट्टोपाध्याय,
25, पार्क मेंसन,
57-ए पार्क स्ट्रीट,
कलकत्ता-700016

(4) श्री एम.डी. श्रीनिवासन,
नीति अध्ययन केन्द्र,
मद्रास विश्वविद्यालय
चेपाक, चेन्नई-600005

(5) प्रो0 एस0पी0 बैनर्जी,
पूर्व कुलपति,
बर्दवान विश्वविद्यालय
आरज्ञा, एफ ई-92, सेक्टर-3
साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता-700091, पश्चिम बंगाल

(6) प्रो0 कपिल कपूर,
अधिष्ठता, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नया महरौली रोड; नई दिल्ली-110068

(7) श्री बी.एन. टंडन,
निदेशक,
के.के. बिड़ला फाउंडेशन,
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस (10वाँ तल),
18-20 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

(8) डा0 योगानंद काले,
उप-कुलपति,
नागपुर विश्वविद्यालय
रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, नागपुर-440301

(9) डा0 बी.के. जोशी,
पूर्व कुलपति,
कुमायूँ विश्वविद्यालय,
इस समय देहरादून

(10) डा0 आर.एस. निगम,
वाणिज्य प्रोफेसर
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

(11) प्रो0 भुवन चन्देल,
दर्शनशास्त्र विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़-160014

(12) प्रो0 थीमा रेड्डी,
मानवशास्त्र विभाग,
आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर, विशाखापटनम-530003

(13) प्रो0 ए.के. सारन,
सी-136, निराला नगर
लखनऊ-226020

(14) प्रो0 बी.एन.एस. यादव,
33/3, स्टेनली रोड, इलाहाबाद-211002

(15) डा0 गोपीचन्द नारंग,
डी-252, सर्वोदय एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110017

(16) डा0 अरुणा गोएल,
संस्कृत प्रोफेसर,
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़-160014

(17) प्रो0 एस. आर. भट्ट,
अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग,
एम/पी एस-23, मौर्य एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

(18) प्रो0 आर. बालासुब्रमणियम,
सिवाबाल,
5, भागीरथी स्ट्रीट, श्रीनिवास एवेन्यू,
राजा अन्नामलाईपुरम, चेन्नई-600028

(19) प्रो0 वीरेन्द्र नाथ मिश्रा,
जी-2, बी विंग, गंगा पार्क,
मुंधवा रोड, पुणे-411036

(20) प्रो0 एस. पी. सिंह,
वाई बी-2, साह विकास अपार्टमेंट्स,
68, इन्द्रप्रस्थ एक्सटेंशन, दिल्ली-110092

(21) प्रो0 अंजन कुमार बनर्जी,
पूर्व प्रोफेसर,
पत्रकारिता और जन संचार विभाग,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

(22) डा0 कुसुम लता केडिया,
सामाजिक विज्ञान प्रोफेसर,
गांधीयन अध्ययन संस्थान, वाराणसी

(23) प्रो0 विनय चंद्र पांडेय,
इतिहास विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सीनेट हॉल, इलाहाबाद-211002

भारत सरकार भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के संगम ज्ञापन के नियमों, उपनियमों और उपविधियों के नियम 3 (ग) (II) के अधीन दिनांक 11 अप्रैल, 2002 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा नियुक्त प्रो0 जी.सी. पांडेय को अध्यक्ष पद से तथा डा0 लखनलाल महरोत्रा को उपाध्यक्ष पद से मुक्त करती है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डी.के. पालीवाल)
उप शिक्षा सलाहकार,

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 8th December, 2004

No. 133–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri P. Venugopal, Rao,
Circle Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 28.8.2003, Shri Venu Gopal Rao, CI received a specific information that the extremists of dreaded Janashakthi naxalite group were present in the outskirts of Sircilla area (Karimngar West) and were preparing to eliminate important -political leaders in retaliation to the death of Degala Subhash, District Committee Secretary, Janashakathi Group, Medak District in an exchange of fire. Immediately Shri Venu Goapal Rao, CI passed the information to the Addl. SP (Operations) and requested for District Guards Commando Unit. Unfortunately, no assault unit was available in the headquarters as all of them were engaged in a major operation in the dense jungles of Karimnagar East Division. However, this shortage of Commando units did not dampen the enthusiasm of Shri Venu Gopal, CI and on the other hand, he volunteered to operate without the support of District Guard Commandos. Since the time was running out, keeping the precision of input in view, the Addl.SP (Operation) gave him a green signal and nominee gathered SIs who were available in district headquarters, two HCs and a few civil PCs and formed them into a team and rushed to Sircilla area and waited patiently in an ambush in nearby mango gardens. At 0230 hours Shri Venu Gopal Rao , CI suddenly heard some voices. Immediately he alerted the party, made out a contingency plan and slowly approached towards the direction from which the sounds were coming. Shri Venu Gopal Rao, CI noticed five members moving towards Sircilla town. He duly disclosed his identity, asked them to prove their identity. Instead, all of a sudden, firing with automatic weapons started from the opposite side. Immediately Shri Venu Gopal Rao, CI and his party took cover and retaliated the fire. Shri Venu Gopal Rao, CI led his party and kept on slowly moving forward towards the place from where the firing came. Without caring for his life and displaying extreme sense of devotion towards duty, Shri Venu Gopal Rao, CI single handedly crawled towards the extremists and continued firing. Firing lasted for about five minutes. Later when the Police searched the area one dead body was found at the scene. This was later identified as of notorious Guttanna of Janashakti. Shri Venu Gopal Rao, CI has exhibited outstanding leadership, bravery and exhibited supreme tactics in leading his party in this fierce exchange of fire resulting in the death of Chepyala Bagaiha @ Guttanna, Distt. Committee Member, CPI ML Janashakthi, Krimnagar District. One AK - 47 Assault Rifle, Two 8 MM Rifles and ammunition etc. were recovered from the scene of exchange of fire.

In this encounter Shri P. Venugopal Rao, Circle Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th August, 2003

BARUN MITRA
Director

14—381 GI/2004

No. 134--Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. K. Raja Ratnam Naidu, IPS, Superintendent of Police. Khammam.
2. S. Lava Raju, Junior Commando-1353, Grey Hounds. (Posthumous)
3. N. Tirupathi Raju, Junior Commando-1349, Grey Hounds. (Posthumous)
4. R. Srinivasa Rao, Junior Commando-1474, Grey Hounds. (Posthumous)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

During 1998, Shri K. Raja Ratnam Naidu, Commandant, 5th Bn, APSP, Vizianagaram, (Late) Shri S. Lava Raju, JC, (Late) Shri N. Tirupathi Raju, JC and (Late) Shri R. Srinivasa Rao, JC were attached to his battalion as Grey Hounas JCs. Shri Raja Ratnam Naidu, Commandant received a tip off that Kondaberidi, Nagavali, Janjarathi and Uddanam Dalams (60) armed with sophisticated weapons congregated in a deep hilly forest near PudesuVillage (Vizianagaram District) to machinate macabre measures to annihilate the police and tool police stations for, augmenting their arsenal with arms and ammunition. He immediately reacted. He collected three units of Grey - Hounds including (Late) Shri S. Lava Raju, JC, (Late) Shri N. Tirupathi Raju, JC and (Late) Shri R. Srinivasa Rao, JC and APSP personnel of the required strength and seize and orchestrated a fool proof plan of action. Dividing the force into three wings, Shri K. Raja Ratnam Naidu, Commandant, led them into the sylvan surroundings (Koppadangi area) and henned in the hostile elements. The extremists in no way deterrent opened fire from AK- 47, 303 rifles, hurled grenades and even exploded claymore mines to halt the advancing Police force, while S/Shri S. Lava Raju, JC, N. Tirupathi Raju, JC and R. Srinivasa Rao, JC of Grey hounds brought of the Vanguard. The police issued warning after warning directing the lawless elements to surrender. The answer was more firing, blasting and explosing bombs and distractive upshot. Braving the lethal fire unmindful of his personnel safety and risk of life of Shri Raja Ratnam Naidu, Commandant led his flank into the hall of bullets opening fire in self -defence. This intelligent and daring move resulted in killing 13 dreaded extremists and S/Shri S. Lava Raju, JC, N. Tirupathi Raju, JC and R. Srinivasa Rao, JC after heavy exchange of fire that lasted for about four hours between the extrements and police party. The extremists were identified later as 1) Ganti Ramesh @ Rajesh Slain, Divisional Committee Secretary and Regional Committee member, 2) Ambati Yerranna @ Bhoomanna, Divisional Committee member, 3) Premalatha @ Padmakka, Commander Jangavathi Dalam, 4) Numpalla Durvasulu @ Jaipal Commander Nagavali Dalam, 5) Swarnalatha @ Gunakka, Dy. Commander, Kondabaridi, 6) Tavitayya @ Seshanna, State Committee member, 7) Pothanapalli Subbdra @ Swarnakka, Dalam Member, 8) Alamuru Satyanarayana @ Chantanna, 9) Harikrishna Patro @ Ramanna, Orissa State, Dy. Commander (Nagavali Dalam), 10) Bhaskar - Uddanam Committee member, 11) Batakala Yadanna @ Raghu - Militant, 12) Adaltha Simhadri @ Atchanna R.C.S. leader, 13) Batakala Adinarayana @ Chalapathi R.C.S flaunting vast sums as prize money for their capture dead or alive. A cache of arsenal including sophisticared weapons, claymore mines and grenades were recovered from the spot after the encounter.

In this encounter S/Shri K. Raja Ratnam Naidu, IPS, Superintendent of Police, Khammam, Late S. Lava Raju, Junior Commando, Late. N. Tirupathi Raju, Junior Commando, & Late R. Srinivasa Rao, Junior Commando, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty *of* a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th August, 1998.

BARUN MITRA
Director

No. 135–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Prabhat Pegu,
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on source information about the presence of a group of ULFA militants at village Kotpuha under Nalbari PS, a Police party led by Sri Jitmol Doley Addl. Superintendent of Police Nalbari went to the village and started search operation after cordoning the area. In course of the search ABC/487 Prabhat Pegu followed by Sri Doley approached the house of Pranab Sarmah when militants fired upon them from behind the house. Not being deterred by the volley of fire, Shri Pegu took position and fired back at the militants with his service weapon as a result of which one militant died at the spot. One AK-56 rifle with charged magazine was recovered from the slain militant. Other troops in the police party then opened incessant fire on the militant forcing them to beat a hasty retreat leaving behind one of their comrades in injured condition. This militant also later on died in the hospital. The courage act of the recommendee not only saved the life of this superior officer but also enthused his compatriots to change back at the militants inflicting heavy casualties on them. Later on the slain militants were identified as Bhupen Kalita and Ramen Sarmah two dreaded militants of the banned organization ULFA. They were wanted in connection with some heinous crimes including the killing of Late Nagen Sarmah, the then Minister of Forest, Assam.

In this encounter Shri Prabhat Pegu, Constable displayed conspicuous gallantry, Gourage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th May, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 136–Pres/2004-. The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Nitul Gogoi,
Additional Superintendent of Police.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 19/02/2004 Shri Nitul Gogoi, Additional Superintendent of Police (HQ) Dhubri received information regarding presence of ULFA militants in the general area of North Raipur, Moichachar, Bhangadoli, Kaldoba etc under Golokganj Police Station. On receiving the information he led a search party accompanied by Inspector N. U Choudhury, CI Golokganj, SI K Rajbongshi, OIC Golokganj Police Station, SI Tarun Ch Das and 14 (fourteen) armed constables, while the search operation was on, at about7.15 PM the police party under Shri Nitul Gogoi spotted a group of militants with suspicious movements in Bhangadoli area. On being enquired about their identity, the militants started heavy indiscriminate firing from their automatic rifles and exploded a grenade on the police personnel with a view to kill Shri Nitul Gogoi and his party. Even after coming under sudden and heavy burst of fire from automatic weapons like AK-56 and attack by grenade, Shri Nitul Gogoi in complete disregard for his personnel safety and showing exemplary courage and presence of mind, reacted instantly and immediately opened fire from his personnel weapon. Simultaneously he commanded his party for immediate retaliation. The effective command of Additional Superintendent of Police Shri Nitul Gogoi encouraged the other police personnel and they also retaliated effectively. The firing continued for about twenty minutes. As a result of the extremists firing, Constable 747 Prabhat Kalita sustained bullet injury in his left arm. Subsequently during search operation one ULFA militant was found lying dead near the place of occurrence (PO). One live Chinese hand grenade, 15 rounds of live AK-56 ammunitions and ULFA related incriminating documents were recovered from the possession of the deceased. In course of investigation, the deceased militant was identified as Ukil Ray (25) @ Monkumar Roy S/O Shri Tajen Roy of Dafarpur PS- Golokganj. He was a trained hardcore ULFA militant who came down from Bhutan during counter insurgency operation by Royal Bhutan Army and was wanted in many extremist related cases.

In this encounter Shri Nitul Gogoi, Additional Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th February, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 137–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Police/ Central Reserve Police Force : -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Jagtar Singh, Constable, 16 Bn. Central Reserve Police Force . (Posthumous)
2. Moheswar Bosumatary, UB Constable, Assam Police. (Posthumous)
3. Arun Kumar Bora, Sub-Inspector (UB), Assam Police.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 3-3-04 at 2 P.M. information was received by O/C Manikpur P.S. that a group of ULFA activists with sophisticated weapons were taking shelter in the house of one Amarendra Nath of Dahalapara under Sorbhog P.S. On 4-03-04 at 2-30 A.M. SI GolakCh.Deka,O/C Manikpur P.S., SI Arun Kr. Bora, UB Const. 290 Rakhal Sutradhar, UB. Const 54 Moheswer Basumatary, one section of 14th AP Bn. and one platoon of 16 CRPF 'A' Coy led by Inspector R N Sarmah discussed the information and chalked out operational plan at Manikpur PS. As per this plan, a joint operation was launched on 4//3/04 at 3 A.M. The police and CRPF party reached Dahalapara village around 3.30 A.M. and as soon as the house of Amarendra Nath was cordoned off by security personnel, ULFA militants started firing from inside the house. They also hurled a Chinese grenade from inside the house towards the police party which blasted, but fortunately none of the troops in the cordon was hurt. Police also retaliated by opening fire for self defence. The encounter continued for 4/5 minutes. SI Arun Kr. Bora fired 6 (six) rounds from his pistol. UBC/54 Moheswar Basumatary fired 2 (two) rounds from his Service AK-47 and Ct/GD 901000735 Jagtar Singh fired 2(two) rounds from his Service weapon. When the fire stopped police confirmed the cordoning and SI (UB) Arun Kumar Bora shouted several times asking the militants to surrender. When the militants did not respond SI Arun Kumar Bora, UBC/54- Moheswar Basumatary, and Const No.901000735 of 16 'A' Coy, CRPF Jagtar Singh, putting their lives as great risk, entered into the house and caught hold of one ULFA militant who was hiding inside and did not allow him to budge. This militant made all efforts to extricate himself from their grip. When the militant could not succeed in his attempt, and finding no chance of escape, he (the militant), managed to explode a Chinese grenade inside the house resulting in the instant death of the extremist himself and CRPF jawan Jagtar Singh and seriously injuring SI Arun Kr. Bora and UBC 54 Moheswar Basumatary. UBC/54 Moheswar Basumatary later expired due to the injuries sustained. The house owner

Amarendra Nath and CRPF Inspector R.N.Sarmah also sustained minor injuries in their persons. The killed extremist was later identified as Karna Das @ Deesung Bhutia, S/o Sada Das village Kumguri, PS Barpeta Road Dist. Barpeta. On thorough search of the P.O. one plastic cap suspected to be that of the blasted Chinese hand grenade, one lever (bent condition) suspected to be of the blasted Chinese hand grenade, 7 numbers of empty cases of 9mm ammunitions, one empty case of AK 47 Rifle ammunition, and one empty case of SLR ammunition were recovered. SI Arun Kr. Bora, UBC Moheswar Basumatary and Ct/GD Jagtar Singh could prevent loss of their colleagues lives and succeeded in apprehending the armed militant by showing exemplary devotion to duty with complete disregard to personal safety. They also succeeded in preventing the militant from lobbing the grenade among the security personnel which would have surely killed several security personnel had the militant succeeded in hurling it before he was caught by the above noted officers. UBC/54 Moheswar Basumatary succumbed to his injuries on way to hospital and SI (UB) Arun Kr. Bora was shifted to Down Town Hospital, Guwahati, in a critical condition as referred by Lower Assam Nursing Home, Bongaigaon. SI Arun Kr. Bora and UBC/54 Moheswar Basumatary and CRPF Const 901000735 of 16 Bn. 'A' Coy Jagtar Singh exhibited a high sense of gallantry, courage, bravery and commitment to their duties towards the Nation.

In this encounter S/Shri Late Jagtar Singh, Constable, 16 Bn., Central Reseve Police Force Police, Late Maheswar Bosumatary, UB Constable. Assam Police, & Arun Kumar Bora, Sub-Inspector (UB), Assam Police, displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th March, 2004.

BARUN MITRA
Director

DIRECTOR

No. 138–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Raj Kumar,
Sub-Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12.01.2003, S.I. Raj Kumar No. D-3467 attached to Special Staff, South-West District, New Delhi received a secret information through a source that a very desperate and violent criminal, namely Jitender Sharma @ Harish Sharma S/o Shri Jai Lal, resident of Wagle Ki Dharamsala, near railway station, Bhiwani, Haryana, who is a life convict in a murder case and an escape from custody was likely to come at Chand Nagar, near Tilak Nagar, Delhi. SI Raj Kumar further developed this information and acting on a specific tip, he along with other officers and men surrounded the house No.285, in Chand Nagar where the criminal was staying. The desperado, on seeing SI Raj Kumar opened fire. Perhaps he recognized the Sub-Inspector who had also arrested him in 2002. SI Raj Kumar challenged the fugitiv to surrender. From the door that was lying ajar, Jitender Sharma started firing from his revolver and one of the bullets hit SI Raj Kumar on his chest and got stuck in the bullet-proof jacket that he was wearing. Unmindful of his personal safety, SI Raj Kumar shot back and the desperado fell down and removed to DDU Hospital where he was declared 'brought dead'. Jitender Sharma had fired five rounds before he could be incapacitated. Jitender Sharma, the desperate criminal was a terror not only in Delhi but also in states of Haryana, U.P and Rajasthan where he had spent his tentacle and had a large network of criminals who were ready to act at his command. The Delhi Police had announced a reward of Rs. 20,000/- on his arrest. Jitender Sharma had also extended threats to police officers who had arrested him earlier.

In this encounter, Shri Raj Kumar, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th January 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 139–Pres/2004- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/ Shri

1. Rajbir Singh, Assistant Comissioner of Police. (2nd Bar to PMG)
2. Mohan Chand Sharma, Inspector. (2nd Bar to PMG)
3. Govind Sharma, Sub-Inspector.
4. Sanjay Dutt, Sub-Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 09.05.2002 three militants of Lashkar-e-Toyyaba namely (i). Sheikh Sajjad S/o Gulam Mohd. Sheikh R/o Patshai Bagh, Lasjan, Srinagar, J&K, (ii) Meharajuddin Peer @ .Hilal S/o Gulam Ahmed R/o Putu Khah Muqam, Tehsil Sopore, Distt. Baramullah, J&K and (iii) Firoz Ahmed Sheikh S/o Late Mohd. Ameen Sheikh R/o Omar Colony A, Lane No.4, Lal Bazar, Srinagar J&K near Hazrat Nizamudin Railway Station area were arrested while they were exchanging a consignment of explosives and hawala money. Large quantity of explosive, cash and cell phone were recovered from their possession. The accused persons were interrogated. Firoz Ahmed Sheikh disclosed- that two of his associates Abu Bilal, who was involved in Red Fort shootout and Abu Zabiullah both Pak Nationals and having sophisticated weapons with them, were waiting for them at Humayun Tomb parking. A team led by ACP Rajbir Singh reached the spot where the two militants were spotted standing beside their car. When the police teams moved into apprehend the militants, the militants fired at the police party and kept on firing. The police party returned the fire and in the ensuing shootout, both the militants were killed. Both the slain militants were identified as Abu Bilal and Abu Zabiullah. A case vide FIR No.9/2002 dated 10.05.2002 u/s 3/4/5 POTA, 186/353/307/34 IPC & 25/27 Arms Act PS Special Cell (SB), New Delhi was registered in this regard.

Shri Raibir Singh ACP closely supervised the entire operation and led the police party from the front. During the encounter with the Pak militants he swiftly took his position near the militant's car. When the police party tried to apprehend the Pak militants, the dreaded duo opened the fire upon the police party. ACP Rajbir Singh very closely faced the hail of bullets from the trained militants. Undeterred and unfazed, he bravely faced the militants and fired 7 rounds from his service revolver. He was also hit by the bullet fired by the defiant militant but he had a close shave by virtue of his bullet proof vest.

Shri Mohan Chand Sharma, Inspector led the police party who identified and apprehend the three militants namely: 1. Sheikh Sajjad 2. Mehrajuddin Peer @ Hilal and 3. Firoz Ahmed Sheikh after the transaction of explosives and cash. During the encounter with the Pak militants, Inspr. Mohan Chand Sharma took his position near the militant's car parked near DDA Park, Humayun Tomb. When the police party tried to apprehend the Pak militants, the dreaded duo opened the fire upon the police party. Inspr. Mohan Chand Sharma very closely faced the hail of bullets from the trained militants. Without caring for his life and exhibiting courage and determination, he bravely faced the militants and fired 6 rounds from his service pistol. One round fired by the defiant militant also hit him on the chest but he survived by a whisker due to his bulletproof vest.

Shri Govind Sharma, SI, was member of the police party involved in the daring shootout with the Pak militants. During the encounter with the Pak militants he swiftly and stealthily took his position in the DDA Park adjoining the Humayun Tomb parking. When the police party tried to apprehend the Pak militants, the dreaded duo opened fire upon the police party. In coordination with other team members, SI Govind Sharma, without caring for his life bravely intercepted the Pak militants- Abu Zabiullah who was trying to make his way through the park. SI Govind Sharma, exhibiting outstanding valor, bravely faced the militant and fired 6 rounds from his service pistol. Bullet fired by the defiant militant also hit him on the chest but he survived by virtue of his bullet proof vest.

Shri Sanjay Dutt, SI was member of the police party involved in the daring shootout with the Pak militants. During the encounter with the Pak militants he swiftly and stealthily took his position in the DDA Park adjoining the Humayn Tomb parking. When the police party tried to apprehend the Pak militants, the dreaded due opened fire upon the police party. In coordination with other team members, SI Sanjay Dutt, without caring for his life bravely intercepted the Pak militant- Abu Zabiullah who was trying to make his way through the park. SI Sanjay Dutt, very closely faced the hail of bullets from the trained militants and narrowly escaped death. Without caring for his life, he bravely faced the militant and fired 4 rounds from his service pistol. One round fired by the defiant militant also hit him on the chest but he survived by virtue of bullet proof vest worn by him.

In this encounter, S/Shri Rajbir Singh, Assistant Commissioner of Police, Mohan Chand Sharma, Inspector, Govind Sharma, Sub-Inspector, & Sanjay Dutt, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th May, 2002.

BARUN MITRA
Director

No. 140--Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Ajit Singh,
Head Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In October 2002, an eunuch, named Zareena was murdered in Raghuvir Nagar on which a case FIR No.808/2002 U/S 302/436/108/120-B IPC was registered in PS Rajouri Garden. 4 accused namely Dharampal, Geeta, Parvej and Manju @ Solanki were arrested in this case and have since been running in judicial custody. One Neelam, a 38 years old eunuch, who was a very influential person in kinner society, was a star witness in the above case and was very active in opposing the bail to these accused. The case was pending trial in the Court of Sh. V.P.Vaish, Addl. Session Judge in Tis Hazari Court. Since Neelam was very vehemently opposing the grant of bail to the accused persons and also actively marshalling the prosecution witnesses, she was seen as a major stumbling block by the accused persons in securing bail as well as getting acquitted in the case. Since Neelam was also aware of this and she suspected threat to her life from these persons. On 28.4.2003, the case had come up for hearing of bail matter in Court No.119 of Sh. Vaish, ASJ. Neelam alongwith her associates (around 20 in numbers) had come to PP Tis Hazari and gave an application asking for security as she apprehended that she may be harmed. Taking action on her application, I/C PP Tis Hazari detailed Const. Nand Kishore to provide security to Neelam and accompanied him with her for the hearing. At around 3.15 P.M. after the court proceedings were over and as Neelam alongwith her escort was coming out of the court room, a man fired at her from point blank range. He fired 4 shots out of which one hit Neelam in the head and 2 entered her back. The 4th shot injured Const. Nand Kishore in his thigh who was detailed for Neelam's security. Head Constable Ajit Singh, No.33/N, working as PSO to Mr. J.P.Singh, District & Session Judge, was coming after collecting the list of hawkers to be submitted to PP Tis Hazari as desired by ADJ and pursuant to orders of the High Court. He was in front of Court No.107 when the first shot was fired. As reaction of a trained personnel, he took out his pistol and without caring for, his own life, immediately rushed towards the assailant who was continuously firing. The Head Constable showed great presence of mind and caught hold of the assailant's hand which held the pistol. While he did this, the assailant fired the fourth round. Empty shell of this fourth round hit the Head Constable in the chest and made a grazing mark. Because of his intervention, the bullet hit Constable Nand Kishore, security man of the deceased eunuch, only in the thigh or else it would have also injured him fatally. Head Constable Ajit Singh then pressed the catch of the magazine which loosened the magazine and

rendered the pistol useless for firing anymore rounds. He then dispossessed the assailant of his weapon and overpowered him. He also quickly brought him to the police post lest the situation turned ugly at the spot. It was an act beyond the call of duty and brought laurels to police force for deft handling. The killer was later identified as Mani Gopal @ Shri Gopal (28 years) who was an unemployed youth of Nazafgarh area and was hired by the accused persons to kill Neelam so that she is not able to depose against them in the court and also to weaken the opposition she was causing in her bail matter. The assailant was carrying a sophisticated Chinese made pistol which had four rounds left in it after firing 4 shots.

In this encounter, Shri Ajit Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th April, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 141–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Gujarat Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri R.V. Asari.
Deputy Superintendent of Police.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Shri R.V. Asari SDPO, Dahod was retruning at about 19.00 hrs through NationalHighway No.8 from Bharuch after his investigation of Dahod Rural Police Station ICR No. 140/02 u/s 395, 397 of IPC in a private car with three police Constables. While passing Karjan and for Karjan En-route, suddenly he saw traffic was block and some notorious violent Dafer persons with lathi and deadly weapons attempting on people to rob them. Shri Asari apart from his assigned duties also took initiative to help helpless people. Though Shri Asari had limited force, realizing danger to lives of people Shri Asari fired two rounds of his service pistol, in which one Dafer was injured and due to sound of firing, the remaining Dafers ran away in nearby fields. While inquiring the injured persons it was known that the injured Dafer was nobody else but the Chief of highway robber gang Allarakha @ Suleman Katiyo. The arrest of Suleman Katiyo resulted at in detection of 12 highway loots and a murder. Thus Shri Asari's out standing courage and daring act resulted in the arrest of most wanted hard core criminal. The exemplary daring and valiant efforts of Dy.S.P. Shri Rajendra Asari resulted in saving many helpless people from injuring as well as looting on N.H. 8 single handedly with limited force in total disregard to his personal safety.

In this encounter, Shri R.V. Asari, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th September, 2002.

BARUN MITRA
Director

No. 142–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Haryana Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ram Kumar,
Assistant Sub-Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 23.5.2003 a police party was deputed to Bostal and District Jail Sonipat to produce under trial prisoners Anoop Singh S/o Shri Surat Singh, caste- Jat, resident of Mitro and Vinod Kumar at District Courts, Rohtak. They parked the police vehicle in front of judicial complex, where one Govt. vehicle of District Jind had already been parked. At about 11.45 A.M. on asking of accused Anoop Singh to go to toilet, A.S.I. Ram Kumar, Incharge Escort Guard alongwith EHC Raj Singh, No.6/RTK who was holding his hand, constables Ashok Kumar No.706/RTK Satender No.809/RTK Sucha Singh, No.842/RTK and constable Raghu Nath No.867/RTK, brought him on the ground floor but the toilet of ground floor was found already locked hence while they were going upward in the staircase for first floor and reached the middle, all of a sudden firing started from first floor on accused Annop Singh as well as on the police party. EHC Raj Singh No.6/RTK and accused Anoop Singh received injuries. In order to save the accused Anoop Singh as well as police personnel, ASI Ram Kumar No.97/RR at once counter fired on the assailants. Some of the assailants escaped while firing on the people. .In this regard, departmental enquiry is being conducted separately against the delinquent officials for showing negligence and cowardice in their duties. One of the assailants was caught by ASI Ram Kumar who was later on identified as Mukesh S/o Shri Hans Raj, caste' Jat, resident of Ghevra, P.S.Kanjhawala, New Delhi. ASI Ram Kumar intimated the police control room at once from escort vehicle regarding the incident. Due to timely intimation, two fleeing assailants were caught, who were later on identified as Kaptan Singh S/o Shri Ranbir @ Ran Singh, caste Ror, resident of Rangruti Khera, P.S. Assandh, District Kamal, who was injured during firing by ASI Ram Kumar, No.97/RR and his accomplice Joginder Singh @ Gola S/o Shri Nafe Singh, caste Jat, resident of Ladpur, P.S. Kanjhawala, (Delhi). About the shoot out in Court Complex, a case FIR No.264 dated 23.5.2003 was registered at P.S. Civil Lines, Rohtak under Sections 302, 307,333, 353, 148, 186 Indian Panel Code and 25 Arms Act. During this incident, ASI Ram Kumar No.97/RR by showing extra ordinary courage sent his fellow officials and accused Mukesh in PGIMS, Rohtak at once. In this way ASI Ram Kumar, No.97/RR, In-charge Escort, saved the life of police officials, other accused of Anoop gang, caught the fleeing accused Mukesh, supplied timely information to control room and sent the injured officials and accused Mukesh to the PGIMS Rohtak by showing extra ordinary courage, acuteness and fidelity.

In this encounter, Shri Ram Kumar, Assistant Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd May, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 143–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Shakeel Ahmed, Constable. (Posthumous)
2. Jatinder Singh Chib, Police Sub-Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On Sept.02, 2003 specific information regarding meeting of terrorist Commanders in Dara Sangla, District Poonch, was received where after the area was cordoned and house-to-house search carried out. During the process, while the Police party was approaching the specified house, all of a sudden four terrorists came out of the house and started indiscriminate fire and resultantly four police personnel including that of Const. Shakeel Ahmed No.928/P received bullet injuries. Despite the injuries, the jawans returned the fire. The terrorists were trying to flee towards nearby jungle while firing heavily on troops. PSI Jatinder Singh Chib. No.7251/NGO, exhibited great leadership skills and held his men together. He divided his small group of 20 men in two parts to block both the exit routes of terrorists. On noticing that two terrorists were escaping from the right exit route, the PSI chased them without caring for his life. Braving bullets and grenade blasts, PSI Chib shot dead both the terrorists. Further, on observing that PSO Imran Khan No.254/SPO who had engaged two terrorists on fire, was bleeding profusely and loosing grip on his AK rifle, the, officer dragged him to the nearby tree and thereafter lifted him to a safer place for evacuation to hospital. In this encounter 05 terrorists were killed and Const. Shakeel Ahmed No.928/P, sacrificed his life. Following recoveries were made from the slain militants:-

1. Rifle AK-47 - 05 Nos (Damaged)
2. Mag.AK - 09 Nos.(Damaged)
3. Radio Set - 01 No. (Damaged)
4. Hand Grenade - 06 Nos. (Destroyed in Situ)

In this encounter Late Shakeel Ahmed, Constable & Shri Jatinder Singh Chib, Police Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd September, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 144–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rajesh Kumar, (Posthumous)
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Upon an information regarding presence of terrosits at village Banita, Teh. Mendhar, Poonch, on 11.7.2003, a joint operation was launched by Police. During cordon/search operation, terrorists hiding in bushes and maize crop, on spotting the operational party, fired indiscriminately resulting in injuries to some members of the operational party including Constable Rajesh Kumar No.367/P. The said constable, despite being hit by a bullet and bleeding profusely, crawled forward and dragged one of his injured colleagues namely Const. Saif Ahmed No.933/P who was under heavy volume of fire and brought him to safer place and continued firing on the terrorists. While the gun battle was going on, he saw a terrorist fleeing from close by. Though his hands were trembling because of excessive oozing of blood, he managed to shoot him and injured him. Later he went into coma and succumbed to injuries. Following recoveries were made:

1.	Rifle AK-47	-	01 No.
2.	Magazine AK	-	02 Nos
3.	Hand Grenade	-	02 Nos
4.	Rounds AK	-	30 Nos
5.	Magazine Pouch	-	01 No.

In this encounter, Late Rajesh Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty and made supreme sacrifice in the maintenance of the highest tradition of the service.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th July 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 145–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Neeraj Charak, (Posthumous)
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 02/07/2003, on receipt of specific information about the presence of terrorists in village Qadipora, Pakherpora, Budgam, a joint search and cordon operation was conducted. Terrorists hiding in the house of one Sona Bhat *R/o* Qadipora, were asked to surrender, but paying no heed to the call, they resorted to indiscriminate firing upon the search party, which was retaliated by troops in self defence, and a fierce encounter ensued. During the encounter, Const. Neeraj Charak No.345/IRP 4th Bn. without caring for his own life zeroed into the hideout of terrorists and killed one hardcore namely Shabir Ahmed Dar ofHM outfit and in the process he sustained serious bullet injuries and later on succumbed to his injuries on the spot. Following recoveries were made:

1. AK-47 rifle	-01
2. AK Mag	-03
3.AK Amn	-20 rds.

In this encounter, Late Neeraj Charak, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd July 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 146–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Karan Singh, (Posthumous)
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 14.06.2003, SP Poonch, received a specific information about presence of militant commanders of JEM, Al-Bader and HM at Hari Marhote, in the jurisdiction of Police Station Surankote, who were holding a meeting to discuss strategies for attacks on minorities, army establishments etc. SP Poonch immediately left for the spot along with Police party. On reaching the hide out they came under heavy volume of fire from terrorists who had occupied advantageous points. Terrorists armed with sophisticated weapons were firing from three different houses. S.P. Poonch, assessing the situation, divided the police party in 3 sections one headed by SP himself and the other two by Dy.SsP. The Section led by Shri Ashok Sharma, Dy.S.P, had a difficult task. He started searches of houses by dividing his group into sub-sections. The section comprising of Dy.S.P. Ashok Sharma, Constable Karan Singh No.298/P and Constable Jaspreet Singh No.775/P, while searching the house of Mohd. Sadiq S/O Abdul Karim R/O Marhote came under heavy fire from the hiding terrorirsts, and constable Karan Singh No.298/P sustained bullet injuries in his chest, bleeding profusely. He was evacuated for treatment but succumbed to injures en-route. Subsequently the target house was covered by Police party from all directions, and the holed up militants firing indiscriminately came out of the house and tried to flee, but were shot dead by the vigilant policemen. In all 10 militants were gunned down by the Police party in the entire operation.

The following recoveries of arms/ ammunitions were made:-

(i) Rifle AK-47 -7 Nos.
(iii) Pika Gun - 1 No
(iv) Link Pika - 1 No
(v) Pika ammn. - 200 rounds
(vi) Pistol with Magazine 200- 1 No
(vii) UBGL thrower - 1 No
(viii) UBGL Grenade - 4 Nos
(ix) Rocket
- 1 No.

In this encounter, Late Karan Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th June, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 147–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. S.M. Sahai, IPS, Deputy Inspector General.
2. Abdul Aziz, Constable No. 519/P.
3. Sharbat Hussain Shah, Constable No.719/P.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receiving a specific information regarding movement of hardcore terrorists in the area of Mohra Bachhai, Surankote, district Poonch, Shri S M Sahai, DIG Poonch, Rajouri Range on October 31, 2003 alongwith SHO P/S Surankote and his other Jawans, planned an operation. While the officer and his men were approaching the target house, (despite steep climb and disadvantage of the terrain), the police party-faced indiscriminating firing from the hiding terrorists. The police party, amid heavy firing, managed to approach the targeted house. Police party under the leadership of DIG, had to exercise utmost.restraint to save life and property during this process. Shri Sahai divided the Police Party into two groups, one group was led by the SHO and the other one which approached the house from the front was commanded by him personally. With a view that the terrorists should not be able to escape, the firefight continued for half an hour. During the encounter Shri Sahai and Constable Abdul Aziz 519/P accompanying him, saw two militants attempting to escape, firing indiscriminately on the police party. Without caring for their personal safety they returned the fire and killed both the terrorists. Till then, the army had also reached the spot and engaged other four militants hiding inside. While the fire fight was on, two more militants tried to escape through the cordon, firing indiscriminately. This was retaliated by Constable Sharbat Hussain Shah No. 719/P and the army column accompanying him. In the encounter one army JCO namely Sub. Ajay Singh JCO-488513, managed to kill the terrorists before laying down his life. The encounter continued for the whole night and next morning other two militants were also killed. Constable Sharbat Hussain Shah, showed extra- ordinary courage in facing the last two terrorists from the front and was able to kill them. In this operation, 6 militants were killed. The following arms/ammn were recovered.

(1) Rifle AK-56	-6Nos	(8) Pika Amn	-385 Nos
(2)AK56 Magazine	-08 Nos	(9) RDX	-10 Kgs(D)
(3) Amn AK-47	-81 Nos	(10) RPG Buster Charger	-10 Nos (D)
(4) Hand Grenades	-14 Nos (D)	(11) RS Anteenas	-06 Nos
(5) UBGL Grenades	-35 Nos (D)	(12) RPG rounds	-03 Nos (D)
(6) RS Alinco	-02 Nos(D)	(13) Sniper sight case	-01 No.
(7) Pika Gun	-02 Nos		

In this encounter, S/Shri S.M. Sahai, Deputy Inspector General, Abdul Aziz, Constable & Sharbat Hussain Shah, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st October,2003.

BARUN MITRA
Director

No. 148--Pres/2004- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Farooq Ahmed, IPS Deputy Inspector General. **(1st Bar to PMG)**
2. Bal Krishan Koul, SG Constable. **(Posthumous)**
3. Ashok Kumar, SG Constable.
4. Kunj Lal, Constbale.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On November 30, 2003, information was received that two terrorists sighted near Pouni Chack, when signaled to stop, fired upon the sentry of the Police Post. Alert was sounded throughout the Jammu City and search for these scooter borne terrorists started. While trying to get clear of the city Police cordon and nakas, the terrorists dumped the hijacked scooter near Gole Gujral and boarded a mini-load carrier at gun point forcing the driver to move towards Sidhra where they fired on an ambassador car carrying a senior IAS Officer Shri K.B. Pillai. As a result of this firing, the officer, his PSO and the driver were injured. By now the Police had cordoned the entire area as a result of which the terrorists took shelter in the Maha Maya forest. Different Police parties led by Shri Farooq Ahmed, DIG Jammu Range and SSP Jammu attempted to track the terrorists but due to thick foliage did not succeed. It was at this point of time, that dog squad was requisitioned through Police Control Room Jammu. SG Ct. Bal Krishan Koul No. 25/CR and Const. Ashok Kumar No. 203/CR along with Tracker dog "Hero" were deputed to the cordoned site where the terrorists were hiding. The tracker dog and the two dog handlers joined the search party headed by the DIG Jammu Range without any hesitation. It is worthwhile to mention here that both the handlers immediately on arrival set to work and infact led the search party over the difficult forest terrain, without caring for the danger to their lives. As the dog smelt the track of the hiding terrorists, the DIG Jammu and the party rushed towards the interior of the dense forest. Seeing the approaching Police Party led by the dog "Hero", the terrorists lobbed a grenade followed by quick bursts of AK - 47 fire, as a result of which the dog "Hero" and one of his handlers, SG Ct. Bal Krishan Koul No. 25/CR, died on spot, while Ct. Ashok Kumar No. 203/CR and Ct. Kunj Lal No.2417/J received bullet injuries. The DIG Jammu Range also received some splinter 5 injuries. Inspite of the causalities suffered by the party, none of the personnel including the injured showed any panic and continued to stand fast on the battleground, returning the fire and pining down the terrorists. Retaliatory fire forced the terrorists to flee from that place as a result of which the injured were retrieved from the scene of encounter. Additional reinforcement was sought and the two terrorists were finally eliminated. The following arms/amn were recovered.

(i) Rifle AK-47 - 02 Nos
(ii) Magazine AK - 47 - 06 Nos
(iii) Rounds AK -47 - 09 Nos

(iv) Pistol Chinese 7.62mm - 2 Nos with 2 pistol magazine & 22 pistol rounds
(v) Chinese Hand Grenade - 03 Nos
(vi) Pistol Holister - 01 No.

In this encounter, S/Shri Farooq Ahmed, Deputy Inspector General, Late Bal Krishan Koul, SG Constable, Ashok Kumar, SG Constable. & Kunj Lal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th November, 2003.

BARUN MITRA
Director

DIRECTOR

No. 149–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Sameer Pandita, Constable.
2. Ashiq Hussain, SG Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receiving a specific information that a group of foreign mercenaries has assembled in Boniar, Malik Mohalla, Kalaroos (Kupwara) for coordinating the terrorist activities/ sabotaging the VIP/ Security forces movement and to spread a reign of terror in the district, a joint search operation was carried out in the village on 12/13.09.2003. During this process, terrorists hiding in the village after observing the movement of troops started indiscriminate firing on the searching party and also lobbed hand grenades in succession upon them. Due to apprehension of causalities to the troops, when there was no option left, Dy.SP V.K. Bhatt alongwith SGCT Ashiq Hussain No1027/P and CT Sameer Pandita No.556/IRP 6th Bn, advanced by crawling towards the maize filed, where the militants were hiding. In the meantime two terrorists "fidayeen" came out from the maize field and advanced towards nearby searching party by resorting to indiscriminate firing and lobbing of grenades. On noticing these two terrorists, the search party, using highest degree of tactics retaliated and shot them dead on spot. One terrorist hiding in the maize field managed to escape towards nearby built-up areas but was chased by the Police party, without caring for their lives and resultantly he was also killed on spot. The following items/articles were recovered from slain terrorists.

(a)	AK Rifle	03
(b)	AK Rds	145
(c)	AK Mag	09
(d)	Hand Grenade	05- Destroyed in situation
(e)	UBGL Grenade	04- Destroyed in situation
(t)	UBGL	01
(g)	Radio set	01 Damaged.

In this encounter, S/Shri Sameer Pandita, Constable & Ashiq Hussain, SG Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th September 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 150–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Ravi Singh,
Police Sub-Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a specific information regarding presence of hardcore terrorists in Salbala, Gool, area of District Udhampur, a joint operation was launched by STF Gool on 19.9.2003, under the supervision of Dy.SP (Ops) Gool. During the search operation, terrorists started indiscriminate firing on the search party, which was retaliated effectively and an encounter ensued. PSI Ravi Singh No.7796/NGO, led a small crack team that zeroed on the target came under heavy volume of fire. Without caring for his life, he showed great courage and presence of mind in evading terrorist fire and engaged them in three hour gun battle from close range and during this process three terrorists including an area commander of LeT outfit of Gool area were gunned down on spot. Following arms/ammunition were recovered from the possession of slain terrorists:

1.	AK 47 Rifle	01No.
2.	AK 56 Rifle	01No.
3.	AK Mags	03 Nos.
4.	AK Amn	135 Rds.
5.	Hand Grenade	02 Nos.
6.	Rocket	02 with Launchers
7.	Pocket Diaries	04 Nos.

In this encounter, Shri Ravi Singh, Police Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th September, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 151–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Karnataka Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Babu Noronha,
Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12-10-2003 early in the morning at about 3 a.m. Shri Babu Noronha, Police Inspector who was on night rounds received credible information from the Police Inspector, Ramamurthy Nagar Police Station that a dreaded interstate criminal Sagayam from Kolar Gold Fields was hiding in a building under construction in Annayaih Reddy layout in Ramamurthy Nagar PS limits and was armed with fire arms. Shri Babu Noronha, Police Inspector, immediately rushed to the spot to assist the Police Inspector, Ramamurthy Nagar PS. At that time, the weather was very rough with heavy down pour and the wind was blowing at a high speed. Along with the Police Inspector of Ramamurthy Nagar and the Police team, Shri Babu Noronha identified the building under construction in which the dreaded criminal was hiding. The building was in total darkness. Around the building, there were many vacant plots which were full of wild vegetative growth making the building a very suitable hideout for a criminal. Weather continued to be rough with a heavy down pour. Without fearing for his life, Shri Babu Noronha, Police Inspector led the Police team towards the building under construction where the dreaded criminal Sagayam was hiding. The Police team did not know about number of other associates of Sagayam also taking shelter in the same building. Police from Kolar Gold Fields, Kolar, Tamil Nadu and Bangalore have been on a hot chase of this dreaded criminal Sagayam who is involved in more than 37 serious criminal cases of assault, attempt to commit murder, robbery, dacoity and murder. This dreaded criminal Sagayam was also arrested under TADA in the year 1993 by Kolar Gold Fields Police. He had been eluding Police and could escape Police dragnet many times in the past. Therefore, the Police Inspector Shri Babu Noronha, without losing any time, in the most adverse conditions when there was no light in and around the building, when there was a heavy down pour with wind blowing at a very high speed, advanced towards the building with a torch in one hand and his service pistol in the other hand. After approaching near the house, he heard some sound and asked for the watchman to come. However, there was no response. Suddenly, Shri Babu Noronha saw in the light of his torch, a person rushing towards him and the said person fired at Shri Babu Noronha from a close range with an intention to kill him. However, Shri Babu Noronha reacted fast, so the bullet hit the torch in his left hand and touching his finger skin, the bullet passed out. It was but for the instant reaction of Babu Noronha he would have been a victim of the bullet of the rowdy Sagayam. Shri Babu Norgnha immediately rolled over the ground and without losing his presence of mind and the courage, shouted at his-team also to duck down and shouted at the rowdy to surrender. However, this yielded no result as the rowdy started running into the vacant field, which was full of bushes and shrubs under the cover of darkness. Shri Babu Noronha, without loss of time and in the highest professional manner without fear or his own life or limb and with full

alertness of a true Policeman, chased the rowdy. The rowdy Sagayam again fired at Shri Babu Noronha one more round and the officer had no choice but to shoot at the criminal to save his own life and that of his team as well as to prevent the criminal running away from the clutches of law once again. 4 rounds were fired by Shri Babu Noronha and 8 rounds from the Police team and all the rounds hit the rowdy Sagayam. The rowdy Sagayam succumbed to the injuries at the spot itself..

In this encounter, Shri Babu Noronha, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th October 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 152–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Meghalaya Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri S. Nongtnger,
Deputy Superintendent of Police.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Shri S.Nongtnger, MPS, Dy. S.P. (Hqr), who was posted at, Nangstoifi, collected information about a meeting between the NSCN (IM) and ANVC Cadres and the public of Khonjoy village, scheduled for 23/8/2003 at the said village, located at a place 180 Kms away from Nongstoifi. On receiving information on 21/08/2003 afternoon, the officer left on 22/08/2003 with a small force available at his disposal. On arriving at Borsora OP, which is about 20 Kms from the said village, he worked out a strategy to seal some key routes leading to the village. A proper briefing was given to each police personnel before leaving for the above mentioned village. Since any vehicular movement was bound to attract the attention of the villagers and the ultras, the officer decided to proceed to the village on foot. After a long and arduous march braving inclement weather and through difficult terrain and hostile environment, the officer was finally able to station his men at the ambush site at 0200 Hrs the next day. Although, the police party involved in laying the ambush, waited at the side until about 8: 15 AM the next day, no movement of the ultras could be found. The officer was himself manning one of the ambush sites along with his three PSOs. Two of his PSOs requested to be allowed to go to answer nature's call. Before they could return, three ultras appeared suddenly on the route where ambush was laid. The leader of the group was armed with an AK Series Rifle and the rest appeared to be armed with small arms. Inspite of being out-numbered, the officer asked the ultras to halt and surrender. The leader of the group who was armed with AK Rifle started firing indiscriminately at the officer and his PSO. The officer noticed one of the ultras running away towards the left side while the other two ran in the opposite direction. He sent his PSO to pursue the lone ultra and with total disregard to his own safety, he himself chased the other two ultras one of whom was armed with an AK Rifle. The officer was also armed with an AK Rifle while chasing the ultras. The officer fired at the ultra who was armed with AK Rifle and managed to gun him down. The other ultra managed to escape under cover of the dense forest. The officer thus displayed great courage in chasing two ultras one of whom was armed with an AK rifle, disregarding his personal safety and eventually gunning down their leader. He also displayed excellent leadership qualities under extremely challenging circumstances and showed true determination in dealing with the ultras. The operation resulted in the killing of Topica Sema, selfstyled 2nd Lieutenant of NSCN (M). One AK Series Rifle, three AK Magazines, ammunition and one hand held Wireless Set were recovered from the slain ultra who was the Operational Commander of Borsora and Shallang Coal belt areas.

In this encounter Shri S. Nongtnger, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd August, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 153–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. K. Santosh Singh, Sub-Inspector.
2. Jiringamba Singh, Head Constable.
3. N. James, Constable.
4. A. Premjit, Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 2-2-2004, on receipt of a reliable information that some underground armed elements were loitering in and around Thangmeiband area with a view to attack security forces at any opportune moment, two teams of Imphal West Commando, one led by S.I. K Santosh Singh and another led by Head Constable Y. Jiringamba Singh rushed to Thangmeiband Yumnam Leikai area in two vehicles. At about 3.40 p.m. when the Commandos were proceeding towards the foot hill of Thangmeiband Cheiraoching (Yumnam Leikai) in their vehicles, four youths were seen standing at a distance of 100 meters away from the road near the hill, in a suspicious manner. When SI Santosh Singh called them for verification, the youths took out small arms and opened fire towards the Commandos and started running in different directions. Immediately the Commandos stropped their vehicles and made a hot chase of the fleeing youths. The Youths, on perceiving the determined acts of the Commandos, tried to climb up the hill with continuous firing towards the Commandos and the Commandos also retaliated. SI Santosh, Constable No.940 1030 N. James advanced forward, amidst the heavy firing, from the eastern side and retaliated to the firing of one youth. On the other hand, Head Constable Y. Jiringamba closely followed by Constable No.OlO1045 A. Premjit and Constable No.911011 Kh. Inaobi were in the hot pursuit of another armed youth who was trying to climb up the hill. The youth, by covering himself behind the retaining wall of the hill-side, fired upon the Commandos. However, the Commandos did not deter from further action, rather in utter disregard of their personal safety, advanced forward and charged against the youths. Thus, there ensued a encounter for about 10 minutes. At this juncture, SI Santosh commanded his party to make a hot pursuit of the youths lest the armed youths might escape. SI Santosh followed by N. James from one direction and Head Constable Jiringamba and Constable Premjit from another direction advanced forward strategically. In the encounter, two of the armed militants were hit by the bullets of the Commandos and another two youths escaped by taking coverage of the trees and clutches of bamboo standing by the hill-side. The dead bodies were subsequently identified as that of (i) Nongthombam Ibomcha @ Sobha @ Roshan, S/O (Late) N. Chandramani Singh (aged about 20 years), resident of Lamboi Khongnangkhong, P.S. Lamphel, Imphal West District and (ii) Heisnam Guna Singh, s/o H. Ratan Singh (20 years of age) resident of Pishum Oinam Leikai, Imphal. Nongthombam Ibomcha was the S/S Lance Corporal of the outlawed organization Peoples Revolutionary Party of Kangleipak and Heisnam Guna @ Nipo Singh was S/S

Private of PREP AK. The following arms and ammunition were recovered from the spot:

1) One 9mm Pistol bearing No.GB-213B 9mm Para 200059 marked as NORINCO, MADE IN CHINA loaded with three live rounds of 9mm ammunition.

2) One 9mm Pistol marked as MODEL 2139 x 19mm MADE IN CHINA BY NORINCO bearing butt No.411729 and one magazine loaded with two live rounds.

In this encounter, S/Shri K. Santosh Singh, Sub-Inspector, Jiringamba Singh, Head Constable, N. James, Constable & A. Premjit, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd February, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 154–Pres/2004- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Punjab Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. H.S. Sidhu, Senior Superintendent of Police. (1st Bar to PMG)
2. Jaswinder Singh, Head Constable.
3. Pushap Bali, Head Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Sh.H.S.Sidhu, IPS, SSP, Jalandhar alongwith other officers was present at House No.105, Adarsh Nagar, Jalandhar in connection with proceedings of Case FIR No.123 PS Division No.2 uls 392/365/342/454/511/506 IPC and 25/54/59 Arms Act. A 7 years old child named Ashna had been held hostage by a heavily armed desperate criminal. Best efforts by all concerned to negotiate safe release of the child had been made for over 11 hours but failed. Sh.Harpreet Singh Sidhu, IPS assessed the situation and personally prepared an operational plan to rescue the child, for which he made two groups of police personnel, each led by Sh.Sajjan Singh Cheema, PPS and Sh.Rajinder Singh, PPS who were both volunteers for the task. Harpreet personally briefed and deployed both the parties. He armed himself with AK-47 Rifle and took position at a ventilator giving some visibility into the area of operation. His sensitive task was to immobilize the criminal and prevent him from harming the child before she was rescued. The task was to be accomplished in almost total darkness without aid of any night vision device. At this stage the criminal gave an ultimatum that if his demands were not met with, within two minutes he would kill the child. There upon Harpreet took the final decision to launch the assault. From his position, Harpreet challenged the criminal at which the criminal fired two shots at Harpreet with intention to kill. With utter disregard for his personal safety he maintained nerves of steel and returned effective fire on the criminal injuring him gravely. Sh.Sajjan Singh Cheema and Sh.Rajinder Singh alongwith HC Pushap Bali, HC Jaswinder Singh and others forced their entry in the split of a second; into the room occupied by the armed criminal. They were fired upon by the criminal, however, without caring for personal safety even though at grave risk and in the immediate proximity of the armed criminal they displayed indomitable courage of the highest order and pressed towards their objective of ensuring safety of the child while neutralizing the criminal. In a bold and brave action Sh.Rajinder Singh returned fire with his 9 mm pistol while being fired upon at close range. At this stage Harpreet again fired at the criminal to neutralize the threat to the police party. HC Pushap Bali and HC Jaswinder Singh fearlessly grappled with the armed criminal, disarmed and neutralized him. Thereafter, in a swift action Harpreet, Rajinder Singh, Pushap Bali, Jaswinder Singh rescued the girl unharmed and removed her to safety. One .38 Caliber Revolver with 2 live rounds, 3 spent cartridges ,one .315 Caliber Pistol with 1 live round and 1 spent cartridges were recovered from the killed armed criminal.

In this encounter, S/Shri H.S. Sidhu, Senior Superintendent of Police, Jaswinder Singh, Head Constable, Pushap Bali, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th October 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 155–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gurpreet Singh Bhullar,
Prob. Deputy Superintendent of Police; (Now Sr. Superintendent of Police Jalandhar).

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 29.9.1992, Police parties of Haryana Police and Pujab Police of Distt. Patiala were involved in a Joint Operation against heavily armed terrorists in the area of Haryana adjoining to Distt. Patiala. After firing on the police parties, the terrorists entered the dense' Sensor' forest in bid to escape. The police party headed by Shri Gurpreet Singh Bhullar, Prob. Dy.SP/Patiala, entered the forest from one side and challenged the terrorisis while the Haryana police put pressure on the hiding terrorists from the other side. The terrorists were firing indiscriminately on the police parties while Shri Gurpreet Singh Bhullar, returned the fire and kept moving ahead, encouraging the men at his command to follow him fearlessly. The hiding terrorists aimed at him and directed a heavy volley of fire at him. Even though the young and fearless Police Officer had a narrow escape, he continued advancing bravely and enthusiastically who forced the terrorists to flee from the forest towards village Guldehra where they took refuge in the sugarcane fields. Shri Gurpreet Singh Bhullar, entered the sugarcane fields in bullet proof tractor without caring for his personal security with the result the terrorists, under pressure, left the sugarcane field and entered the paddy fields of Amrisaria's Dera firing continuously on the police parties. Shri Gurpreet Singh Bhullar, in a display of uncommon bravery, exceptional courage, dedication and resolve, crawled his way through muddy paddy fields in the shower of bullets coming from the terrorists. During the course of firing SPO Baljit Singh who was following Shri Gurpreet Singh Bhullar, sustained bullet injuries at the. hands of terrorists. This police officer, while mounting pressure on the terrorists displayed high sense of duty, courage and valour, gave covering fire, with the result the injured SPO could be evacuated. Fierce firing continued for quite sometime. After firing stopped, the area was searched and dead bodies of two terrorists were recovered who had been killed in this face-to-face encounter at the hands of Shri Gurpreet Singh Bhullar and who were later on identified as Natha Singh, R/o Julmat (Haryana) belongs to KCF led by Parmjit Singh Panjwar and Ranjit Singh R/o Burj Distt. Amritsar belonging to KLF. One AK - 47 and one AK - 74 rifles with fired/live cartridges were also recovered. The area of operation gave the look of a pitched battle fields where the terrorists, equipped with lethal weapons had taken shelter, from where they could afford to fire on the police parties outside, with wanton freedom and abandon.

In this encounter, Shri Gurpreet Singh Bhullar, Senior Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th September, 1992.

BARUN MITRA
Director

No. 156–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Tripura Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Hemanta Debbarma, Sub-Inspector (UB).
2. Dhananjoy Prasad Singh, Rifleman/8th Bn TSR.
3. Debashish Majumder, Rifleman/8th Bn. TSR.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 3.2.2004 at about 1730 hours a secret information was collected by SI (UB) Hemanta Debbarma, O.C. Nepal Tilla P.S. that a group of NLFT (NB) extremist led by Kamaljoy Reang of Kukicherra P.S. Nepal Tilla was hiding and moving at Kukicherra PGP colony under Nepal Tilla P.S. On this information SI Hemanta Debbarma O.C, a special and secret joined operation was planned under the overall guidance of Shri Atul Debbarma, Asstt. Comdt, 8th Bn, TSR Ex - Nepal Tilla and Rifleman. Dhananjoy Prasad Singh and Rifleman Debasish Majumder were detailed as scout 1 and scout 2. Accordingly SI Hemanta Debbarama, O.C. along with Atul Debbarma, Asstt. Comdt 8th Bn TSR, G.S. Roy Asstt. Comdt 8th Bn, TSR, Sub Birchandra Singh and others 71 police/TSR personnel Ex - Nepal Tilla went to conduct joined operation at Kukicherra PGP colony under Nepal Tilla P.S. The operation party reached at Kukicherra PGP Colony and came under heavy fire from the extremists. On seeing this Rifleman Dhananjoy Prasad Singh (Scout 1) and Rifleman Debasish Majumder (Scout 2) shown extreme courage and approached towards from place from where fire was coming. After proceeding they noticed a group of extremist coming towards operational party and immediately operation party also resorted fire. After exchange of fire the operation party conducted thorough search in and around of P.O. and recovered two Chinese Assult Rifle with three magazine and 20 nos. of live rounds, 181 nos. of 9 mm ammunition (live) and others incriminating documents etc. Since it was dark night operation party awaited for dawn for further thorough search of the P.O. and contiguous area. On 4.2.2004 around 0730 hours while operational party conducting search in hillock jungle area, suddenly again came under heavy fire and also retaliated by firing which resulted in death of 2 un -known extremists of NLFT (NB) group and rest managed to flee away. On search, operational party also recovered polythine, hunting shoe one pair, OG color pittu, leather bag (pouch) and some clothing etc.

In this encounter, S/Shri Hemanta Debbarma, Sub-Inspector (UB), Dhananjoy Prasad Singh, Rifleman/8th Bn. TSR & Debashish Majumder, Rifleman/8th Bn. TSR, displayed conspicuous galiantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd February, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 157–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Tripura Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Narayan Ch. Saha,
Sub-Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the basis of a secret information regarding presence of NLFT (NB) extremist group at Jangalia under Bashitali G.S. under Bishalgarh PS, who are actively involved in collection of subscription and playing to kidnapped people for realizing ransom, Shri Saha, O/C BRG OP checked out operation plan. As per ops plan SI N C Saha along with other officer and men went to Bashtali on 16.11.2003 at 0200 hrs to lay ambush and carry out search operation. The ops party being divided into three groups laid ambush in three places with in one and half KM distance. All parties were in ambush upto 0800 hrs. Later on, Shri Saba directed the ambush party to concentrate at Jangalia in-front of the shop of one Bir Kumar Debbarama. Accordingly all ambush parties were concentrating through different foot tracks. Shri Saha reached first in front of the said shop. His accompanied ops party was at a distance of about 20 yards and challenged one youth. The youth on being challenged took out one grenade from his pocket with intent to kill the ops party. Simultaneously, SI Saha jumped upon him and caught his hands apart not allowing him to take out the safety pin of the hand grenade. SI Saha had no time to check his AK Rifles and shoot him. Meanwhile the extremist could remove the cap of the hand grenade for next action i.e. opening the pin, in the process both, SI N.C. Saha and the extremist came out of the shop through back door. The other staff could not help SI Saha due to short space inside the shop. In the scuffle left middle finger of SI Saha got badly injured and to nail pealed off. As a result, the extremist managed to came out and the moment again, he attempted to took out the safety pin of the grenade in order to blast it on the ops party. Constable Sudir Das and other Jawans fired upon him. Simultaneously some movement of 2/3 other extremist was noticed by the party. In the meantime the second ambush party also reached the spot through another road and found another extremist namely Pradip Debbarma @ Pati who was attempting to attack the ops party by throwing another hand grenade. In the lighting speed the ops party opened fire killing him on the spot in self-defence. Thus, the presence of mind, alertness and bravery action of Shri Saha saved himself and his accompanied security personnel. During search two hand grenades, one purse containing Rs.944/- some documents relating to collection of subscription, one Micro Cassette recorder, medicos etc. were recovered from the possession of killed extremists.

In this encounter, Shri Narayan Ch. Saha, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th November 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 158-Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Vijay Kapil, Inspector, STF/Lucknow.
2. Krishna Pal Singh Sirohi, Sub-Inspector, Int..
3. P.K. Mishra, Sub-Inspector/STF.
4. Deep Charan, Constable 47 Bn. PAC.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

During the Kumbh Mela at Allahabad, electronic surveillance had disclosed the designs of Pakistan backed militants to organize disruptive activities in various cities of northern India, including Delhi by procuring huge quantities of arms, ammunition and explosives. On April 18, 2001 at 3.30 AM a dare devil bloody encounter took place between three terrorists of Jaish-e-Mohammad, Salim, Sajjad and Saji @ Rashid and the S.T.F. teams. Information was received that these militants have assembled at Faizabad road near Vibhuti Khand in Gomtinangar area of Lucknow and they had planned to reach Faizabad by late night. These three militants were spotted by Mr. Vijay Kapil, Inspector and his team at the above-mentioned place and were asked to surrender. Instead of surrendering at their call, these militants opened indiscriminate firing at the police party with intention to kill them. Without bothering for their personal safety Inspector Sri Vijay Kapil, Sub-Inspector Sri Pradeep Kumar Mishra, Sub-Inspector Sri Krishna Pal Singh Sirohi and Constable Commando Deep Charan chased them and were lucky to survive the indiscriminate firing of the militants. The Police Party consisting of Inspector Sri Vijay Kapil, Sub-Inspector Sri Pradeep Kumar Mishra, Sub-Inspector Sri Krishna Pal Singh Sirohi and Constable Commando Deep Charan fired in retaliation and managed to gun down one of the militants. The other two militants kept on firing and running towards Vibhuti Khand where they were intercepted by the other teams and were gunned down by them. The Police Party consisting of Inspector Sri Vijay Kapil, Sub Inspector Sri Pradeep Kumar Mishra, Sub-Inspector Sri Krishna Pal Singh Sirohi and Constable Commando Deep Charan showed fearlessness and exemplary courage in this encounter and able to neutralize the same, well in time, thereby averting a major terrorist attack in Ayodhya, Faizabad. The following were recovered after the action:

1. One AK 56 rifle, 2. One AK 47 rifle with 3 magazine and 219 cartridges, 3. One 9 mm carbine with magazine and 36 Cartridges, 4. One Grenade Launcher with 10 Grenades, 5. One 9 mm Pistol with one magazine and cartridges, 6. 10 Hand Grenades, 7. 2 ID device with remote & 4 Electric detonator with explosive material., 8. One walky talky set & 9. Two mobile phones with SIM cards.

In this encounter, S/Shri Vijay Kapil, Inspector, STF/Lucknow, Krishna Pal Singh Sirohi, Sub-Inspector, Int., P.K. Mishra, Sub-Inspector, STF & Deep Charan, Constable 47 Bn. PAC, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th April, 2001.

BARUN MITRA
Director

No. 159–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Mohan Singh,
Havildar/General Duty.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

A column under Col V S Shekhawat, SM, Comdt had laid an ambush in general area Radhakrishnabari QT 9960 on the night of 13/14 Dec 2003. Seeing that one ambush will not be adequate at the intended location, Col V S Shekhawat, SM split his group into two, one under himself and another under No.6573IF Hav/GD Mohan Singh. Hav/GD Mohan Singh's party which was in close proximity to CO's party saw a group of suspects moving on the track ahead. On being challenged, two of them ran towards the open fields to the north and paid no heed of the warning shouts of Hav Mohan Singh. A warning shot was fired in the air inspite of which the individuals did not stop. The militants hurled a hand grenade towards the ambush party, which exploded close to the party. Hav/GD Mohan Singh, showing exemplary courage opened fire at the fleeing militants killing two militants on the spot. They were identified as Sergeant Amit Jamatia, Area Commander and Self Styled Private Bidyuth Debbarma. Both were listed hardcore NLFT (BM) militants. A large number of incriminating documents, extortion notes/receipt books were recovered from the dead militants.

In this encounter, Shri Mohan Singh, Havildar/General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th December, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 160–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Chandrahas,
Rifleman/General Duty.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 30 June 2003 approximately at 0240 hours Number 123840F Rifleman/General Duty Chandrahas alongwith his buddy were leading scouts of a column of Foxtrot Company ,on seek and destroy mission led by Captain R K Sharma in general area Nongren RM 5594. As the column was entering a Plantation at RM 5494, it was fired upon by Undergrounds from the adjoining heights with automatic weapons, which killed the guide self styled Sergeant Th Jiten Singh belonging to banned United National Liberation Front (UNLF). Number 123840F Rifleman/General Duty Chandrahas and Number 123764A Rifleman/General Duty Vinod Chandra displaying alertness and initiative returned the fire. In the meantime, while the column was being directed by Captain RK Sharma to encircle the undergrounds, Number 123840F Rifleman/General Duty Chandrahas saw one underground trying to escape through the thick vegetation taking advantage of darkness and heavy rains. He asked his buddy Number 123764A Rifleman/General Duty Vinod Chandra to provide covering fire to him and himself chased the fleeing underground and shot him dead. Number 123764A Rifleman/General Duty Vinod Chandra saw a second underground trying to slip away and shot at him, however, he managed to escape as was found later from the blood trail leading towards East. The operation resulted in the liquidation of W. Sunil alias Kangja alias Bolai, 32 yrs, District Secretary of Imphal (East) of banned United National Liberation Front (UNLF). The following recoveries were made:

(aa) Rifle AK-56 with bayonet - One (01)
(ab) Magazine AK-56 - One (01)
(ac) Live rounds AK-56 - Nineteen (19)
(ad) Rifle Point 30 US Carbine - One (01)
(ae) Magazine Point 30 Carbine - One (01)
(af) Live rounds Point 30 Carbine - Twenty four (24)
(ag) Live rounds Point 38 Revolver- Eleven (11)

In this encounter, Shri Chandrahas, Rifleman/General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th June 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 161–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Autar Singh, Bisht.
Havildar/ General Duty.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 07 July 2003, at about 1330 hours on receipt of information about a group of 05-06 armed cadres of NSCN (IM) present in village Chokdok and Longlung engaged in forcible recruitment of innocent youths, Havildar Autar Singh Bisht was tasked by Major Arun Deshpande, OC Changlang Company to organize a column to be launched in an operation to apprehend the undergrounds. Haviladar Autar Singh Bisht organized the troops in an amazingly short time frame and the operation was launched swiftly. At about 1500 hours, the column laid a well-planned ambush in general area Lunglong. At approx 1730 hours, the undergrounds were seen moving in pairs using civilians as human shields. When the whole group had walked into the ambush, they were challenged to surrender by the Company Commander. Havildar Autar Singh Bisht was then ordered by the Company Commander to frisk and disarm the undergrounds. While the undergrounds were being disarmed, one underground suddenly attempted to his grenade. Sensing danger to own troops, Havildar Autar Singh Bisht pounced on the underground. Grappling for life, the underground in a desperate measure tried to throw the grenade away. However, the underground was rendered immobile by the iron clasp of Havildar Autar Singh Bisht, who subsequently removed the grenade from the underground. Havildar Autar Singh Bisht with utter disregard to his personal safety, unhinged the undergrounds completely. Consequently the group, later identified as being of NSCN (K), surrendered to the column without any struggle. The following were apprehended:-

(aa)	No. 11001	SS Sgt	Phalai Wangjan, r/o Myanmar
(ab)	No. 33773	SSL/Cpl	Aunsang, r/o Myanmar
(ac)	No. 12964	SSL/Cpl	Kekhu Pangtok, r/o Myanmar
(ad)	No. 12452	SSL/Cpl	Kiyan Kottan, r/o Myanmar
(ae)	No. 14190	SS Pvt	Akhum Mongsang, r/o Myanmar
(af)	No.17474	SS Pvt.	Khamchak Hachang, r/o Myanmar

The following arms/ammn were also recovered:-

(aa)	Rif AK - 56 - 04	(ab)	Rif M - 21 -	01	
(ac)	7.62 mm SLR - 01	(ad)	Assorted Ammunition- Rounds	620	
(ae)	Chinese Grenade - 06	(af)	Assorted Magazine -	10	
(ag)	Radio Set (Kenwood) - 01				

In this encounter, Shri Autar Singh Bisht, Havildar/ General Duty, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th July 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 162–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Narayan Singh,
Naib Subedar/ General Duty.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information about the presence of NLFT (N) militants in area Barakathal on 23 Oct 2003, cordon and search operation was meticulously planned with party of one officer, one JCO and 20 OR from Ganki Post. On reaching the general area Barakathal, the village was cordoned from different direction. While search party was closing in towards the identified house in which the militants were taking shelter, troops were fired upon from the house. Being a built up area, troops restricted retaliation, dauntlessly moved, and started search of the suspected house. While doing so, two persons ran towards jungle and fired indiscriminately. Rifleman/GD Khamrau Sang and Naib Subedar Narayan Singh immediately fired on fleeing militants and chased them. Though the party was under heavy volume of fire yet with display of extra courage, the column managed to bring down one militant and recovered one 9mm Revolver, two live ammunition and one fired case.

In this encounter Shri Narayan Singh, Naib Subedar/ General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th October 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 163–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Madho Singh,
Assistant Commandant.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Acting on reliable information that a hard core militant of JeM outfit would be passing through JVC Hospital, Srinagar (J&K), troops of 193 Bn BSF under command of Shri Madho Singh, Assistant Commandant along with quick reaction team (QRT) laid a chain of stops at bypass near JVC Hospital on 14 Dec 2003 with an aim to apprehend the militant. At about 1000 hrs, one motor cycle borne suspect. crossed the first stop. He was signaled to stop but did not respond to the signal. Shri Madho Singh, Assistant Commandant and his party, which was deployed in front of JVC Hospital, was immediately informed. Shri Madho Singh immediately swung into action and blocked the route. Observing his route blocked by troops, the suspect abandoned his motor cycle and tried to flee and merge with the public at the bus stand. Thereafter, Shri Madho Singh along with Constable Raghvinder Singh chased the militant. The militant immediately pulled out a pistol and fired at Shri Madho Singh, who had a narrow escape. The fire was retaliated by Constable Raghvinder Singh as a consequence of which the fleeing militant sustained bullet injuries and fell down. However, the militant took out a grenade and threatened to lob the grenade in case the party tried to apprehend him. At this juncture, Shri Madho Singh, Assistant Commandant, without caring for his own life and displaying exemplary courage, jumped on the militant and over powered him. The initiative of Shri Madho Singh incapacitated the militant, thus averting a major tragedy at the crowded bus stand. One 9 mm pistol, four hand grenades and ammunition were also recovered from the militant. The injured militant, who was identified as Javed Mallik S/O Obdul Jabha Mallik, resident of Kupwara (J&K), was handed over to Police along with seized arms and ammunition. However, the militant subsequently succumbed to his injury.

In this encounter Shri Madho Singh, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th December, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 164–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Birender Singh,
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of militants in area village-Yaripora, Kulgam, Distt Anantnag (J&K), a cordon and search operation was planned and launched by troops of 52 Bn BSF on 18th April 2003. In accordance with the plan, the house of one Gulam Mohd Malik s/o Mohd Shaban Malik, where militants had reportedly taken shelter, was cordoned off and a house-to-house search commenced. When the search party approached the targeted house, they came under heavy volume of firing from the militants hiding in the house. The BSF troops effectively retaliated in self-defence and shot dead one militant. Upon which two other militants shifted their position to an adjoining room. A continuous and heavy volume of fire were-exchanged between the militants and the troops as a consequence of which a portion of the house collapsed, but the militants continued to fire upon the BSF troops. At this juncture, the operation commander decided to 'storm the house to liquidate the militants holed up inside the building. No.94008003 Constable Birender Singh volunteered to lead the entry into the collapsed house. When he approached the house, he came under heavy fire of the militants. Undaunted by the rain of bullets, Constable Birender Singh rushed into the building and without caring for his personal safety lobbed two hand grenades into the debris from where the militants were firing. Thereafter, he brought down a hail of fire from his assault rifle on the militants, killing both of them on the spot. On search of the debris, dead bodies of three militants were recovered alongwith three AK series rifles, magazines/ammunition and documents pertaining to militants code signs/keys and related with various militant action in the area. The killed militants were identified as Abu Rafi, Abu Wasim Sahin, and Abu Bilal all Pakistani nationals.

In this encounter Shri Birender Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th April 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 165–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Shiva Kumar P, Constable.
2. Sarwan Kumar, Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of militants in the house of one Wali Mohd R/o Village Mahu, Distt Rajouri, J&K, an operation was planned and launched by the troops of 142 Bn BSF on 10 July 2003. Since it was day time and the house was located at a dominating height with clear observation of the road head, it was decided that a core action team would operate in plain clothes. Accordingly, a team surveyed the area in plain clothes in civil vehicles. Having assessed the ground situation, the first cordon in plain clothes was laid at about 1700 hours and the second cordon was laid at about 1745 hrs with total surprise and deception. As the cordons closed in, the militants spotted the men in uniform and tried to flee from the house by spraying bullets and throwing grenades. The fire was retaliated effectively and as a result, one of the militants was injured and trapped in a gap behind the house. However, he kept on firing at the troops. At this juncture Constable Shiva Kumar P and Const Sarwan Kumar without caring for their personal safety crawled close to the gap in the hail of bullets and lobbed grenades on the militants killing him on the spot. In the meantime, the second militant managed to escape from the house but was trapped between the first and second cordons. This militant continued to fire and throw grenades from his position causing injuries to the troops. Taking initiative, Constable Sarwan Kumar and Constable Shiva Kumar P, again with utter disregard to their own lives, crawled close to the militant's position and shot him dead from close range. On search of the area, dead bodies of two slain militants were recovered along with two AK series rifles, two Austrian Grenades, one radio set and ammunition. The killed militants were identified as Al Anwar Code name Sheriya R/o Lahore (Pakistan) and Mohd Shafiq @ Sayam Ali R/o Kotli (Pakistan) both belonging to Al-Badr outfit.

In this encounter S/Shri Shiva Kumar P, Constable & Sarwan Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th July 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 166–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Anil Kumar Rai,
Assistant Commandant.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Acting on specific information, regarding hiding of two militants in a house in Khandey Mohalla, Village Ichhagoz, Distt Pulwama (J&K), a special ops was planned and launched jointly by the troops of 8 and 9 Bn BSF on 5th Sep 2003. As per plan, QRT (Quick Reaction Team) of 9 Bn BSF under command of Shri A K Rai, Assistant Commandant rushed and cordoned the target House followed by 'QRT' of 8 Bn BSF laying the outer cordon around the village. Search of the targeted house was then commenced at about 1200 hours. When the party headed by Shri Rai, tried to enter the targeted house, militants hiding inside the house brought heavy volume of fire followed by lobbying of grenades on the search party. Undeterred, Shri Rai re-adjusted the cordon and occupied a vantage point opposite the targeted house. Heavy exchange of fire between militants and troops continued for about two hours without any tangible result. In order to flush out the well-entrenched militants, Sri Rai directed to lob grenades inside the target house by firing from automatic grenade launcher. One of the militants, in an attempt to escape, jumped out of the house firing heavily on the inner cordon, as a result of which, Lance Naik Vijay Ram sustained bullet injuries. Assessing the danger posed, Shri Rai with utter disregard to his own safety confronted the militant in a close quarter battle and shot him dead. Shri Rai directed his troops to again fire grenades with automatic grenade launcher in the targeted house after which, the continuing intermittent firing stopped. On search of the area, dead bodies of two militants were recovered along with one AK series rifle, one Chinese pistol, one hand grenade, one wireless set and a large quantity of ammunition. The killed militants were identified as:

(a) Abdul Rehman Deeded S/O Shattaruddin R/O Lassidaman Distt. Pulwama, (J&K).
(b) Khursheed Ahmed Parrey " Harish S/O Maqbool Parrey R/O Chavan Distt. Pulwama, (J&K).

In this encounter Shri Anil Kumar Rai, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th September 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 167–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Dinesh Chandra Roy,
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 1st May 2003 Constable Dinesh Chandra Roy of 120 Bn BSF was on sentry duty manning a Light Machine Gun at the main entrance gate of Tac HQ 120 Bn BSF Tral (J&K). At about 1845 hrs, he observed two persons in Police uniform and carrying AK 47 rifles approaching the main entrance. As they were approaching close to the entrance, Constable Dinesh Chandra Roy noticed some suspicious gait and discrepancy in the uniform and quickly alerted the guard commander and other members of the guard party. The guard Commander challenged both persons to stop but instead they kept moving forward. At this stage Constable Dinesh Chandra Roy, who was closely watching the movement, quickly sited and aimed his Light Machine Gun at these persons. The guard commander again challenged them to stop, but they responded by opening heavy volume of fire at the guard party and simultaneously lobbed a grenade. Sensing danger, Constable Dinesh Chandra Roy, through sheer presence of mind and mindful of the threat in front of him brought accurate fire upon the militants from a close range and killed one of the militants, who was about to lob another grenade. The other militant, though injured by the firing of Constable Dinesh Chandra Roy, managed to escape by taking advantage of dust and smoke. On search of the area, dead body of the slain militant was recovered along with one AK series rifle, four hand grenades and ammunition. The killed militant was identified as Mehmood Bhair R/O Pakistan of JEM outfit.

In this encounter, Shri Dinesh Chandra Roy, Constable displayed conspicuous gallantry, courage & devotion to duty.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st May 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 168–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Tejpal Daber, Assistant Commandant.
2. Kalyan Singh, Head Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Acting on specific intelligence regarding presence of three militants in area Hill, Gujjar Galli, Distt Udhampur (J&K), a special operation was planned and launched by troops of 172 Bn BSF on 22 Dec 2002. According to the plan, a long-range patrol (LRP) led by Shri Tej Pal Daber, Assistant Commandant and quick reaction team (QRT) led by Head Constable Kalyan Singh left for the target area. The going was very tough due to steep slopes, big boulders and thick undergrowth. However, the troops maintained the surprise element by use of field craft and cordoned the area. Shri Tej Pal Daber, Asstt Comdt and Head Constable Kalyan Singh then advanced to the suspected hide-out of militants. The militants, who were hiding in bushes/boulders observed the move and immediately opened fire at Shri Tej Pal Daber and Kalyan Singh from a very close range followed by lobbing of grenades. Retaliating the fire, both of them kept on advancing towards the militants' position taking cover of trees and boulders. One of the grenades lobbed by militants exploded in close proximity of Shri Daber, who had a narrow escape. Undeterred, Shri Daber kept on firing at the militants with total disregard to his personal safety. In the mean-time, one of the militants ran towards the jungle taking cover of boulders while firing at the troops. The remaining two militants jumped towards opposite side, where Sh. Daber and Head Constable Kalyan Singh were in position. HC Kalyan Singh, with utter disregard to his personal safety, came out of cover and fired accurately killing one of the militants on the spot while Shri Daber fired and inflicted bullet injuries on the other militant. However, the injured militant took cover behind a tree and started firing on Shri Daber. Realizing that the hiding militant could not be eliminated from his position, Shri Daber directed Head Constable Kalyan Singh to engage the entrenched militant and in a daring move, he crawled towards the militant's position. After sighting the militant, Shri Daber positioned himself and fired a long burst from his AK Rifle killing him on the spot. The third militant, though injured, managed to escape taking cover of thick undergrowth and undulating ground. On search of the area, dead bodies of two slain militants were recovered along with one AK series rifle, one .303 rifle, two hand grenades and ammunition. The killed militants were identified as Farooq Ahmed Mir S/O Abdulla Rehman Mir R/O Surikundi, Gool (J&K) and Mohd Iqbal S/O Abdul Gani Lohar R/O Dedha Gool (J&K).

In this encounter, S/Shri Tejpal Daber, Assistant Commandant & Kalyan Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd December 2002.

BARUN MITRA
Director

No. 169–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force : -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Khumbarkar Lala, Constable.
2. Jogeshwar Pal, Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on a specific information regarding presence of militants in a forest hut (DHOK), an operation was planned and launched by troops of 102 Bn BSF in general area Darsha Gali, Gool, Distt. Udhampur, J&K at last light on 18.06.2002. It was raining and getting dark when troops reached the target area. After reaching the target area, ops commander carried out a quick appreciation of the rugged mountainous terrain, placed the stops to cover likely escapes routes of militants and also positioned the covering and striking parties as per plan. After due preparation, striking party started advancing towards the targeted area. When militants detected the movement of troops, brought heavy fire followed by hurling of grenades on the troops. Undettered, the party kept advancing by fire and move tactics towards the target. In the ensuing encounter, the party succeeded in killing one of the militants on the spot. On seeing one of their companions killed, the other militants panicked and ran out firing heavily on the troops. In the continued exchange of fire, Constable Kumbarkar Lala observed one militant escaping but with utter disregard to his own safety, he chased the militant and in a running battle, killed the escaping militant. At this stage, the party Comdr Shri Arun Kumar Verma, AC observed one more militant trying to escape by taking cover of big boulders lying in the Nullah. The party lobbed a grenade but the militant managed to escape taking cover of boulders unhurt and kept on dodging and firing at the troops. Constable Jogeshwar Pal positioned on the other side of nullah also spotted this militant and in a rare display of courage and bravery advanced towards him taking cover of boulders and shot the militant dead from a very close range. On search of the area, dead bodies of three militants were recovered along with two AK series rifles, one grenade launcher, three hand grenades and ammunition. The killed militants were identified as:

(a) Mohd YusafS/o Hazi Imamdin Chohan R/O Basa Thuru, Distt. Udhampur, J&K.
(b) Mahandia S/o Noar Hussain R/o Lancha, Gool, Distt. Udhampur, J&K.
(c) Munshi S/o Quadira Hussain R/o Lancha, Gool, Distt. Udhampur, J&K.

In this encounter, S/Shri Kumbarkar Lala, Constable & Jogeshwar Pal, Constbale displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th June, 2002.

BARUN MITRA
Director

No. 170–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Shajji Philip, Head Constable.
2. J P Lakra, Head Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On specific information regarding presence of two armed militants in a house in Kadi Mohalla, Tral (J&K), troops of 120 Bn BSF, 138 Bn BSF and SOG/J&K launched a joint operation on 11 Feb 2003. The targeted house was cordoned and search operation commenced at 1845 hrs. When the search operation was in progress, militants hiding in the house opened heavy volume of fire on the search party. While the exchange of fire was going on, Head Constable Shaji Philip of the search party observed a militant trying to escape stealthily through the window. Head Constable Shaji Philip, in utter disregard to his own safety, moved closer to window to engage the militant from a close range. Sensing danger, the militant immediately jumped out from his hiding place and fired upon Head Constable Shaji Philip. Head Constable Shaji Philip showing quick reflexes and exceptional courage ducked and quickly fired on the militant killing him on the spot. Seeing his companion killed,. the other militant rushed out and attempted to escape by firing heavily on the cordon party. Cordon party retaliated the fire effectively as a result of which, the militant started running to escape from the inner cordon. Observing this move, Head Constable J P Lakra, without caring for his personal safety blocked the escape of militant and exhibiting professional acumen, killed the militant in a close quarter battle. On search of the area, dead bodies of two militants along with two AK series rifle, one hand grenade and large quantity of ammunition were recovered. The killed militants were later identified as Manzoor Ahmed Wani @ Tanveer and Gulam Quadir Khan @ Gaji Ilyas R/O Village Panner Tral (J&K).

In this encounter, S/Shri Shajji Philip, Head Constable & J P Lakra, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th February 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 171–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force : -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Laxman Singh,
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of militants in the house of one Mohd Abdul Bhatt of Village T Sund, Kulgam, Distt Anantnag (J&K), a search and cordon operation was planned and launched by troops of 52 Bn BSF on 5th May 2003. According to plan, the target house was cordoned at 0600 hrs. On observing the advancing troops, militants hiding in the house opened heavy volume of fire. The fire was retaliated by the troops. The militants, however, taking advantage of cover continued to fire heavily, which prevented the advance of troops. At this juncture, Constable Vishnu Singh Shekhawat and Constable Laxman Singh volunteered to enter the target house and take on the militants. Constable Vishnu Singh exhibiting courage, determination and tactical skill crawled close to the targeted house while Constable Laxman Singh supported with covering fire. When Constable Vishnu Singh reached the target house he, without caring for his own safety, kicked the door open and engaged the militants. However, in the process he sustained severe bullet injuries. Unmindful of the injury, he swiftly charged towards the militants and fired accurately killing one of the militants on the spot before he fell down unconscious. Seeing the life of his colleague in danger, Constable Laxman Singh, without caring for his life, rushed to the site, and lifted the injured Constable on his shoulder and brought him to a safer place amidst heavy firing from the militants. However, Constable Vishnu Singh succumbed to his injuries later on. Constable Laxman Singh then again crawled, braving volley of bullets from militants, and reached near the target house. Seeing the Constable at such proximity, the other militant jumped out of the window firing heavily in a desperate attempt to escape. But Constable Laxman Singh, showing rare courage, chased the militant and shot him dead. On search of the area, dead bodies of two slain militants were recovered along with two AK 56 Rifles, one hand grenade and ammunition. The killed militants were identified as Showkat Ahmed Ganie, S/o Wali Mohd Ganie, R/O Sutch, Kulgam (J&K) and Shahnawaz Ahmed Parray, S/o Abdul Ahmad Parray, R/O Vegam, Kulgam (J&K).

In this encounter Shri Laxman Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This awards is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th May 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 172–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Sandeep Mishra,
Assistant Commandant.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Shri Sandeep Mishra who joined BSF as a Direct Entry Assistant Commandant on 11.1.1999 was attached with 6 JAT Regiment of Indian Army deployed in Tinsukia District of Assam as part of Army attachment training. 6 JA T to which the officer was attached was deployed on OP RHINO-II. On 13 Dec 2000, this Army Battalion received information about likely presence of a group of insurgents in TUPSINGA, District Tinsukia, through SDPO, Sadiya. Shri Sandeep Mishra was detailed by Army Bn Comdr to lead an Army patrol to intercept the group. Shri Sandeep Mishra immediately proceeded on patrol leading Army troops alongwith police for a joint operation. The area of operation/search was a very difficult terrain with dense jungle crossed by a number of nullahs and water channels. The party carried out cordon and search of the village but could not apprehend the militants as they had already left the village before the troops could reach the place. By the time search operation was over, it was about 1700 hrs and it was getting dark by the time commenced their return journey. When the convoy of vehicles approached a narrow culvert across a river, they came under heavy volume of automatic fire from both sides of the road which resulted in instant death of two police personnel while three more were injured. Shri Sandeep Mishra jumped out of the vehicle and in utter disregard to his own safety returned the fire and exhorted the troops to retaliate. Spurred on by the officer's courageous action and rallying call, the jawans spiritedly retaliated and engaged the militants, preventing the insurgents from exploiting their initial advantage. This took away the initiative from the militants and prevented them from inflicting any more casualties, or snatching of weapons, thereby averting a major set back. The officer continued to provide combat leadership by personal example during the prolonged fire fight and inspite of having sustained as many as nine bullet injuries continued to motivate the troops in repulsing and breaking the ambush of the militants. The officer was evacuated in a critical state from the site and inspite of prolonged treatment lost the sight of both his eyes and has been categorized hundred percent disabled. This young officer at the very inception of his service has displayed stellar courage, unprecedented valour and readiness for self sacrifice of the very highest order during this operation and in the process had to sacrifice the vision of both his eyes.

In this encounter, Shri Sandeep Mishra, Assistant Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th December, 2000.

BARUN MITRA
Director

No. 173–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force : -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Rajesh Kumar, Constable.
2. Nem Singh, Constable. (Posthumous)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on a specific information regarding presence of militants in general area Fagla, Distt Rajouri, J&K, a joint operation was planned and launched by troops of 200 Bn BSF and 4 Raj Rifle on 7th Dec 02. Having cordoned the Village, combing operation was commenced at first light on 8 Dec 2002. Militants however sneaked into the jungle within the cordoned area after observing the movement of troops in the village. At about 1345, contact with militants was established leading to an encounter. During the exchange of fire, Constable Nem Singh sustained bullet injury on his thigh, but in spite of his injury and in utter disregard to his own safety, he continued to engage the militants and injured one of them. However during the heavy exchange of fire, Constable Nem Singh further sustained multiple bullet injuries on his chest after which he collapsed. Seeing his worsening condition, Constable Rajesh Kumar, pulled the injured to a safer place amidst heavy exchange of fire, but in the process, he also sustained bullet injuries. In spite of sustaining injuries, Constable Rajesh Kumar in a rare display of courage and bravery closed in on the injured militant and shot him dead on the spot. While Constable Rajesh Kumar was evacuated to hospital, Constable Nem Singh succumbed to his injuries on the. spot. On search of the area, dead body of the slain militant was recovered along with one AK series rifle, two hand grenades and ammunition. The killed militant was identified as Javed Akhtar @ Abu Usman of LeT outfit.

In this encounter, S/Shri Rajesh Kumar, Constable & Late Nem Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th December 2002.

BARUN MITRA
Director

No. 174–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry /Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	K. Srinivasan, Additional Deputy Inspector General.	(PPMG)
2.	C.P. Trivedi, Second-in-Command.	(PPMG)
3.	M.R. Binuchandran, Assistant Commandant.	(PPMG)
4.	Rajesh Singh Badoria, Constable.	(PPMG)
5.	Himanshu Gaur, Assistant Commandant.	(PMG)
6.	Hemchandra Joshi, Head Constable.	(PMG)
7.	Kuldeep Singh, Head Constable.	(PMG)
8.	Manik Chandra Nath, Head Constable.	(PMG)
9.	Neel Kamal Das, Constable.	(PMG)
10.	Omvir Singh, Constable.	(PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

As a result of intense and sustained intelligence efforts, surveillance, tactical operations and interrogation of apprehended militants, information was received on the evening of 29 Aug, 2003 regarding the presence of Rana Tahir Nadeem @ Shabaz Khan @ Gazi Baba, Chief Operational Commander of J-e-M, the most dreaded militant leader who had master minded the infamous attack on the Parliament of India on 13 Dec 2001, in a hideout in one of the houses in the built up area of Noorbagh, Srinagar. As Gazi Baba was known to frequently change his hide out and was reputed for his uncanny ability to avoid capture, it was imperative that the hide out had to be entered and searched during the same night. i.e. intervening night of 29/30 Aug 2003. An immediate plan was made by Commandant 193 Bn BSF and Shri N N D Dubey, Second-inCommand/Offg Commandant, 61 Bn BSF to enter and carry out search of the hide out. The operation was a joint operation by officers and men of 61/193 Battalions BSF. In the early hours of 30 Aug 2003, the target house was surreptitiously approached and outer cordon was laid. Having found the compound wall locked, Shri Binu Chandran, Assistant Commandant (T) and Constable Hukum Chand scaled the boundary wall and opened the gate, Having gained access to the courtyard of the house, an inner cordon was laid under leadership of Shri Himanshu Gaur, Assistant Commandant 61 Bn BSF who positioned himself covering the entry into the house. Shri N N D Dubey, Second-in-Command/Offg Commandant, Shri C P Trivedi, Second-in-Command, Shri M R Binu Chandran, Assistant Commandant (T), Constable Rajesh Singh Badoria, Constable Balbir Singh, Constable Neel Kamal Das, Constable Omvir Singh and HC/RO Manik Nath, volunteered to effect entry into the building which is a highly casualty prone and dangerous operation. Shri N N D Dubey and the

team as above effected entry into the house in alightening move breaking down the front door of the house. Immediately the power supply was switched off by the occupants of the house. The first floor was searched and cleared in which four ladies and one male member of the family were located. Spot interrogation of the civilians having yielded no information, the team further secured the second floor of the house. In one of the rooms on the second floor, the positioning and design of a wardrobe having become suspect, after instructing the men to take cover, the mirror panel of the wardrobe was kicked open by Shri Binu Chandran, Assistant Commandant which revealed a hide and heavy volume of fire of automatic weapons and lobbing of grenades emanated from inside the hide on to Shri N N D Dubey, Shri C P Trivedi, Shri Binu Chandran, Constable Balbir Singh, and others who were standing in front. One of the grenades landed very close to the officers and before it could explode Shri Binu Chandran, Assistant Commandant unmindful of grave risk to himself picked up the grenade and threw it back which exploded inside the hide out causing injuries to the militants who were inside. The militants in a desperate attempt to escape continued to bring down heavy volume of fire and threw grenades on the BSF party. Shri N N D Dubey, Shri C P Trivedi, Head Constable (RO) Manik Nath, Constable Rajesh Singh Bhadoria, Constable Balbir Singh, Constable Omvir Singh and Constable Neel Kamal Das sustained splinter /bullet injuries in the initial exchange of fire itself. One of the militants suddenly jumped out of the hide firing heavily. Constable Balbir Singh having found Shri N N D Dubey, fully exposed, jumped in front of the officer and interposed himself between the officer and the militant. In the bargain Constable Balbir Singh took a full burst of AK 47 fire on his abdomen and succumbed to his injuries on the spot, firing till he breathed his last. Shri N N D Dubey in spite of having suffered multiple bullet injuries grappled with the militant and caught hold of the AK 47 Rifle of the militant and could deflect the aim of the militant thereby saving the lives of his other colleagues. The militant, in desperation, drew a pistol from his pouch, fired on the right hand of Shti N N D Dubey shattering his right forearm, managed to break free and attempted to flee. In spite of grievous injuries and profusely bleeding, Shri N N D Dubey gave spirited chase firing on the running militant. Const Omvir Singh in spite of grievous splinter injuries rushed alongwith Shri N N D Dubey and engaged the running militant. CT Omvir Singh again sustained splinter injuries and rolled down the stairs. Shri N N D Dubey, in the running fight, shot and killed the militant who was later identified as Rana Tahir Nadeem @ Shabaz Khan @ Gazi Baba. Due to multiple bullet injuries and loss of blood Shri N N D Dubey slumped to the floor. In the mean time a running battle was being fought between the militants still inside the hide out and BSF personnel. In spite of heavy exchange of fire, Constable Neel Kamal Das having seen Shri N N D Dubey collapsing, with utter disregard to his own safety and exhibiting exemplary bravery dragged and carried the injured officer towards the stair case. During this endeavour Constable Neel Kamal Das also suffered multiple bullet injuries and fell down the stairway alongwith Shri Dubey. In the on going gun fight with the militants still inside the hide out, Shri C P Trivedi, Shri Binu Chandran, and Constable Rajesh Singh Badoria sustained serious splinter injuries. At this juncture one of the militants tried to rush out of the hiding place by firing heavily. Constable Rajesh Singh Bhadoria, who was just near the gate of the hide out, in spite of his injuries physically, blocked the escape of the militant, who was forced back into the hide out. The militant then lobbed grenade causing grievous splinter injuries to Head Constable (RO) Manik Nath, who was giving covering fire to Shri C P Trivedi, Undeterred and unmindful of the grievous injuries, Head Constable Manik Nath continued to engage the militants. In spite of being ordered to leave the room in view of his injuries, Head Constable Manik

Nath refused to do so and had to be physically pushed out by Shri C P Trivedi. The militants who were still inside the hide out continued to fire and lob grenades and taking advantage of darkness and exploding grenades the militants managed to run up to the second floor. At this juncture, Shri Himanshu Gaur. Assistant Commandant, Head Constable Kuldip Singh, Constable Hukum Singh, Constable Suresh Kamool and Head Constable (RO) Hem Chandra Joshi who were in the inner cordon rushed up to the first floor while the exchange of fire was still going on and rapidly secured the room in which the injured were lying and also the stair case. Shri Himanshu Gaur effected the evacuation of the injured personnel and ensured covering fire to the evacuation party and personally kept the stair way covered by fire to prevent the militants in upper floor from inflicting more casualties to the troops. He also got the civilian occupants of the house evacuated to safety. Having brought the injured out of the house, Shri Himanshu Gaur realized that Shri C P Trivedi and Shri Binu Chandran, and Constable Balbir Singh were still stranded on the second floor. Without any hesitation Shri Himanshu Gaur, Head Constable Kuldip Singh and Head Constable Hem Chandra Joshi again rushed back and up the stairs unmindful of the militants firing. Head Constable Hem Chandra Joshi while rushing up sustained serious grenade splinter injuries. Shri Himanshu Gaur alongwith Head Constable Kuldip Singh affected combat rescue of Head Constable Joshi in spite of heavy firing by the militants. Shri C P Trivedi, and Shri Binu Chandran continued in their endeavor to locate the militants and reached the top floor. The militants, meanwhile, sneaked back to the first floor and kept the stair way under fire thereby denying access to the troops into the house and Shri C P Trivedi, and Shri Binu Chandran, got stranded on the *top* floor, injured, bleeding and with their ammunition running out. Shri C P Trivedi and Binu Chandran, realizing their precarious situation showed commendable presence of mind and managed to break through on to the roof. As the encounter was in progress Shri K Srinvasan, Addl DIG (G), who as the head of the BSF intelligence set up in the valley is credited with the breakthrough in locating and trapping Gazi Baba, reached the place of encounter and took over operational command as stalemate had developed with Shri C P Trivedi, Second-inCommand and Shri Binu Chandran, Assistant Commandant, trapped on the roof of the target house with the militants still active and firing from inside house. Unmindful of the firing by the militants from inside the target house Shri Srinivasan re-deployed troops and weapons tactically. He also ensured timed and accurate fire on all windows and other openings of the target house and firmly instructed Shri C P Trivedi and Shri Binu Chandran to jump down from the building on to the mattresses placed on the ground at the pre-designated signal when there will be a brief lull in the covering fire. As per plan a bunker vehicle was also placed near to the landing spot to pick up the injured officers. Shri C P Trivedi, and Shri Binu Chandran, threw down their weapons and jumped down from the roof of the house from a height of 40 feet in spite of the fact that these officers had already sustained multiple bullet /splinter injuries and were bleeding profusely. As soon as Shri C P Trivedi, and Shri Binu Chandran jumped on to the ground, the rear doors of the bunker vehicle were opened and Shri Himanshu Gaur, Assistant Commandant, and Head Constable Kuldip Singh jumped out with utter disregard to their own safety and picked up these officers from the ground under fire from the militants and effected their evacuation thereby saving their lives. Shri Binu Chandran, Assistant Commandant sustained multiple fractures during the jump. With evacuation of Shri C P Trivedi and Shri Binu Chandran, only Constable Balbir Singh could not be accounted for. Based on intercepts and appreciating the fact that the building was booby trapped and wired for demolition by the militants as a last ditch tactic to avoid capture, Shri Srinivasan immediately planned and led entry into the target house during the course of which the dead body of

Constable Balbir Singh was located and removed under fire from the militants. A series of explosion reduced the building to rubble at this juncture. A search of debris, resulted in recovery of dead bodies of Rana Tahir Naadeem @ Shabaz Khan @ Jehadi @ Doctor @ Gazi Baba resident of Pakistan, Chief Operational Commander J-e-M out fit in the valley and Rashid Bhai resident of Pakistan, Dy Commander of J-e-M. With the killing of Rana Tahir Nadeem @ Gazi Baba, the back bone of militancy in the valley has been broken and secessionists elements will take a long time to recover from this debilitating blow struck by the BSF. The following arms / ammunition / accessories / explosives etc. were recovered besides a number of other electronic items:

1. Kaleen K of Assault Rifle	-	01No
2. Anti Tank Rifle Grenade M-16 PL	-	04 Nos
3. Electronic detonator.	-	16 Nos
4. Wireless set	-	02 Nos.
5 . Digital Diary	-	01 No.
6 . IED cover	-	01 No.
7 . Russian Pistol	-	01 No.
8 . Russain pistol magazine	-	02 Nos
9. UBGL	-	01 No.
10. IED Circuit	-	02 Nos.
11. IED remote control	-	01 No
12. Grenade Pouch.	-	01 No.
13. IED	-	01 NO.
14. White RDX	-	52 Kgs
15. Chemical	-	02 Kgs
16. Rifle Grenade	-	20 Nos.
17. Hand Grenades	-	11 Nos.
18. Stun Grenades	-	02 Nos
19. AK Amn.	-	97 rds.
20. Chinese Pistol Amn	-	129 rds
21. Russian Pistol Amn	-	92 Rds
22. Scorpion Pistol	-	01 No.
23. Scorpion Pistol Magazine small	-	01 No.
24. Scorpion Pistol Magazine big	-	01 No.
25. Wireless set kenwood with antena	-	01 No
26. Wireless set Yaesu with Antina.	-	01 No
27. Binocular small.	-	01 No.
28. Remote control device (RCD)	-	04 Nos.
29. Amn 7.62mm	-	162 rds
30. Amn 9mm	-	14 rds
31. Amn AK-47	-	55 rounds
32. Black RDX	-	1.5Kgs
33. Pistol pouch	-	01 No
34. Grenade Pouch.	-	01 No.
35. Pistol magazine	-	01 No.
36. AK-47 Amn	-	20 rds.

In this encouunter, S/Shri K. Srinivasan, Additional Deputy Inspector General, C. P . Trivedi, Second-in-Command, M.R. Binuchandran, Assistant Commandant, Rajesh Singh Badoria, Constable, Himanshu Gaur, Assistant Commandant, Hemchandra Joshi, Head Constable), Kuldeep Singh, Head Constable, Manik Chandra Nath, Head Constable, Neel Kamal Das, Constable, Omvir Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th August 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 175–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	Des Raj, Additional Deputy Inspector General.	(PPMG)
2.	Md. Firdosh Khan, Head Constable.	(PPMG) (Posthumous)
3.	M. S. Rathore, Commandant.	(PMG)
4.	Pramod Kumar, Second-in-Command.	(PMG)
5.	Mohd. Sikander Khan, Constable.	(PMG)
6.	Amrit Hazang, Constable.	(PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27th August, 2003 at about 1905 hours, militants lobbed grenades near Greenway Hotel which is close to Central Telegraph Office and Chief Minister's residence. Troops of 43 Bn BSF, who were on domination duty in the city, immediately rushed to the spot and cordoned the area. On seeing the quick reaction of troops, militants hurled grenades and managed their entry to nearby Greenway Hotel. On getting information about the incident, Shri M.S. Rathore, Commandant 43 Bn BSF immediately rushed to the spot. After taking stock of the situation, he re-deployed the troops to cover the escape routes. Meanwhile Shri Pramod Kumar, Second-in-Command, 43 Bn also reached the site with quick reaction team and strengthened the cordon. Simultaneously, Shri Des Raj, ADIG, SHQ CI (Ops)-II also reached the site and after assessing the situation ordered reinforcement from nearby BSF Battalions. While Shri Des Raj, ADIG was re-adjusting position and briefing troops who were in the direct observation of militants, he observed two civilian boys trapped under heavy cross firing. He immediately ordered his troops to stop firing and with utter disregard to his own personal safety exposed himself to militants' fire and rushed to rescue the boys. The gallant action exhibited by Shri Des Raj regardless of his own safety could save the boys but in the process he sustained serious bullet injuries on his right shoulder. Seeing his ADIG hit by bullets, Shri Pramod Kumar, Second-inCommand without caring for his own safety and showing exemplary courage crawled close to the injured and amidst heavy firing and blasting of grenades by militants, lifted Shri Des Raj, ADIG, who was profusely bleeding and brought him to a safe place for further evacuation to hospital and thus saved the officer's life. Meanwhile, IG (P) and senior BSF officers also reached the site. They discussed the situation in depth, as a stalemate had developed after the injury to Shri Des Raj and a number of civilians trapped in the Hotel were held hostage by the militants. Meanwhile, some of the trapped civilians were able to contact

the BSF party on mobile telephone and it was ascertained that there were about 20 civilians trapped in the three-storied hotel. Since the militants had occupied dominating positions and were inflicting injuries to BSF / Police personnel by intermittent firing and grenade blasting, a plan was worked out to resolve the hostage situation and rescue the trapped civilians. As per the plan, attention of militants was diverted by diversionary tactics. Seizing this opportunity, Shri Pramod Kumar, Second-inCommand with utter disregard to his own safety entered the hotel amidst heavy firing and hurling of grenades by militants. The bravery and courage displayed by the officer at the risk of his life could save the lives of civilians trapped in the hotel. The exchange of fire continued throughout the night. In the morning of 28t Aug 2003, it was decided to storm the building. Shri M.S.Rathore, Commandant along with HC Mohd Firdous Khan and Constable Mohd Sikander Khan gained entry and in lightening speed cleared the ground and first floor. In the process, they observed five more civilians in a room and dead bodies of three persons who had been killed bythe militants on previous night. Shri Rathore, along with Head Constable Mohd Firdosh Khan and Constable Mohd Sikander Khan rescued all the five civilians while the dead bodies were retrieved subsequently. After rescuing the civilians, Shri Rathore, Head Constable Firdous Khan and Constable Sikander Khan by adopting fire and move tactics, advanced towards the second floor amidst heavy firing of militants. While the exchange of fire was going on, Head Constable Mohd Firdosh Khan saw a militant aiming at Shri Rathore, who was then fully exposed. Sensing the life of his Commandant in danger, Head Constable Mohd Firdosh Khan with utter disregard to his own safety jumped in front of the Commandant in an unparalleled act of raw courage and took the full volume of fire on his chest thus making the supreme sacrifice to save his Commandant. Shri Rathore, immediately retaliated and as a result one of the militants fell down injured but kept on firing while the second militant hurled grenades. Shri Rathore and Constable Mohd Sikander Khan continued to engage the militants and shot dead one of them, while the other militant climbed the third floor. After assessing the situation, Shri Rathore directed Shri Pramod Kumar Second-in-Command to clear the third floor. Shri Pramod Kumar and Constable Amrit Hazang with utter disregard to their own safety, advanced to third floor amidst heavy firing from the militant and exhibiting gallantry of the highest order, shot the militant dead. On search of the building, dead bodies of two militants were recovered along with two AK series rifles, one 9mm CM and ammunition. One of the killed militants was identified as Isitiyaq Ahmed *R/O* Chhatabal Srinagar while identity of the second militant could not be established.

In this encounter, S/Shri Des Raj, Additional Deputy Inspector General, Late Md. Firdosh Khan, Head Constable, M S Rathore, Commandant, Pramod Kumar, Second-in-Command, Mohd. Sikander Khan, Constable, & Amrit Hazang, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th August 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 176–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Rreserve Police Force : -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. V T Mathew, Second-in-Command. (Posthumous)
2. Raghvendra S., Constable/General Duty.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

The Hon'ble Governor of Chhattisgarh was scheduled to visit Narayanpur, the worst affected Naxal area, on 28/10/2003. On request of the S.P. Narayanpur, Shri V.T. Mathew 2nd in Command of the Unit was deputed to Narayanpur from Detachment Hqrs Antagarh, to discuss the security scenario in the area with the Hon'ble Governor. After departure of the Hon'ble Governor from Narayanpur, Shri V.T. Mathew, 2 I/C with a protection party of ten personnel left for Dett Hqrs at about 1200 hrs in a convoy of 3 vehicles including one bullet proof Gypsy. When the party reached near village Bharanda, it was attacked/ambushed at about 1230 hrs, by a group of about 150 Naxalites, who were armed with sophisticated weapons. At the commencement of the attack the naxalites triggered a very powerful IED under the leading vehicle of the convoy, a bullet proof Gypsy. All the 3 occupants of the Gypsy died on the spot. Simultaneously, the naxals started heavy fire with automatic weapons from behind their well-covered positions. They also started shouting war cries and called upon the CRPF party to surrender. Highly outnumbered by the well-entrenched naxals, Shri V.T. Mathew, 2 I/C, ordered the complete party to immediately dismount, take cover and return the fire effectively. He himself while taking position started firing towards the naxals. He very promptly analyzed the whole situation. The man-to-man ratio of 1: 15 was highly in favour of the Naxalites, who were shouting that they would spare the lives of CRPF personnel if they surrendered. Shri V.T. Mathew, 2-I/C, very courageously called upon his men to charge through the ambush with veracity and beat the ambush. Without caring for his own safety and imminent danger to his life, he alongwith few brave men charged ferociously towards the naxals, firing with an aim to beat the naxal ambush and to save the lives and weapons of his party personnel. During the process he was hit by a burst of bullets fired by naxals, causing injuries below his waist and resulting compound fracture of pelvis, rupture of Urinary bladder and intestines with blood vessels. Despite two bullet injuries Shri V.T. Mathew 2I/C kept on firing and encouraging own troops to chase the naxals. The gallant action exhibited by the officer despite being grievously injured he set an example of excellent leadership

before the troops he commanded who successfully encountered the extremists. No. 001400698 CT/GD Raghavendra S. initially gave cover fire to Shri V.T. Mathew, 2-I/C and party enabling them to advance and charge on the naxalites. However, when Shri V.T. Mathew, 2-I/C was hit by a brust of bullet and fell, CT/GD Raghavendra S. displayed great initiative and assumed leadership of the party and started directing the operation. He encouraged and exhorted the personnel to keep charging on the naxalites and simultaneously continued firing from his weapon. Encouraged by his leadership the remaining personnel of the party continued to charge upon the naxalites. Continuous firing by CT/GD Raghavendra S., despite being heavily outnumbered by the naxals and great danger to his personal life he exhibited sterling qualities of leadership, great courage and presence of mind. He even chased the fleeing naxalites to quite a distance and continued firing heavily. As a result, the naxals could not get a chance to regroup and fled. The exemplary courage, gallant action and tactical maneuver displayed by CT /GD Raghavendra S. not only saved the precious lives of his colleagues but also the weapons of the party. Despite all out efforts at B.R. Ambedkar Hospital, Raipur and R.R. Hospital (Army) in Delhi the precious life of Shri V.T.Mathew 2 I/C could not be saved and he succumbed to his injuries on 31/10/2003. Despite the offer by naxals to spare the lives of CRPF personnel by accepting the demand to surrender, late Shri V.T. Mathew exhibited, exemplary courage and sterling qualities of leadership, facing the imminent danger to his life and preferred to give the supreme sacrifice to uphold the finest traditions of the Armed Forces of the Nation.

In this encounter, S/Shri Late V T Mathew, Second-in-Command and Raghvendra. S., Constable/ General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th October 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 177–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Dhirender Singh, (Posthumous)
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On getting source information about stay of a group of militants at Village Gunjam Doda, Civil Police and O/C C/125 with 42 personnel were divided into 4 parties and reached the spot on 08/3/2002. Ct/GD Dhirender Singh was deployed in Party No.4, which was given responsibility to thwart the escape of militants. Militants somehow came to know of the operation and tried to flee taking the cover of a Nallah and by firing. The search party retaliated and killed one militant. All the search parties cordoned area in such a manner that all possible ways to escape were sealed. The most possible way of escape of militants was identified as the hilly Nallah from where the militants could hide/escape. A party under command of SI/GD Lalita Prasad with 22 Jawans put on the Nallah. Ct. Dhirender was in this party. While escaping, militants were seen in Nallah. Ct. Dhirender Singh immediately opened fire on the militants. Militants also opened indiscriminate fire in retaliation on party No.4 in which SPO Kamal Singh lost his life. Ct. Dhirender Singh continuously fired on militants and shot dead one militant and injured another. Militants were losing hopes to escape. In the mean time other accomplice of militants also reached there. Taking the stock of situation these militants preferred to fire on party No.4 by long range sophisticated weapons. Ct. Dhirender Singh stood firmly despite heavy firing. When the aforesaid Ct. was bravely fighting with the militants, a grenade injured him critically throwing him down on the rocks and sacrificed his life.

In this encounter, Late Dhirender Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th March, 2002.

BARUN MITRA
Director

No. 178–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force : -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Ramesh Kumar Constable/ Bugler. (Posthumous)
2. D G Ade, Constable/ Bugler. (Posthumous)
3. D.S Indurkar, Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Two sections of F/45 Bn, CRPF under command of HCs/GD S.R.Pallaki and Bijender Singh with local police were deployed for duties at Polling Booth No.4, Town Hall, Distt, Doda, (J&K) on 8/10/2002. To secure the Polling booth, Ct (Bug) Ramesh Kumar, Cts/GD D.G.Ade and D.S.Indurkar were assigned the duties for checking/frisking of civilians. Around 0715 hours, two militants in police uniform tried to enter into the polling station. Constable (Bug) Ramesh Kumar and Ct (GD) D.G.Ade asked them to prove their identity. On that, one militant gave signal to other militants, who were already in positioned in a house located in front of Town Hall gate. Immediately they threw grenade and started firing on CRPF personnel. Above mentioned three Constables of 45 Bn retaliated immediately and killed one Fidayeen militant and other militants who received injuries managed to escape without succeeding their mission. Ct/Bug Ramesh Kumar and Ct/GD D.G.Ade succumbed to their injuries. *Ct/GD* D.S.Indurkar also sustained bullet injuries. In the encounter, AK-47 - 01, AK Rounds 125, Mag. -06, Chinese grenade -04, Indian currency for Rs. *400/-* and LeT letter pad - one were recovered.

In this encounter, S/Shri Late Ramesh Kumar, Constable Buglar, Late D G Ade, Constable/Buglar & D.S. Indurkar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th October, 2002.

BARUN MITRA
Director

No. 1/9–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Nemi Chand, Inspector/General Duty.
2. T.C. Santosh, Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

A/Coy of 28 Bn CRPF has been performing CI OPS duties in Churachandpur, Manipur since 4/6/2003. On 9/12/2003 at about 1245 hrs, when two Platoons of A/28 under command Insp. Nemi Chand were carrying out area domination duty, at Vill. Kholmun, Distt. Churachandpur, about 35-40 suspected UNLF UGs laid an ambush on the party from the dominating features, nearby houses and vantage points by opening heavy volume of fire with sophisticated automatic weapons. Insp. Nemi Chand leading with one Section including Constable T.C. Santosh immediately took on the UGs and retaliated the fire without caring for their own safety. In the encounter, Insp. Nemi Chand sustained bullet injuries in his hand and leg and CT/GD T.C. Santosh sustained injury in his lower abdomen. Despite suffering serious injuries and profusely bleeding, both Insp/GD Nemi Chand and CT/GD T.C. Santosh retaliated the fire, which forced the UGs to retreat from their position, and also gave an opportunity to the other personnel of the party to take position and counter the ambush effectively. Simultaneously, they informed about the ambush incident to their Bn HQr. The party under the Command of Insp Nemi Chand and with the injured CT/GD T.C. Santosh in the lead continued to chase the UGs and unable to withstand the heavy firing by our troops, the UGs started fleeing away. One of the UGs, who got serious injuries and was unable to climb the steep slopes of the hilly terrain continued firing upon our troops and gave cover-fire to his colleagues to escape from the site. Resultant to heavy firing by our troops especially by Insp Nemi Chand and CT T.C. Santosh, this UG was killed at viil. Morjang about 1.5 Kms from Village Kholmun but the remaining militants managed to escape taking the cover of thick bushes. One GPMG (AK-81), 10 live rounds with one drum magazine, some incriminating documents and photo-album have been recovered from the ambush point. As per the information gathered from the villagers later, at least 3 other UGs sustained serious injuries during the encounter who were evacuated by their colleagues. In the above ambush incident, Insp./GD Nemi Chand and CT/GD T.C. Santosh exhibited gallant action in countering the ambush and killing one UG despite suffering serious injuries. Their timely and effective action in retaliating the fire of the UGs saved the lives of the remaining personnel of the Sections and gave them opportunity to take position and counter the ambush effectively.

In this encounter, S/Shri Nemi Chand, Inspector/ General Duty & T.C. Santosh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th December 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 180–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Nitin Sureshrao Puttewar, (Posthumous)
Recruit General Duty Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 18/10/2001, Recruit Nitin Sureshrao and two other recruits were deputed for sentry duty near Barrack No.2 located near the Boundary wall of GC from 2200 hours to 2359 hours. At about 2300 hours, an assailant armed with sophisticated weapon sneaked into Campus by scaling boundary wall where Recruit Nitin Sureshrao Puttewar was on duty. Recruit Nitin Suresh Rao Puttewar immediately spotted the intruder and challenged him. On being challenged, the intruder fired upon the Recruit seriously injuring him. Timely challenge by Recruit Nitin Sureshrao Puttewer and subsequent firing alerted other guard personnel who immediately rushed to the spot. Mean while Ct LH.Fernandez, attached from 13 Bn., CRPF also rushed to the spot and noticed the assailant running towards pump house. CT LH. Fernandez challenged him. The assailant fired at Ct LH. Fernandez who narrowly escaped. Finding good number of personnel coming out from lines etc, the assailant got scared and escaped by jumping the perimeter wall. Guard Commander and other sentries, made all out efforts to chase the assailant, but he escaped taking cover of darkness. Recruit Nitin Puttewar was immediately evacuated to BH-I, CRPF, New Delhi, where he was declared brought dead. He was hit by 3 bullets from AK-47 Rifle. Six empty cases of 39 mm were recovered at the place of incident. The local police immediately came to the camp and inspected site of incident and dead body of Late Recruit/Ct. Nitin Puttewar. On 20/10/2001 an intensive search of the area was made in that one foreign made AK-56 Rifle, 2 Magazines filled with 57 rounds, folding belt, were recovered near Krishna Colony, Najafgarh, just opposite to the CRPF Campus. Again on 27/10/2001, some foreign made magazines and grenades along with a pouch, hidden under ground, were also recovered from the field at Krishna Colony. According to media reports Terrorist group named Lashkare-e-Toiba (LeT) claimed responsibility for this attack. Recruit Nitin Sureshrao Puttewar effectively foiled the nefarious design of the hardcore militants by exhibiting tremendous courage and high order of presence of mind by timely spotting the terrorist and challenging him in utter disregards to his own life.

In this encounter, Late Nitin Sureshrao Puttewar, Rectt/ General Duty Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th October 2001.

BARUN MITRA
Director

No. 181–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. V. Govind Bhai, Head Constbale. (PPMG)
2. Harbans Singh, Inspector.. (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 10/8/03 a secret information was received at TAC HQ-54 CRPF Chesrimai, Bisharlgarh (West Tripura) that some hard core militants of NLFT group were present in Moharram Bazar area. A special operation was planned and an Ops party of selected men from B/Coy 54 was organised under the command of Insp/GD Harbans Singh alongwith HC V. Govind Bhai. The Ops party moved from the camp in the morning on 10/8/03 for Moharram Bazar in civil clothes and civil jeep concealing their weapons under their clothes to maintain their secrecy. Insp Harbans Singh along with his party on reaching Moharam Bazar observed some suspected insurgents in a tea shop, who sensing danger started fleeing out of the shop to escape through the nearby hilly and dense forest area adjacent to the village. Insp Harbans Singh chased these insurgents along with his selected team mates including HC V. Govind Bhai. HC. V. Govind Bhai being young and possessing commando abilities chased the fleeing insurgents and reached very close to one of the insurgents. The insurgents sensing threat of being over powered and caught alive, threw a Chinese hand grenade on HC Govind Bhai to delay the chase by CRPF party. HC V. Govind Bhai who was about to overpower the insurgents reacted very swiftly displaying high degree of agility and presence of mind and caught the grenade which was yet to explode and threw it aside and immediately grabbed the insurgent. Within a fraction of second the grenade exploded and HC. V. Govind Bhai sustained splinter injuries while he was still struggling to overpower the insurgent, who was later identified as Sanjit Reang the leader of this group. The insurgent being well-built and very young, tried to escape from the clutches of HC. V. Govind Bhai, who inspite of profusely bleeding from his injuries did not loose his grip on the insurgent. Inspector (GD) Harbans Singh despite his old age exhibited extra swiftness and agility of a youth also reached near the insurgent who was about to succeed in getting away from clutches of injured HC. V. Govind Bhai. Appreciating this situation Inspector Harbans Singh reached very close to the insurgent with lightening speed before the insurgent could escape, and without caring for his own safety and with self confidence, fired three consecutive aimed shots from his AKM rifle on the escaping insurgent and killed him on the spot without causing any harm to HC V. Govind Bhai who was in between the insurgent and Insp. Harbans Singh. With his presence of mind, superb marksmanship, courage and confidence Insp (GD) Harbans Singh could neutralize an insurgent who could have caused great harm to the CRPF party. In the meantime other insurgents fled taking the advantage of thick jungles. Raiding party carried out a thorough search of the area but no other insurgent could be traced. The operation was subsequently

called off with elimination of one insurgent attributed to the determination, intelligence of HC V. Govind Bhai and Insp Harbans Singh. The insurgent was later identified as Sanjit Reang S/O Rabamani Reang a dreaded Area Commander of National Liberation Front of Tripura NLFT (BM), a major National level insurgent outfit, having numerous criminal cases of serious nature pending against him.

In this encounter, S/Shri Harbans Singh, Inspector, & V. Govind Bhai, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th August 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 182–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Vikas Choudhary, Assistant Commandant.
2. Satish Kumar, Constable/ General Duty.
3. Bashir Ahmed, Constable/ General Duty.
4. Mohd. Shafi Tantary, Constable/ General Duty.
5. P. Rajendra Kumar, Constable/ General Duty.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In pursuance of a tip off from own source on 14/5/03(AN), a special raid and search operation on a specific house at Village Machurai para, (Jeolcherra) under PS Ambassa, was planned by Shri S.J.Speak Commandant 85 Bn CRPF. A party of 4 HCs and 19 CTs led by Shri Vikas Choudhary, Asst. Comdt. OC A/85 Bn CRPF was tasked to carryout this operation. At 0300 hrs on 15/5/03 the party tactically moved in 2 vehicles without headlights to maintain surprise. After alighting at Jeolcherra Post of B/85 Bn, CRPF, they moved along a rarely used foot track through the jungles avoiding normal village road and laid cordon around the targeted house after ascertaining the position about the insurgent sentry and placed stops. On the escape routes, at first light, Shri Vikas Choudhary, Asstt. Comdt, with Ct. Mohd. Shafi Tantary crawled towards the main door and took position along the wall. Ct. Tantary very quietly ascertained that the door was unlocked. Remaining 3 Cts. joined them and as per the pre-decided move, Shri Vikas Choudhary, AC and Tantary noiselessly entered into the house followed by Ct. Bashir, Ct. Rajender and Ct. Satish Kumar. The house contained two portions on the ground floor with strong false ceiling known as "Tongghar" in local parlance. Nothing suspicious was noticed on the ground floor room where ladies and children were sleeping in one and five elderly persons were sleeping in the other. The party was about to move out when Vikas Choudhary heard a sound of running fan somewhere near by. Following the direction of sound he noticed an opening between false ceiling and the sidewall with a tree trunk improvised as stairs, kept to climb up but kept covered by bamboo mats to prevent easy detection. Getting suspicious Shri Vikas Choudhary, AC quietly climbed up first followed by Ct. Tantary, Ct. Bashir, Ct. Rajender and Ct. Satish Kumar. Two youths and two ladies who were sleeping there and were caught unaware due to sudden appearance of CRPF personnel. The youths immediately regained their composure and reached for their weapons kept at their bedside. Sensing danger, Shri Vikas Choudhary, AC pounced upon one of them who was trying to cock his carbine

and hit him with the butt of his own AK47 before the militant could cock the carbine, which fell on the floor but the militant clung onto Shri Choudhary and tried to snatch his AK -47. Shri Choudhary gripped with the militant and pinned him down on to the floor. By this time, Ct. Tantary had picked up the Carbine of the militant and helped Shri Choudhary to overpower this militant. At the same time on the other side of the Tongghar, Ct. Bashir and Ct. Rajender who were closely following Shri Vikas Choudhary, caught hold of the second militant who was trying to fix magzine onto his AK-56 rifle and successfully disarmed him in no time. At his juncture three other men from the portion of the Tongghar tried to flee through the window, which caught the attention of Ct. Satish Kumar who immediately rushed and held them captive at gunpoint. The search party was called over wireless set and the male and female members were immediately segregated and thorough search of the house was carried out resulting in the seizure of 2 more loaded magazines each of AK-56 and SAF Carbine, two hand grenades (Chinese made), amn pouches, 40 rds. of9 mm and 76 rds. of 7.62 mm AK amn. Rs. 11,152/- in Cash, one album and few roll of photo negatives. On the spot interrogation of the two militants was carried out resulting in further seizure of three country made small pipe guns. 8 other male members of the house were also apprehended along with the two militants and were handed over to the state police at Ambassa PS. In subsequent interrogation, one of the eight suspects was identified as self styled Lance Corporal Surendra Jamatia @ Mini Jamtia of the NLFT (BM) group.

In this encounter, S/Shri Vikas Choudhary, Assistant Commandant, Satish Kumar, Constable/ General Duty, Bashir Ahmed, Constable/ General Duty, Mohd.Shafi Tantary, Constable/ General Duty & P.Rajendra Kumar, Constable/ General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th May 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 183-Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri R S H S Sahota
Commandant.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 8-5-03 an information was received that ULF A militants are coming to village Borpathar under P.S Bijni for collecting money and rations. Shri Sahota, Commandant-118 Bn,CRPF with SP, BGGN planned an operation and rushed to this village on motor cycles with their party. An operation with no achievement was conducted there. At about 1400 hours. when the force was returning, it came under heavy fire of AK-47 rifles from 6/7 ULFA militants at village Andhergaon near the Andher river. Shri Sahota who was leading the party on the first motorcycle narrowly escaped as the militants lobbed two Chinese grenades on him. He immediately ordered the party to take position and retaliate the firing. Shri Sahota without caring for self and ignoring the grenades, advanced towards the militants who were well entrenched on the other side of river and were firing indiscriminately. Shri Sahota though under fire at grave risk to his life crossed the river and kept firing at the militants even though a few bullets hit his bulletproof vest. He gallantly advanced and shot dead one militant by firing from his rifle. On seeing the determined force advancing, the militants started retreating by firing intermittently on the party. The encounter lasted for about 30 minutes. The area was thoroughly searched. Once the firing stopped a bullet ridden body of a militant was found. Later on, the dead body was identified as Self Styled Lt. Subal Mahanta @ Bimal Deka @ Ajoy Dutta @Binod Baishya @ Josef a dreaded ULFA hard core militant, son of Shri Goya Mahanta of village Taghertary P.S Mukalmua,Dist Nalbari. Shri Sahota exhibited extraordinary courage and a very high degree of leadership in this encounter. No 941113039 Ct/Dvr Sanjeev Kumar sustained bullet injury in this ambush. The slain insurgent was involved in the killing of a former AGP Cabinet Minister Shri Nageen Sarma. He had also made three attempts on the life of Dr Bhumidhar Barman State Health Minister, snatched arms of an escort party after killing three security personnel and injuring five others. He was also responsible for massacres at Nalbari and Begorabari in which nine civilians were killed on the spot. He was an expert in explosives and a prominent collector of extortions funds. One Pistol 9mm, 20 rounds of 9 mm, 2 magazines, 1 Chinese Grenade, Rs 7000/- cash, 11 fired cartridges of AK 47,incriminating documents, 1 important telephone diary were recovered from the stain militant.

In this encounter, Shri R.S. H. S. Sahota, Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th May, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 184–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Indo-Tibet Border Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Roop Singh,
Head Constable/ General Duty.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 4th November, 2003, Commandant, 16th Bn. ITBP was informed by a reliable source about the presence *of* some terrorists in Area Amar Singh Pura. On this information, an operation was quickly planned and a party was formed including 02 men *of* STF. When the parties reached the general area at about 1250 hrs, the Commandant decided to split the party into three sub-groups and deployed them at the quickest possible time covering all the escape routes *of* terrorists. When the sub group led by AC Parminder Singh in which No.820070075 HC/GD Roop Singh was also a member reached the suspected area, a cordon was quickly laid and they started looking *for* the terrorist. When the party was approximately 100 yards short *of* the suspected area, a faint movement *of* the terrorist in thick vegetation & undergrowth was detected. All the parties were alerted. AC Parminder Singh and HC/GD Roop Singh moved forward stealthily taking the cover *of* thick vegetation and undergrowth to nab the terrorist. When they were approximately 30 meters short *of* the target, the terrorist spotted them and started firing indiscriminately which narrowly missed HC/GD Roop Singh and AC Parminder Singh. Showing great presence *of* mind and courage, they immediately took cover and retaliated the fire. The terrorist also took cover behind a boulder and started firing. There was exchange *of* fire between them *for* some time Amidst exchange of fire, HC/GD Roop Singh exhibiting tremendous presence *of* mind, exceptional courage and conspicuous bravery with utter disregard to his personal safety, charged towards the terrorist and shot the terrorist *from* close quarters. The killed militant was later identified as Istiaq Ahmed *S/o* Nizamuddin *r/o* Kako *ofHM* Tanzeem outfit. The following recoveries were made from the slain terrorist:

1.	AK-56 :	01	2.	Magazine	-02
3.	Live Amn. : (destroyed at site)	15 Rds.	4.	Grenade	-02
			5.	Identity Card	-01

In this encounter, Shri Roop Singh, Head Constable/ General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty *of* the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th November, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 185–Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Indo-Tibet Border Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Kamal Kumar,
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 3rd November, 2003, on receiving a specific information through a reliable source regarding the presence of some terrorists in dense forested area of Gugaxa in SQ- 7306, Map Sheet No. 43 O/*16,* a joint operation with Army and STF was planned by Commandant 16th Bn. under the leadership of Shri R.S.Choudhary, DC. A cordon and search operation was accordingly plafmed. The cordon was laid to cover all the escape routes of the terrorists. The ITBP Party cordoned the area on the North, Army to the East and South and STF to the West. Search parties commenced operation as per the direction of their Commanders. As the ITBP column was nearing one of the Gwaris, it came under terrorist fire. No.990060254 Ct/GD Kamal Kumar, who was one of the members of the ITBP Cordon and Search Operation Party, on ascertaining the direction of fire, without caring for his personal safety and heavy volume of fire of terrorists crawled forward to get a clear picture of the situation. In the face of volley of fire, the brave and heroic Constable crawled a good 60 meters before he reached the Gwari. As Ct/GD Kamal Kumar reached the window of the. Gwari, the hiding terrorist suddenly jumped out from the window and pounced upon him and tried to snatch the rifle of Constable Kamal Kumar. A scuffle took place for about 15 seconds between the terrorist and Ct/GD Kamal Kumar but due to exceptional courage and conspicuous bravery exhibited by the said Constable, he succeeded in killing the dreaded terrorist with a single bullet from close quarters. The exceptional courage, presence of mind, grit and gumption shown by Ct/GD Kamal Kumar at the right time resulted in the killing of the dreaded terrorist, who was later identified as Sadiq Ahmed Bhatt @ Zaffer, r/o Batara ofHM outfit. The following recoveries were made from the slain terrorist:

1.	AK-47	:	01	2.	Magazine:	03
3.	Live Amn	:	28 Rds	4.	Grenade:	04 (destroyed at site)
5.	Diary : 01					

In this encounter, Shri Kamal Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03.11.2003.

BARUN MITRA
Director

No. 186–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Indo-Tibet Border Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Karan Singh,
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 14th July, 2003, on the basis of a specific intelligence input, a joint Operation with 26RR was launched in Village Thaloran under the overall command of Shri S.P.Singh, Second-inCommand. No.8800174872 Ct/GD Karan Singh was deployed in a cordon party about 100 yards from Samai Nala which is one of the most likely get away route of the militants. At about 1300 hrs, a group of 5 militants in guise of civilians was noticed moving on Samai Nala track. On being challenged, one of the suspects took cover behind a tree and threw hand grenade in the direction of cordon party. One member of cordon party belonging to 26 RR sustained splinter injuries. The terrorists fired a volley of fire towards Ct/GD Karan Singh, who was in close vicinity of the injured constable, and tried to snatch his AK-47 rifle from him. Without caring for his personal security Ct/GD Karan Singh, showing admirable presence of mind, returned the fire and challenged the terrorists. This brave response compelled the militants to flee towards the Nala, which provided good cover to them. Ct/GD Karan Singh, showing high level of professionalism, bravery and commitment towards duty, chased the terrorists who were firing indiscriminately, though at times he was not having adequate cover and was in direct firing range of enemy, and finally managed to kill one militant. Ct/GD Karan Singh displayed the highest degree of dedication, determination and raw courage in the adverse circumstances where even his life was in danger. The exceptional courage, presence of mind and an act of gallant shown at the right time resulted in the killing of the dreaded terrorist later identified as Zakir Hussain Malik @ Zuber, r/o Talogada, Dy. Divisional Commander of HM outfit Doda District. The following recoveries were made from the slain terrorist:

1. Radio Set : 01
2. Grenade : 02 (destroyed at site)
3. Incriminating documents

In this encounter, Shri Karan Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th July 2003.

BARUN MITRA

No. 187-Pres/2004- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Indo-Tibet Border Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Jitender Kumar,
Head Constable/ General Duty.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 28th June, 2003, on the basis of specific intelligence input, a joint operation alongwith RR troops was planned in General area Bhole under the leadership of Shri Harinder Pal Singh, DC. As per plan, two columns one each of ITBP and RR troops were to move and line up at Hauju. The ITBP party was divided into three stops and HC Jitender Kumar was an independent stop party comdr, with four others positioned themselves in Jungle line area, South-East of Bhole Village. HC/GD Jitender Kumar detected the movement of terrorist and their entering into the Gwari. He analyzed the situation and cautioning his party Comdr. and fellow stops to keep a watch on the Gwari where terrorists had taken shelter. Noticing the movement of RR troops to their direction, terrorists holed up in Gwari started indiscriminate firing towards the RR troops. The RR troops also retaliated and engaged both the terrorists holed up in the Gwari. In the gun battle between RR Troops and terrorists, one of the terrorists was killed. As the second terrorist tried to escape from the Gwari from Rear window, HC Jitender Kumar, deployed as stop, observed the movement of terrorist and opened fire causing him bullet injury. He chased the running terrorist who took cover behind a big boulder in thick vegetation and started firing in which HC Jitender Kumar had a providential escape. Undeterred by the militant's indiscriminate fire, he alongwith one LMG man crawled forward taking the cover of vegetation. As they reached at a distance of about 30 meters, the terrorist started intense fire and also lobbed a grenade, but HC Jitender Kumar took cover behind a tree for a moment and simultaneously charged the terrorist amidst heavy exchange of fire exhibiting a tremendous presence of mind, exceptional courage and the highest level of professionalism killing the dreaded terrorist of HM Outfit. The exceptional courage, presence of mind, grit and gumption shown by HC Jitender Kumar resulted in the killing of one hard-core terrorist who was later identified as Shahdin S/o Abdul Wahid *R/o* Trinkal. In the entire operation two hard-core terrorists of HM outfit were killed and later on identified as Shahdin S/o Abdul Wahid *R/o* Trinkal (killed by HC Jitender Kumar of ITBP) and Abdul Rashid @ Tufail S/o Mohd. Sharif *R/o* Budhi (killed by RR troops). The following recoveries were made from the slain terrorists:

1.	AK-56	: 02	2.	Magazine	: 02
3.	Live Amn AK series	: 40 Rds	4.	Hand Grenade: 02 (destroyed at site)	
5.	Multi Utility pouch: 02		6.	Incriminating documents	

In this encounter, Shri Jitender Kumar, Head Constable/ General Duty, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th June 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 188–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Indo-Tibet Border Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Sharad Pratap Singh,
Second-in-Command

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 28th April, 2003, a specific information was received from a reliable source about suspected hide out of terrorists at Lagor. Based on that, a Party led by Shri S.P.Singh, 2IC moved to general area Lagor, where the suspected hide out was located. When the Operation party reached 500 meters short of suspected hide out, Shri S.P.Singh, Party Cdr. left the main body of party behind as per plan and took three ORs and the source alongwith him to confirm the presence of terrorists in the hide out. After advancing 100 meters, Shri S.P.Singh and three others located the hideout across the Nallah and observed for any movement of the terrorist. After 10 minutes of the observance, one terrorist came out of the hide out. Seeing the movement of the terrorist, Shri S.P.Singh immediately called rest of the party members and deployed the troops covering all escape routes. He took the LMG Group and deployed it at a vantage location about 100 yards from the hideout from where they had a clear field of fire and good observation of the target. Meanwhile one more terrorist came out of the hide out. Both the terrorists lit fire to cook food. The party kept observation on them patiently and positioned themselves tactically to move in at the opportune moment. While the covering party was closing in, one of the terrorists observed the movement of our troops and started firing indiscriminately on the party. The fire was effectively retaliated and in the ensuing gun battle the two terrorists were killed. In the meantime, one more terrorist appeared on the scene and started firing indiscriminately on the party led by Shri S.P.Singh in which he had a providential escape as volley of shots fired by the terrorist hit the ground 2-3 inches short of him. However, he undeterred by the fire of terrorists directed the other two to cover his move and ran towards the terrorist who was in the cover. Seeing no effect of bullets, the terrorist threw a grenade, which again narrowly missed Shri S P Singh. The terrorist kept on firing indiscriminately, but Shri S P Singh dashed towards the terrorist amidst heavy exchange of fire, exhibiting raw courage and conspicuous bravery without slightest care of risk of life and killed the militant. The three killed terrorists were later identified as:

(i) Zakir Hussain S/O Ali Sain alias Babar R/O Doda (J&K)
(ii) Mudassar S/O Nazir Ahmed alias Irfan R/O Doda (J&K)
(iii) Mohd. Ayub S/O Qasim Din alias Saifullah R/O Doda (J&K)

The following recoveries were made from the slain terrorists:

(a) AK- 56 Rifle : Two
(b) Magazine : 03 Nos.
(c) AK Series amn. : 50 Rds
(d) Hand Grenade : Five (destroyed on ground)
(e) Multipurpose pouch: 03 Nos.
(g) Incriminating documents including note books, photographs and diaries.

In this encounter, Sharad Pratap Singh, Second-in-Command displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th April, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 189--Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Indo-Tibet Border Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Kartar Chand,
Inspector/ General Duty.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information about presence of some foreign terrorists in general area Bishaku Nala, a joint operation with STF and 26 RR was launched on 19th December, 2003. Insp/GD Kartar Chand was the party commander of the ITBP column who participated in the Operation "Bishaku Nala". The Operation Party of ITBP reached Gali Bhatoli at 2000 hrs. and commenced combing operation in the area. As the parties reached the end of Bishaku Nala after thorough search of the area, Insp/GD Kartar Chand suddenly spotted two terrorists. At almost the same time the terrorists also spotted Insp/GD Kartar Chand and started firing which was retaliated without loss of time. In the exchange of fire one of the terrorists was injured while trying to escape along the left side of the slope. The other militant continued firing. Insp/GD Kartar Chand undeterred by terrorist firing, chased the injured terrorist and saw him taking cover behind a tree. Without caring for his personal safety, Insp/GD Kartar Chand advanced towards the terrorist taking cover of tree line and the darkness. When he reached as close as 15 yards, the terrorist opened fire with his pistol and hurled a grenade, which narrowly escaped the target. Insp/GD Kartar Chand exhibiting raw courage and the highest sense of professionalism charged at the militant on close quarters and killed the militant. The exceptional courage, presence of mind, initiative and act of conspicuous bravery exhibited by Inspector/GD Kartar Chand facilitated the success of the Ops in which one hard core terrorist was killed who was later identified as Mudasar code name Abu Salem, a foreign terrorist of HM outfit. The following recoveries were made from the slain terrorist:

1.	Chinese pistol	: 01	2. Magazine AK –47	-02
3.	Live Amn.AK-47	: 43 Rds	4. Radio Set	-01
5.	Pouch	: 01	6. Indian currency	-Rs. 172/

In this encounter, Shri Kartar Chand, Inspector/ General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th December 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 190–Pres/2004- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri D. Mallick,
Constable/ General Duty.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a secret information regarding extremists movements in the area of Dalucherra, Laldanga and Tuichand Para, a party of 46 personnel including Ct. D. Mallick of 66 Bn left for Tuichand Para area Distt. Dhalai (Tripura) for co-ordinated search operation on 15/06/2003 at about 0400 hrs, reached the destination after covering about 22 Kms on foot through the Hilly jungle terrain and cordoned the village and started intensive search. A youth and a young girl on seeing the CRPF party rushed inside a house and at the same time the section commander of the leading section also found a civilian with a fire-arm and gave warning to his men. At that very moment 7 to 8 extremists fired a volley of bullets from different directions with some of them in entrenched position, which was retaliated by CRPF. Constable D. Mallick who was in the front of the section saw one of the extremists taking aimed fire on our man acted quickly and fired from his Rifle. The insurgent collapsed on the spot. The insurgent was later on identified as Chiranjoy Reang (30) Area Commander ofNLFT (BM) group. Further during the course of fire insurgents also lobbed hand grenade causing serious injuries to HC/GD Md. Iqbal, CT/GD P.K. Biswal and CT/GD S. Senapati. CT D. Mallick continuously, quietly engaged himself in the exchange of fire and the operation continued for about 90 minutes. Finally, when insurgents could not succeed in their evil designs they fled away by taking the advantage of heavy terrain/thick vegetation /bushes. The dead body and the female militant were handed over to state Police authorities along with the Arms/ Amn recovered from the encounter site.

In this encounter, Shri D. Mallick, Constable/ General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th June, 2003.

BARUN MITRA
Director

The 9th December, 2004

No. 191-Pres/2004 - The following amendment is made in the first para of this Secretariat Notification No.162-Pres/2003 dated 17 November, 2003 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated 6 December, 2003 relating to award of Police Medal for Gallantry:-

For

The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Dr. Kamal Saini, IPS
SSP

Read

The President is pleased to award Bar to the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Dr. Kamal Saini, IPS
Senior Superintendent of Police

BARUN MITRA
Director

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 30th November 2004

M-13011/1/96-Admn.IV. In pursuance of the Government of India Resolution No.DS/STS/4-69 dated the 5th March, 1970 and subsequent addendum vide No. M-13011/2/80-NSS.II dated 26-03-84 regarding composition of the Governing Council of the National Sample Survey Organisation, the Governing Council is constituted w.e.f. 30.11.2004 with the following composition :

A. NON-OFFICIALS

(a) Chairman (for 5 years or till further orders)

Prof. Suresh D. Tendulkar
Prof. (Retd.), Delhi School of Economics,
AD-86 C, Shalimar Bagh,
Delhi-110052

(b) Members (for 2 years)

1. Prof. Bimal Roy
   Applied Statistics Unit
   Indian Statistical Institute
   203, B.T. Road
   Kolkata-700108

2. Prof. Dipankar Coondoo
   Economic Research Unit
   Indian Statistical Institute
   203,B.T. Road
   Kolkata-700108

3. Shri K.S. R. Murthy
   Former Secretary
   Govt. of India & Former Member
   of Parliament(LS)
   Member of Damodaram Sanjeeviah Memorial Trust
   1003, Railway Officers Colony, South Calaguda
   Sikandrabad-17
   Andhra Pradesh

4. Prof. N.S. Ramaswamy
   Director – CARTMAN
   Chairman Indian Heritage Academy(IHA)
   870, 17E Main Koramangla
   Block-6, Bangalore-560095

5. Prof. Pulin B. Nayak
   Professor of Economics
   Department of Economics
   Delhi School of Economics
   Delhi University
   Delhi-110007

II. OFFICIALS

1. Director General
   Central Statistical Organisation
   Ministry of Statistics & PI
   S.P. Bhavan
   New Delhi-110001

2. Deputy Director General
   Computer Centre
   Ministry of Statistics & P.I.
   East Block 10, R.K. Puram,
   New Delhi-110066

3. Director
   Bureau of Applied Economics & Statistics
   Government of West Bengal
   1 A-277/1
   Salt Lake
   Kolkata-700017 **(tenure 2 years)**

4. Director
   Directorate of Economics & Statistics
   Govt. of Rajasthan
   Yojana Bhavan
   Tilak Marg
   C-Scheme, Jaipur-302005 **(tenure 2 years)**

5. Director
   Directorate of Economics & Statistics
   Govt. of Andhra Pradesh
   Khairatabad
   Post Bag No.5
   Hyderabad-500004 **(tenure 2 years)**

6. Advisor
Perspective Planning Division
Planning Commission
Yojana Bhavan
New Delhi-110001 **(tenure 2 years)**

7. Registrar General of India
2A, Mansingh Road
New Delhi-110011 **(tenure 2 years)**

8. Additional Director General
Field Operations Division
National Sample Survey Organisation (NSSO)
Level 6-7, East Block-6
R.K. Puram
New Delhi-110066

9. Deputy Director General
Survey Design & Research Division
National Sample Survey Organisation
Mahalanois Bhavan
164, G.L.T. Road
Kolkata-700108

10. Deputy Director General
Data Processing Division
National Sample Survey Organisation
Mahalanobis Bhavan
164, G.L.T. Road
Kolkata-700108

11. Deputy Director General
Coordination & Publication Division
National Sample Survey Organisation
S.P. Bhavan
New Delhi-110001

(C) MEMBER-SECRETARY

DG & CEO
National Sample Survey Organisation
S.P. Bhavan
New Delhi-110001

(A.K. Saxena)
Joint Secretary

MINISTRY OF COAL AND MINES
(DEPARTMENT OF MINES)

New Delhi, the 29th November 2004

RESOLUTION

No : E-16011/1/2003 - Hindi. Govt. of India, Ministry of Coal and Mines, Department of Mines has decided to reintroduce its revised scheme namely " **Promotional scheme for writing original Books in Hindi on the subjects pertaining to Mines and Mining**" to encourage and award the authors witting original books in Hindi on the subjects under the purview of Department of Mines. The main features of the scheme are as under :-

1 **Name of the scheme:**

The name of the scheme will be " promotional scheme for writing original books in Hindi on the subjects pertaining to Mines and Mining"

2 **Objectives:**

The scheme aims at promoting original book writing in Hindi on the subjects pertaining to Mines & Mining and to encourage and award the authors engaged in this field.

3 **Subjects to be considered under the scheme:-**

The original books/typed manuscripts written in Hindi on the following subject will be considered under the scheme :-

1. Indian Mining Industry and its potential
2. Prospecting, exploration & exploitation of Minerals
3. Ecology and Mining Industry
4. Mineral potential in off-shore areas
5. Mine Closure and Land reclamation
6. Mining and community development
7. Globalization and Indian Mining Industries.
8. Mining and sustainable development
9. Liberalization and Mining
10. Mining and private companies
11. Mining and State-of-the art technology
12. Conservation of Minerals
13. Any other subject pertaining to Mining

4 **Period**

The block period of the scheme will be preceding 2 financial years from the year of the implementation of the scheme.

5 **Prizes**

Following prizes and the cash awards would be given under the scheme :

1.	First Prize (one)	-	Rs: 25,000/-
2.	Second Prize (one)	-	Rs: 15,000/-
3	Third Prize (one)	-	Rs: 10;000/-

Besides, three consolation prizes of Rs. 5,000/- each would also be awarded. The Prize winner would also be presented a certificate and memento along with the cash award.

6. **Prize Awarding Authority :**

Department of Mines, Ministry of Coal and Mines, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi.

7. **Eligibility**

i. All the citizens of India may participate in this scheme.

ii. The book/typed manuscript originally written/published in Hindi on the subjects pertaining to Mines and Mining only would be considered under the scheme.

iii. The Book written/published under an agreement with any institution or organization availing financial assistance from the central or State Govt. or the book written/published under any other scheme would not be considered in the scheme.

iv. The book or manuscript having less than 100 pages would not be considered under the scheme.

8. **Award Making Committee**

A committee under the chairmanship of Joint Secretary (in charge of Official Language) of the Dept. of Mines, Ministry of Coal and Mines would be constituted to select the eligible entries under the scheme. It will consist of the following members:

Director, Deptt. of Official Language, M/o Home Affairs	-	Member
Director (Technical), Deptt. of Mines	-	Member
Director (Admn.), Deptt. of Mines	-	Member
Director/Deputy Secretary, Deptt. of Mines (In charge of Hindi)	-	Member
Deputy Director (OL)	-	Member Secretary

9. **Functions of award making committee**

The term of references of the committee will be as under :-

i. The committee will short list the eligible entries. It will nominate experts and the views of three experts would be obtained on each selected entry.

ii. The experts, while evaluating the entries will give due consideration to their utility, relevance, technical aspects and language and style.

iii. For the purpose of evaluation of the entry the maximum marks would be hundred. Out of maximum 100 marks 25 marks are earmarked for utility, 25 marks for relevance, 30 marks for technical aspects and 20 marks for language and style.

iv. The experts will submit their evaluation reports within a month. Thereafter, the committee on the basis of their evaluation would consider and select the entries for the prizes.

v. The experts would be awarded remuneration as decided by the award making committee.

vi. If any member of award making committee submits his entry for any block period, he would not be the member of the committee for that period.

vii. The decision of the Deptt. of Mines regarding the prizes would be final and binding.

viii. The prize winner would be informed in writing.

ix. These prizes would be presented in a special function.

10. **Propagation of the scheme :**

For the propagation of the scheme, the advertisements would be given in the leading English and Hindi news papers of the country. The scheme would be circulated to the Ministries/Departments/Offices of the Central Govt. and the subordinate offices and the PSU's under their control. Besides, the scheme would also be circulated to the geology and mining Ministries/Department of the States/UTs and institutions/organisation connected with mining industry.

11. **Address for submission of entries:**

The authors desirous of participating in the scheme have to send their entries in a prescribed proforma enclosed as annexure I & II to the Deputy Director (OL), Deptt. of Mines, Ministry of Coal and Mines, Room No. 310 'D' Wing, shastri Bhawan,.New Delhi - 110001

12. **Last Date :**

The last date for receipt of entries will be three months from the date of the publication of the scheme.

Order

Ordered that the copy of the resolution be sent to the all state Govt./ UT and all the Ministries/Department of the Govt. of India.

Ordered, further, that the resolution be published in the gazette of India for general information.

PRASHANT MEHTA
Jt. Secy.

Annexure - I

A scheme for the promotion of writing original books in Hindi on the subject pertaining to Mines and Mining.

*** Declaration form**

I* .....

S/o,D/o,W/o, Shri.....

resident of.....

.....

Hereby declare that :

i. The book/manuscript is originally written in Hindi by me and I have its copyright.
ii. I have not availed any financial assistance from the Central or State Govt. institutions for the publication for the book.
iii. This book is not a mere translation of any book published in any other language.
iv. I solemnly affirm that the above facts are correct and true to the best of my knowledge and belief.

(Signature)

Place.....
Date.....

Name
Adress

* Co-writers of the book are required to submit individual declaration

Annexure-II

Bio-data

1. Name (In capital letters) .....

2. Address of Correspondence.....

3. Permanent address .....

.....

4. Date of Birth .....

5. Academic and other Qualifications.....

.....

6. Publications : (please furnish the details of earlier publication, if any)

Title	Language	Publication year
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

7. Whether the book under submission has already been awarded under any other scheme ? If Yes, details thereof.

.....

.....

Signature

Place:
Date:

(name and Address of the author)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 19th November 2004

F.N. 8-62/2003-PP.I - In partial modification of Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation Notification No. 8-97/91-PP.I dated 26.11.1993, it is hereby notified for general information that the officer in charge of the Central Integrated Pest Management Centre, Indore is also authorized to inspect, fumigate or dis-infect and grant phytosanitary certificates in respect of plants and plant products intended for export to other countries which require such certificates. Accordingly, in the said Notification the following shall be added to the list of officers after item no. (xviii) under I Central Government :-

(xix) The Officer In-charge
Central Integrated Pest Management Centre,
16, Professor Colony,
Bhanwar Kuan, Main Road,
Indore – 452001.

ASHISH BAHUGUNA
Jt. Secy.

The 10th December 2004

F.No. 8-86/2001-PP.I In partial modification of Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation notification no. 8-97/91-PP.I dated 26.11.93, it is hereby notified for general information that the following officers of the State Government are authorized to inspect, fumigate or disinfect and to grant Phytosanitary Certificate in respect of plants and plants products, intended for export to other countries which require such certificate. Accordingly, in the said notification, the following shall be added to the list of officers in II States/UTs under Uttaranchal:

i) Joint Director,
Quality Control,
Directorate of Agriculture,.
Paudi, Uttaranchal.

ii) Director,
Directorate of Food and Processing,
Chaubatia (Rani Khet), Almora,
Uttaranchal.

iii) Head,
Plant Pathology,
Govind Vallabh Pant Agricultural and Industrial University,
Pant nagar, Uttaranchal.

ASHISH BAHUGUNA
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 26th November 2004

RESOLUTION

No. F. 6-8/2001-U.3

In accordance with the provision of Rule 3 and 9 of the Rules and Regulations of the Indian Institute of Advanced Study (IIAS), the Government of India hereby nominate the following as members of the Society of IIAS, Shimla, with immediate effect for the unexpired term of the Society i.e. till 10th April 2005 :-

3(a) Nominated Members

(I) Six Vice-Chancellors of Indian Universities nominated by the Central Government.

(1) Prof. Mushirul Hasan,
Vice-Chancellor, JMI, Delhi

(2) Prof. Ganeshan,
Vice-Chancellor, CIEFL, Hyderabad.

(3) Shri Vachaspati Upadhyaya,
Vice-Chancellor, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi.

(4) Shri C S Chadha,
Vice-Chancellor, Indore University,

(5) Prof. Mrinal Miri,
Vice-Chancellor, NEHU, Shillong

(6) Prof. Arun Kumar Dave,
Vice-Chancellor, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad.

(II) 18 - 24 Educationists nominated by the Central Government

1. Prof. J S Grewal, — President of the Society
Eminent Historian

2. Ms. Armaity Desai,
Former Chairperson, UGC

3. Prof. Tensula Ao,
NEHU, Shillong

4. Prof. T K Oommen,
Former Professor of Sociology, JNU

5. Shri Jayant Narlikar,
Eminent Scientist, Mumbai

6. Shri Kunwar Suresh Singh,
Eminent Historian & Anthropologist

7. Prof. Irfan Habib,
Eminent Historian

8. Prof. Sabyasachi Bhattacharya,
Eminent Historian

9. Prof. Kirit Parikh,
Economist, Mumbai

10. Prof. Abhijit Sen,
Economist & Member, Planning Commission

11. Prof. Balachandra Mungekar,
Economist & Member, Planning Commission

12. Prof. C P Chandrasekhar,
Economist, JNU, New Delhi

13. Prof. Anjali Monterio,
TISS, Mumbai

14. Prof. Ayyapppa Panikker,
Professor of English and eminent Poet

15. Prof. U R Ananthamurthy,
Professor of English & Eminent Writer

16. Prof. Mihir Bhattacharya,
Former Head, Cinema Studies, Jadavpur University

17. Ms. Geeta Kapur,
Eminent Art Critic

18. Prof. Neera Chandok
Political Scientist, Delhi University

19. Prof. Srinivas Rath,
Eminent Sanskrit Scholar,

20 Prof. Arun Kamal,
Eminent Poet and Professor of English, Patna

1. Prof. Madhura Swaminathan,
Economist, ISI, Kolkata

22. Prof. Moolchand Sharma,
Director, Law Institute, Bhopal

23. Shri Sadanand Menon,
Eminent Art Critic, Chennai

24. Prof. Ravi Kapur,
Eminent Psychologist, NIAS, Bangalore

The Government of India also nominate Prof. J S Grewal as the President of the Society and the Chairman of the Governing Body of IIAS, Shimla.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D.K. PALIWAL
Dy. Educational Adviser

RESOLUTION

No. F. 6-8/2001-U.3

Government of India in exercise of powers under Rule 8 (d) of the Memorandum of Association and Rules and Regulations and Bye-Laws of the Indian Institute of Advanced Study, (IIAS) Shimla hereby terminate membership of the following members of the Society which were nominated under Rule 3 (b) and 3 (c)(iv) of the Memorandum of Association and Rules and Regulations and Bye-Laws of IIAS, Shimla vide Resolution of even number dated 11th April 2002 :-

(i) Six Vice-Chancellors of Indian Universities

(1) Dr. Balwant Jani
Vice-Chancellor,
North Gujarat University,
PB No.21, University Road,
Patan 384 265.

(2) Prof. K N Pathak
Vice-Chancellor,
Punjab University,
Chandigarh 160 014.

(3) Shri S V Giri
Vice-Chancellor
Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning,
Prasanthi Nilayam – 515134
Anantapur District (AP)

(4) Dr. K K Dwivedi
Vice-Chancellor,
Arunachal University, Rono Hills, Itanagar 791112.

(5) Dr. R D Chaudhury,
Vice-Chancellor,
National Museum Institute of History of Art,
Conservation and Museology, Janpath, New Delhi – 110 011.

(6) Dr. N Samten,
Vice-Chancellor,
Central Institute of Higher Tibetan Studies,
Sarnath, Varanashi – 221 007.

(ii) 18 - 24 Educationists

1) Prof. G C Pande,
Retired Vice-Chancellor, Rajasthan/
Allahabad University,
11. Balrampur House,
Allahabad – 211 002.

2) Dr. Lakan Lal Mehrotra,
Ex-Foreign Secretary,
C-1/16 Sheeladri,
Sector 31, NOIDA 201 301. (UP)

3) Prof. D P Chattopahdyay,
25, Park Mansion,
57-A, Park Street,
Calcutta – 700 016.

4) Shri M D Srinivasan,
Centre for Policy Studies,
University of Madras,
Chepauk, Chennai 600 005.

5) Prof. S P Banerjee,
Former Vice-Chancellor,
University of Burdwan,
ARGHYA, FE 92, Sector III,
Salt Lake City, Calcutta 700 091, West Bengal

6) Prof. Kapil Kapoor,
Rector, Jawaharlal Nehru University,
New Mehrauli Road,
New Delhi 110 068.

7) Shri B N Tandon,
Director,
K K Birla Foundation,
Hindustan Times House (10th Floor)
18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110 001.

8) Dr. Yoganand Kale,
Pro-Vice-Chancellor,
University of Nagpur,
Ravindra Nath Tagore Marg,
Nagpur – 440301

9) Dr. B K Joshi,
Former Vice-Chancellor,
Kumaon Univeristy ,
At present Dehradun

10) Dr. R S Nigam,
Professor of Commerce,
Delhi University, Delhi 110 007.

11) Prof. Bhuvan Chandel,
Department of Philosophy,
Punjab University, Chandigarh 160 014

12) Prof. Thimma Reddy,
Department of Anthropology,
Andhra University,
Waltair, Visakhapatnam 530003.

13) Prof. A K Saran,
C-136, Nirala Nagar,
Lucknow 226020

14) Prof. B N S Yadava,
33/3, Stanley Road,
Allahabad - 211002.

15) Dr. Gopi Chand Narang,
D-252, Sarvodaya Enclave,
New Delhi – 110 017.

16) Dr. Aruna Goel,
Professor of Sanskrit,
Punjab University, Chandigarh 160 014

17) Prof. S R Bhat,
Head, Department of Philosophy,
M/Ps-23, Maurya Enclave, Pitam Pura, Delhi – 110034.

18) Prof. R Balasubramanian,
SIVABAL,
3, Bhagirathi Street, Srinivasa Avenue,
Raja Annamalai Puram, Chennai – 600028.

19) Prof. Virendra Nath Misra,
G-2, B Wing, Ganga Park,
Mundhwa Road, Pune – 411 036

20) Prof. S P Singh,
YB-2, Sah Vikas Apartments,
68, I P Extension, Delhi – 110 092.

21) Prof. Anjan Kumar Banerjee,
Formerly Professor,
Department of Journalism and
Mass Communication, Banaras Hindu University,

22) Dr. Kusum Lata Kedia,
Professor-of Social Sciences,
Gandhian Institute of Studies, Varanasi

23) Prof. Vinay Chandra Pandey,
Department of History,
Allahabad University, Senate Hall, Allahabad – 211002.

Government of India also withdraw Presidentship of Prof. G C Pande and Vice-Presidentship of Dr. Lakan Lal Mehrotra nominated under Rule 3 (c) (iv) of MOA and Rules and Regulations and Bye-Laws of IIAS, Shimla vide Resolution of even number dated 11th April 2002.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D.K. PALIWAL
Dy. Educational Adviser

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004